(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 29वां दिवस [संख्या 22

मंगलवार,
दिनांक 28 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म॰ पू॰ 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

प्रश्न संख्या 533

श्री नूरा !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशकुमार !

भरतपुर जिले में बाढ़ के पानी से डूबी भूमि

534. **श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में अभी भी कितनी जमीन बाढ़ के पानी से डूबी हुई है और उस पानी के निकास के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बावजूद इसके कि किसानों को बाढ़ के पानी से काफी नुकसान हुआ है फिर भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से पानी के निशान लगाकर अनुचित सहराबी की रकम उनसे वसूल की जा रही है।

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) भरतपुर जिले में अभी भी 12,200 एकड़ क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसमें 8200 एकड़ कामां पहाड़ी क्षेत्र में, 2000 एकड़ चिकसाना, नगला मुलावटी, नगला होशियारी क्षेत्र में एवं 2000 एकड़ अन्य क्षेत्रों में स्थित है। इस पानी को निकालने हेतु हरियाणा से आने वाली उज्जिना ड्रेन को बन्द कर दिया है एवं एकत्रित पानी पंपों द्वारा निकाला जा रहा है। चिकसाना क्षेत्र में सम्बन्धित, ग्रामवासियों ने पानी निकासी हेतु स्वीकृत ड्रेन को नहीं खोदने दिया, जिससे पानी निकालना सम्भव नहीं हुआ है। अन्य क्षेत्रों में भी पम्पों द्वारा पानी निकाला गया है।

(2) जी नहीं।

श्री सुरेशकुमार : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे: क्या यह सही है कि ऐसी जमीन पर, जिस पर खेती छोड़ दी

Page No. 2

(2)

(श्री सुरेश कुमार)
गयी है और खेती नहीं हो पायी है, सहराबी की रकम वसूल की जा रही है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसकी जानकारी कर ली जावेगी। फसल नहीं बोई गयी है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर): अभी भी गोवरधन ड्रेन से कई गांवों में पानी भरा हुआ है जहां पर फसलें नहीं हो पायी है और पानी की वजह से सड़ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है। व्यवस्था हो जावेगी।

नैक्स्ट। श्री मंजूर अली !

राज्य में बेरोजगार रिटायर्ड सोल्जर

535. **श्री मंजूर अली** (सवाई माधोपुर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने रिटायर्ड सोल्जर बेरोजगार हैं जिनके नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज दफ्तर में दर्ज हैं ?

(2) उनको रोजगार पर लगाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री महबूब अली) : राज्य में 5216 बेरोजगार रिटायर्ड सोल्जर्स के नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज दफ्तर में दर्ज हैं।

(2) इस बारे में राजस्थान सिविल सर्विसेज (एब्जोर्प्शन आफ एक्स सर्विस पर्सनल) रूल्स, 1959 बनाये गये हैं। इन नियमों के परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित पदों में भर्ती के लिये साढ़े बारह प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित किये गये हैं।

रोजगार के लिये निम्न सुविधायें भी दी जा रही हैं :—

(क) पेट्रोल पम्प, केरोसीन आइल और गैस एजेन्सी दिये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर जय जवान स्टाल देने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

1. बस स्टेण्ड
2. कृषि उपज मंडी
3. म्यूनिसिपल एरिया
4. मार्केटिंग कम्पलेशन

(ग) नेशनल रोड परमिट में 10 प्रतिशत का कोटा सुरक्षित है।

(घ) कृषि भूमि आवटन में भी इनको प्राथमिकता दी जाती है।

श्री मंजूर अली : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजिश्ता 8 महीनों में कितने आदमियों को रोजगार दिया है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐसे कितनों को लाइसेंस दिये हैं, कितनों को आपने पेट्रोल पम्प दिला दिये हैं और कितनों को गेस की एजेन्सी दिला दी है ?

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : कितने एक्स सर्विसमैन को आपने भूमि अलाट की है ?

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या एक्स आर्मीमैन को इन्डस्ट्री में और दूसरे बिजनेस में प्रायोरिटी देंगे ?

श्री मंजूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय। गुजिश्ता आठ महीनों में कितनों को रोजगार दिया गया है ?

श्री महबूब अली : यह सूचना मेरे पास कम्पलीट नहीं है कि कितनों को आठ महीनों में रोजगार दिलाया गया है। यह मैं कलेक्ट कर के प्रश्नकर्त्ता को बता दूंगा। जहां तक सुविधाओं का सवाल है मैंने बताया कि ये सुविधायें उनको दी जाती हैं जिनके रूल्स बने हुए हैं। इसकी अलग से डिटेल्स मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा : तस्वीर में मंडवा लीजिये। इन सुविधाओं से कोई फायदा नहीं है।

श्री मंजूर अली : क्या यह सही है कि सब के नाम दर्ज हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया जाता है ?

श्री अब्दुलअजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब एक्स सोल्जर्स के लड़कों को टीचर्स ट्रेनिंग आदि की एजूकेशन में रिजर्वेशन की सुविधायें प्राप्त हैं तो क्या आप इन्जीनियरिंग में भी इनका रिजर्वेशन रखना चाहेंगे ?

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : आपने 5216 संख्या बतायी। रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कब से हुआ और ओल्डेस्ट केस कब का है ?

श्री महबूब अली : यह सूचना तो उपलब्ध नहीं है कि कब का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन यह सूचना उपलब्ध है कि 5216 केडेट्स का रजिस्ट्रेशन है। 59 से रूल्स बने हुए हैं और मेरा खयाल है कि तब ही से रजिस्ट्रेशन हुआ है।

मेजर श्री फतहसिंह : राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है ? क्या इनकी संख्या 3 लाख से अधिक नहीं है ?

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये ये बिल्कुल गलत हैं। माननीय मंत्रीजी आपने गलत उत्तर दिया है और आप दुबारा मगवाइये। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में सोल्जर्स भर्ती किये जाते हैं जो रिटायर हो गये हैं, जो रिजर्विस्ट हैं उनको टीचर्स ट्रेनिंग में रिजर्वेशन दे रखा है लेकिन उनको अपना राइट नहीं मिलता है। सवाई माधोपुर में 16 आदमी ऐसे हैं जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं। उनके लिये कई बार झगड़ा किया गवर्नमेंट के आर्डर्स दिखाये लेकिन वे एम्पलायमेन्ट नहीं देते हैं। 12॥ पर्सेन्ट का रिजर्वेशन है....

श्री मंजूर अली : यह मंत्री महोदय का जवाब मुकम्मिल नहीं है।

श्री शिवचरणसिंह : आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये। भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है। उनके प्रति कितनी उदासीन है यह सरकार !

श्री सूरजपालसिंह : उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय प्रश्नकर्त्ता।

श्री मंजूर अली : उत्तर नामुकम्मिल है।

श्री महबूब अली : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): यह गवर्नमेन्ट कब सस्पेण्ड हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक्स-सोल्जर्स का प्रश्न है इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें और मुकम्मिल उत्तर दें।

श्री मंजूर अली : इसी सैशन में उत्तर दिलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा इसी सैशन में सम्भव हो सका तो उत्तर दिलाया जायेगा।

श्री शिवचरण सिंह : बड़ी महरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री माणकलाल ठाकोर !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिए। श्री रामप्रसाद लड्ढा।

मांडल में चिकित्सा भवन निर्माण करने की योजना

536. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि मांडल ... तेरह हजार की आबादी वाला कस्बा ... वहां नगरपालिका है ?

(2) क्या यह सही है कि ... चिकित्सालय गत 20 वर्षों से प्राइ... मकानों में चलता आ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि भवन ... सुविधा न होने के कारण चिकित्सालय ... जो सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये, ... नहीं होती हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण रोगियों को भीलवाड़ा भागना पड़ता है ? अगर हां, तो चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन):

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वहां डिस्पेन्सरी स्तर की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जन सहयोग से भवन निर्माण का प्रस्ताव आने पर ... समस्या का समाधान हो सकेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर डिस्पेन्सरी पिछले बीस वर्षों से प्राइवेट मकान में चल रही है। प्राइवेट मकान में डिस्पेन्सरी चलने के कारण से जो सुविधायें उपचार के लिए मिलनी चाहिएँ वह नहीं मिल रही हैं। मांडल एक छोटी नगरपालिका का कस्बा है। जो चिकित्सा सुविधायें मिलनी चाहियें

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

वे वहां नहीं है। मकान अव्यवस्थित हैं और पूर्ण नहीं है। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे स्थानों पर, जो बड़े कस्बे हैं और जहां 25 साल से डिस्पेन्सरीज चल रही हैं, उपचार की पूरी व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : डिस्पेन्सरी स्तर पर सब सुविधायें वहां उपलब्ध हैं। जहां तक मकान का प्रश्न है न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मकान वहां पर है। डिस्पेन्सरी की सेवाएँ हैं वह दूसरे मकान में चल रही हैं। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वहां जन सहयोग प्राप्त करें और मकान बनवाने का प्रयास करें ताकि वहां जो सुविधायें अगले वर्ष में मिलने वाली हैं, वह सुचारु रूप से मिल सकें।

श्री मूलचन्द डागा : अब जन सहयोग नहीं मिल सकता, जनता पार्टी के राज्य में।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन स्थानों पर जन सहयोग सम्भव नहीं है वहां मकान बनाने के लिए मंत्री महोदय आप क्या योजना रखते हैं !

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैं आपको विनम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि सब उलझनों को सुलझाया जाये। मुझे इस बारे में कुछ जानकारी भी है। 20 वर्ष से वहां अस्पताल का मकान नहीं है। आखिरकार राजस्थान की सरकार को मकान तो बना कर देना ही चाहिए।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में गुजिश्ता 8 महीनों से 6 डाक्टर नहीं हैं। मेडिकल जूरिस्ट नहीं है....

श्री शिवचरण सिंह : सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से सारे डाक्टरों का ट्रांसफर कर दिया।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : डाक्टरों के लिए मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे चुका हूं, कटौती प्रस्ताव के दौरान।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): जो मंत्री महोदय का 1½ करोड़ रुपये का चन्दे का फन्ड है उसमें से बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री माणकलाल ठाकोर !

बूंदी डिपो को बसें

537. **श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि कोटा डिवीजन में बूंदी डिपो पर सब से अधिक बसों के अनुपात से आय है ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि बूंदी डिपो पर बसों की भारी कमी है ? यदि हां, तो कितनी बसों की ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि बूंदी डिपो पर अधिकांश बसें खराब स्थिति में हैं और उनको ऐसी स्थिति में ही चलाया जा रहा है ?

(श्री माणकलाल ठाकोर)

(4) राज्य सरकार बसों की पूर्ति कब तक कर रही है ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री विज्ञान मोदी : (1) जी हां।

(2) बूंदी आगार में निर्धारित परिचक्र के अनुसार 51 वाहनों की आवश्यकता है तथा वहां पर वर्तमान में 50 वाहन उपलब्ध हैं। इस प्रकार केवल एक वाहन की ही कमी है जिसकी पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। बूंदी आगार में अधिकतर बसें 75–76 व 76–77 मॉडल की दी हुई हैं।

(4) बूंदी आगार में केवल एक वाहन की कमी है, जिसकी शीघ्र पूर्ति कर दी जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ठीक हालत में कितनी हैं, टोटल कितनी हैं और खराब कितनी हैं ?

श्री माणकलाल ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना आपको मिली है कि केवल एक बस की कमी है यह बिल्कुल गलत है। मुझे निजी ज्ञान है और मैं कह सकता हूं कि कम से कम एक दर्जन बसों की कमी है। अगर यह मेरी बात सत्य हुई तो क्या ऐसी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे और बसों की विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : झालावाड़ में भी 25 बसों की कमी है।

श्री माणकलाल ठाकोर : बसों की संख्या में कमी है इसलिए इसकी अविलम्ब जांच करवाने का आश्वासन दें। क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं जिसने गलत रिपोर्ट आपको दी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बूंदी डिपो पर बसों की कमी के सम्बन्ध में सप्लीमेन्ट्री पूछें।

श्री कौशल किशोर जैन : आपने रूट नेशनलाइज किये और 200 बसों की आवश्यकता आपने बताई....

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी (हिन्डौली) : बूंदी आगार से कितनी रात्रि सेवायें बसों की उपलब्ध हैं ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बूंदी आगार में एक बस की कमी है तो यह जानकारी मंत्री महोदय को किसने दी है ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या यह सही है कि दस बसों को गंगानगर डिपो में भेज दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बूंदी डिपो के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी : बूंदी डिपो से कितनी रात्रि सेवा के लिए बसें उपलब्ध हैं ?

(श्री गणेशलाल बैरागी)

और नहीं हैं, तो कब चालू होने वाली हैं ? दूसरी बात यह है कि क्लीनर के अभाव में यात्रियों को काफी असुविधा होती है ? क्या बूंदी डिपो पर को-आपरेटिव में काम करने वाले भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीनर नियुक्त किया गया ? यदि किया गया तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होना सम्भव है ?

श्री कौशल किशोर जैन : क्या यह सत्य है कि राजस्थान रोडवेज के चैयरमैन ने प्रपोजल भेजा है कि जितने रूट्स नेशनेलाइज्ड हैं उनके ऊपर पूरी बसें चलाने के लिए 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ? क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है ?

(व्यवधान)

श्री जगतारसिंह कंग (करणपुर) : यह कमी कब तक दूर कर दी जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ! मैं यह सुन रहा हूं । यह क्या हो रहा है ? सप्लीमेन्ट्रीज की बौछार अगर आप मंत्री महोदय पर डालेंगे तो मंत्री महोदय का उत्तर भी कन्फ्यूज्ड होगा । अत. आप कारगर उत्तर चाहते हैं तो प्रश्नकर्ता का उत्तर मंत्री महोदय को देने दें । मंत्री महोदय उत्तर देने की चेष्टा करें, यह मैं निवेदन करता हूं । एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सप्लीमेन्ट्री करें इस तरह से तो सदन में प्रश्नोत्तर काल सार्थक नहीं होगा....

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष, इनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष : इनका उपयोग करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : होली के बाद बौछार कर रहे हैं ।

श्री विज्ञान मोदी : जैसी कि सूचना मिली है इस समय बूंदी डिपो पर केवल एक बस की कमी हैं । यदि मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के पास कोई और जानकारी हो तो निश्चित रूप से मुझे बतायें । इस मामले की जांच की जायेगी । यदि सदन में गलत सूचना देने के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा, तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : It is an insult to the House. Wrong information is an insult to the House. सदन की तोहीन है ।

श्री माणकलाल ठाकोर : अगर बून्दी डिपो पर कम से कम 6 बसों की कमी न हो तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्री महोदय से मिलिये । मंत्री महोदय की भावना सहयोग की है ।

श्री गणेशलाल बैरागी : जयपुर के लिए एक भी बस सेवा नहीं है, जब कि बून्दी डिपो है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री रणमलसिंह !

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : जैसी बून्दी की हालत है, वहां बसों की कमी है उसको लाजमी पूरा किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अगर प्राइवेट बसें होतीं और इस तरह की व्यवस्था करते तो सरकार क्या करती ? आप सरकार के रूप में प्राइवेट बस से ऊपर व्यवस्था करने की चेष्टा करें तभी तो राष्ट्रीयकरण सार्थक होगा।

श्री रणमलसिंह !

सीकर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने की योजना

538. **श्री रणमलसिंह** (सीकर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाने की राज्य सरकार की कोई योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा सीकर शहर के निवासियों से कुछ राशि अग्रिम जमा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाकर क्यों नहीं दिये गये ? अब कब तक नागरिकों को मकान बनाकर दे दिये जावेंगे।

राज्य मंत्री, आवासन (श्री विज्ञान मोदी):

(1) जी हां।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास से भूमि क्रय की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने पर 'हुडको" से योजना स्वीकृत करवा कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। भूमि अवाप्ति के दो वर्ष में मकान बना कर दिए जा सकेंगे।

श्री रणमल सिंह : दो साल हो गये फिर कब देंगे ? जब लेने वाले धरती पर नहीं होंगे तब देंगे ?

श्री विज्ञान मोदी : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। पूरी उम्मीद है कि वर्ष 1978–79 में यह कार्यवाही पूरी कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्य !

आहू नदी की नहर का कार्य

539. **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के ग्राम सावरिया के पास आहू नदी से जो नहर निकलने वाली थी उसका कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

सिचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी हां वर्णित नहर सामरिया जलोत्थान योजना से प्रस्तावित थी। इस योजना का कार्य अपूर्ण है अन्य अपूर्ण जलोत्थान योजनाओं की भांति इस योजना पर भी सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा 'न लाभ-न हानि' के आधार पर सिचाई शुल्क देने की सहमति न होने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। जलोत्थान योजनाओं पर ली जाने वाली दरों का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : कितना पानी ऊपर उठाना पड़ेगा ?

श्री बालचन्द आर्य : जब मैं उधर गया तो किसानों ने बताया कि लिफ्ट सिचाई कर सकते हैं। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस कार्य को क्यों नहीं पूरा किया गया अब कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे पहले 1 3लाख रुपया खर्च हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की पद्धति है, किसान भाइयों से कहा जाता है "न लाभ न हानि" के आधार पर यदि सिंचाई शुल्क वे देंगे तो उस योजना को पूरा करने के कार्य को किया जा सकता है। लेकिन तैयार नहीं हैं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार 'न लाभ न हानि' के आधार पर सिर्फ लिफ्ट इरिगेशन का ही काम करती है या अन्य योजनाओं का भी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जो पुराने रूल्स बने हैं वह आपको बताये हैं। आगे दर क्या हो, यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। हम उस पर विचार कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह नियम आप चेन्ज करें।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : हमारे जिले में लिफ्ट इरिगेशन के अलावा कोई साधन नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री वृद्धिचन्द जैन।

राज्य के महाविद्यालय एवं छात्रावास

540. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन-किन स्थानों में महाविद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय से किन-किन महाविद्यालयों का स्थायी एफिलियेशन अभी तक नहीं हो पाया है ?

(3) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किन-किन महाविद्यालयों में राजकीय छात्रावास नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय में राजकीय छात्रावास नहीं है ? यदि हां, तो उक्त छात्रावास के निर्माण के लिये शिक्षा विभाग ने इस वर्ष क्या प्रावधान किया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) :

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी हां। इस वर्ष राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर के लिये छात्रावास के भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर तीनों ही जिलों में कोई भी राजकीय छात्रावास नहीं है और जालोर में भी ....

एक माननीय सदस्य : जालोर में तो है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : भीनमाल में है। बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर तीनों जिलों

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

में राजकीय छात्रावास नहीं है। राजकीय छात्रावास न होने से स्थाई एफिलियेशन नहीं होता विश्वविद्यालय से और स्थाई एफिलियेशन नहीं होने से जो लाभ मिलते हैं, वह लाभ नहीं मिलते। इस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी अनुदान देती है। ये जिले पिछड़े हुए जिले हैं। इन जिलों के लिये क्या कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक छात्रावास की व्यवस्था का सम्बन्ध है, जहां आवश्यकता होती है, महाविद्यालय के छात्रावास की, वहां किराये के भवन में चलाया जाता है। इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रथम तो यह कि किराये का उपयुक्त भवन उपलब्ध हो और दूसरे छात्रावास में रहने वालों की संख्या कम से कम 20 हो। इसके लिये प्राचार्य यदि लिख कर देते हैं तो यह व्यवस्था की जाती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जब यह व्यवस्था किराये के मकान में होती है तो यूनिवर्सिटी एफिलियेशन नहीं देती है। स्थाई एफिलियेशन के लिये भवन निर्माण करना आवश्यक है। जब तक भवन निर्माण नहीं किया जाता स्थाई एफिलियेशन के लाभ नहीं मिलते। खेतसिंहजी भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आश्वासन दिया था। उस आश्वासन की आप पूर्ति करें। टम्पोरेरी व्यवस्था यह हो सकती है, परमानेन्ट व्यवस्था वही हो सकती है। इसके लिये आप क्या कहते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, तीन जिलों में महाविद्यालय होते हुए भी छात्रावास नहीं हैं जबकि राज्य सरकार के छात्रावास सभी जिलों में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और नागौर में छात्रावास नहीं हैं। राज्य सरकार की नीति क्या है ? अपनी नीति के अनुसार राज्य सरकार क्या करना चाहेगी, क्या एक्शन लेगी ?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग (1) में मन्त्री महोदय ने जो सूची उपलब्ध कराई है उसके सम्बन्ध में, मैं अपना सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहूंगी। इस सूची के अनुसार राज्य में 25 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, 30 डिग्री कालेज, 6 महिला कालेज और 36 प्राइवेट कालेज हैं। इन 77 कालेजों के होते हुए भी बाड़मेर जिले, जिसकी आबादी सात लाख से ऊपर है, के बालोतरा शहर की आबादी 25 हजार से ऊपर है, पिछले 25 साल से वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है और छात्रों की बहुत अधिक संख्या है तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार इसी सत्र से बालोतरा में नया कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में जो महाविद्यालय हैं उनके अन्दर विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से कम है ? अगर नहीं है, तो कितने वर्षों में वहां छात्रावास बनाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के देहाती क्षेत्रों में चल रहे महाविद्यालयों में ऐसे कितने हैं जिनमें सरकारी छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ है ?

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये महाविद्यालय का गीत क्यों गा रहे हैं ? प्रश्न है छात्रावास का और महाविद्यालयों के प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : गीत गाते हैं तो आप रुलाओ मत।

श्री श्योपतसिंह मकासर : महोदय, मन्त्री महोदय....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह तो बतावें कि इस बारे में राज्य सरकार की नीति क्या है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि सिद्धान्त रूप से जहां विद्यालय खोलते हैं, क्या वहां पर छात्रावास का होना जरूरी है या नहीं ? अगर जरूरी समझते हैं तो सरकार की तरफ से कोई अनुदान देते हैं या नहीं यह बतावें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) । अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्नों की संख्या सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होनी चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सिद्धांत रूप से आप मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय उत्तर देना उचित समझें तो दे दें, मैं बाध्य तो नहीं कर सकता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमको सिद्धान्त तो बतला दीजिए ताकि उसके आधार पर आगे चल सकें।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। सरकार ने उचित उत्तर दे दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मन्त्री महोदय खड़े हो गए हैं उत्तर देने के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने दे दिया है। इस प्रश्न से जो सम्बन्धित नहीं हैं वे भी प्रश्न आपने पूछे हैं। फिर भी मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अर्ज कर देना चाहता हूं कि कोई भी विद्यालय खोलते हैं तो वन का अभाव तो पहले से ही रहता है। वहां छात्रावास खोलने की योजना रहती है लेकिन वहां की जनता यदि छात्रावास के लिए सहयोग करे तो सरकार भी उसमें पचास प्रतिशत अनुदान देती है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा हो तो एक सप्लीमेंट्री मैं भी माननीय मन्त्री महोदय से पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

Page No. 12

(12)

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मन्त्री महोदय धन के अभाव की बात कर रहे हैं। छात्रावास सभी डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर होने चाहिएँ और महाविद्यालयों के साथ होने चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि 26 जिलों में से एक बदनसीब जिला झुंझुनूं है जहां कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। क्या राज्य सरकार इसी सत्र से वहां पर राजकीय महाविद्यालय की व्यवस्था करेगी ? इसका भी साथ साथ जवाब दे दें

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अब तीस साल में जाकर आपको याद आ रहा है झुंझुनूं जिला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बहुत सप्लीमेंट्री हो गए।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब तो आ जाने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर और चलाना चाहते हैं तो दो मिनट और सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए। आपके प्रश्न भी तथ्यरहित होंगे और सरकार का उत्तर भी आपको तथ्यरहित मिलेगा। सरकार की इस बारे में कोई भर्त्सना करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं लेकिन सरकार की विवशताओं को आप अनुभव करेंगे तो उत्तर भी जो मिलेगा वह नान-कमिटल होगा। फिर भी इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सरकार महसूस तो करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन की हमेशा यह सिफारिश रहती है कि जिस कॉलेज मे पांच सौ छात्र हों और जहां पर अस्सी से ज्यादा छात्र छात्रावास में रहने को तैयार हों वहां यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन अपनी तरफ से छात्रावास के लिए मदद देता है। उसी अनुपात में राज्य सरकार को मदद देनी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : आप क्या कर रहे थे अब तक ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बाड़मेर का जहां तक प्रश्न है, उस वक्त भी इस प्रश्न को कंसीडर किया गया था। हमने उस वक्त भी स्थानीय जनता से निवेदन किया था कि वह भी फण्ड शामिल करे जिससे वहां बोर्डिंग की व्यवस्था हो जाय। यदि यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन से इस बारे में बात करके राज्य सरकार भी हिस्सा देने को तैयार हो, तो वहा के माननीय सदस्य भी यह प्रयास करें कि वहां पर बोर्डिंग का कार्य शुरू कर दिया जाय और उस का परमानेन्ट एफिलियेशन हो जावे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उस समय सवाल किया था, आश्वासन दिया था। अब क्रियान्वयन आपको करना है। आप जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तय कर रखा है क्या कि हमारे आश्वासनों को कतई मानना नहीं है ?

Page No. 13

(13)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री खेतसिंहजी ने जो सुझाव दिया है उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई, प्रश्न सं० 542!

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले प्रश्न स० 541 बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप हाउस की भावना को देखते हुए रूल रिलेक्स कर सकते हैं। You can relax the rule.

श्री अध्यक्ष : I donot want to relase. इसमें कंसीडरेशन का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है?

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : प्रश्नकर्त्ता ने मुझे आथोराइज किया था। मुझे कह दिया था कि अगर मेरा प्रश्न आ जाय तो तुम पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : उनकी सूचना मुझे मिल गई है यह रही सूचना। प्रश्नकर्त्ता यह प्रश्न ही नहीं पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : माननीय सदस्य अपने आपको आथोराइज्ड बता कर झूठ बोल रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महादय, इसके लिये आप आदेश दे सकते हैं हाउस की कान्सेंशस को देखते हुए।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस प्रश्न का जवाब तो आलरेडी अखबारों में आ गया है। इस प्रश्न का जवाब तो आज के अखबारों में आ चुका है। यह बहुत ही गंभीर मामला है कि हाउस में प्रश्न पूछा ही नहीं गया उसके पहले ही प्रश्न का उत्तर पेपर्स में आ गया। यह अखबार रहा....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह दूसरा सवाल था।

(व्यवधान)

सरकार ने सम्बन्धित माननीय सदस्य का मुँह चुप करा दिया है कि वह प्रश्न नहीं पूछे। यह सारे हाउस का अपमान है। आपसे निवेदन है कि हाउस की यह प्रोपर्टी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपमान, का प्रश्न पैदा नहीं होता है। कैसे इसमें सदन का अपमान हो गया, माननीय सदस्य जरा विचार तो करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक बार सवाल दे दिया गया....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसके अनुसार आप पूछिए।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : आन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय,

(श्री मदनसिंह दांता)

यह सवाल माननीय सदस्य ने सचिवालय को दे दिया, आपने उसको मंजूरी दे दी, उत्तर आ गया। इस सब कार्यवाही में जो रुपया खर्च हुआ वह सब बेकार जाएगा।

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता, माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़) : इसमें एक माननीय सदस्य का सवाल नहीं है। जब एक प्रश्न दिया गया और वह लिस्ट में आ गया तो वह हाउस की प्रोपर्टी हो गया। इसमें एक माननीय सदस्य की बात नहीं है। It is the property of the House यह हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अब यह हाउस की प्रोपर्टी है और हाउस चाहता है तो हाउस में जवाब दिया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : अगर सदस्य चाहें तो अपना प्रश्न वापस ले सकते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य के खिलाफ यह कहना कि वह दब गया है, यह गलत है। अध्यक्ष महोदय चाहें तो पर्मीशन दे सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन !

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस प्रश्न का जवाब एक पत्र में आ चुका है। श्री रामकरणसिंहजी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी मुख्य मंत्रीजी ने विधान सभा में दी है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई है

(व्यवधान)

यह सारा का सारा छपा है, जो आई० ए० एस० आफिसर हैं ..

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, विधायक और सरकार दोनों मिल कर इस सदन का अपमान कर रहे हैं। यह सारे सदन का अपमान है। यह महत्त्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को जरूर लिया जाए ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का कोई अपमान नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नैक्स्ट क्वेश्चन !

पुलिस थाना चोतलवाना में नाजायज शराब बनाने का दर्ज मामला

542. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम केरिया, तहसील सांचौर, जिला जालौर में एक नाजायज शराब बनाने का मामला पुलिस थाना चीतलवाना में दर्ज हुआ था ? अगर हां, तो कब एवं उसमें कौन-कौन अभियुक्तगण थे ? उक्त मामला ताजीरात हिंद की कौन-कौन सी धाराओं में दर्ज किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाजायज शराब बनाने के मामले में श्री मांगीलाल मेघवाल एक शिक्षित युवक को

Page No. 15

15

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

निर्दोष होते हुए भी स्थानीय पार्टीबाजी के कारण अभियुक्त बना दिया गया था ? अगर हाँ, तो उक्त अनुसूचित जाति के एक शिक्षित युवक की पुलिस ने उसके खिलाफ झूठे अभियोग में अदालत में चालान क्यों किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में झूठा फंसाने के कारण श्री मांगीलाल ने गृह मंत्री को एक शिकायत भी पेश की थी और गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक आरक्षी, जालौर के द्वारा पुनः छानबीन करने के आदेश दिए थे ? अगर हां, तो कब ? उक्त आदेशानुसार जालौर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला सतर्कता समिति, जालौर द्वारा दिनांक 31-1-78 की बैठक में सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया था कि श्री मांगीलाल द्वारा गृह मंत्री को पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर उसके विरुद्ध लगाये गये अभियोगों को राज्य सरकार द्वारा वापस लेने के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? श्री मांगीलाल के विरुद्ध लगाए गए झूठे अभियोग को राज्य सरकार द्वारा अदालत से कब तक वापस ले लिया जायेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में श्री मांगीलाल के विरुद्ध पुलिस थाना चीतलवाना की जिद्द के कारण ही शराब बनाने के झूठे अभियोग में चालान किया गया ? अगर हाँ, तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कब तक क्या आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां, सर्व श्री मांगीलाल वहकिया जाति भांबी व रामा कुम्हार साकिन केरिया के विरुद्ध अभियोग संख्या 40 दिनांक 6-9-77 धारा 323/353 ता० हि० एवं 54 एक्साइज एक्ट, 4 (1) आर० पी० एक्ट के अन्तर्गत पुलिस थाना चीतलवाना पर दर्ज किया गया ।

(2) यह सत्य नहीं है कि श्री मांगीलाल को निर्दोष होते हुए पार्टीबाजी के कारण झूठा फंसाया गया है। श्री मांगीलाल मेघवाल को पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने व राज्य कार्य में रुकावट डालने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था तथा जुर्म सिद्ध होने पर न्यायालय में चालान किया गया।

(3) अभियुक्त मांगीलाल द्वारा गृह मंत्री को दिनांक 30-9-77 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गृह मंत्रीजी ने पुलिस अधिक्षक जालौर को आदेश दिये थे जो पुलिस अधीक्षक को 18-10-77 को प्राप्त हुए और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं उस पर जांच की।

(4) जी नहीं । जिला सतर्कता समिति ने दिनांक 31-1-78 की मीटिंग में श्री मांगीलाल व उसके अन्य दो साथियों को मुकद्मे में मुलजिम मानते हुए प्रकरण बन्द कर दिया तथा श्री मांगीलाल को सूचित कर दिया कि सतर्कता समिति स्तर पर इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। श्री मांगीलाल द्वारा एक दरख्वास्त राज्य सरकार को मुकद्मा वापस लेने के लिए पेश की गई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(गृह मन्त्री)

(5) जी नहीं।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे....

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र ! प्रश्न संख्या 543.

भवानी मंडी चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन

543. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) भवानी मण्डी चिकित्सालय में एक्स-रे की मशीन कितने वर्षों से खराब पड़ी है ? क्या राज्य सरकार इसको ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या भवानी मन्डी में रेफरल चिकित्मालय निर्माण की योजना विचाराधीन है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने जनता द्वारा निर्मित प्रसूती गृह भवानी मंडी एवं शिशु कल्याण केन्द्र को अधिक अनुदान दिया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) भवानी मन्डी चिकित्सालय की एक्स-रे मशीनं गत सितम्बर, 1973 से खराब है। इसको ठीक कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रसूती गृह राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को शर्म आ रही है और नहीं आ रही है तो मुझे आ रही है। सितम्बर, 75 से अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हुई है ! और अब सरकार कह रही है कि कोशिश करेंगे। एस्कोर्ट्स कम्पनी के टैक्निकल एडवाइजर और इन्जोनियर इसको ठीक कर सकते हैं। इस मशीन् को ठीक करने की कोई कार्यवाही यह सरकार नहीं कर रही है।

दूसरे जो रेफरल अस्पताल हैं, उसमें करीबन 50,000 रुपया जनता ने चन्दा इकट्ठा कर खर्च किया है। इसके जवाब में मंत्री महोदय ने "जी नहीं" कहा है। कृपया मंत्री महोदय यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इस रेफरल अस्पताल को सैंक्शन करने का कष्ट करेंगे जिस पर कि 50,000 रुपया जनता ने लगा दिया है ? यही स्थिति प्रसूति गृह के बारे में है। जनता ने एक लाख रुपया चंदा करके उसको बनवा दिया है। कृपया इसके बारे में मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ अस्पताल में भी एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है। एक साथ ही भवानी मंडी और झालावाड़ की एक्स-रे मशीनें ठीक कराने की व्यवस्था क्या मंत्री महोदय करेंगे ?

श्री बालचन्द आर्य : एक्स-रे मशीन जो अस्पताल में खराब पड़ी है उससे जनता को परेशानी होती है। मैं मंत्री महोदय से

Page No. 17

(17)

(श्री बालचन्द आर्य)

यह पूछना चाहूंगा कि जो एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हैं, वे कब तक ठीक करवा दी जाएंगी ?

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह एक्स-रे मशीन ठीक नहीं होगी क्योंकि गत दो साल से यह खराब पड़ी है ।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, एक्स-रे मशीन दो साल से खराब पड़ी है तो उसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ?

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, जो प्राइवेट डाक्टर्स के पास में एक्स-रे मशीन है उनको तो तीन-चार वर्ष में रिपेयर कराने की आवश्यकता होती है लेकिन गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो एक्स-रे मशीन होती हैं वह तीन, चार-महीनों में खराब हो जाती है । तो इसमें क्या खराबी है ? क्या इन्जीनियर्स गड़बड़ी करते हैं ? इसके बारे में कोई निश्चय करेंगे, सोचेंगे और कोई निर्णय लेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के अस्पतालों में जितनी भी एक्स-रे मशीने है, उनमें से 50% 60% एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी है ? यह बहुत बड़ा षड्यन्त्र प्राइवेट डाक्टरों की मिली भगत से हो रहा है। अस्पतालों की मशीनें खराब हों तो उनका धंधा चले। क्या आप इसकी जांच करेंगे ? क्या आपकी जानकारी में यह बात है ? इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया माननीय सदस्य प्रद्युम्नसिंह का जो प्रश्न है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें । उन्होंने जो आपत्ति व्यक्त की है, उससे एक हद तक मैं सहमत हूं ।

श्री कौशल किशोर जैन : क्या यह सत्य है कि शाहपुरा जिला भीलवाड़ा ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया उत्तर देने दिया जाए ।

मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें कि कितनी मशीनें ठप्प पड़ी हैं ? क्या सरकार को उनको दुरुस्त कराना चाहिए ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जिला झालावाड़ के भवानी मंडी अस्पताल में जो एक्सरे मशीन है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि यह मशीन 11-12-75 से खराब है। उसका ट्रान्सफार्मर खराब हो गया है। एस्कोर्ट कम्पनी से इसके लिए सम्पर्क किया गया है और वह ट्रान्सफार्मर उनको अक्टूबर, 77 में भेज दिया गया है। अब यह सूचना मिली है कि वह ट्रान्सफार्मर ठीक हो गया है । उसको मंगाने की व्यवस्था की जा रही है । संभवतः एक-दो महीने में यह मशीन ठीक हो जाएगी ।

माननीय सदस्य प्रद्युम्नसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह सही है । मैंने कटौती प्रस्तावों के जवाब देते हुए निवेदन किया था कि इस प्रकार एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी हैं, आगामी, अगले वर्ष में उनको ठीक कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है । कम्पनी से भी सम्पर्क किया जा रहा है । उसके साथ इस प्रकार की व्यवस्था बिठायी जा रही है और इस प्रकार का अनुबन्ध किया जा रहा है जिससे कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निशियन हैं, वे बराबर समय-

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)
समय पर इन मशीनों को देखते रहें, इनको संभालते रहें ...

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह था कि इन मशीनों को जानबूझ कर खराब किया जाता है ताकि प्राइवेट प्रेक्टिशनर लाभ उठा सके at the cost of

श्री अध्यक्ष : मुझे आशा है कि नई सरकार नई व्यवस्था करेगी और सुचारु रूप से व्यवस्था होगी ।

स्थगित प्रश्न !

श्री शंकर लाल(जैतारण):नई सरकार ।इस सरकार के बाद आने वाली नई सरकार से मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : यह सरकार नहीं करेगी तो बाद में आने वाली सरकार करेगी। आशा तो यही है कि यही सरकार करेगी ।

स्थगित प्रश्न

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है । 546 है । यह बहुत जरूरी है । स्थगित प्रश्नों से पहले मुझे पूछने का मौका दे दें । अभी 10 मिनट रह गये है ।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि अवसर नहीं हो तो इसको स्थगित करवा दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसिन्द).अध्यक्ष महोदय मैं बहुत देर से निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप कहां से बोल रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : मैं यहां से बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : कहां से बोल रहे हैं ? अच्छा, अब ध्यान रखूंगा ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय से कि एस्कोर्ट कम्पनी जो एक्स-रे मशीन बना रही थी, उसने यह मशीन बनाना बन्द कर दिया है, क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है ? उसने बन्द कर दिया है तो मशीन को कैसे ठीक करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है । जो उत्तर उन्होंने दिया है, ठीक है ।

स्थगित प्रश्न !

राज्य कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि

213. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जनता सरकार की स्थापना के बाद राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात उनके सेवा काल में वृद्धि न करने की कोई घोषणा की ? यदि हां, तो क्या उस नीति पर पालन हुआ है या कोई अपवाद है ? यदि अपवाद है तो कौन-कौन से और क्यों ?

राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : जी हां । पालना हो रही है । परन्तु सार्वजनिक हित में सर्व श्री एस. अडियप्पा, अर्जुन कोटवानी एवं काशीप्रसाद

(श्री महबूबअली)
के सेवाकाल में मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के पश्चात वृद्धि की गई है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, क्या सरकार ने कोई घोषणा की है ? उसका उत्तर मन्त्री महोदय ने नहीं दिया है।

दूसरा प्रश्न है, क्या कोई अपवाद है ? तो तीन नाम बताये हैं। इसमें भी कहा है, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उनके सेवा काल में वृद्धि की गई पहले तो मैने यह पूछा कि क्या घोषणा की गई ? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। दूसरा यह पूछा कि क्यों अपवाद ? इसका उत्तर दिया, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में सेवा काल में वृद्धि की गई है। आप यह स्पष्ट करें कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट कैसे है ? पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है यह अर्थ कैसे निकाला है ? आपाधापी कर आप सर्विस पीरियड एक्स्टेंड कर रहे हैं। इन तीनों को श्री एम. अडियप्पा श्री अर्जुन कोटवानी, एवं श्री काशीप्रशाद के सेवा काल में मन्त्रिमन्डल की स्वीकृति के पश्चात् वृद्धि की है इनमें कौन सा पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्वोल्व्ड है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जहां तक घोषणा का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता को स्पष्ट उत्तर दिया गया है "जी हां"। इसका उत्तर जी हां दिया है। दूसरे का उत्तर है, पालना हो रही है। उस घोषणा की सामान्यतया पालना हो रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सामान्यतया हो रही है।

श्री महबूब अली : दूसरा उत्तर है मन्त्रिमण्डल को विशेष स्थिति में किसी भी कर्मचारी की सेवावृद्धि करने का अधिकार है। मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति से वृद्धि की जा सकती है मन्त्रिमण्डल को स्वीकृति की घोषणा की जा चुकी है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, What was the public interest involved ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : पब्लिक इन्ट्रेस्ट क्या है, यह मन्त्री महोदय बतायेंगे ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : What was the public interest involved?

श्री अध्यक्ष : पब्लिक इण्ट्रेस्ट वह कहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनका और उनका इण्ट्रेस्ट एक ही है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रिमण्डल ने क्या पब्लिक इण्ट्रेस्ट समझा है यह जानने का इस सदन को और इस सदन के सदस्य को भी अधिकार है। क्या पब्लिक इण्ट्रेस्ट था, वह बतायें ?

श्री मूलचन्द डागा : उत्तर दो।

श्री बजरंगलाल शर्मा: पब्लिक इण्ट्रेस्ट, इस पर्टीक्यूलर शब्द ने किस प्रकार प्रभावित किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह उत्तर आ चुका है।

श्री मवर्नसिंह शर्मा : आपने आज्ञा दी है। मन्त्री महोदय बतायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आगे से हम इस बात को लेकर....

Page No. 20

(20)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय ने फर्मा दिया है, आप जवाब दीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं तो ठाकुर साहब के कहने से बैठ जाता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : बिल्कुल ठीक कहा है आप देख सकते हैं आज्ञा दी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप आसानी से समझ जायेंगे। मुख्य मंत्री ने पिछले सत्र में यह घोषणा की थी कि जिन लोगों के सेवा काल में वृद्धि की है उन लोगों के अलावा किसी को री-एम्पलायमेन्ट नहीं दिया जाएगा। यह घोषणा सदन में की हुई है। उस घोषणा के बाद क्या मंत्रिमण्डल को री-एम्पलाय करने का अधिकार है ? यह आश्वासन रिकार्ड पर है। रिकार्ड निकलवा लिया जाये। मुख्य मन्त्री महोदय ने साफ साफ कहा था। अभी यह इसलिए दिया है कि हमारे पास एक्सपीरियेन्स्ड नहीं,है नये हैं ? भविष्य में नहीं देंगे? मेरा कहना यह है कि क्या मन्त्रिमण्डल मुख्य मन्त्री की घोषणा करने के बाद री-एम्पलाय कर सकता है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, घोषणा हुई थी। तो क्या ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सदन में मैंने यह जानकारी दी थी तो नाम लेकर बताया था। श्री अडियप्पा का नाम लिया था। जो चीफ इन्जीनियर हैं पी० डब्ल्यू० डी० के पहले वह हाउसिंग बोर्ड में काम कर रहे थे। इनको राजस्थान पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इन्जीनीयर का काम दिया है। पी० डब्ल्यू० डी० के सामने ऐसे कई मसले थे मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। इस प्रकार के केसेज थे उनमें कई ऐसे केसेज हैं जिनका उल्लेख सदन में तो हो चुका है। इसके कारण लगाया गया है। एक श्री कोटवानी हैं, जो जनवरी में रिटायर होने वाले थे। उनको इसलिए रोका कि वह सैल्स टैक्स में एक्सपर्ट माने जाते हैं। हम सैल्स टैक्स एक्ट में कुछ अमेण्डमेण्ट करना चाहते थे इसलिए 31 मार्च तक उनको एक्सटेंशन दिया गया। जहां तक रीएम्पलायमेण्ट का माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी घोषणा थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तर नहीं आया है। जो नाम लिये गये हैं उनमें त्रिपाठी का नाम नहीं है। कल्ला जी का नाम नहीं है जिनको री-एम्प्लाय किया गया है। हाउस में गलत उत्तर दिया गया है। यह हाउस की इन्सल्ट है। दो नाम मैंने बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मुख्य मन्त्री का उत्तर आथेन्टिक हुआ करता है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री कल्याणसिंह सांखला :

श्री मदनसिंह दांता : जो शर्मा साहब ने पूछा है उसके बाद में आपने मन्त्री महोदय से से पूछा था, पब्लिक इन्ट्रेस्ट के बारे में।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर अब कोई विशेष चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न संख्या 546 बहुत जरूरी है उसका जवाब आना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी सेवा में।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्न काल समाप्त होने के बाद। सुनिये।

(व्यवधान)

I am very very sorry. मैं विवश हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों का तारांकित प्रश्नोत्तर

आल इण्डिया अप्रेन्टिस एकता का ज्ञापन

533. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25-2-78 आल इन्डिया अप्रेन्टिस एकता की ओर से कोई ज्ञापन मंत्री महोदय को दिया गया ? यदि हां, तो ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य सरकार अप्रेन्टिसों को नौकरी देने के लिए क्या विचार रखती है? क्या इनको नियोजन में प्राथमिकता देने का विचार है? यदि नहीं तो क्यों नहीं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

(3) राज्य सरकार ने इस ज्ञापन के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की ? पूरा ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार अप्रेन्टिसेज को नौकरी देने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षणालयों एवं नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियोजकों से संबंध स्थापित कर नौकरी दिलाने में सहायता करती है।

सरकार अप्रेन्टिसों को नौकरी में प्राथमिकता देने का विचार रखती है और इसके लिए भारत सरकार के आदेश अनुसार नियोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(3) राज्य सरकार ज्ञापन की मांगों पर विचार कर रही है।

(ज्ञापन के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई कार्यवाही

256. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के ऐसे अधिकारी कौन कौन हैं जो असामाजिक तत्वों से मिलकर समाज में अशान्ति, लूट व बदअमनी फैलाते हैं ?

(2) राज्य के सतर्कता विभाग ने इस बारे में जून, 1977 से अब तक क्या प्रोग्रेस की है ?

(3) क्या राज्य के शहरों में ऐसे अड्डे बहुत हैं जहां कुकर्म, अनैतिक व्यापार

(श्री रामकरण सिंह)
धोखाधड़ी होती है? यदि हां, तो इस बारे में जयपुर शहर की स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत किसी अधिकारी के बारे में प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जून, 1977 से अब तक इस प्रकार का कोई परिवाद सतर्कता विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) जी नहीं । जयपुर में इस प्रकार के अड्डे होने की सूचना इस विभाग को नहीं है ।

केन्द्र की सेवा में कार्यरत राज्य के अधिकारी

257. **श्री बालकृष्ण थानवी** (फलौदी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कितने आई. सी. एस. एवं आर. जे. एस. अधिकारी भारत सरकार की सेवा में हैं और अन्य प्रान्तीय अधिकारियों के मुकाबले केन्द्रीय सरकार में उनका प्रतिशत क्या है ?

(2) राज्य सरकार के किन-किन विभागों में कितने कितने गैर राजस्थानी अधिकारी उच्चासनों पर पदासीन हैं और वे किस-किस प्रदेश के कितने-कितने हैं ?

(3) अगर केन्द्रीय सरकार में राजस्थान के आई. सी. एस. तथा आर. जे. एस. अधिकारियों का प्रतिशत अन्य प्रान्तीय अधिकारियों के मुकाबले कम है तो राज्य सरकार उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए क्या करने जा रही है ?

(4) राज्य के उच्च पदों पर आसीन गैर राजस्थानी अधिकारियों की बजाय राजस्थानी अधिकारियों को लेने के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) सूचना भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से मंगवाई जा रही है ।

(2) प्रश्न स्पष्ट नहीं है क्योंकि 'उच्चासनों' शब्द को प्रश्नकर्ता ने परिभाषित नहीं किया है । अतः उत्तर देने में असमर्थता है ।

(3) सूचना भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से मंगवाई जा रही है ।

(4) यह नीतिगत प्रश्न है । उच्च पदों में भर्ती के समय राजस्थानी एवं गैर राजस्थानी का ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है ।

शेरगढ़ बाँध की दीवार

259. **श्री ओंकार लाल चौहान** (अटरु) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील अटरू, कोटा जिला में परवन नदी पर शेरगढ का बांध प्रत्येक वर्ष 3 फीट बोरियां डाल कर ऊंचा किया जाता रहा है ? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से चल रही है और अब तक कितना-कितना रुपया इस पर खर्च हो गया है?

(2) क्या राज्य सरकार इस बांध को 3 फीट पक्की दीवार बना कर ऊचा करने का विचार कर रही है जिससे सिंचाई का पानी टेल तक आसानी से पहुंच सके और कृषक वर्ग को लाभ हो सके ?

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, यह प्रक्रिया 1965 से चल रही है व इस पर अब तक एक लाख रुपया खर्च हुआ है ।

(2) जी नहीं, पक्की दीवार बनाकर ऊँचा करना तकनीकी वजह से ठीक नहीं है। आगामी वर्ष में आधुनिककरण प्रस्तावों के अन्तर्गत नहरों को गहरा व पूर्णतया मरम्मत करने का विचार है, जिससे पानी टेल तक सुविधापूर्वक पहुंच सकेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युतीकरण योजना

260. **श्रीमती नारंगीदेवी** (किशनगंज): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? आगामी वर्ष में राज्य के कितने ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम आगामी वर्ष तक लाभान्वित हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के 9106 गांवों का विद्युतीकरण जनवरी 78 तक हो चुका है । आगामी वर्ष 1978-79 में 1800 और गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

(2) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के 52 (तहसील शाहबाद के 22 व तहसील किशनगंज के 30) ग्रामों को विद्युतीकृत करने की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन है ।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में आर. ई. सी. की योजना

261. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में आर.ई.सी. की बिजलीकरण की योजना मंजूर की जाकर क्रियान्वित नहीं की गई है ? अगर हां,तो क्यों ?

(2) अब उक्त क्षेत्र में आर.ई.सी. योजना कब तक मंजूर की जाकर कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सांचौर क्षेत्र बिजली की दृष्टि से जिले में सब से पिछड़ा रह गया है ? अगर हां,तो प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र का बिजलीकरण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा से सांचौर तक 33 के. वी. लाइन का प्रसार हो चुका है ? अगर हां, तो कब? इस लाइन के प्रसार वाले ग्रामों में एवं सांचौर के आस-पास सिंचाई कुओं पर पावर कनेक्शन अब तक क्यों नहीं दिया गया है? भविष्य में कितने कुओं पर कब तक कनेक्शन दिये जावेंगे ?

(5) उक्त क्षेत्र में कुल कितने ग्रामों में अब तक आर.ई.सी.की योजना मंजूर किये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) अभी तक इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना स्वीकृत नहीं

(विद्युत मन्त्री)

हुई है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार प्रोजेक्ट डायरेक्टर (हाइड्रोजियोलोजिस्ट) स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन ने भू-जल के आधार पर जोनवाइज अधिकतम कुए (जो विद्युतीकृत नहीं किये जा सकते हैं) की संख्या जनवरी, 78 में बतलाई गई है। इस आधार पर योजना का संशोधित प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(2) योजना की निगम द्वारा स्वीकृति अथवा कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) जी हां, इस क्षेत्र के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जब तक योजना स्वीकृत न हो, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(4) सेवड़ा से सांचौर तक की लाइन तो दिनांक 8-6-77 को तैयार हो चुकी है। यह लाइन अभी 11 के.वी. पर ही चार्ज की गई है क्योंकि सेवड़ा रानीवाडा से 11 के.वी. लाइन से जुड़ा हुआ है परन्तु सेवड़ा से सांचौर लाइन 33 के.वी. के लिये डिजाइन की गई है। अतः लाइन से सीधे किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण संभव नहीं है। भीनमाल से सेवड़ा तक एक 33 के.वी. लाइन डालने की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा लाइन खेंचने का कार्य चालू है। सांचौर से सेवड़ा तक 33 के.वी. लाइन पहले ही खींची जा चुकी है। इस प्रकार सांचौर भीनमाल से 33 के.वी. लाइन से जुड़ जावेगा। इस क्षेत्र के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(5) योजना की स्वीकृति के संबन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

मेजा बांध, भीलवाड़ा से सिंचित क्षेत्र

262. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेजाबांध, जिला भीलवाड़ा से कितने बीघा जमीन की सिंचाई होती है?

(2) क्या यह सही है कि मेजा की नहरें एवं धोरे के कच्चे होने के कारण पानी व्यर्थ चला जाता है?

(3) मेजा की नहरें कच्ची होने के कारण रिसाव के परिणामस्वरूप कितने बीघे जमीन ऊसर हो गई है?

(4) क्या यह सही है कि विश्व बैंक से मेजा की नहरों को पक्का करने के लिये 8 करोड का ऋण मिला है?

(5) मेजा फीडर कब तक बन कर पूर्ण हो जावेगा?

(6) मेजा फीडर पूर्ण होने के पश्चात् मेजा बांध से कितने बीघा अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी?

उत्तर

(1) मेजा बांध का सिंचित क्षेत्र 87,000 बीघा है। जिसमें पूर्ण भराव पर 55 प्रतिशत सिंचाई सघनता अनुसार 47,859 बीघा सिंचाई होती है।

(2) जी नहीं।

(सिंचाई मंत्री)

(3) रिसाव के कारण भूमि ऊसर होने की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। मेजा बांध की नहर प्रणाली के आधुनिककरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों का विश्व बैंक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(5) मेजा फीडर नहर जून, 1980 तक बन कर पूर्ण हो जायेगी।

(6) मेजा फीडर से जो पानी आयेगा उसके द्वारा मेजा बांध के कमाण्ड क्षेत्र में 18,500 बीघा क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई की जा सकेगी।

पंजाब हैड वर्क्स से राज्य को मिलने वाला पानी

263. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंजाब के तीनों हैड वर्क्स से राजस्थान को सिंचाई के निमित्त कितना-कितना पानी मिलता है?

(2) इन तीनों हैड वर्क्स पर केवल पंजाब सरकार के नियंत्रण से क्या राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी मिलने में कठिनाई नहीं आती ?

(3) क्या इन तीनों हैड वर्क्स पर संयुक्त नियन्त्रण स्थापित कराने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है ?

(4) अभी तक इस प्रकार के प्रयत्नों में कितनी सफलता मिली है? राज्य सरकार संयुक्त नियन्त्रण स्थापित करने के लिये क्या केन्द्र से पंजाब सरकार पर दवाव डलवायेगी।

उत्तर

(1) पंजाब से रोपड हैड वर्क्स से राजस्थान की भाखरा नहरों के लिए 1-4 मिलियन एकड़ फीट पानी का प्रावधान है। हरीके तथा फीरोजपुर हैड वर्क्स से राजस्थान की राजस्थान नहर तथा गंग नहर के लिए 8-90 तथा 1-11 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलने का प्रावधान है।

(2) जी हां। कठिनाई आती है।

(3) जी हां।

(4) इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी भी इस विषय से अवगत हैं तथा मामला अब भारत सरकार के द्वारा तय किया जायेगा। राज्य सरकार निरन्तर इसमें और प्रयत्न कर रही है कि संयुक्त नियन्त्रण स्थापित हो।

माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण कार्य

264. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि माही बजाज सागर परियोजना में इस वर्ष निर्माण कार्य के लिए आवंटित रकम में से 2 करोड़ रुपया लेप्स होगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसका कारण सीमेंट की कमी है ?

(3) क्या सीमेंट की कमी रेल्वे वैगन समय पर उपलब्ध नहीं होने से पैदा हुई है?

(श्री कौशल किशोर जैन)

(4) राज्य सरकार ने रेल मन्त्रालय से क्या इस विषय में सम्पर्क करना आवश्यक नहीं समझा ?

(5) क्या यह सत्य है कि निर्माण कार्य जिस गुजराती कम्पनी को दिया गया था वह धीरे काम कर रही है?

(6) राज्य सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) माही परियोजना के लिए वर्ष 1977–78 के लिए मूल आवंटित राशि रु. 1445.00 लाख थी । बाद में माही परियोजना के लिए रु. 330.00 लाख का अतिरिक्त आवंटन किया गया । इस प्रकार दोनों का योग 1775.00 लाख हुआ । कुल आवंटित राशि में से 165.00 लाख रु. सरेन्डर करने हेतु प्रस्तावित किए गए ।

(2) जी नहीं । अब तक कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई है । भविष्य में सम्भावनायें हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) गुजरात की कम्पनी का कार्य धीमा जरूर है ।

(6) गुजरात सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित कर कार्य की गति को अवसर करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं अन्यथा ठेके की शर्तों के अनुसार जो कार्यवाही उचित होगी की जायेगी ।

कोटपूतली तहसील के स्कूलों में अध्यापकों की कमी

265. **श्री राम करण सिंह** (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील के स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति कहां नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि कई स्कूलों में केवल एक या दो ही अध्यापिकायें हैं और कई में एक भी नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि परीक्षा के समय से नवम्बर, 1977 तक कई संस्थाओं में अध्यापक व अध्यापिकाएं नियुक्त नहीं की गई ?

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जहां एक भी अध्यापिका न हो । विभिन्न छात्र संस्थाओं में अध्यापिकाओं की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) बिन्दू दो में वर्णित उक्त नियुक्तियां नवम्बर से पूर्व कर दी गई थीं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासनिक व्यय

266. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रशासनिक व्यय प्रति वर्ष कितना है ?

(श्री नवरंगसिंह)
वर्षवार पिछले 3 साल का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि अधिक प्रशासनिक व्यय के कारण बोर्ड में घाटा है? यदि हां, तो क्या बोर्ड के प्रशासनिक खर्च को कम करने का विचार है ?

(3) वर्तमान में बोर्ड में कक्षावाइज कितना परीक्षा शुल्क प्रति परीक्षार्थी लिया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि बोर्ड विभिन्न परीक्षाओं के शुल्क बढाने जा रहा है ? यदि हां, तो कितना शुल्क बढ़ाया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) इस वर्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में कुल कितने परीक्षक व सह-परीक्षक हैं ? विषय वाइज विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(6) क्या यह सही है कि बोर्ड की परीक्षाओं के प्रमुख अधिकांश कालेज शिक्षक ही हैं? यदि हां, तो क्या बोर्ड इन अप्रशिक्षित परीक्षकों को हटाने पर विचार कर रहा है?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्ष 1978-79 का अनुमानित प्रशासनिक व्यय 34.50 लाख है । गत तीन वर्षों का प्रशासनिक व्यय निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	राशि
1975-76	22.93 लाख
1976-77	24.24 लाख
1977-78	39.50 लाख

(2) बोर्ड में प्रशासनिक व्यय के कारण घाटे का कोई प्रश्न नहीं है, वरन् आय व व्यय के समस्त मदों के आधार पर ही लाभ व घाटे का सवाल बनता है । विभिन्न मदों में कुल खर्चे की दृष्टि से सत्र 1978-79 के बजट में जो घाटा है वह विभिन्न मदों में बचत द्वारा तथा आरक्षित कोष तथा बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेकर पूरा करने का प्रयास किया जावेगा ।

(3) बोर्ड में कक्षावाइज शुल्क प्रति विद्यार्थी निम्न प्रकार लिया जाता हैः—

	नियमित	स्वयंपाठी
1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	35/-	45/-
2. हायर सैकण्डरी परीक्षा	35/-	45/-
3. प्रवेशिका परीक्षा	15/-	20/-
4. उपाध्याय परीक्षा	20/-	25/-

(4) इस बिन्दु पर बोर्ड ने अभी निर्णय नहीं लिया है ।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(6) जी नहीं । वस्तुस्थिति तो यह है कि स्कूलों से सम्बद्धों की संख्या 432 है जब कि कालेजों के शिक्षक 105 हैं । बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की रचना की नवीन प्रणाली में बोर्ड स्वयं प्रशिक्षण व्यवस्था करते हैं । इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों (स्कूल व कालेज शिक्षकों) को बोर्ड मुख्य परीक्षक (पेपर सैटर) नियुक्त करता है। पारम्परित प्रणाली के प्रश्न पत्रों की रचना

(शिक्षा मंत्री)
में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अतः पारम्परित परीक्षा पत्रों की रचना का काम अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी दिया जाता है। इस प्रकार इन अप्रशिक्षित परीक्षकों को हटाने का कोई विचार उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिय कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजगढ़ नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा गबन

268. **श्री समरथलाल** (राजगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान अक्टूबर, 1976 में अलवर ज़िले की राजगढ़ नगरपालिका के कतिपय तत्कालीन सदस्यगणों सहित नगर निवासियों ने स्थानीय नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद सैनी के विरुद्ध, नगरपालिका रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित भ्रष्टाचार, गबन, निरंकुशता, सत्ता और पद के दुरुपयोग तथा संविधान और कानून की अवहेलना जैसे विस्तृत विवरण सहित वर्णित इक्कीस आरोपों का एक रजिस्टर्ड ज्ञापन निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर को निष्पक्ष तथा खुली जांच हेतु प्रेषित किया था जिसकी सूचना निवर्तमान सत्ता और प्रशासन के उच्चतम स्तर पर भी दी गई? कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर ने माह अक्टूबर, 76 के दौरान जिलाधीश अलवर को किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच करवाकर रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिए थे?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, अलवर ने अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी श्री हजारीलाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया? यदि हां, तो कब?

(4) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी श्री हजारीलाल ने आपातकाल के दौरान और उसके पश्चात् 17-4-77 तक जानबूझ कर अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हुए कोई जांच नहीं की? यदि हां,तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने 6 माह के उपरांत 18-4-77 का समय जांच के लिए निर्धारित किया? यदि हां, तो क्या वे जांच के लिए राजगढ़ गए? क्या जांच अधिकारी ने उस दिन जांच की? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी द्वारा 18-4-77 को जानबूझ कर जांच न किए जाने के सम्बन्ध में जिलाधीश, अलवर को दिनांक 28-4-77 को एक गम्भीर पत्र प्रेषित किया गया तथा जिसकी सूचना मुख्य सचिव सहित निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर को भी दी गई? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि वर्णित पत्र दिनांक 28-4-77 पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण 14-5-77 को माननीय राज्यपाल के सलाहकार श्री मोहन मुखर्जी

(श्री: समरथलाल)
को रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया गया तथा जिसकी सूचना कार्यवाहक मुख्य सचिव सहित निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर तथा जिलाधीश, अलवर को भी रजिस्टर्ड–पत्र द्वारा प्रेषित की गई ? यदि हां, तो पत्र पर कब और क्या कार्यवाही की गई-? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्णित पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(8) क्या यह सही है कि 7-5-77 को अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के स्थान पर अतिरिक्त जिलाधीश जांच अधिकारी नियुक्त किए गए ? यदि हां, तो उन्होंने कब और क्या कार्यवाही की ? क्या स्थानीय नगरपालिका में खुली जांच की गई ? यदि नहीं, तो कहां और क्यों ?

(9) क्या जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब? जांच रिपोर्ट पर अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा अन्तिम कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जावेगी ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(10) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर ज्ञापन में वर्णित तथ्य प्रमाणित हो चुके हैं ? यदि हां, तो पूर्व जांच अधिकारी द्वारा 6 माह तक जानबूझ कर जांच न किए जाने के सम्बन्ध में उनकी कर्तव्यहीनता के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसे गम्भीर मामले में दोषी अधिकारी के विरुद्ध और वैधानिक कार्यवाही करने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां , तो कब तक और क्या? यदि नहीं , तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां। दिनांक 16-12-76 को।

(4) यह सही नहीं है ।

(5) जी नहीं । बल्कि चार माह के बीच में कई बार नगरपालिका राजगढ़ को इस जांच से सम्बन्धित अभिलेख भिजवाने हेतु लिखा गया एवं 18-4-77 को नगरपालिका राजगढ़ पहुंचकर लोगों के बयान लिये तथा कुछ सम्बन्धित अभिलेख साथ लेकर अलवर आये ।

(6) जी हां । इस पत्र पर पुनः जिलाधीश को दिनांक 18-5-77 को अर्धशासकीय पत्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया । पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(7) जी हां । जिलाधीश को पुनः अर्धशासकीय पत्र का हवाला देते हुए पत्र दिनांक 31-5-77 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(8) जी हां । जांच नगरपालिका राजगढ़ में जाकर की गई ।

(9) जी हां । दिनांक 29-8-77। अब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 63 (ए) के अन्तर्गत 'कारण बताओ' सूचना पत्र दिनांक 8-2-78 को दिया गया (जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है) व अब सुनवाई की तिथि निर्धारित की जानी है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(10) प्राथमिक स्तर की जांच के आधार पर ही धारा 63 (ए) का नोटिस दिया गया है तथा उत्तर प्राप्त हो गया है। पूर्व जांच अधिकारी द्वारा कर्त्तव्यहीनता नहीं की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली शहर के तांगे वाले

269. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पाली शहर में कुल कितने तांगे वाले हैं और नगरपालिका ने कितनों को लाइसेन्स दे रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन तांगे वालों की आर्थिक हालत मजदूरी पूरी नहीं मिलने के कारण अच्छी नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि तांगे वालों की इस प्रकार की हालत होते हुये भी नगरपालिका, पाली ने टेम्पों चलाने की इजाजत दे दी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे रोकने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुल 107 तांगे हैं जिनमें से 100 तांगों को नगरपालिका द्वारा लाइसेन्स दिए हुए हैं।

(2) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(3) नगरपालिका द्वारा टेम्पो चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्र नहीं दिये गये। यातायात विभाग द्वारा दो आटो रिक्शाओं को अनुज्ञा-पत्र वहां की जनता की सुविधार्थ दिये गये हैं।

फतह सागर और गुलाब सागर को नहरें

271. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में फतह सागर और गुलाब सागर की नहरों में मल-मूत्र और गन्दे पानी के नाले गिरते हैं ? अगर हां, तो क्यों ? इस संबंध में नगरपालिका अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नहरों में शहर का कचरा भी यदा-कदा डाला जाता है ? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये क्या कदम उठाये गये या उठाये जा रहे हैं ?

(3) उपरोक्त नहरों की सफाई कब और कितने समय में कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद् द्वारा चालान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। इसके लिये स्वच्छता परिदर्शकों को हिदायत दी हुई है कि इस प्रकार कचरा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करें।

(3) ये नहरें नगर परिषद् की सम्पत्ति नहीं हैं, फिर भी गुलाब सागर नहर की सफाई 77-78 में करवाई गई थी।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नों के उत्तर का पूर्व प्रकाशन

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 47 की तरफ आकर्षित करता हूं–"Answers to questions which Ministers, propose to give in the House shall not be released for publication until the answers have actually been given on the floor of the House or laid on the table." यह जो आज अखबार में छपा है, यह रूल 47 की खुली अवहेलना है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह अतारांकित प्रश्न का उत्तर छपा है, जो कल-परसों था ।

श्री अध्यक्ष : Answer has actually been given on the floor of the House.

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्व श्री रामकृष्ण दास व खेतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से क्रमशः बीकानेर शहर व जयपुर शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के अत्यधिक खराब हो जाने के विषय में ।

(2) सर्व श्री शिवचरणसिंह, रामकरण सिंह, नूरा व अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से कस्बा बयाना में वक्फ की जायदाद पर व उदयपुर, जोधपुर चित्तौड़, मकराना, जयपुर व अलवर में कब्रिस्तानों की जमीन तथा वक्फ की जायदाद पर अनधिकृत कब्जे की घटनाओं के विषय में ।

(3) श्री मदनसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर महाराज कुमार स्वर्गीय श्री प्रतापसिंह की मृत्यु के जांच परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इस विषय में ।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(4) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में भाखरा क्षेत्र में जहां सूरतगढ़ भटिण्डा ब्रोडगेज लाइन निकाली जा रही है, उस पर गांव व खेतों के रास्ते पर रेल्वे क्रासिंग व रेम्पस के निर्माण के अभाव में किसानों को हो रही असुविधा के विषय में।

यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

(5) श्रीमती सुमित्रासिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से खेतड़ी कस्बे में गत 26 फरवरी को हुई घटना की जांच के दौरान पुलिस द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इस विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

इस घटना को लेकर सदन में हाल ही में चर्चा हो चुकी है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री समरथलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 21 मार्च से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी परिषद् की राज्य शाखा द्वारा मूक हड़ताल की जा रही है, इस विषय में।

इस विषय पर भी पूर्व में चर्चा हो चुकी है और यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) सर्व श्री रामनारायण चौधरी, वृद्धिचन्द जैन व मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा बोर्ड व स्थानीय परीक्षाओं के बहिष्कार किये जाने के विषय में।

मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से इस मसले पर कल एक वक्तव्य दिया जाय। मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे क्षेत्र में पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। कृपया इस पर दो मिनट बोलने का समय दिया जाय। इससे पूर्व भी एक प्रस्ताव मैं और दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर, माननीय सदस्य कोई नई घटना हो तो आप पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री काशीनाथ गुप्त : बिल्कुल नई घटना है जिसके बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री काशीनाथ गुप्त : मान्यवर, अब से पूर्व 15 दिन में मेरे क्षेत्र में तीन डकैतियां केवल तीन मील की परिधि में पड़ी हैं। इन पन्द्रह दिन के अन्तर्गत तबरेर गांव में दो बार डकैती पड़ी है और एक बार नगला दादू में जिसमें बुद्धीराम नामक व्यक्ति की डाकुओं से मुठभेड़ से मृत्यु हो गई। तबरेर में दो बार में दो पुरुष व एक महिला गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। पहली बार चार मार्च की रात्रि को डकैत दादू की नगला में आये जहां बुद्धा से मुठभेड़ हुई वह मारा गया और वे भाग गये। दूसरे दिन 5 तारीख की रात्रि को पौने ग्यारह बजे डकैत तबरेर में आए जहां उन्होंने सात घरों को बुरी तरह से लूटा, फायरिंग किया, जिसमें दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए जिनमें से सरदार नामक व्यक्ति के चालिस छर्रे लगे। दूसरी बार 22 मार्च की रात्रि को पौने ग्यारह बजे दस-बाहर डकैत फिर तबरेर गांव में आये और बाबू महाजन के घर, जो की गांव के बीच में है, की दीवार पर चढ़कर मकान में घुसे बाबू, उसकी स्त्री एवं बच्ची डर से बगल के रास्ते से भाग गये। डकैतों ने आधे घंटे तक घर की लूट की। इतनी ही देर में गांव वालों की सूचना पर आर. ए. सी. का दल, जो गांव की सुरक्षा के लिए तैनात था, आ गया। डकैत और उनके बीच फायरिंग हुआ, स्टेनगन से डकैत वहां से निकलकर पौन फर्लांग की दूरी पर सरपंच खुशीराम के मकान को लूटने की योजना बना रहे थे। तभी उन्होंने वृन्दावन की पत्नी पर फायरिंग किया। बारह बोर की बन्दूक की उसे चार

(श्री काशीनाथ गुप्त)

गोली लगी। इतने में ही आर. ए. सी. आ गई और डकैत फायरिंग करके भाग गये। तबरेर से करीब दो मील की दूरी पर करऊवां के पास जंगल में डकैत जो सामान लूट कर लाये थे उसको बांट रहे थे। इतनी देर में आर. ए. सी. और गांव वाले वहां पहुंचे आर. ए. सी. और डकैतों के बीच में फायरिंग हुआ, करीब साठ गोलियां डकैतों ने छोड़ी और 50 गोलियां आर. ए. सी. वालों ने छोड़ी। डकैत अरहर के खेतों में घुस गये। आर. ए. सी. ने घेरा डाला। परन्तु डकैत मैदान में सकुशल भागकर तीन मील की दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस गये।

करीब 3।। घंटे बाद एस. पी. भरतपुर मय पुलिस दल के घटना-स्थल पर पहुंचे। उस समय तक डकैत भागकर उत्तर प्रदेश की सीमा में निकल गए थे। तबरेर से करीब 3 मील कुम्हेर है जहां एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। वहां कोई साधन न होने के कारण पुलिस के पहुंचने में देरी हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुम्हेर थाने में अविलम्ब ही एक जीप या कोई व्हीकल दी जाए जिससे घटना के तुरन्त बाद पुलिस पहुंच जाए। एस. पी. भरतपुर वहां से मथुरा जिले के एस. पी. के पास गए तो एस. पी. मथुरा ने बताया कि यह दल डाक्टर नगेन्द्र का है जिसमें 10-12 डाकू हैं। अब तक तो यह दल देहली से आगे निकल चुका है। मैं डाक्टर नगेन्द्र के गांव नगला सीसराम, जो राजस्थान की सीमा से 3 मील की दूरी पर है, गया। गांव वालों से बातें मालूम हुई, मालूम हुआ डा. नगेन्द्र आधुनिक हथियारों, एल. एम. जी., स्टेन गन ग्रेनेड से लैस है। अभी दो माह पूर्व हरियाणा जेल से भागकर आया है। इसकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में मांग है लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी दो दिन पूर्व मेरे इलाके के पास इसी दल ने सीपरसो ग्राम में, जो मेरे क्षेत्र से दो मील की दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा में है, डकैती डाली। ग्राम वालों ने मुकाबला किया और उन्होंने डकैत को मार डाला लेकिन राजस्थान के आर. ए. सी. दल ने इतना फायरिंग भी किया फिर भी एक डकैत भी पकड़ न सकी।

मेरे क्षेत्र की सीमा जो 8 मील तक उत्तर प्रदेश से मिलती है सभी डकैत उसी रास्ते से मेरे क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान में आते हैं लेकिन उस सीमा पर एन्टी डकैत पुलिस की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं बार-बार मांग कर रहा हूं कि इस सीमा पर भारी तादाद में एन्टी डकैत पुलिस तैनात करके इस क्षेत्र की सुरक्षा की जाए लेकिन सरकार खामोश बैठी हुई है और पुलिस अकर्मण्य बनी हुई है। सब गांव वाले भय और आतंक से डर कर रात दिन गांवों में पहरा दे रहे हैं। पुलिस उनकी कोई रक्षा नहीं कर पा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व इसी रास्ते पर देहली के एस. पी. का परिवार भी उत्तर प्रदेश की सीमा में लूटा गया और भी कई घटनायें घटी हैं। लेकिन इस रास्ते पर अभी तक माकूल पुलिस राजस्थान सरकार ने तैनात नहीं की है। मैं अभी एस. पी. मथुरा से मिला था इस डकैती के सबंध में उन्होंने बतलाया कि आज तक का यह इतिहास है जहां हमारे यहां पी. ए. सी. का दल रहता है वहां कभी भी डकैती नहीं डाली। यह राजस्थान है जहां आर. ए. सी. का दल रहते हुए डकैती डाली गई, यह बड़े शर्म की बात है। आज तक पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, तीन-तीन बार फायरिंग और मुठभेड़ हुई और होने के बाद मैदानी क्षेत्र में डकैत सकुशल

(श्री काशीराम गुप्त)

भाग गये। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में समुचित पुलिस की व्यवस्था की जाए क्योंकि इस क्षेत्र में मवेशियों की काफी चोरियां हो रही हैं। एक एक भैंस की कीमत 1200-1500 रु. है। आज तक पुलिस न डकैतों को पकड़ सकी है और न किसी चोर को पकड़ा है, न मवेशी ही वापस आई हैं और न डकैती का माल ही किसी का वापस बरामद हुआ है। पुलिस की इस निष्क्रियता, निष्फल कारगुजारी व अकर्मण्यता से जनता में भारी आतंक व रोष व्याप्त है। मेरा पूरा क्षेत्र अत्यंत भयभीत है एवं असुरक्षा अनुभव कर रहा है।

अंत में मैं आशा करता हूं कि सरकार अविलंब ही इस क्षेत्र में अमन कायम रखने के लिए भारी तादाद में एन्टी डकैत पुलिस तैनात करेगी और कुम्हेर थाने के लिए कोई जीप या और वाहन देने की व्यवस्था करेगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बीकानेर शहर में लॉ एण्ड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में है। अभी माननीय सदस्य ने अपने इलाके के बारे में बताया। भरतपुर, धौलपुर व करौली में तो हमेशा डाके पड़ते आये हैं कांग्रेस के शासन में.....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : दूदू के बारे में स्थगन प्रस्ताव श्री रामनारायण चौधरी ने रखा था, उस संबंध में मैं एक वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारा स्थगन प्रस्ताव है। आपने व्यवस्था दी है कि आप हमें बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

उसके बाद में ही मंत्री महोदय बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य सुन लिया जाय। अगर आपको आपत्ति हो तो कहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमें बोलने का मौका देंगे?

श्री अध्यक्ष : मैंने कब कहा है कि आप नहीं बोल सकते?

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन होता यह है कि पहले जिनके स्थगन प्रस्ताव होते हैं वे बोल देते हैं और बाद वालों को बोलने नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको 5 मिनट का समय दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सिर्फ भरतपुर वाले माननीय सदस्य बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, माननीय सदस्यों को बोलने दिया जाए। उनकी बात सुन कर फिर उत्तर दें।

श्री शिवचरणसिंह : मेरा नंबर है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था सदन में....

श्री अध्यक्ष : अगर आपको इस सम्बन्ध में चर्चा उठानी है तो सर्व प्रथम मैं आपको समय दे सकता हूं । लेकिन मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं उनको भी समय मिलेगा । इस समय आपको प्राथमिकता देने में मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : धन्यवाद !

बीकानेर शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति विकराल रूप धारण कर चुकी है । जनता सरकार के गठन के बाद रूल आफ लॉ का नारा देकर सत्ता में आई हुई सरकार से आशा थी कि जो गुंडागर्दी शहरों में है, वह खतम होगी । परंतु उसके विपरीत जो बीकानेर क्षेत्र शांतिप्रियता के लिए प्रसिद्ध है, जहां कि खुले आम कतले आम नहीं हुआ करते थे, जहां नारियों को इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, वहां आज सारी स्थिति बदल गई है । पिछले 5 दिनों में बीकानेर शहर में मुख्य मार्गों पर तीन डकैतियां हुईं, छुरेबाजी की वारदातें हुई हैं । राज मार्गों पर जहां सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है । पुलिस की नाक के नीचे ऐसी वारदातों का होना इस सरकार के लिए शर्मनाक है ।

इसके अलावा बीकानेर की जनता में इतना भय व्याप्त हो गया है कि संध्या होने के बाद घरों से निकलने में भी लोगों को भय लगता है । नारी समाज की इज्जत रखना हमारा धर्म है परंतु जहां स्कूल व कॉलेज हैं, उन मार्गों पर कुछ खुले आम गुन्डे खड़े रहते हैं । पुलिस को यह मालूम है । मैंने पुलिस का कई बार ध्यान दिलाया परंतु उसके उपरांत भी खुले आम बहू-बेटियों को छेड़ने, कपड़े छीन लेने, ऐसी घटनायें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं । सूचना देने के बाद, अधिकारियों के ध्यान में लाने के बाद भी इन घटनाओं में कमी नहीं हो रही है । यह इस बात का द्योतक है कि या तो राज्य सरकार ने गुन्डों को छूट दे रखी है या हमारी पुलिस फोर्स बीकानेर की जनता की रक्षा करने में असमर्थ है । Might is right जिसके हाथ में ताकत है वह अपनी रक्षा करे। दिल्ली की जनता ऐसी घटनाओं को सहन कर सकती है परंतु बीकानेर शहर की जनता सहन नहीं कर सकती, हालांकि बीकानेर की जनता शांतिप्रिय है। वहां छुरेबाजी की घटनायें पहले कभी नहीं हुई किन्तु आज हो रही हैं । इसके लिए गृह मंत्री से कई बार निवेदन किया है परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

हमारे पुलिस अधिकारी व एस. पी., डी. आई. जी. व्यक्तिगत तौर से शहर का राउन्ड नहीं लेते, कमरे में बैठे रहते हैं। नीचे के सिपाही व हैड कान्सटेबल इतने डिमोरेलाइज्ड हो चुके हैं कि वे अपनी ड्यूटीज पूरे ढंग से नहीं दे पा रहे हैं । आज जो स्थिति है,अगर सरकार नहीं चेती और सरकार ने समय रहते कन्ट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे इलाके के कुछ लोगों को अपनी जिंदगी खोनी पड़े । हमारी सरकार,जो रूल आफ लॉ का दम भरती है, के लिए यह अपमानजनक व शर्मनाक बात है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मन्त्री जी सदन में बैठे हैं । वे फाइलों को देख रहे हैं । हो सकता है उनका ध्यान मेरी बातों में नहीं हो इसलिए मैं उन्हें अब आगाह कर देता हूं कि अगर वह समय रहते नहीं चेते तो बीका-

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

नेर में जनता इसके लिये आन्दोलन करेगी। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि अब आगे कभी भी कोई जनता पार्टी की सरकार का मन्त्री वहां जायेगा तो मुझे भय है कि शायद ही उनकी पुलिस वहां पर गुन्डों से हिफाजत कर सके। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। बीकानेर में लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, वहां की जनता में बुरी तरह से भय व्याप्त है। वहां की पुलिस बुरी तरह से डीमोरेलाइज हो चुकी है। वह बिल्कुल नहीं बोल रही है। पुलिस को इस बात का डर है कि जो लोग वहां खुले आम गुन्डा गर्दी कर रहे हैं अगर उनको रोका तो जनता पार्टी की सरकार के लोग व कुछ जनता पार्टी के नेता लोग पुलिस अधिकारियों या पुलिस कर्मचारियों को परेशान करेंगे। अतः वह गुन्डों को कुछ भी नहीं कह रहे है। इतना ही नही उन्हें इस बात का पूरी तरह इत्मिनान है कि पुलिस गुन्डों को पकड़ेगी तो जनता पार्टी के नेता लोग उनको छुड़वा लेंगे। इसलिये पुलिस ने इनको खुली छूट दे दी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से अनुरोध है कि जब तक आप पुलिस वालों को वापस खुली छूट गुन्डों से निपटने की नहीं देंगे तब तक गुण्डागर्दी बन्द नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप पुलिस को संरक्षण दे और उन्हें इस बात की खुली छूट दे दें कि वह गुन्डों से निपट सके। नहीं तो वहां पर जनता की जान-माल का खतरा बना हुआ है, लोगों को जनता पार्टी की सरकार से आकांक्षा थी वह सारी धूमिल हो जायेगी। मैं वहां पर कई जगह यह भी सुनता हूं, लोग गलियों में यह बात करते है कि इससे तो आपातकालीन स्थिति ही ठीक थी। तब इतनी गुन्डागर्दी तो नहीं थी। मुझे इसलिये इस बात का भय है कि जिस जनता ने आपातकालीन स्थिति को खराब बताते हुए जनता पार्टी की सरकार को बनाया कहीं वही जनता वापस आने वाले चुनावों में बदनाम आपातकालीन वाली सरकार को न जिता दे।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो कर्मों को याद करो, आप अपने शासन की बुराइयों को देखो। आप पुरानी बातें क्यों करते हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो आपातकालीन समय में बदनाम सरकार थी कहीं उस इंदिरा कांग्रेस सरकार को यह अच्छा न कहला दें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपातकालीन समय में मैं समझता हूं कि ऐसी घटनायें नहीं होती थीं।

श्री गोविन्द सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं कि आपात कालीन समय में ऐसी घटनायें नहीं होती थीं। यह बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वहां पर खुले आम औरतों की बेइज्जती की जा रही है। लड़कियों के रास्ते रोक लेते है, रास्ते चलते लोगों को छुरे मारकर हत्याएँ कर दी जाती है, दिन दहाड़े चोरियां की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

यह कानून बना देना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अपने पास में 6 इन्च के बड़ा धार वाला हथियार अगर रखेगा तो उसको हिरासत में ले लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर समय रहते गृह मन्त्री जी नहीं चेते तो मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूं कि लोगों का जनता पार्टी की डेमोक्रेटिक सरकार से विश्वास उठ जायेगा। इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि लोगों की जान-माल की रक्षा की जाये। जो लॉ एण्ड आर्डर खतम हो गया है उसको रेस्टोर किया जावे नहीं तो हमें डेमोक्रेसी की रक्षा के लिये दुबारा जेल जाना पड़ेगा। गृह मन्त्रीजी का तो कुछ नहीं वह तो जेल जायेंगे नहीं, किन्तु शासन में रहेंगे पर हमें तो जेल जाना पड़ेगा। एक तो हमने पहली लड़ाई आजादी की इन्दिरा कांग्रेस सरकार के खिलाफ में लड़ी थी। अब हमें दुबारा लोगों की जान माल की रक्षा के लिये जेल जाना पड़ेगा। गृह मन्त्री जी, आप इस चक्कर में न पड़ें कि कौन एम. पी. के इलेक्शन जीतता है, इन सारी बातों को छोड़ कर पहले आपको प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव इसी के साथ का है....

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसके लिये मेरा निवेदन है कि एक तरफा सुनकर ही कोई फैसला नहीं करना चाहिये। सरकार को भी सुना जाना चाहिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, किसी मां के बेटे को रास्ते चलते सरे आम छुरा मारा जाय और कोई पता नहीं लगा सके...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अभी सदन में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आज बीकानेर शहर में दिन दहाड़ हत्यायें हो रहीं हैं, स्त्रियों की जान-माल का, इज्जत आबरू का खतरा है और वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। मेरा भी यह निवेदन है कि बीकानेर की तरह ही जोधपुर और जयपुर में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। अभी हाल ही का किस्सा है, जयपुर में कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री राम किशोर व्यास के यहां पर चोरी हो गयी। जब चोर माल ले जा रहा था तब उनकी आंख खुल गयी। उन्होंने चोर को रोका। उनकी चोर के साथ गुथ्थमगुथ्था हो गयी। उसमें उनका एक दांत टूट गया व हाथ की हड्डी में फेक्चर हो गया। चोर भाग गया। अभी तक कोई भी उसका सुराग नहीं लगा। अध्यक्ष महोदय, वह भी आपकी तरह राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे।

(व्यवधान)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अभी हमने अखबारों में भी पढ़ा और राजस्थान पत्रिका मे भी यह दिया कि अपनी जानमाल की हिफाजत खुद करो, सरकार के भरोसे मत रहो क्योंकि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। पुलिस यहां की बिलकुल निष्क्रिय हो गयी है ।

इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमने अखबारों में यह भी पढा था कि आप जब चितौड़गढ़ तशरीफ ले गये थे उस वक्त आपके यहां भी चोरी होने को थी पर अच्छा हुआ कि आपका कोई भी सामान लेकर चोर नहीं गया।

इसी तरह मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि न केवल जोधपुर, जयपुर और बीकानर में ही लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ी है बल्कि दिल्ली की हालत तो इससे भी बहुत अधिक खराब है। हमने सुना कि हमारे मुख्य मन्त्री जी का फ्लेट जो कि एम. पी. थे तब का है, के भी ताले चोरों ने तोड़ दिये। यह तो अच्छा हुआ कि वहां पर इनका कोई सामान नहीं था इसलिए सामान कुछ चोरी नहीं गया। पर वहां हालत इस तरह की खराब है कि जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य श्री जगदीश प्रसाद माथुर का जो मकान है उसका उनकी एब्सेन्स में चोरों ने या किन्हीं और लोगों ने ताला तोड़ कर आठ दिन तक अपने कब्जे में रखा। वह तो ठीक था कि उसमें उनका कोई सामान नहीं था। जब जगदीश प्रसाद जी माथुर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मकान मे तो चोरों का कब्जा है और चोर किरायेदार हैं। तो इस तरह की हालत खराब है ।

जयपुर में तो यह स्थिति है कि मिर्जा-इस्माईल रोड पर रात को एक साथ 12-12 दुकानों का ताला तोड़कर चोर माल ले गये। आज तक चोरों का पता नहीं है। इसी तरह कभी भी कोई चोरी या लूट की घटना जयपुर में घटना अब एक मामूली बात रह गयी है। इसी तरह का जोधपुर में भी हाल है। जयपुर में तो लोगों ने मोहल्ला कमेटियां बनाली हैं और रात को पहरा देते हैं। लोगों को चोरों का इतना भय हो गया है कि लोगों ने खुद ने ही अपनी जान माल की रक्षा करने के लिये पहरा देना शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी कोलायत से आन वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आपातकालीन समय में इस तरह की घटनायें नहीं होती थी और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन अभी से ज्यादा अच्छी थी। जब हम लोग इस तरह की बातें रखकर लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं तो यहां पर यह कहा जाता है और मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में यह कहते हैं कि यह तो राजनैतिक दृष्टिकोण से ऐसी बातें रख रहे हैं यह बात नहीं है, प्रदेश में किसी प्रकार से शान्ति रहे, उसके लिये हम आपको हर तरह से मदद देना चाहते हैं। हम आपको चेता रहे हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। गृह मन्त्री जी, आप एस. पी. लेवल से ऊपर वाले अधिकारियों को बुलाकर इन सारी चीजों को डिस्कस करें और इसका आप समाधान निकालें। आप जल्दी से जल्दी कारगर कदम उठायें जिससे कि प्रदेश मे गुण्डागर्दी कम हो, चोरियों को रोका जाय तथा जो लॉलेसनस बढ़ रही है उसको रोका जाय। आज शहर में चलते रास्ते बलात्कार हो रहे हैं। आप हमारे पुराने साथी रह चुके हैं। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अगर आपने इस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ओर ध्यान नहीं दिया तो आपका जनता में काला मुंह हो जायेगा और, गृह मन्त्रीजी, आप के इस तरह कार्य करने से जनता को आपातकालीन समय में जो शान्ति थी उसको याद करना पड़ेगा । इसलिय मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्वन्ध में जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे कि जनता में अमन चैन हो और प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन कायम हो ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संवन्ध में ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है कि जिनके एडजोर्नमेंट मोशन हैं वे सव बोल लें उसके वाद मंत्री महोदय जवाव दें ।

श्री अध्यक्ष : अगर मंत्री महोदय इस संवंध में चर्चा करना चाहते हैं तो इनको मैंने इजाजत दे दी है । आपका भी टाइम आयेगा ।

श्री संपत राम (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक से अधिक वार इस सदन में माननीय सदस्यों ने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कानून और व्यवस्था की तरफ, चोरी और डकैतियों के मामलों की तरफ आकर्षित किया है । मुझे यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं है कि देश में कुछ ऐसे हालात हुए हैं जिनकी वजह से हमारे देश में इस तरह की हरकतें काफी हुई हैं। सवाल छोटा नहीं है, सवाल वड़ा है, इससे प्रशासन अकेला ही निपट सकेगा यह वात भी मानना उचित नहीं है ।

मेरा यह मानना है.....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कुर्सी छोड़ दो ।

श्री मदन सिंह दांता : हमको लाइसेन्स दें हम प्रवन्ध करते हैं । पिछली सरकार के सामने भी यह समस्या थी तो हमें हथियार दिये गये थे । हमने डाकुओं को पकड़-पकड़ कर ढेर कर दिया था जैसलमेर में । आप लाइसेन्स दे दें ।

श्री सम्पतराम: आपने देखा होगा स्कूलों और कालेजों में हड़ताल की और जगह जगह लेवर अनरेस्ट की समस्या खास तौर से पैदा हुई है। जयपुर शहर में एक से अधिक वार सरकार ने घोषणा की है। हम मानते है, यह हमारा कर्तव्य है कि जो कच्ची वस्तियों के लोग हैं उनको वसायें । काफी तादाद में लोग वाहर से आ गये हैं। वह यहां पर आवाद नहीं थे। कई जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है । एक, दो जगह तो मकानों में घुस गये हैं और एक दो जगह दुकानों में घुस गये हैं । एक उदाहरण के तौर पर मैंने यह वात कही है । इस प्रकार की घटनाएं सरकार के सामने आ रही हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपका मतलव यह है कि गरीव लोग ही यह कर रहे हैं ?

श्री नूरा : वड़े वड़े लोग चोरियां करते हैं उनके लिए नहीं कहते हैं। छोटे लोग जो झोंपड़ी वनाकर रहना चाहते हैं उनके लिए कहते हैं ।

एक माननीय सदस्य: चोर तो चोर ही हैं।

श्री नूरा: बड़े-बड़े लोग चोर नहीं हैं क्या ?

श्री सम्पतराम: इस दौरान इस पर काफी चर्चा हुई है। सरकार काफी जागरूक है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गुण्डा गर्दी हुई हो या कुछ हुआ हो, छोटी बात हो या बड़ी, राज्य सरकार का यह पहला कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था कायम रखे। मैं जोधपुर से आने वाले और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पुलिस आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इस मामले में जागरूक है और गुण्डों और बदमाशों को चाहे उन्हें किसी का भी संरक्षण प्राप्त हो, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी।

अभी एक शहर में गया थोड़े दिन पहले तो वहां की घटनाएं बतलाई गई, दो कत्ल हुए। किसी कारण से वह वर्क आउट नहीं हुए। मैंने स्वयं ने उनके बारे में जानना चाहा और कहा कि चाहे कितने ही बड़े शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हों उनका जघन्य अपराध में हाथ पाया जाता है तो निश्चित तौर से उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए जहां भी ऐसी कोई स्थिति होगी तो पुलिस और सरकार ईमानदारी से इस स्थिति को दूर करने की कोशिश करेगी। आप फैक्ट्स सामने लायें।

मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हुई हैं जयपुर शहर में। बड़ी तादाद में रिक्शा वाले और लोग पता नहीं कहां से आते हैं। उनके कारण से घटनाएं होती हैं।

अभी धौलपुर के हिस्से में डकैतियों की चर्चा माननीय काशीनाथ जी कर रहे थे। हमने 15 दिनों के अन्दर डाकुओं का मुकाबला किया है। करीब 3-4 डाकुओं को तीन चार दिन पहले ही मारा है। कल या परसों अपना स्टेटमेंट इस संबंध में दूंगा. तो माननीय सदस्यों को खिदमत में फैक्ट्स आयेंगे। आपने कहा कि पुलिस जागरूक नहीं है, क्रियाशील नहीं है। वैसे आपने स्वयं ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि पुलिस का बार बार एनकाउन्टर हुआ और पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया। वहां पर गोलियां चली हैं। वहां पर जिस जगह पर गोलियां चलीं उस जगह बड़ी मात्रा में खून पड़ा हुआ था। रात के अन्धेरे में वे फसलों में घुस गये। उनके पास आटोमेटिक वीपन्स थे। पुलिस जागरूक थी। पुलिस ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में पुलिस कि जागरुकता का प्रबन्ध किया है। हमने 20 चौकियां कायम की हैं, और एन्टी-डेकाइट फोर्स कायम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा है कि जिला प्रशासन इस भार को उठाये। और भी ज्यादा तादाद में पुलिस के लोग उनको दिये हैं जिला प्रशासन से हमने यह कह दिया है, यह अनुरोध किया है कि सबसे बड़े एस. पी. या जो भी अधिकारी वे लेना चाहें ले लें। यह जिम्मेदारी आपकी है और आप इस कर्त्तव्य को पूरा करें। मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इसमें पूरा सहयोग देंगे।

कानून और व्यवस्था एक सामाजिक प्रश्न है। इसको हल करना हमारा फर्ज है।

(श्री सम्पतराम)

आपने बीकानेर में कुछ लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ कुछ हुआ है उसके बारे में कहा है। मैं निवेदन करूंगा कि अब पुलिस वह पुलिस नहीं रहेगी। पुलिस को बिल्कुल ऊंचे स्तर पर लाना पड़ेगा और उसके नैतिक स्तर और मोरल को ऊंचा करना पड़ेगा। समाज विरोधी तत्वों को, चाहे राजनैतिक आधार पर हों किसी मामले में बर्दाश्त नहीं किया जायगा। मैं चाहता हूं कि सदन सहयोग दे तो सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : अब श्री शिवचरणसिंह जी बोलेंगे।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : मैं दो मिनट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोलेंगे?

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने एक स्थगन प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारे राष्ट्र का धर्म निरपेक्षता का संकल्प है। राजस्थान के अन्दर मेरे क्षेत्र बयाना आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अनेकों स्थानों से हमारे पुलिस मुस्लिम भाई चले गये। हम लोग बड़े-बड़े भाषण देते हैं कि हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्षता में आस्था रखता है। आप ताज्जुब करेंगे कि जो कुछ मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन्स यहां से चले गये हैं उनके धार्मिक स्थानों उनकी मस्जिदों, उनके गिरजाघरों की हमारी सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है।

मेरा क्षेत्र बयाना है वहां पर मुगल काल का एक ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने पिछले सत्र में भी उसके बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। जिस समय वह लोग यहां से गये थे तो उस जमाने में उस स्थान के आस-पास 11 कस्बे उनकी आबादी के थे। जब अलवर और भरतपुर में हिन्दू मुस्लिम रायट्स हुए थे तो मुस्लिम भाई वहां से भागकर चले गये। वहां पर ऐतिहासिक महत्व के बड़े बड़े मकबरे बने हुए हैं। कांग्रेस के रेजीम में 4-5 लाख रुपये रिश्वत के देकर पैसे वाले सरमायेदारों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया और आज भी उनका कब्जा है। माननीय मंत्रीजी, जो वक्फ के हैं, की व्यक्तिगत जानकारी में है। उस वक्त यह महकमा उनके पास था तो मैंने व्यक्तिगत तरीके से भी उनसे निवेदन किया था। इसमें हिन्दू-मुस्लिम का प्रश्न नहीं आता है। यह धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है। अगर वहां पर आज मुस्लिम होते तो कोई भी उन पर कब्जा नहीं करता। आज वहां पर कोई मुस्लिम नहीं है तो वह धार्मिक स्थान है देश की निधि है, उसकी रक्षा करना राज्य सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन इमारतों पर पच्चीकारी का काम 700 वर्ष पुराना है। उस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अजमेर में देखिये, जयपुर में देखिये और अनेक स्थानों पर देखिये जो कब्रिस्तान हैं उन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। जयपुर के लिए अर्ज करूंगा कि यहां क्रिश्चियन्स के जो गिर्जाघर हैं उन पर बहुत बड़ा एन्क्रोचमेंट होता जा रहा है। हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति है, दूसरे धर्म वालों को टालरेट करते हैं और धर्मनिर-

(श्री शिवचरण सिंह)

पेक्षता का नारा लगाते हैं तो मोरेली हमें इस बात के लिए कमिट करना पड़ेगा कि हम उनके धार्मिक स्थानों की रक्षा करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय, जो बैठे हैं, से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बड़े ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। भूत-पूर्व सरकारों ने, ताज्जुब है, वक्फ के नियन्त्रण में होते हुए भी उस पर एक नया पैसा खर्च नहीं किया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। वक्फ आपकी बोडी है, वह सरकार के अन्तर्गत है। तो वक्फ मंत्रीजी का कर्त्तव्य है...

एक माननीय सदस्य : कहां है वह ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, वक्फ उनके पास है।

एक माननीय सदस्य : वक्फ इनके पास नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : माफ करें। वक्फ मे रेवेन्यू मंत्रीजी के पास समझ रहा था। पहले उनके पास ही होता था। अगर माननीय वक्फ मंत्रीजी नहीं हैं तो मंत्रि मण्डल के उनके साथी यहां पर बैठे हुए हैं वह हमारी भावना को मंत्री जी तक पहुचा दें। अध्यक्ष महोदय, यदि वे उठकर चले गये हैं तो ज्यादा अच्छा हो कि आप उनको बुलवायें।

धार्मिक स्थानों की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है। अगर वे उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं तो वह यह कह दें। उनसे हमें ज्यादा आशा है क्योंकि वह माइनोरिटी-कम्युनिटी के हैं। वह भी इनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि वे अपनी कर्त्तव्यपरायणता से परे हटे हैं। यहां उनकी भावना का प्रश्न नहीं है। चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी माइनोरिटी कम्युनिटी के लोग हों उनके धार्मिक स्थानों की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पूरी रक्षा की जाय। जिन लोगों ने उस पर एन्क्रोचमेंट किया है, अनधिकृत कब्जे किये हैं उनको वहां से बे-दखल किया जाय। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूं कि मेरे क्षेत्र बयाना के अन्दर पब्लिक को एजीटेट करके निश्चित तौर से जो एन्क्रोचमेंट हो रहा है वह उनसे छुड़वाऊंगा और माइनोरिटी कम्युनिटी के कब्जे में उनको दिलवाऊंगा।

श्री गंगा सहाय (कठूमर) : माननीय सदस्य जिस वक्त भूतपूर्व सरकार में मंत्री थे तो उनके नियन्त्रण में था। कब्जा किस साल में किया गया है, यह माननीय सदस्य बतलायें। जिस जमाने में आप मंत्री थे उस वक्त माइनोरिटी कम्युनिटी के लिए सद्-भावना आपमें क्यों नहीं जाग्रत हुई और आज ही यह सद्भावना कैसे जाग्रत हो गई ?

श्री शिव चरण सिंह : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि पुरानी सरकार के समय जो गड़बड़ हुई थी मैंने उसका पर्दाफाश किया था। आज जो आप गड़बड़ कर रहे हैं उसका भी पर्दाफाश करूंगा। अगर आपने उसमें सहयोग दिया तो आपका भी पर्दाफाश करूंगा।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, यह हिसाब-किताब तो होता रहेगा। पहले की सरकार की बात करके इसको टाल नहीं सकते हैं। मेरा भी प्रस्ताव है कि कब्रिस्तान

(श्री नूरा)

की जमीनों पर दूसरों ने कब्जे कर लिये हैं गृह मंत्री जी की कान्स्टट्यूएन्सी का गांव है जो मेवों का गांव है, उसमें कब्रिस्तान की जमीन पर, मोंडा नाम.के दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। लोगों ने कब्जा हटाने की मांग की। कोर्ट से फैसला हो गया कि जबरदस्ती कब्जा किया है। 6 तारीख को जो हारने वाला दल था उसने गोलियां चलायीं। 6-3-78 को एक सिटू नाम का आदमी मारा गया। यह गृह मंत्रीजी के क्षेत्र में पड़ता है। माननीय गृह मंत्री जी 1 तारीख को वहां पर पधारे थे तो चन्दा करके उनको मालायें पहनाई थीं। उनको भी निवेदन किया कि इस प्रकार की बात है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने उस बात को सुना नहीं। उसने यह भी कहा था कि मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है. और मेरी जमीन मुझे दिलायी जाये। आज यह स्थिति है कि खेत में ले जाकर मुर्दे को दफनाते हैं। यह अलवर का हिन्डौली गांव का वाकया है वह मेव बड़े पुलिस अधिकारी के यहां बैठा था। उसी दौरान में हमला किया गया। हमले में वह आदमी मारा गया। उसको थाने में भी रखा गया कि हमला करके उसको मारा है। एस. पी. के पास भी घर वाले गये और कहा कि हमला करके उनको मारा गया है। दो आदमी अस्पताल में पड़े हैं। एस. पी. ने बात सुनी नहीं और उनको रवाना कर दिया। 21-3-78 को भूत-पूर्व गृह मंत्री जी के पास आये। उन्होंने चिट्ठी लिख कर दी जिसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। लेकिन कोई उस पर तवज्जुह नहीं दी गई। फिर इस संबंध में वे आई. जी. पी. से मिले तो अधिकारी का तबादला हुआ। आज भी उनको खुले आम चैलेन्ज किया जा रहा है कि राजीनामा कर लो। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा हो जाय, इस प्रकार से हमला किया जाय, आदमी मारा जाय, दो-दो आदमी होस्पिटल में पड़े हों और आपस में चैलेन्ज बाजी हो रही हो फिर भी मंत्री जी इसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। जमीन पर भी कब्जा किया और धमकियां दे रहे हैं कि राजीनामा नहीं किया तो देख लेंगे। कब्रिस्तान की जमीन पर मेवों में झगड़ा हुआ है और यह व्यक्ति मारा गया है। कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया इसका फैसला होने के बाद भी उस पर से कब्जा आप नहीं हटवा सके, पुलिस भी मदद न करे, यह उचित नहीं है। इसलिये मेरी मांग है कि इस तरह की जो घटना घटी है उसकी जांच की जानी चाहिये। अलवर के एस. पी. को वहां से हटाना चाहिये और जिन-जिन अधिकारियों के द्वारा मुकदमा बिगाड़ने की बात की गई है उसको भी वहां से हटाया जाना चाहिये। लोगों ने यह भी मांग की है कि पुलिस से जांच कराई जाकर उसकी जांच सी. आई. डी. के द्वारा करायी जानी चाहिये। इसलिये मेरी मांग है कि जब लोगों में इतना असंतोष है तो यह मामला सी. आई. डी. की जांच के लिये देना चाहिये। इतना बड़ा झगड़ा हुआ उसके लिये आपको निवेदन किया।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था। आज सब लोग माइनोरिटी की बात कहते हैं लेकिन यदि सही रूप मे माइनोरिटी की बात की जाय तो जो प्रिन्सेज हैं वे आज माइनोरिटी में हैं। 21 आदमी हैं। 22 नहीं हैं सारी स्टेट में।

श्री अध्यक्ष : उस स्थगन प्रस्ताव पर और कोई बोलना चाहते हैं ?

श्री रामकरण सिंह ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दिया है इसलिये नहीं दिया गया है कि केवल हमें सदन के माननीय सदस्यों को ही जानकारी देनी हो और माननीय मंत्री जी को नहीं देनी हो। माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं तो ऐसा लगता है कि जो मंत्री बैठे हैं वह जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी के लिये तैयार हैं। अगर नहीं है तो उनको बुलाया जाय। जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामकरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितने भी कब्रिस्तान और जमीनें हैं, ईदगाह और तकिये हैं, मुसलमानी नाम से अलग-अलग जगहों पर कहलाते हैं, कहीं तकिये कहलाते हैं, कहीं वक्फ के नाम से प्रोप्रर्टी दर्ज है, उस प्रोप्रर्टी को, जमीन को सरकार ने न जाने क्यों कुछ सिपहसालार के जरिये से अलाट करा दिया। ऐसी जगह पर भी अलाटमेंट कर दिया, जहां आज भी बड़े-बड़े मकबरे बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से पैसा आया तो उसको सार्वजनिक जगहों पर लगाया गया। उनकी भी उस वक्त परवाह नहीं की गयी जो धार्मिक स्थान हैं। मैं एक बात बताता हूं। एक ईदगाह है। 200 गज लम्बी और 250 गज चौड़ी, 6 फीट ऊंची है एक तरफ दीवार है और 7 फीट ऊंची है वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने आने वालों को वहां नहीं आने दिया जाता है। वह जमीन एक आदमी को अलाट कर दी मरघट और कब्रिस्तान के नाम से। आज भी वह मौजूद है। इधर कोटपूतली के पास एक सार्वजनिक बगीचा है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : किसने कर दी और कब कर दी? किस अधिकारी ने कर दी? आप नाम बताइये अधिकारी का।

श्री रामकरण सिंह : यह जनता सरकार ने अलाट नहीं की। पहले की सरकार ने यह अलाट की थी। इसमें जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : वक्फ बोर्ड में इसके बारे में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थोड़ी सी दिलचस्पी लेंगे तो आपको जानकारी मिल जावेगी।

श्री रामकरणसिंह : माननीय मंत्री जी पधारे तो उनको भी निवेदन किया कि आप कार्यवाही करेंगे। मैं कोटपूतली का सदस्य हू मै आपकी बात को एप्रिशियेट कर रहा हूं और मदद ही मान रहा हूं।

इस बगीचे के गोलान में एक कब्रिस्तान है जिसका पिछले दिनों झंझट चला। कब्र खोदी गई तो झंझट चला। एस. डी. ओ. वहां पर गये। केस रजिस्टर हुआ है लेकिन पिछली सरकार ने दबाव से उसको विथड्रा कर लिया। कब्रिस्तान में हड्डियों के नमूने मिले हैं आज भी अदालत में रखे हैं। इस प्रकार की हालत की गयी, यह माइनोरिटी के साथ एक तरह से अन्याय है। हर प्रकार की धार्मिक चीजों का सम्मान करें। हर प्रकार के मरघट, कब्रिस्तान और अन्य प्रकार के जो स्थान हैं उनके

(श्री रामचरण सिंह)
लिये संकल्प करें कि हम उनको बिगड़ने नहीं देंगे मेरा निवेदन है कि जिन धार्मिक स्थानों पर कब्जा किया हुआ है उनको खाली कराया जाय।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान और वक्फ की जमीनों के सिलसिले में पेश स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो आपने फर्माया कि स्पेसिफिक उदाहरण दीजिए। तो क्या वह तमाम जमीनें आज की लिस्ट में हैं जिन के बारे में मैंने स्पेसिफिक मार्क करके आपको रिक्वेस्ट की थी? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जे क्यों होते हैं? इसका इलाज क्या है? इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई आबादी, गांवों के लोगों का शहरों में आना, इस तरह से शहरों की आबादी का बहुत बढ़ जाना और शहरों की जमीनों का बहुत कीमती हो जाना, यह तमाम बातें नाजायज कब्जों की जड़ हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आज बड़े-बड़े शहर और कस्बे हैं, एक जमाना था, आज से पचास साल पहले और सौ साल पहले वह एक गांव की शक्ल में थे जो छोटे-छोटे शहर बने उनके बाहर लोग अपने मुर्दों और मैयत को श्मशान घाट पर दफनाते थे। अब यह हालत हो गयी है कि वह सारी जमीनें शहरों में आ गयी हैं। शहरों की बढ़ती हुई आबादी और जमीन कीमती हो जाने के कारण यह इन्सान अपनी कमजोरी के कारण लालच में आ गया। वह चाहते हैं कि हम शहरों में अच्छी जगह तलाश करें। जब अच्छी जमीन नहीं मिलती तो ऐसी जमीनों की तरफ आंख लगाते हैं। ऐसी जमीनों पर, जो वक्फ की हैं, कब्रिस्तान की हैं, तकिये के नाम से जानी जाती हैं और दरगाह के नीचे जमीन हैं, मालदार लोगों की निगाहें कई सालों से लगी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रि मण्डल को अवगत कराना चाहता हूं कि यह वह नापाक साजिश हुआ करती है जिससे कई बार राइटस हो जाते हैं, दो फिरकों के लोग लड़ जाते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि चित्तौड़ में क्या हुआ? रास्ते का मामला था, लोगों के समझने में कमजोरी रही आपस में लड़े। उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह छोटे मसले नहीं हैं, यह बहुत बड़े मसले हैं।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, जयपुर में एम. आई. रोड पर गवर्नमेन्ट क्वार्टर्स बनाये गये, यह कतई तौर पर नाजायज थे। आगरा रोड पर कब्रिस्तान है उसमें भी लोग ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस बात का नहीं है कि पर्टीक्यूलर कौम के लोग कब्रिस्तान की जमीनों को ले रहे हैं। मैं तमाम जगहों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां जमीनों को हड़पना चाहते हैं। उदयपुर में अल्का होटल के पास कब्रिस्तान की जमीन है उसको मुस्लिम मैनेजमेन्ट कमेटी सेल करना चाहती थी। इसके लिए हजारों मुसलमानों ने उदयपुर जिलाधीश को एक रिप्रेजेन्टेशन दिया। हमारे वक्फ मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से मकराना में भी बूरसू गांव है वहां के कब्रिस्तान की जमीन को बी. डी. ओ. ने सेल किया। इसी तरह से जोधपुर में मिनर्वा सिनेमा के पीछे कब्रिस्तान है, यू. आई. टी. ने उस कब्रिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की देख-

(श्री अब्दुल अजीज)

कर उस पर रोक लगा दी। एक तरफ तो यू. आई. टी. की रुकावटें हैं और दूसरी तरफ नाजायज कब्जे करने वाले लोग हैं वे अपने दावपेंच से बाज नहीं आते हैं। हमारी सरकार भी इसमें चुप्पी लगा लेती है।

अध्यक्ष महोदय, हर राज्य सरकार में वक्फ मंत्री बनते हैं। बदकिस्मती से इस बार भी वक्फ मंत्री हैं लेकिन क्या उनकी तरफ से कभी कोई नोटिस गया है वक्फ की जमीन को रोकने या कब्जों को हटाने के लिए ? कभी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से कोई पर्टीक्यूलर कानून वक्फ का बना? इस तरह से जो अनियमिततायें होती हैं उससे बड़े बड़े खतरे हमारे सामने आते हैं। अलवर की घटना आपने सुनी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में ध्यान दे और अखबारों के जर्नेलिस्ट्स मेहरबानी करें तो जनता को इस विषय में सतर्क किया जा सकता है। कब्रिस्तान को नो मैन्स लैण्ड कहा जाता है। उसकी जमीन के ऊपर बद दिमागी से लोग निगाह रखते हैं ऐसी जमीनों की तरफ राज्य सरकार ध्यान दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी ने यह कहा था कि देवस्थान और कब्रिस्तान की जमीनों पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं इसकी जानकारी मुझे है। इस जानकारी के बावजूद इस मामले में आपने क्या कार्यवाही की ? आपके वक्फ मंत्री ने कोई वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट नहीं दी। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट क्यों नहीं आती? कहते हैं कि रिपोर्ट आज तक नहीं बनी। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बोर्ड है ही नहीं। मंत्रिमण्डल में जरूर दिखाने के लिए वक्फ मंत्री को ले लिया है। वह किसके महबूब हैं? वह माइनोरिटी के महबूब हैं या इन्साफ के महबूब हैं? किस बात के महबूब हैं ? इनका फर्ज है कि स्ट्रांग आदेश दें। अगर वह आदेश देते हैं तो उसकी पालना कोई नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी बात चलती है या नहीं चलती ? यह बराये नाम मंत्रिमण्डल में मंत्री रह कर क्यों माइनोरिटी को बदनाम करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ऐसे नाजायज कब्जों को तत्काल हटाने की सिफारिश करे और कोई न कोई ऐसा सख्त कानून बनाये जिससे की रायट्स जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी न हो और लोगों में असन्तोष रुके।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्यों ने जो राजस्थान में वक्फ प्रापर्टी है और उन पर नाजायज कब्जे होते हैं उसके बारे में चर्चा सदन में उठाई। अध्यक्ष महोदय, चाहे देवस्थान की प्रापर्टी हो और चाहे वक्फ की प्रापर्टी हो वह शहरों में भी है और गांवों में भी है। जहां तक वक्फ प्रापर्टी का प्रश्न है यह प्रापर्टी गजट नोटिफिकेशन के जरिये वक्फ प्रापर्टी डिक्लेअर हो चुकी है लेकिन गलती यह हुई है कि वह प्रापर्टी कहां-कहां है और उसकी हद कहां तक है इसके डीमार्केशन की दिक्कत है। हो सकता है वक्फ मंत्री महोदय की नहीं चलती हो लेकिन इनकी चलने या न चलने से प्रापर्टी की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और पुलिस डिपार्टमेन्ट है इन दोनों विभागों की बहुत चलती है। आप मह

(श्री परसराम मदेरणा)

थे या नहीं। आपने कहा कि अब चलनी शुरू हुई है। आप दोनों विभागों का को-आर्डिनेशन करवा कर जो वक्फ प्रापर्टी पर नाजायज कब्जे हुए हैं उनके सम्बन्ध में इमीडिएट एक्शन लीजिए। वह एक्शन यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट उनका मेजरमेंट करे और पुलिस डिपार्टमेन्ट जो नाजायज कब्जे कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करे। नहीं तो वक्फ मंत्री जी की कोई हैसियत नहीं है। एक दफा मेरे साथ भी हुआ था, हिन्दुस्तान के अन्दर मैं अकेला हिन्दू वक्फ मंत्री था। उस समय भी शिकायतें आई थीं हम रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को या पुलिस डिपार्टमेन्ट को लिखते थे। वक्फ मंत्री जी इसको ध्यान में रख लें कि उनकी प्रापर्टी नोटिफाइड हैं। उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वह तो शिकायत ही कर सकते हैं। वक्फ एक्ट के नीचे कोई अधिकार नहीं है कि वह स्वयं एक्शन ले सकें। इसलिए उनकी तो कानूनन मजबूरी है। माननीय राजस्व मंत्री और होम डिपार्टमेंट के मंत्री जी दोनों को बैठकर सामूहिक इन्स्ट्रक्शन्स देने पड़ेंगे ताकि वक्फ प्रापर्टी पर कहीं भी ट्रेसपास होता है तो उस पर इमीडिएट कार्यवाही हो। वक्फ प्रापर्टी कीमती हो गई है इसलिये लोगों का जी ललचाता है कि ऐसी प्रापर्टी पर कब्जा करे। अगर डिटरेन्ट एक्शन हुआ तो लोग नाजायज कब्जा नहीं करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एम. एल. ए. क्वार्टस के सामने वक्फ प्रापर्टी है उसका डिसीजन नहीं हुआ, उसका डिमार्केशन नहीं हुआ और सैटल नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, वक्फ की सम्पत्ति और देवस्थान की सम्पत्ति पर जो अतिक्रमण हुए हैं, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं विरोधी दल के नेता का बहुत-बहुत आभारी हूं, उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। वक्फ की जहां तक प्रापर्टी का प्रश्न है, वक्फ का एक्ट बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, उस प्रापर्टी का संचालन बोर्ड के द्वारा होता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वक्फ का जहां सरकार के साथ झगड़ा हुआ है, वहां क्या कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तसल्ली रखिये। जैसा कि वक्फ मिनिस्टर और विरोधी दल के नेता ने कहा ''

श्री खेतसिंह राठौड़ : भूतपूर्व ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भूत याद आ रहा है, मुझे भविष्य याद आ रहा है।

जैसे कई उदाहरण दिये गये हैं कि वक्फ की प्रोपर्टी के ऊपर मकान बना लिये हैं। माननीय सदस्य जानते हैं वह कोई नये कब्जे नहीं हुए हैं। यह सब पुरानी बात है। आपको जानकारी है कि कई मामले अदालत में चल रहे हैं, इस हाउस में इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं और सरकार की तरफ से उत्तर दिये गये हैं। सरकार की ढिलाई के कारण कब्जे हो रहे हों, यह बात नहीं है। कब्जे पहले हो चुके हैं। जैसा परसरामजी ने कहा, एरिया का नोटिफिकेशन होता है। जितना क्षेत्रफल होता है वह सारा उसमें लिखा जाता है। गजट नोटिफिकेशन में कमी रही हो तो उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देख लिया जायेगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री और वक्फ मन्त्री इकट्ठे बैठ कर बात करेंगे और और जहां-जहां अतिक्रमण हुए हैं उनके सम्बन्ध में जो भी कानूनी कार्यवाही सरकार कर सकती है, वह निश्चित रूप से करेगी।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि विधान सभा सदस्यों के बंगले बने हुए हैं। वहां वक्फ प्रापर्टी है। यह मामला अदालत में है। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ. कह सकूं। पहले मैंने विधायक के रूप में प्रयत्न किया था कि इस मामले का जल्दी से जल्दी से निपटारा हो। जब अदालत में मामला चल रहा है तो मेरे बस की बात नहीं। इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी जानकारी में कहीं और भी देवस्थान की या वक्फ की प्रापर्टी पर अतिक्रमण हुआ है तो आप सूचना दें। सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

श्री अब्दुल अजीज : कितनी बेइन्साफी की बात है कि माइनोरिटी अपना खर्चा करके अदालत में जाय। आप तुलना कीजिये, एक राज में बैठा हुआ वरिष्ठ अधिकारी है दूसरे माइनोरिटी के वे लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वह अदालत में फिरते फिरें अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये। इस सिलसिले में कोई कानून बनाना जरूरी है ताकि उनको न्याय मिले, उनको अदालत में न जाना पड़े।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंहजी !

श्री मदनसिंह दांता : मुझे तो इतना ही कहना है, मुख्य मन्त्रीजी अलवर गये हैं, उनको पूरी स्थिति मालूम है। वहां की जनता ने कहा है कि इसका मूल कारण शोभारामजी हैं आप भी वहां पधारे हैं। अलवर दरबार की पोलो की जमीन एक्वायर की गई थी गरीबों में बांटने के लिये। जब एक्वायर कर ली तो शोभारामजी ने अपनी खेती के लिये खाता करवा लिया और उस पर खेती करने लगे। इसी बीच में हिजहाइनेस देसाईजी जब पार्लियामेन्ट्री बोर्ड के मैम्बर थे तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से गरीबों के नाम से जमीन लेते हैं, आइन्दा आपको टिकट नहीं दिया जायेगा। उन्होंने 1500 रुपये लेकर जमीन वापस सरेन्डर की। कलेक्टर से मिलकर तारीख 20 को एलान किया कि 27 को आपकी यह हालत होगी जो बस्तर की हुई थी। उनकी रोशनी बन्द करदी, 8-8 दिन तक पानी नहीं दिया और फिर कहा आप मीसा में बन्दी होंगे तो दिल्ली नहीं जायेंगे। तो इस डर से उन्हें यह सारा काण्ड करना पड़ा। मुख्य मन्त्रीजी, आप चुनावों में पधारे हैं आप जांच करें ? आपको मालूम है, कौन दोषी है। You know it heart to heart

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में इतनी सूचना देना चाहता हूं कि अलवर राजकुमार के सम्बन्ध

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में कानसिंह कमेटी, जो न्यायिक समिति है, जांच कर रही है। जब जांच हो रही है तो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : कानसिंह ऐसी कमेटी है, न कोई अदालती ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जुडिशियल कमेटी है।

श्री मदनसिंह दांता : जब आपको मालूम हो गया, तो वहां क्यों दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस समय काण्ड हुआ उस समय मैं जेल में था। जांच हो जाये तो आपत्ति क्या है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री मदनसिंह दांता : उन कलेक्टर साहब के भाई दिल्ली में बिराजे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह विषय केन्द्र का है। दो मिनट का समय देता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी समस्या है कि रेलवे लाइन्स पर गांव से गांव जाने के लिये रास्ता नहीं, खेत में जाने के लिये रास्ता नहीं, न रेलवे क्रासिंग बने हुए हैं। नतीजा यह होता है कि किसान, रेलवे लाइन क्रास करता है तो आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, पशु खतम होते हैं, लोग खतम होते हैं। इस तरह राजस्थान के अन्दर, आप देखेंगे, दुर्घटनायें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यह बड़ी विडम्बना है। जब दिल्ली की रेलवे अथारिटी से अप्रोच करते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान सरकार का कार्य है, वह रेलवे क्रासिंग का पैसा देगी तो बना देंगे। शहरों में जहां घनी आबादी है वहां रेलवे क्रासिंग बना देते हैं। लेकिन खेतों में जाने के लिये रेलवे क्रासिंग की जरूरत है उसको बनाने की बात केन्द्रीय सरकार नहीं मानती और राज्य सरकार के पास जाते हैं तो वह भी यह कहती है कि हमारा मामला नहीं है। आपका मामला किस तरह से नहीं है। यह रेलवे लाइन राजस्थान के भू-भाग से निकलती है। हमको खेतों में जाने के लिये, गांवों को जाने के लिये रेलवे क्रासिंग की जरूरत है। यह राजस्थान की रेस्पान्सिबिलिटी है कि रेलवे लाइन से गुजरने के लिये रेलवे क्रासिंग बनाकर दे। रेलवे क्रासिंग न होने के कारण हजारों लोग परेशान हैं। अभी हमको महसूस ज्यादा हुआ। भटिन्डा से सूरतगढ़ जाने के लिये ब्राड गेज लाइन बन रही है मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं। मैं नहीं समझता कोई दिलचस्पी लेते हों हमारी समस्याओं का समाधान करने में। हमने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं उनकी गत खराब हुई है। वे कब्रिस्तान की तरफ चले गये। चीन की दीवार खड़ी हो गई। भटिण्डा व सूरतगढ़ ब्राडगेज लाइन बनने से....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सूरतगढ़ शहर को आपने रेलवे क्रासिंग दे दिया। बाकी जो खेत पड़ते हैं उन खेतों पर जाने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है? उनको कितनी परेशानी होगी आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। 8-9 फीट ऊंची ब्राडगेज लाइन खड़ी की है। किसानों के लिये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी,

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

यह केन्द्र का मामला नहीं है, कृपया नोट कर लें यह केन्द्र का मामला नहीं है। इस बारे में वहां पर भी सवाल उठते हैं, आप भी राज्य सभा मे मैम्बर रहे हैं, आपके सामने भी सवाल आए होंगे। यह केन्द्र के साथ राज्य सरकार के बात करने का सवाल है। रेलवे विभाग कुछ ज्यादा पैसा चाहता है वह कहता है कि हमारा आदमी वहां पर रहेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार की बहुत बातें होती हैं। मेरा कहना है कि इसमें आदमी रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। गांव और खेतों के अन्दर जाने का रास्ता बना दें, आगे रेम्पस हो तो किसी फाटक पर आदमी रखने की जरूरत नहीं है। वहां पर बहुत बड़ा ट्रैफिक भी नहीं रहता है। इसलिए आप मेहरबानी करके बात करें, चाहे राज्य सरकार पैसा देवे चाहे केन्द्रीय सरकार पैसे देवे। किसानों की यह बहुत बड़ी समस्या है, हजारों आदमियों की समस्या है। यह कोई गंगानगर जिले में ही नहीं है, गंगानगर जिले में तो तब समस्या आई जब कि भाखरा कोलोनाइजेशन विभाग ने पुराने रास्तों को बन्द कर दिया और नए रास्ते निकाले। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस मामले में केन्द्र सरकार से बात करके किसानों की समस्या का समाधान करावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक मिनट में निवेदन कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रेलवे क्रासिंग और रेम्पस के बारे में अभी सदन को जानकारी दी है। मैं भी पिछले दिनों गंगानगर गया था तो मुझे वहां जनता के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार की शिकायत की थी। वहां से आने के बाद मैंने तुरन्त रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा। पत्र लिखने के साथ ही साथ यह भी उनसे मांग की कि जहां-जहां रेलवे फाटक बना सकते हैं वहां बनाने की रेलवे मिनिस्ट्री जिम्मेदारी ले और जहां पर राज्य सरकार को बनाना हो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचना दे। प्रश्न केवल खर्चे का नहीं है। रेम्पस और रेलवे क्रोसिंग अलग-अलग चीजें हैं। जहां फाटक लगाते हैं, वहां पर आदमी का रहना जरूरी होता है। जब फाटक लगाते हैं, जनरल ट्रेंड यही चल रहा है क्योंकि रेलवे लाइन को सड़क क्रोस करती है इसलिये आदमी को वहां पर रहना जरूरी होता है। फाटक पर आदमी रहना जरूरी है। मैंने फिर उनसे जानकारी की ऐसे स्थानों पर आदमी यदि न रखें, फाटक न रखें और आवागमन के लिए सुविधा दे दें तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। इस स्थिति को माननीय सदस्य भी जानते हैं कि कई बार पहले भी रेलवे क्रोसिंग पर भयंकर दुर्घटनायें हुई हैं। कई बार बस नीचे आ गई तो कई बार बैलगाड़ी नीचे आ गई। जैसा आपने कहा कि मैं भी राज्य सभा का सदस्य रहा हूं। राज्य सभा में इस सम्बन्ध में सरकार को आड़े हाथों लिया गया है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि आपने इस रेलवे क्रोसिंग पर आदमी क्यों नहीं रखा, फाटक क्यों नहीं लगाया, आपने आदमी की व्यवस्था क्यों नहीं की? यह सारी दिक्कत आती है रेलवे मिनिस्ट्री को देखना पड़ता है कि कोई भी रेम्पस या फाटक के कारण एक्सीडेंट नहीं हो। चाहे कितनी भी दिक्कत हो, इस चीज से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्कार नहीं कर सकते। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि यह हमारे आने के बाद या हमारी सरकार के आने के बाद नहीं हुआ है, यह रेलवे क्रोसिंग और रेम्स पहले से चले आ रहे हैं। भूतपूर्व सरकार ने भी इसके लिए प्रयत्न किया था। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी भावनाओं के आधार पर भारत सरकार से फिर निवेदन कर दूंगा कि वे कोई व्यवस्था कर सकते हों तो उस व्यवस्था को करावें ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ज्यादा एक्सीडेंट वहीं पर होते हैं जहां बहुत ज्यादा रश होता है। वहां तो सिर्फ खेतों तक जाने का रास्ता बनाने की बात है। वहां बहुत ज्यादा ट्रेफिक नहीं रहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन रेलगाड़ी आ रही है इसका किसी को पता नहीं लगता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऐसी घटनायें बहुत कम होती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक भी हो जाय तो हम तो क्वेश्चनेबल हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आदमी रहने के बाद भी घटना होती है....

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह सभी जिलों की समस्या है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पहले भी चर्चा हो चुकी है। बार-बार इसी पर चर्चा उठाना और उसकी पुनरावृत्ति करना क्या उचित है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : महिला सदस्या हैं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसमें महिला और पुरुष का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष महिला सदस्या हैं तो दो मिनट आप भी बोल लें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : प्रश्न यह है कि 26 तारीख को खेतड़ी में जो कुछ भी घटना हुई वह घटना जनता सरकार की प्रशासनिक बेबसी और अकर्मण्यता का नमूना तो है ही लेकिन लोकशाही पर एक बदनुमा धब्बा भी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सारी बात का, सारी घटना की सत्यता का पता लगाने के लिए एडीशनल आई० जी० से जांच कराने का आश्वासन भी सदन में दिया था। इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि जांच निष्पक्ष एवं किसी भी दबाव से मुक्त होगी। उसके बाद पुलिस इन गवाहों को, जो आई विटनेस हैं, धमका रही है, डरा रही है, आतंकित कर रही है और परेशान कर रही है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से वह जांच का नाटक क्यों कर रहे हैं ? इस प्रकार से जाँच करें जिससे कहना चाहिए कि लोगों को परेशानी हो तो यह जाँच का नाटक तो होगा ही और इस सदन की

Page No. 52

(52)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

सार्वभौमिकता को चुनौती भी होगी। यह सदन की सोवनिटी का प्रश्न है। इस सदन की अपनी सार्वभौमिकता का यह प्रश्न है। यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि इस सारी घटना की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच कराई जायेगी लेकिन अब इस तरह से डरा धमका कर क्या चाहते हैं ? इस तरह से क्या जांच होगी ? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे वहां के भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष का एक तार प्राप्त हुआ है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर प्रश्न है। आप बड़े संवेदनशील हैं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

मैं निवेदन कर रही थी, माननीय अध्यक्षजी मुझे एक तार प्राप्त हुआ है। मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी इस बारे में कल कहा था। उन्होंने इस बारे में कहा कि मैं जांच करवा रहा हूं लेकिन मुझे खेद है कि लोगों को डराया धमका कर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। इस तरह से जांच का नाटक करवा रहे हैं। जो इस सदन में की गई घोषणा और आश्वासन की मन्शा के विपरीत है तथा सदन की सार्वभौमिकता को चुनौती है। इस तरह से जांच का नाटक करने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तार पढ़ कर सुना देती हूं सदन की जानकारी के लिए:

"Witness statement in last 26 th February Film Actors Programme Khetri Copper Township case Government Officers and anti-element seriously threatening. Physical financial life in danger. Request for necessary protection.

तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह एक्स चैयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड खेतड़ी श्री नन्दकिशोर शर्मा का टेलीग्राम है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह से लोगों को डरा-धमका कर, आतंकित परेशान करके यदि जांच की गई तो जांच का नाटक करने की क्या जरूरत है ? डरा धमका कर जांच का नाटक तो सदन की सार्वभौमिकता को चुनौती देना है। इसलिए....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं चाहूंगी कि इस मामले में न केवल मुख्य मन्त्रीजी अपना स्टेटमेंट दें। अपितु न्यायिक जांच के आदेश देकर निष्पक्ष जांच रिपोर्ट ली जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का तार मुझे भी मिला था। कल माननीय सदस्या स्वयं भी मिली थीं बात करने के लिए जिसका उल्लेख उन्होंने अभी किया है। जिस समय मुझे तार मिला उसी समय मैंने खुद ने मेरे पास जो अधिकारी हैं उनको तत्काल ही आदेश दिया कि जिलाधीश झुंझुनूं और एस. पी. को सूचना कराई जाय कि इस प्रकार का तार आया है। नन्दकिशोर जी को किसी प्रकार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है उनको वह सारा प्रोटेक्शन दिया जाय। इसके सिवाय मुझे अधिक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत]

कहने की आवश्यकता नहीं है। अब रहा सवाल कि उन्होंने और भी शिकायतें की हैं, मुझे जानकारी मिली है, शायद मेरे पास लोग आने वाले हैं मिलने के लिये। लोग मुझसे मिलने वाले हैं उनसे इस सम्बन्ध में जानकारी करूंगा कि किस ने डराया है, धमकाया है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए किसी को भी हमारी तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : ठीक है आपने कह दिया। इतना और कहना चाहूंगी कि इसमें केवल नन्दकिशोर का सवाल नहीं है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी का भी हो सवाल, आप आश्वस्त रहिये सत्य को छुपाने का प्रयत्न नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो ट्रबल क्रियेटर्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्रबल क्रियेटर्स न आपके सगे सम्बन्धी हैं और न मेरे। उनकी न कोई पार्टी है न उनकी कोई जाति है, न कोई राजनीति। आप निश्चित रहिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी की घटना के सम्बन्ध में 17 तारीख को सदन में चर्चा हुई थी। उस चर्चा के बाद मुख्य मन्त्रीजी ने जांच का आश्वासन दिया। जांच का आश्वासन देने के बाद उसी दिन 17 तारीख को ही लोक सभा में चर्चा हुई। मुख्य मन्त्रीजी आश्वासन देकर एन.डी.सी. की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली गए इसी बीच में यहां से भारत के गृह मन्त्री को पूरी की पूरी जानकारी भेजी गई थी। उसमें एडीशनल आई.जी. से जांच कराने का उल्लेख भी था, जिसका लोक सभा के प्रांगण पर उल्लेख किया है लोकसभा में राज्यसरकार का यह मत बताया कि जो कुछ भी घटना है वह बेसलेस और फाल्स है। भारत सरकार जब इस घटना को बेसलेस और फाल्स बताती है तो किस बात की मुख्य मन्त्री जांच करा रहे हैं? इसलिए सदन में 18 तारीख को एक पोइन्ट आफ आर्डर के जरिये यह पोइन्ट उठा! सदन में आक्रोश हुआ, उद्विग्नता हुई तो आपने एक बात कह दी थी कि मुख्य मन्त्रीजी से बातचीत करेंगे। हम ऐसा मानते थे कि भारत सरकार के गृह मंत्री के इस प्रकार के वक्तव्य के बाद इस प्रकार की कोई जांच निरर्थक है। इस प्रकार की जांच केवल नाटक मात्र रह जाएगी। इस सम्बन्ध में आप से कल निवेदन किया था, विरोधी पक्ष और दूसरे पक्ष के अलग-अलग प्रतिनिधियों की यह मांग भी थी कि इस तरह की जांच होनी चाहिए। अब जो जांच हो रही है, वह पुलिस महकमे की मार्फत हो रही है। उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उसका आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह जो रिपोर्ट होगी, वह कैसी होगी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने हमें आश्वासन दिया था। आपके चैम्बर के अन्दर सभी विरोधी दल के प्रतिनिधि थे। आपने कहा था कि मुख्य मंत्री से बात करके कोई रास्ता निकालेंगे। उस समय मुख्य मंत्री यहां पर नहीं थे। अब कुछ जांच हो रही है उसमें लोगों को टेरेराइज किया जा रहा है। माननीय सदस्य जो कुछ कह रही हैं उनके पास जो टेलीग्राम आया है, वह एक तारीख को पहले भी आया था। वह एक चेयरमैन ने टेलीग्राम दिया था।

(श्री परसराम मदेरणा)

सबसे पहले सूचना एक तारीख को लैटर टू दी एडीटर में मिली, यह फैक्ट भी सही नहीं है. बेसलेस है क्योंकि सरकार को यह टेलीग्राम दूसरे व्यक्ति से दो तारीख को मिल गया था। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जांच से क्या नतीजा होगा? जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, वह हम स्वयं जानते हैं। इस घटना के सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य के अन्दर इस सारी घटना को गलत और असत्य बता दिया है। फिर जांच कैसी भी हो, जांच का निष्कर्ष यही निकलना है।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान के मुख्य मंत्री इस तरह से दबने वाले नहीं हैं। वे जांच करवाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के मुख्य मंत्री, मुझे डर है, आशंका है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मंत्री तो उस दिन थे नहीं, अध्यक्ष महोदय ने यह जरूर कहा था। मुख्य मंत्री कमिटमेण्ट किया था। परन्तु बाद में गृह मंत्री ने कहा, यह झूठ है, कुछ नही है। इस पर फिर सदन में हंगामा हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में गैर जानकार नहीं हूं। उनके वक्तव्य कैसे होते हैं यह मालूम है वे शेर हैं, वे दहाड़ा भी करते थे परन्तु अब क्यों नहीं दहाड़ रहे है? शायद कुछ मर्यादा हो सकती है, सैल्फ रिस्ट्रेक्शन हो सकता है या पद के अनुसार काम करने में दिक्कत हो सकती है। यह आश्वासन दिया गया था। मुख्य मंत्री का यह कहना है कि मैं जांच करवाऊंगा परन्तु भारत के गृह मंत्री के यह कहने के बाद कि यह बेसलेस है, फिर जांच का मतलब क्या है? यह जांच कोई मायने नहीं रखती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हंगामे शब्द का प्रयोग किया है। सदन में मर्यादित शब्द का प्रयोग होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये जो शब्द है, मर्यादित हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन में इस तरह के शब्द मर्यादित नहीं होते ...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय नेता और खेतड़ी की घटना से सम्बन्धित सदस्य मिले थे, आपसे बातचीत हुई थी। उस बातचीत के आधार पर हम आपसे वचनबद्ध थे कि जब तक आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बातचीत न हो जाए तब तक हम इस मामले को सदन में नहीं उठाएंगे। अब मामला दूसरी शक्ल के रूप में सदन में आ गया है और माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मान्यवर, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन एक बात माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, इस प्रश्न को पहले यहां उठाया गया था एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया था और इस सम्बन्ध में हम आपसे चैम्बर में मिले थे। आपने मान्यवर, यह कहा था कि अगर यह मामला पांच परसेंट भी सही है तो मैं इसकी इजाजत दूंगा। बाय चांस लोक सभा में भी

(श्री रामनारायण चौधरी)

यह मामला उसी दिन उठ गया जिस दिन हमारी बातचीत हुई। उसी दिन सदन में मुख्य मंत्री महोदय ने एडीशनल आई. जी. से जांच कराने को कहा था और हमने उसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद, पांच साढ़े पांच बजे लोक सभा में भारत सरकार के गृह मंत्री ने स्टेटमेन्ट दिया। उस स्टेटमेन्ट में हर बात से इन्कार करते हुए आखिर में यह शब्द जरूर कहे कि मुख्य मंत्री ने एडीशनल आई. जी. से जांच कराने का आश्वासन दिया है। यह बात जरूर उस स्टेटमेन्ट में आई। मान्यवर, 18 तारीख को यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से, मुख्य मंत्री उस दिन नहीं थे, पांइट आफ आर्डर द्वारा इस प्रश्न को रि-ओपन किया गया, इसी नीयत से कि लोक सभा के अन्दर जिन माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था, उन्होंने खेद व्यक्त किया "I was not cautious in raising this question in the House... इस तरह से कहा "I will be more cautious in future., तो यहां भी यह मंशा थी सत्ता पक्ष की हम यहां पर सदन में कटघरे में खड़े होकर माफी मांगने की बात कहें। काफी मत मतान्तर हुए इस विषय में, मुख्य मंत्री नहीं थे परन्तु उस दिन गृह मंत्री खड़े हुए और गृह मंत्री ने खड़े होकर यह कहा, यह बिलकुल शत प्रतिशत झूठ है। शतप्रतिशत झूठ है, और कुछ नही है। तब मैंने प्रश्न किया मान्यवर, आप मौजूद थे आपकी सदारत में बात चल रही थी, जब सारा प्रश्न झूठा है, शत प्रतिशत झूठ है, तो कल जो स्टेटमेन्ट दिया, गृह मंत्री ने स्टेटमेन्ट दिया, उसके बाद जब मुख्य मंत्री ने हमारी बात में वजन पाया तो उन्होंने एडीशनल आई. जी. से जांच कराने का आश्वासन दिया था। परन्तु हमारे गृह मंत्री ने इसका खंडन किया और कहा, यह शत प्रतिशत झूठ है। आपका मकसद क्या है? एडीशनल आई. जी. से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? राजस्थान के होम मिनिस्टर ने विधान सभा में दूसरे दिन यह कहा कि यह शत प्रतिशत झूठ है, कुछ नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

हम इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, पुलिस से इस घटना की कोई जांच हो सकेगी, इस पर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए इस सारी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह जांच हाई कोर्ट के जज से नीचे की हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे।

दूसरे, माननीय सदस्यों की यह मांग भी थी कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जाए जो इस सारी घटना की जांच करे। आपकी तरफ से, मान्यवर हमें यह कहा गया था कि जब तक मुख्य मंत्री न आवें तब तक सदन में इस प्रश्न को न उठाया जाए। परन्तु आज यह प्रश्न यहां पर आ गया है। अखबारों में यह आया है। गवर्नमेंट की ओर से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच चल रही है राजस्थान के होम मिनिस्टर ने मुख्य मंत्री के बाद सदन में यह कहा था, यह शत प्रतिशत झूठ है इसमें कोई दम नहीं है। तब पुलिस द्वारा इस जांच का कोई औचित्य नहीं रहता है। इस

(श्री रामनारायण चौधरी)

जांच की कोई सेंक्टिटी नहीं रहती। सदन में यह बात होने के बाद हाथों हाथ आई. जी. एडीशनल को फोन किया गया कि तुरन्त इसकी जांच की जाय। इस बातचीत के दस मिनट के अन्दर अन्दर हमारे पास नोटिस आ गये एडीशनल आई. जी. की ओर से कि मेरे दफ्तर में दूसरे दिन 11 बजे मिलें। हम एडीशनल आई. जी. के पास जाएं, यह नोटिस उनकी तरफ से हमारे पास दस मिनट में आ गया। हमारी मांग को नलीफाय करने के लिए एडीशनल आई. जी. को फोन किया गया। आपको जांच करवानी है तो प्रार्थना यह है, मान्यवर हम अपनी बात यहां पर रखते हैं परन्तु मामला इतना आगे बढ़ गया है, पार्लियामेन्ट में भी यह मामला उठ गया है, सत्ता पक्ष की ओर से हमारे होम मिनिस्टर ने यहां पर जो दोहरा दिया है उसको देखते हुए पुलिस द्वारा यह जांच, आई. जी. द्वारा जो जांच की जा रही है, उसकी कोई सेंक्टिटी नहीं है। इसलिए हमारा प्रस्ताव यह था कि इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाए, वह भी हाई कोर्ट जज द्वारा वरना तथ्य सामने नहीं आएंगे। यह जाँच निष्पक्ष तरह से होनी चाहिए। मेरे पास भी यह तार आया है परन्तु मैंने यह प्रश्न इसलिए नहीं उठाया कि आपसे बात हो गई थी, आपको वर्ड दिये थे। यह तार मेरे पास भी आया है, पुलिस डरा धमका रही है। इससे यह जाहिर होता है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह घटना हुई है या नहीं हुई है लेकिन होम-मिनिस्टर के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि मुझ जैसे को इन्क्वायरी दे दें। मैं यह बता दूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है मैं कहता हूं, सही बात निकाल दूंगा। नहीं तो होम मिनिस्टर भी नाराज नहीं हों, जांच थर्ड क्लास होगी। आप मुझे जांच दे दीजिये मैं दो रोज में रिपोर्ट दे दूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी काण्ड की जो घटना हुई है ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री नूरा : मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष । स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इन्क्वायरी के मामले में कहना है।

श्री अध्यक्ष स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार इन्क्वायरी करने की बात कही जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री नूरा : मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! I will allow no more discussion.

श्री नूरा : इतने में तो मैं बात पूरी कर लेता।

श्री अध्यक्ष . माननीय सदस्य। इस पर विरोधी दल के माननीय नेता बोल चुके हैं। अब आप क्या बोलेंगे ?

श्री नूरा : एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ले लें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में खेतड़ी की घटना के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। मैंने आपको घाटोली गांव का बताया। अलवर की घटना बताई। फिर ऐसी एक एक करके और घटनाएं निवेदन करूंगा। गृह मन्त्री विभाग के किसी अधिकारी, चाहे वह कहीं का है, से खेतड़ी कांड की इन्क्वायरी नहीं करायी जानी चाहिए। गृह मन्त्री जैसा कहेंगे, वैसा होगा। वह इन्क्वायरी नहीं हो सकती है। इन्क्वायरी में न्याय चाहते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह दुबारा बात उठायेंगे। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि वह इस मामले में गृह मन्त्री की बात को स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता माननीय परसरामजी, और माननीय सदस्य रामनारायण जी ने इस प्रश्न को, खेतड़ी काण्ड के कुछ तथ्यों को उठाया है। मैं समझता हूं कि दोनों माननीय सदस्य पुराने हैं और सदन की प्रक्रिया से भली प्रकार परिचित हैं। सरकारी पक्ष के मन्त्री जो उत्तर देते हैं तो यह निर्विवाद बात है कि वह स्वयं की जानकारी पर उत्तर नहीं देते हैं। उनको प्रशासनिक आधार पर जो जानकारी मिलती है, वह प्रस्तुत करते हैं। आपको स्मरण होगा, जिस समय गृह मन्त्री जी ने उत्तर दिया था, उस समय उन्होंने यह कहा था कि प्राप्त सूचना और जानकारी के आधार पर यह उत्तर दे रहा हूं। वैसी स्थिति में यह मानकर चलें कि इसके बाद में कोई बदल नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इस बारे में निराकरण आवश्यक है। माननीय परसराम जी और रामनारायण जी अच्छी तरह से समझते हैं कि प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्तर दिया जाता है। स्वयं की जानकारी के आधार पर उत्तर नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा जांच का प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकारी हों या और कोई अधिकारी हों, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह जांच करते हैं। उनके सामने यह प्रश्न नहीं रहता है कि मुख्य मन्त्री या गृह मन्त्री ने क्या उत्तर दिया है ? मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, उन पर सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। वह निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो आवश्यक होगा, वह कार्यवाही होगी। इसलिए यह मान कर चलें कि गृह मन्त्री ने कुछ कह दिया या मुख्य मन्त्री ने कुछ कह दिया, वह उसका समर्थन करेगा, यह प्रश्न नहीं है। माननीय परसरामजी ने कल कहा और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बात करने की आवश्यकता थी। यह सही है कि समयाभाव से वह सम्भव नहीं हो सका। जैसा कि रामनारायण जी चाहते हैं, मेरे पास कुछ और जानकारी आयी है। वह जानकारी

Page No. 58

(58)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी मैं उन्हें देना चाहता था। सारी बातों का क्रास चैकिंग हो जाये, उसके आधार पर जो रिपोर्ट आये, उसके अनुसार जो कार्यवाही आवश्यक हो, वह की जायेगी। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि खेतड़ी काण्ड के सम्बन्ध में पूरी छानबीन की जाएगी। जो दोषी हैं, उन्हें निश्चित रूप से दण्ड दिया जाएगा। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं असामाजिक तत्व किसी पार्टी के नहीं होते हैं न वह आपकी पार्टी के हैं न वह हमारी पार्टी के हैं। न वह हमारे परिवार के हैं। वह किसी के मित्र नहीं होते हैं। उनकी मित्रता मिस्चीफ से होती है। आप जिस प्रकार से जानते हैं, उसी प्रकार से हम जानते हैं। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा।

जहां तक खेतड़ी काण्ड का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान के बड़े बड़े पत्रों के सम्पादक और कोरस्पोण्डेण्ट है, वह वहां गये हैं। आये दिन अखबारों में समाचार आ रहे हैं। एडीशनल आई० जी० जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई तो आपके सामने तथ्य रखूंगा। उनको रखने के बाद क्रास चैकिंग करने के बाद जो कार्यवाही होगी वह की जायगी।

यह जो घटना हुई है, मैं कहना चाहूंगा, हमने तो बलात्कार किया नहीं है। न हमने किसी महिला की इज्जत लूटी है, न जेवर लूटे हैं, न कपड़े फाड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आप किसके लिए कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इलजाम नहीं लगा रहा हूं। मेरा कहना है कि मैं क्यों प्रोटेक्शन दूं? They must suffer and they will have to suffer. इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं मुख्य मन्त्री हूं, मन्त्रिमण्डल में जो बैठे हैं वह इसलिए नहीं बैठे हैं सरकार में कि कहीं कोई काम हो तो उसको प्रोटेक्शन देने की हमारी ड्यूटी है। मैं अपने मन्त्रिमण्डल के साथियों के साथ कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जहां कहीं गलती हो, उसे प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट हैं, वह सामने लाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस घटना के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे पास और फैक्ट्स आये हैं, उन पर बैठकर हम बात कर लें। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि इस प्रसग पर हम जितनी चर्चा करेंगे, उस क्षेत्र में उतना ही रोष पैदा होगा।

माननीय सदस्या ने टेलीग्राम की बात की। कई और व्यक्तियों के पास भी आये हैं। उनसे परिणाम क्या निकलेगा? मैं परसराम जी से बात कर लूंगा। रामनारायण जी से बात कर लूंगा। एक सज्जन मुझे मिले उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि अखबारों में यह चर्चा एकदम बन्द कर दें। नहीं तो खेतड़ी की लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। इसलिए अखबारों में तो इस प्रकार के समाचार बन्द करवा दें! मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं झुन्झनूं जिले का रहने वाला नहीं, मैं सीकर जिले का रहने वाला हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : शेखावाटी तो एक है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : शेखावाटी तो एक है लेकिन वहां ऐसा कोई नामर्द पैदा नहीं हुआ कि उसके सामने उसकी महिला के साथ बलात्कार हो । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि खेतड़ी में इस प्रकार के नामर्द मिल गये । ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप सारी स्थिति को समझें ।

माननीय परसरामजी और माननीय जयकृष्णजी ने कहा कि इधर थे तब शेर की तरह दहाड़ते थे और ग्रब गीदड़....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने गीदड़ नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रापने नहीं कहा, लेकिन शेर कहा । मैं पहले शेर था यह कहा । पहले सामने भी शेर बैठते थे उनके सामने दहाड़ना पड़ता था । ग्रब ग्रगर सामने शेर होवें तो पंजा दिखावें । जब मैं उधर बैठता था तो इधर भी बैठे शेरों से मुकाबला होता था । लेकिन ग्रब किसके सामने दहाड़ूं । दहाड़ना तो तब चाहिए जब सामने भी शेर हो । हां ग्रगर मैं दहाड़-दहाड़ कर एक्शन लेना शुरू करूं तब तो ग्राप कह सकते हैं ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रखिल भारतीय ग्रनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी परिषद् की राज्य शाखा द्वारा ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रस्ताव मैंने ग्रस्वीकार कर दिया है, इस पर चर्चा हो ली । ग्रब इस पर चर्चा नहीं होगी । सदन का समय ख्वामाख्वाह नष्ट न करें । स्थान ग्रहण करें ।

श्री समरथलाल : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राठ दिन से भूख हड़ताल पर हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : दो मिनट बोल लें ।

श्री समरथलाल : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में ग्राया है कि इन लोगों ने 31 सूत्री मांगें दी हैं । उनकी राज्य सरकार से बातचीत भी चल रही है । राज्य सरकार कुछ मांगों के बारे में एग्री हो गई है लेकिन डाक्टर ग्रम्बेडकर के जन्म दिवस पर छुट्टी के बारे में एग्री नहीं हो रही है । ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने 20 सार्वजनिक ग्रवकाश और 13 ऐच्छिक ग्रवकाश घोषित किए हैं । मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने ये जो ग्रवकाश घोषित किए हैं इनके ग्रलावा भी दूसरे प्रकार के ग्रवकाश घोषित किए हैं । डॉक्टर ग्रम्बेडकर दलित वर्गों के संरक्षक थे । मैं ऐसा मानता हूं कि हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी के बाद दलित वर्गों के वही संरक्षक रहे, दलित वर्गों को उन्होंने पैरों पर खड़े होने का ग्रवसर दिया । इसलिये उनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार को ग्रवकाश घोषित करना चाहिये । भारत के दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार का ग्रवकाश है ।

(समय-समाप्ति सूचक-घन्टी)

इसलिये मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी । विधान सभा के सदस्यों के अन्दर 50 पर्सेन्ट सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं । राजस्थान की ढाई-तीन करोड़ की जनसंख्या है उसके ग्रन्दर 33-34 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं । इसलिए

(श्री समरथलाल)

मैं समझता हूं कि यदि राज्य सरकार यह निर्णय लेती है तो यह उनकी भावना के अनुरूप होगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, एक छुट्टी की मांग है, मैं समझता हूं मुख्य मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : डॉक्टर अम्बेडकर राजस्थान के ही तो नेता नहीं थे, सारे हिन्दुस्तान के नेता थे। पहले आप केरल में अपनी सरकार से कह कर छुट्टी करवाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

दूदू तहसील में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आवटित भूमि पर सर्वेक्षण द्वारा कब्जा

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूदू के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो किसान हैं उनका बेदखली के बारे में माननीय रामनारायण ने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसके बारे में जानकारी पेश करने के लिए मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मन्त्री महोदय, आपको यह जानकारी दे दूं कि यह मामला सबजुडिस है और हाई कोर्ट में पैन्डिंग है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मेरा स्टेटमेंट है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उसमें कुछ इन्फार्मेशन हैं, और तथ्य दिये गये हैं। मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में इनको स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने का मन्त्री महोदय को अधिकार है। स्टेटमेंट मे फैक्ट्स ही बयान किये गये हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा गया है। इसके अलावा कुछ कहते हैं तो आपत्ति उठाने का अधिकार है।

श्री भंवरलाल ऐरन : क्या स्टेटमेन्ट देने से फैक्ट्स पर असर नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय को अधिकार है बोल्डली नरेशन ऑफ फैक्ट्स का। इससे सबजुडिस मैटर पर कोई असर नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : खानदानी मन्त्री हैं ये।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत ग्राम दूदू के भूमि धारक श्री कुलदीपसिंह से सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण उप-जिला अधिकारी सांभर द्वारा दिनांक 25-9-75 को 135 ½ एकड़ अर्थात 216 बीघा 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये। इसी प्रकार श्री शंकरसिंह पुत्र भवानीसिंह से 2½ बीघा 6 बिस्वा दिनांक 12-11-75 को श्री रामसिंह पुत्र भवानीसिंह से 44 बीघा 8 बिस्वा दिनांक 12-11-75 को एवं मु० सज्जनकंवर बेवा भा० प्रतापसिंह से 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि दिनांक 27-10-75 को उक्त

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा दिये गये। इस प्रकार ग्राम दूदू में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम अधिरोपण अधिनियम के तहत कुल 296 बीघा 18 बिस्वा भूमि अभिग्रहण करने के आदेश दिये गये

2. अवाप्त की गई भूमि का आवंटन :- उपरोक्त अवाप्त की गई भूमि के भूमिधारियों में से श्री कुलदीपसिंह पुत्र भानुप्रतापसिंह को छोड़कर किसी ने कोई अपील उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर नहीं की। श्री कुलदीपसिंह ने अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और 21-11-75 तक के लिए स्थगन आदेश प्राप्त हुए। श्री कुलदीपसिंह के मामले में दिनांक 7-2-76 को उसके विरुद्ध अपील का निर्णय हो गया। दिनांक 24-12-75 को तहसील द्वारा उपरोक्त 296 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कब्जा सम्भाल लिया था उसका दिनांक 8-2-76 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के भूमिहीन काश्तकारों को उप-जिला अधिकारी सांभर द्वारा कुल 296 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया! आवंटियों की वल्दियत, भूमि खसरा नम्बर. व रकबा कब्जा, नामांतकरण आदि का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

इसके साथ आदेश होंगे तो मैं नाम भी बताऊंगा।

3. नामान्तरकरण : यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि उक्त भूमि के आवटन के तुरन्त पश्चात श्री कुलदीपसिंह ने राजस्व मण्डल में अतिरिक्त जिलाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की और राजस्व मंडल ने दिनांक 18-6-76 को स्थगन आदेश जारी कर दिये जो तहसील में 30-6-76 को प्राप्त हुए। जिसके परिणामस्वरूप इस भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड आदि में आगे ...

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो फैक्ट्स पढ़े जा रहे हैं, अण्डर डिस्प्यूट हैं और हाई कोर्ट के सामने हैं। यह स्टेटमेंट केस की मेरिट को प्रभावित करता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप उसमें वकील हैं क्या ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस क्वेश्चन को यहां नहीं उठाना चाहिए—

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये फैक्ट्स हैं, अभी तक तो हाई कोर्ट का मामला नहीं आया। आप मन्त्री महोदय को इन्टरफियर कर रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : गवर्नमेंट खुद पार्टी है इसलिये फैक्ट्स भी नहीं दे सकती।

श्री मदनसिंह दांता : कानसिंह रिपोर्ट के लिए मुख्य मन्त्री ने जानकारी दी।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स की सीमा का उल्लंघन होगा तो मैं उसका ध्यान रखकर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : निश्चित तौर पर एक पक्ष का कहना है हाई कोर्ट के सामने कि

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

कब्जा नहीं लिया गया है। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि कब्जा लिया गया है। तो निश्चित तौर पर केस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसे विवादास्पद प्रश्नों पर गवर्नमेंट का उत्तर नहीं आना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : इससे क्या होगा ? अगर राजस्व मन्त्री बोलेंगे तो क्या होगा ? उन हरिजनों को कोई मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय शीघ्र समाप्त करें, जो कुछ कहना हो कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी : स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स सदन में 1952 से लेकर आज तक बराबर दिया जाता रहा है। उस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी लेकिन स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : He is raising objection।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : हाई कोर्ट में रिट चल रही है, यह बात सही है ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी प्राइवेट इन्फार्मेशन है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मामला सब-जुडिस हो, फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हों तो सरकार बयान नहीं दे सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय केदारनाथ, जो स्वयं मन्त्री थे, ने बयान दिया कि उसको अलाउ किया गया। हमने आपत्ति की, हमारे नेता ने आपत्ति की कि मामला सब-जुडिस है सुना ही नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं माना तो क्या आज मानेंगे ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राजस्थान हाई कोर्ट अपना निर्णय मेरिट्स पर देगी। सरकार के बयान पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को अपना वक्तव्य देने दीजिए।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : श्री कुलदीप सिंह ने इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही कर रखी है। उसी सिलसिले में एक स्थगन आदेश दिनांक 9-9-77 को उप जिलाधिकारी सांभर के यहां प्रस्तुत किया जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है। इसलिए यह मामला रोक दिया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा···

श्री अध्यक्ष : बेहतर तो यह होगा कि इस पर डिस्कशन नहीं हो।

श्री रामनारायण चौधरी : डिस्कशन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर आपत्ति भी उठी है, आपको तथ्यों की जानकारी करनी है तो एक आध मिनट कह दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : 8-2-76 को इस जमीन का अलाटमेंट हुआ, उनको कब्जा दे दिया गया, उनको ऋण भी दे दिया गया, अनुदान दे दिया गया। 8-2-76

(श्री रामनारायण चौधरी)

के बाद जुलाई में इस जमीन की काश्त हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट ने आर्डर तो नहीं दिया, रेवेन्यू बोर्ड ने आर्डर नहीं दिया ..

श्री अध्यक्ष : यह सब चर्चित विषय है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : It should not be discussed.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें वरना मैं आदेश दूंगा कि जो कुछ भी आप कहेंगे वह अंकित न हो।

(व्यवधान)

Do not complicate the issue, please. माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकरलाल : हाई कोर्ट से स्टे कब आया ? तारीखें बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी : 8-2-76 को कब्जा मिल गया····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, अविलम्बनीय लोक महत्व···

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि श्री कुलदीपसिंह की भूमि के अलावा इस भूमि के कितने आवटी हैं ? जिन्होंने अपील नहीं की उनमें कितने हरिजन शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष : इनके पास जानकारी नहीं हो सकती।

कई माननीय सदस्य : वह दे रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : इनके पास जानकारी होना आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जमीन कितनी डिस्प्यूटेड है, यह मामला है। 296 बीघा जमीन आपने निकाल कर अलाट करना बताया, उसमें डिस्प्यूटेड कितनी है और अनडिस्प्यूटेड कितनी है ?

श्री रामनारायण चौधरी : डिस्प्यूटेड बिल्कुल नहीं है। हाई कोर्ट से स्टे आर्डर नहीं है। 8-2-76 को कब्जा दे दिया गया, जमीन प्राप्त हो गई उसके बाद जबर्दस्ती लाठियों के जोर पर एक भूतपूर्व जागीरदार ने उस पर कब्जा कर लिया, सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है।

श्री दुलाराम : शिड्यूल्ड कास्ट्स के पास कब्जा था, रिकार्ड में दर्ज है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता।

श्री दुलाराम : आप हरिजनों को बेदखल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हों।

× × × ×

आप जो कुछ कह रहे हैं अंकित नहीं हो रहा है।

× × × ×

(व्यवधान)

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी कि कोई भी मामला किसी भी अदालत के सामने जब पैंडिग है तो फैक्ट्स के सम्बन्ध में सरकार इस सदन में वक्तव्य दे सकती है और हमेशा देती रही है क्योंकि उससे केस के मेरिट्स कभी प्रिजुडिस नहीं होते । इन्होंने फैक्चुएल बात कही क्योंकि जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे...

श्री बजरंगलाल शर्मा : अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हों तो ।

श्री परसराम मदेरणा : शर्माजी कह रहे थे कि फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं । मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक तो आप बतायें यह जो हाई कोर्ट का स्टे है वह स्टेटस को एन्टे है या उन्होंने रिजम्पशन आडर एस० डी० ओ० का है उसको स्टे किया है । जैसा कि आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि तहसीलदार ने भूमि का कब्जा ले लिया था, तो अगर स्टेटस को एन्टी है तो निश्चित तौर से हाई कोर्ट का स्टे नहीं माना जाएगा ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : हाई कोर्ट से स्थगन आदेश मिला 9-9-77 को । उस तारीख को आदेश जारी किया गया है उसकी शब्दावली इस प्रकार है:-

"यदि भूमि याचिकाकर्त्ता के कब्जे काश्त में हो तो उसे भूमि से बेदखल न किया जावे और 100) प्रति बीघा के हिसाब से जमानत लेकर भूमि याचिकाकर्त्ता के कब्जे में ही रहने दी जावे । उप-जिलाधिकारी, सांभर द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की मंशा की पालना में याचिकाकर्त्ता से जमानत लेकर तहसीलदार, दूदू को आदेश दिया गया कि वे उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना करें । जिन 56 आवंटियों को भूमि आवंटित की गई थी उनमें से कुल 21 आवंटी, जिनकी सूची संलग्न है, आवंटित शुदा भूमि कुल 115 बीघा 16 बिस्वा पर शान्तिपूर्वक काबिज थे इसलिये 115 बीघा 16 बिस्वा रकबे पर आवंटियान का कब्जा बदस्तूर रहा । किन्तु श्री कुलदीपसिंह से अधिग्रहित भूमि पर यद्यपि कानूनन कब्जा आवंटियों का करवा दिया गया था परन्तु बाढ़ का पानी सूखने व राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश तथा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण बाकी का डिस्प्यूटेड रहा ।

बस यही है ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब क्या निकला, मान्यवर, मेरा तो निवेदन है कि 8-2-76 को जिनकी सरकार की तरफ से अलाटमेन्ट हो चुका था उनका कब्जा था ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब स्टेटमेन्ट हो चुका है । माननीय सदस्य बेकार सदन का वक्त जाया कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । कृपया शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष अंकित नहीं हो ।

× × ×

××× अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(2.00 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष,पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, वर्माजी आप विराजिये, रामनारायणजी आप विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। दूदू में हरिजनों की जमीन पर भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा नाजायज कब्जा लेने और उनको वहां से वेदखल करने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है उसके पहले ही उन लोगों का कब्जा उस जमीन पर था और वह लोग वहां पर काश्त कर रहे थे। राज्य सरकार को चाहिये था कि हरिजनों को प्रोटेक्शन देती पर आज स्थिति ऐसी है, इस सरकार में भूतपूर्व जागीरदार लोग हरिजनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उन भूतपूर्व जागीरदारों को इस जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, रामनारायणजी।

(व्यवधान)

आप विराजिये . माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, वर्माजी। आप स्थान ग्रहण करें, दुलारामजी।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, 126 हरिजनों को उनकी भूमि से वेदखल कर दिया गया है। भूतपूर्व जागीरदारों ने उनकी जमीन छीन ली है। हम तो यह चाहते हैं कि राज्य सरकार यह बताये कि उस जमीन पर कब्जा किसका था? पजेशन किसका है?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो यह चाहते हैं कि कब्जा हरिजनों का था कि नहीं, यह बतावें। पिटीशनर का कब्जा था क्या?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सकेगी, इसमें तो संशय हो रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय. हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका मसला सदन के अन्दर उठाया गया है। बजरंगलालजी शर्मा इसका विरोध कर रहे हैं। जब उन हरिजनों को राज्य सरकार द्वारा अलाटमेन्ट जमीन का हो चुका था, वह लोग जमीन का कब्जा ले चुके थे और काश्त कर रहे थे उसके बाद में भूतपूर्व जागीरदारों ने उन्हें वेदखल किया है। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये और वह जमीन वापस उन हरिजनों को दिलायी जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं और राजस्व मन्त्रीजी भी बैठे हैं। हम तो सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि जिस वक्त कोर्ट से स्टे आया उस वक्त उस जमीन

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पर कब्जा किसका था ? Status-quo should be maintained. यह चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस सारे डिस्कशन को सुना है। उसके बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन हरिजनों को उस जमीन का कब्जा दिया गया था और उनके पास कब्जा था। उसके बाद में किस प्रोसेस ऑफ लॉ से उनका कब्जा हटाया गया ? अगर बिना प्रोसेस आफ लॉ के कब्जा हटाया गया तो क्यों ? क्या सरकार उसको रेस्टोर करेगी जिससे कि हरिजनों को उस जमीन का पजेशन मिल जाय ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की पूरी जांच कराई जायेगी। इसमे जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी वह की जायेगी। यह भी जांच करायी जायेगी कि उनको कब्जा दिया गया था या नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी कब्जा किसका है ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्रीजी ने जवाब दिया उसमें यह कहा कि सज्जन कौर और श्री रामसिंह की जमीन जो थी उसके बारे में कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तो सिर्फ कुलदीपसिंह की जमीन का है जिस पर हरिजन का कब्जा नहीं था

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर हरिजनों का कब्जा था तो उन्हें क्यों बेदखल किया गया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : और अगर हरिजनों का उस जमीन पर कब्जा नहीं था, और हाई कोर्ट से स्टे आ गया था तो फिर डिस्प्यूट किस लैण्ड का है ? फिर तो टंटा ही नहीं रहता।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलाटमेन्ट एक दूसरी चीज है और पजेशन एक दूसरी चीज है। 9-9 77 के पहले हाई कोर्ट के स्टे आने के पहले अगर हरिजनों का उस 115 बीघा 16 बिस्वा जमीन पर कब्जा नहीं था और कुलदीपसिंह का पजेशन था चाहे थोड़े पोर्शन पर था, पहले पजेशन हरिजनों को दिया जा चुका था तो वह रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज होगा। आप रेवेन्यू रिकार्ड देख कर कार्यवाही कर सकते है अगर पजेशन नहीं था और कुलदीप सिंह ने एस०डी०ओ० कोर्ट में केस दायर किया, उसके बाद में तहसीलदार को आदेश दिया, 100 रुपया बीघा के हिसाब से जमानत लेकर भूमि काश्तकार के कब्जे में रहने दी जाय अगर पजेशन नहीं था और सिर्फ अलाटमेन्ट ही उस जमीन का हुआ तो उसको पजेशन देने में ढिलाई बरती गयी है और फिर यह सारा मामला हुआ है। यह आप रेवेन्यू रिकार्ड देख कर पता लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बाद में हुई तो रेवेन्यू अधिकारियों और भू-पति दोनों की कोलीजन का मामला है

श्री उपाध्यक्ष : जो भी चर्चा की जाय वह मन्त्री महोदय का रिप्लाई आने के बाद हो।

श्री अचलाराम (देसूरी): दूजाना भोड़ में आपने कितने अलाटमेण्ट ऐसे करवाये हैं हरिजनों को ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा: एक भी अलाटमेन्ट इस प्रकार का नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि बीच-बीच में जो इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं हों वे मसले नहीं उठावें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अलाटमेन्ट हुए हैं तो सरकारी कागजों में अलाटमेन्ट हुए हैं। अलाटमेन्ट के साथ-साथ में उनको कब्जा दिलवाया हो तो बतायें। उनको कब्जा करने का मौका नहीं दिया गया। वह कागजों पर ही है।

श्री परसराम मदेरणा : ओन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। दूजाना भोड़ के सम्बन्ध में जो भी पत्रावली है वह राजस्व विभाग में है दूजाना के भोड़ में किस तरह से खुर्द बुर्द किया गया है जमीन का, 6-7 साल पहले उसका वेचान किया गया है और जमीन जो है मालिक के अधिकार में ही रही। इस मामले की जांच के लिये मैंने रेवेन्यू बोर्ड को लिखा था, डिप्टी रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड को लिखा था। उसकी जांच होने के बाद तीन तीन कलेक्टर्स और आई० जी०पी० को भेज कर उस जमीन का आवंटन शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को मैंने करवाया था।

श्री अचलाराम : बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : शान्ति के साथ सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि और ज्यादा चर्चा इस विषय पर नहीं उठावें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं राजस्व मन्त्रीजी से यह चाहता हूं कि दूजाना के सबंध में जो मामला उठाया है और माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये। आपको इस तरह बीच में बोलने का कोई हक नहीं है।

दूजाना के सम्बन्ध में यह इम्पोर्टेन्ट है, अध्यक्ष महोदय, कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिये, जब मैं राजस्व मंत्री था, कुछ सिफारिशें मैंने की थीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्व मन्त्रीजी सदन में आप जानकारी दें कि इस मामले के अन्दर क्या जांच हुई है कितनी जमीन अलाट हो गई है, और कितनी जमीन अलाट नहीं हुई है?

जहां तक कोसेलाव का मामला है मैंने एक इंच भी जमीन किसी ऐसे आदमी को आवंटित नहीं की है और न करवाई है। सदन में जितने भी आरोप लगाये हैं उनको मैं रिफ्यूट तो नहीं करता हूं लेकिन आपने किसी शख्स के बारे में एतराज किया है तो अगर आपके पास में तथ्य हों, वह सदन के सामने लायें और सामने लाने के बाद किसी हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी को दे दें या आपका

(श्री परसराम मदेरणा)

जो कमीशन बैठा हुआ है जमीनों के अलाटमेंट के बारे में उसको दे दें। कभी भी एक इंच जमीन भी मैंने किसी एक व्यक्ति को कहीं पर अलाट करी हो या करवायी हो और अपने पद का दुरुपयोग किया हो तो निश्चित रूप से मैं गुनहगार हूं। लेकिन निराधार बोल दें सदन में यह आपके लिए अशोभनीय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, दूदू के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया और साथ ही कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कई प्रकार की जानकारी दी और चाही है। हमारे सामने समस्या यह है कि यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो किस सीमा तक यह ठीक होगा कि सरकार इस सारे मामले के सम्बन्ध में यहां पर जानकारी दें····

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्टेटस को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य और जानकारी देना चाहें या जानकारी लेना चाहें, अगर माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो तो राजस्व मंत्रीजी से बात करें या राजस्व मंत्रीजी स्वयं उनसे बात कर लें और जो जानकारी देना चाहें दे दें। हरिजनों के लिए जितना सरकार कर सकती है सरकार निश्चित रूप से आज भी करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कायदे से करें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय पहले जो कब्जा दे दिया है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी इस चर्चा में आमंत्रित हैं। राजस्व मंत्रीजी से आप मिल सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वह इतना आसान मामला नहीं है। यह बहुत सीरियस प्रश्न है। गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है। आप बहुत आसानी से बोल रहे हैं, यह सारा मामला गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं स्वयं इसकी गम्भीरता को महसूस करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष, वह लोग गरीब हैं जमीन पर कब्जा हरिजनों को देकर वापस कैसे ले लिया ? 1976 के अन्दर वह काश्त करते थे। उसके बाद में उन अलाटीज को डरा धमका कर बिना काम्पीटेन्ट आथोरिटी के आर्डिनेन्स का डिफायेन्स कर दिया है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य द्वारा सदन में ऐसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिये जिसमें उनका व्यक्तिगत लाभ निहित हो ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के इस अंश की तरफ आकर्षित करता हूं। इसमें यह बताया गया है—

"That it is contrary to the usage and derogatory to the dignity of the House that any of its members should bring forward, promote or advocate in this House any proceeding or measure in

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

which he may have acted or been concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

मेरा निवेदन है कि स्पीकर साहब ने इसी कारण यह कहा था कि और चर्चा नहीं होगी। उसके बाद भी और जगहों के पाइंट के ऊपर पाइंट उठाये जा रहे हैं और उन पर सारी चर्चा चल रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो डिसीजन स्पीकर साहब ने लिया है उसको लागू करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का जो आर्डर है वह स्टेटस को मेन्टेन करने का है या पुराने जो पजेशन हैं उनके ऊपर से दूसरी पार्टी को निकाल कर उनका पजेशन कराने का प्रश्न है। इस प्रश्न पर जैसा कि मैंने निवेदन किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि अगर हरिजनों का कब्जा पहले का है तो उसकी रक्षा की जायगी, और हाई कोर्ट का आर्डर इस तरह का है कि स्टेटस को मेन्टेन किया जाय तो स्टेटस को मेन्टेन करने के पहले जो पार्टी पजेशन में चली आ रही है उसको डिस्पजेस करने का नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को उसके बारे में आश्वस्त होना चाहिए।

राजस्व मंत्रीजी के पास सारी जानकारी है तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, राजस्व मंत्रीजी इस मामले में, जैसा कि आश्वासन मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, हाई कोर्ट का आर्डर है तो जैसी भी व्यवस्था चाहेंगे वह कर देंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बजरंगलाल....

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर। यह केस डिस्प्यूटेड है तो इस केस के अन्दर श्री बजरंगलाल शर्मा कहीं कौंसलर तो नहीं हैं ? अगर वह कौंसलर हैं तो इस सदन में उनको इस मामले में पाइंट ऑफ आर्डर रेज करने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहे कौंसलर हों या नहीं उनको पाइंट आफ आर्डर रेज करने का अधिकार है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स आफ प्रोसीजर में यह बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी मुकदमे में स्वयं वकील हों तो निश्चित रूप से वह इस विधान सभा की बहस में हिस्सा नहीं ले सकते। रूल्स में इसका स्पष्ट प्रावधान है। मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि जो रूल्स में प्रावधान है उसके बावजूद आपने अपनी ओर से रूलिंग दी है तो क्या किसी रूल को बदलने का यत्न कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहस में भाग लेना अलग बात है और पाइंट आफ रेज करना अलग बात है। मैंने यही निवेदन किया है कि पाइंट आफ आर्डर रेज कर सकते हैं। बहस में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष)

पूर्व निश्चित कार्य सूची में जो कार्यक्रम है उसको लिया जाय ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि इस मामले में मुख्य मन्त्रीजी ने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात करने को कहा है तो वह कब मिलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कतई मिलेंगे आज ही ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

थीन बन्ध बिजली परियोजना के निर्माण में राजस्थान के हितों पर किया जाने वाला कुठाराघात

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 129 के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार व श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा पंजाब सरकार द्वारा थीन बान्ध बिजली परियोजना के निर्माण में राजस्थान के हितों पर किये जाने वाले कुठाराघात से उत्पन्न स्थिति पर थोड़े समय के लिए चर्चा उठायेंगे ।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त मेजर श्री फतेहसिंह, श्री बजरंग लाल शर्मा भी उसका समर्थन करेंगे ।

श्री सुरेशकुमार !

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष थीन बान्ध के संबन्ध में जो चर्चा मैं आज सदन के समक्ष रख रहा हूं वह राजस्थान की प्रगति और राजस्थान के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है, श्रीमान् इसमें ऐसे सिद्धान्तों का समावेश है कि यदि उनका उल्लंघन किया गया तो अपने देश के विभिन्न राज्यों में अशान्ति फैलेगी कटुता फैलेगी इसलिए मैं इसको यहां पर विचार के लिए रख रहा हूं । सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे और सरकार ठोस कदम उठा-कर इस मसले को निपटाने के लिए प्रयास करे ।

श्रीमान्, थीन बान्ध रावी नदी पर बनाया जा रहा है । पंजाब सरकार का उस पर एक पन बिजली परियोजना बनाने का प्रस्ताव है । उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 70-70 मेगावाट की 6 इकाइयां इस परियोजना में लगाई जायगी इनकी कुल क्षमता 420 मेगावाट होगी । पौंग बान्ध पर पंजाब सरकार एकत्रित पानी से 207 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना बना रही है ।

श्रीमान्, जब देश का बटवारा हुआ था तब मुख्य झगड़ा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में था वह पंजाब की पांचों नदियों के पानी का बंटवारे का था बाद में श्रीमान्, वर्ल्ड बैंक के प्रयास से यह मसला तय हुआ और तीन नदियां के पानी पर, रावी, व्यास और सतलज के पानी पर इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत का पूर्ण स्वामित्व हो गया ।

श्रीमान्, यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त है जिसको राइपेरियन सिद्धान्त कहते हैं, उस सिद्धान्त के अनुसार जिन-जिन नदियों का पानी जिन जिन प्रदेशों में गुजरता है, जो-जो प्रदेश उससे लाभान्वित हो

(श्री सुरेशकुमार)

हैं उन सभी प्रदेशों का उन नदियों के पानी पर अधिकार होता है। केवल पानी पर ही उनका अधिकार नहीं होता है बल्कि उससे उत्पादित मत्स्य सपदा और जो बिजली उस पानी से उत्पादित होती है उस पर उन क्षेत्रों का अनुपात से अधिकार होता है। इसके अनुसार, श्रीमन्, जब 29 जनवरी, 1955 में चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सिंचायी मंत्रियों का सम्मेलन केन्द्रीय सिचाई मंत्री की अध्यक्षता में हुआ तो, श्रीमान् राजस्थान को 80 लाख एकड़ फीट पानी मिला, पंजाब को 59.00 लाख एकड फीट पानी मिला पेप्सू को 13.00 लाख एकड़ फीट पानी मिला और काश्मीर को 6.50 लाख एकड़ फीट पानी मिला।

श्रीमन्, जनवरी 1955 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किये गये निर्णय के अनुसार व्यास, सतलज लिंक और पोंग बांध योजना के अन्दर राजस्थान को जो हिस्सा मिला वह इस प्रकार मिला कि पानी में 15 प्रतिशत और बिजली में 20 प्रतिशत। उस सम्मेलन में पौंग बांध की सिंचायी और विद्युत योजनाओं से राजस्थान का पानी और बिजली का 58.5 प्रतिशत हिस्सा स्वीकार किया गया।

सन् 1960 में पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा और यह स्वीकार किया कि जिस तरीके से व्यास, सतलज और रावी के पानी पर राजस्थान और और पंजाब का हक हुआ उसी प्रकार से थीन बांध से उत्पादित विद्युत शक्ति में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर एवं दिल्ली भागीदार होंगे जैसे राजस्थान और पंजाब। यह उचित होगा कि इस क्षेत्र के सभी राज्य आवश्यकतानुसार लाभ उठायें। लेकिन वहां भी सरकारों के द्वारा अब जनता को उकसाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने थीन बांध से उत्पादित बिजली पर अपने एकाधिकार की घोषणा कर दी है और ऐसे सिद्धान्त पनपाये जा रहे हैं जिनके कारण आपसी वैमनस्य पैदा होगा। एक अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का वे हवाला देते हैं जिसके अनुसार जिस प्रदेश की टैरन (प्राकृतिक बनावट) के कारण वहां पर बिजली का उत्पादन हो तो उस प्रदेश का उस बिजली पर स्वामित्व होता है। उसी अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को यहां पर लागू करना चाहते और उस सिद्धान्त से सम्बन्ध जोड़ कर इस प्रकार के अन्तर्राज्यीय मसलों को हल करना चाहते हैं जो बिलकुल गलत है। इसी का मैं यहां पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि यह मान लें कि जिस प्रदेश मे प्राकृतिक बनावट के कारण बिजली पैदा हो तो उसका उस बिजली पर स्वामित्व हो तो फिर चम्बल परियोजना में राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों का किस प्रकार से हक हो सकता है? इसी प्रकार से नर्मदा घाटी परियोजना से मध्य प्रदेश सरकार दूसरों को बिजली क्यों देगी? पंजाब सरकार इस प्रकार के सिद्धान्तों की दुहाई देकर अधिकार जमाये जा रही है।

श्रीमन्, जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो उसके अन्दर से हरियाणा अलग हुआ। हरियाणा के अलग होने के बाद पंजाब का रावी और व्यास में केवल 35 लाख एकड़ फीट पानी का हिस्सा रह जाता है। वह 30 लाख एकड़ फीट पानी हरिके हैडवर्क्स से लेता है। ऐसी स्थिति में पंजाब को दोनों नदियों से अब केवल 5 लाख एकड़

(श्री सुरेशकुमार)

फीट पानी लेने का हक ही रहता है और बाकी के तमाम पानी पर राजस्थान प्रदेश का हक होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी योजना थीन बांध पर बन रही है वह बिना राजस्थान की स्वीकृति के नहीं बननी चाहिये। पंजाब अपने हिस्से का ही पानी ले। बाकी का जो पानी है उस पर राजस्थान का पूर्ण हक है।

श्रीमन्, हाल ही में प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इन विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सिचाई मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसकी पूरी जानकारी तो माननीय मुख्य मंत्री को इस सदन को देनी चाहिये लेकिन जहां तक मुझे सूचना मिली है पंजाब सरकार की हटधर्मी के कारण समझौता नहीं हो सका। इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या स्टेण्ड लिया यह तो वे ही बताने की कृपा करेंगे। श्रीमन्, पंजाब सरकार का थीन बांध परियोजना पर बिजली का उत्पादन करना कतई न्याय संगत नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमन्, थोड़ा सा और रहता है। यह बहुत ही अहम मुद्दा है। खेतड़ी में तम्बुओं के गिर जाने के विषय में इतना बड़ा यहां पर हंगामा खड़ा किया जा सकता है और सदन का इतना टाइम लिया जा सकता है और इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका सम्बन्ध राजस्थान के विकास से है और जिसकी प्रगति से राजस्थान का भाग्य जुड़ा हुआ है, आपकी घंटी बज जाय तो उचित नहीं है। अतः आप यदि मुझे इजाजत देंगे तो मैं दो मिनट और कहूंगा नहीं तो मैं बन्द कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में और कह दीजियेगा आप।

श्री सुरेशकुमार : धन्यवाद।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान के लोग सख्ती से अपने कदम उठायें। उन शक्तियों को भी, जो इस सदन में गाल बजाते रहते हैं और मरुस्थल को बचाने के लिए जो ताल ठोकते रहते हैं, यह समझना चाहिये कि इस थीन बांध से उनका भी सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। उनका भी भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। मरुस्थल के लोग मुख्य मंत्रीजी के हाथ मजबूत करें जिससे आगे आने वाले खतरों से बचा जा सके और राजस्थान का विकास कर सकें।

श्रीमन्, मैं अधिक बात आप से नहीं करना चाहता सिर्फ एक गुजारिश के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं सदन के मार्फत केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को बीच में पड़ कर इस मसले को हल कराना चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को हल कराने में अपने आपको अक्षम पाती है, कमजोर पाती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को संविधान की धारा 136 के अन्तर्गत इसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना चाहिये। थीन बांध परियोजना पर सरकार को स्वीकृति नहीं देनी चाहिये जब तक इस पर उच्च न्यायालय से फैसला न हो जाय।

श्रीमन्, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस सदन को अवगत करायें कि वास्तविक स्थिति क्या है। मेरे

(श्री सुरेशकुमार)
भाई भरतपुर का नाम ले रहे हैं लेकिन मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि भरतपुर के अपने अधिकार हैं वे स्वीकार होंगे लेकिन जो भाई यह बातें कहते हैं उनका उद्धार पहले हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री माधो सिंह (रेवदर) : इन्होंने किया है रेगिस्तान।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास गुप्ता! संक्षेप में।

श्री किशन सिंह भाटी : इनको कहने का मौका होगा और डिफेन्ड करने का मौका भी होगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पश्चिमी राजस्थान में जो मरुप्रदेश की मांग उठ रही है वह इस कारण उठ रही है कि राजस्थान में दो रीजन अलग अलग हैं परन्तु थीन डेम की योजना से बिजली मिलती है तो निश्चित रूप से भरतपुर को भी बिजली मिलेगी क्योंकि आजकल जितने भी पावर स्टेशन हैं वह जुड़े हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि कांग्रेस शासन के बाद मुख्य मंत्री जी ने सर्वप्रथम दिल्ली के अन्दर प्रधान मंत्री जी के सामने यह सवाल उठाया और राजस्थान के हक-हकूक जो इन नदियों के पानी पर है उनकी आवाज पेश की। परन्तु जिस तेजी से और जोश खरोश से पंजाब सरकार ने इस सवाल को उठाया उतनी तेजी से भी हमारी सरकार को उठना चाहिए। थीन बांध के बारे में जो दिल्ली में बात हुई उसमें 52 पर्सेन्ट हमारे वाटर का हिस्सा है। उस वाटर से बिजली पैदा होगी तो 52 पर्सेन्ट बिजली का हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इस थीन डेम के साथ ही साथ वाटर वर्क्स हैड जो तीन हैं रोपड़, व्यास और हरीकेन इन तीनों वाटर हैड वर्क्स का मैनेजमेंट भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड को देने की बात थी। 1966 के एक्ट की धारा के अनुसार जब पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बटवारा हुआ तो उसमें एक क्लाज एड किया गया था कि इन तीनों वाटर वर्क्स हैड का कन्ट्रोल एक भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड को दिया जायगा जिससे कि राजस्थान को जो पानी मिल रहा है भाखरा केनाल, गंग केनाल में वह पूरा हिस्सा राजस्थान को मिलता रहे। अभी कुछ दिनों पहले इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इन दिनों वाटर वर्क्स हैड पर भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड का मैनेजमेंट नहीं होने के कारण पंजाब राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा लाभ नहीं देता है जिससे राजस्थान को लाभ नहीं होता है। तो थीन डेम की परियोजना को जब दिल्ली में राज्य सरकार ने स्वीकृति दी तो इसलिए दी थी 52 पर्सेन्ट पानी के साथ साथ 62 पर्सेन्ट बिजली हमें लेनी है। और पंजाब सरकार इन तीनों वाटर वर्क्स हैड का कन्ट्रोल भाखरा मैनेजमेंट कन्ट्रोल बोर्ड को नहीं देता है तो हमें अपनी सहमति को वापिस लेना चाहिए। पंजाब और राजस्थान की आज यही स्थिति है जैसे गंगा के पानी के बंटवारे के लिए भारत सरकार और बंगला देश के बीच में है। बंगला देश मांग कर रहा है कि अगर गंगा के पानी को रोक दिया गया तो हमारा

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

इलाका सूख जायगा आज ठीक स्थिति यही हमारी भी है। अगर इन तीनों वाटर वर्क्स हैड का भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड को नहीं दिया गया तो उत्तर-पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है उसको समय पर मांग के अनुसार पानी नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में अकाली दल रूलिंग पार्टी में है उसने भारत सरकार को धमकी दी है कि अगर इन तीनों वाटर वर्क्स का कन्ट्रोल भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड को दिया गया तो हम एजीटेशन करेंगे और वह इस हद तक पहुंचेगा कि हम भारत से अलग होने की मांग कर सकते हैं। मुझे अफसोस है कि उतने ही पुरजोर शब्दों में हमारी राजस्थान सरकार ने उत्तर नहीं दिया। आज तीन महीने बाद भी इन तीनों वाटर वर्क्स हैड का कन्ट्रोल भाखरा कन्ट्रोल को नहीं देने का नतीजा यह है कि जो नदियों के पानी में हमारा हिस्सा है वह पानी हम पूरा नहीं ले पा रहे हैं। मैं जनता सरकार से और हमारे मुख्य मंत्रीजी से यह आशा करूंगा कि वह भी पंजाब की तरह से राजस्थान में जन भावना बनायें। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि अगर वह हमारे हक-हकूकों के लिये दिल्ली जाकर अड़ेंगे तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी के पीछे रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने केन्द्र और राज्यों के सबंधों के ऊपर पुनर्विचार के लिए कहा था। जिस कानून के तहत पंजाब राज्य की स्थापना हुई उसके अनुसार जो तीन वाटर वर्क्स हैड है उनका कन्ट्रोल भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड को दिया जाना था। उसकी पालना क्यों नहीं हुई? और पंजाब सरकार इसको नहीं माने और केन्द्रीय सरकार दबाव डालकर इसको नहीं मनवा सके तो सुप्रीम कोर्ट में हमें इस क्वेश्चन को रेज करना चाहिए। थीन बांध की परियोजना है और तीनों वाटर वर्क्स भी इसके साथ इन्टरलिंक है, यह हमारे क्षेत्र के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि थीन बांध परियोजना से 52 प्रतिशत बिजली मिले और तीनों वाटर वर्क्स का कन्ट्रोल है वह भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड को दिया जाये, इसके लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी!

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई एवं बिजली मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है राजस्थान राज्य सरकार उसी चिंता के साथ निश्चित रूप से इस दृष्टि से पूरे प्रयत्न कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 29 जनवरी, 1955 को, जैसा भरतपुर से आने वाले सदस्य कह रहे थे, एक अन्तर्राज्यीय कांफ्रेंस रावी व व्यास नदियों में देश के विभाजन से पूर्व से अधिक सरप्लस पानी के सन्तुलित विकास के लिये बुलाई गई जिसमें राजस्थान ने भी भाग लिया। इस कान्फ्रेंस के निर्णय के अनुसार सरप्लस पानी का विभाजन विभिन्न राज्यों में निम्न प्रकार किया गया :–

1)	तत्कालीन पंजाब	7.20 एम. ए. एफ.
2)	राजस्थान	8.00 एम. ए. एफ.
3)	जम्मू एवं काश्मीर	0.65 एम. ए. एफ.
	योग :	15.85 एम. ए. एफ.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चूंकि सरप्लस पानी के उपयोग की योजनायें एक साथ नहीं ली जा सकती थी इसलिए सबसे पहले व्यास नदी की योजना का कार्य हाथ में लिया गया जिसमें पोंग बांध व व्यास सतलज लिंक योजना है। ये योजनायें भागीदार राज्यों पंजाब, हरियाणा व राजस्थान द्वारा संयुक्त योजना के रूप में हाथ में ली गई और इनका निर्माण भी एक नियंत्रण मण्डल की देखरेख में हुआ है। इन योजनाओं में राजस्थान को पानी व बिजली व अन्य उपलब्धियों में हिस्सा मिला है। ये योजनायें करीब-करीब पूर्ण होने जा रही हैं।

रावी नदी के सरप्लस पानी के उपयोग के लिये अब थीन बांध बनाने की योजना है। थीन बांध में रोके जाने वाले पानी से 133 एम. डब्ल्यू. विद्युत् भी पैदा होगी। थीन बांध से मिलने वाली विद्युत् के बंटवारे के प्रश्न पर पंजाब सरकार का दृष्टिकोण सतलज व व्यास योजनाओं की उपलब्धियों के बंटवारे से भिन्न हो गया है। पंजाब सरकार का मानना है कि चूंकि थीन बांध स्थल पंजाब की सरहद में है और विद्युत् उपयुक्त स्थल पर बने बांध से ही पैदा होती है इसलिए विद्युत् का पूरा लाभ केवल पंजाब को मिलना चाहिए। थीन बांध पर समय-समय पर पंजाब सरकार द्वारा बनाये गये प्रोजेक्ट एस्टीमेट व अन्य पत्र व्यवहार में यह दर्शाया गया था कि थीन बांध की विद्युत् में भागीदार राज्यों, जिनमें राजस्थान भी है, का हिस्सा होगा। भारत सरकार के माध्यम से हुई बैठकों में भी यह माना गया कि राजस्थान को भी इस बांध से मिलने वाली विद्युत् का हिस्सा मिलेगा। इस सन्दर्भ में पंजाब सरकार का नवीन रुख पिछले रुख से बिलकुल भिन्न होगया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सम्मुख अपना पक्ष पुरजोर रखा और पिछली बैठकों व पत्र व्यवहारों का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि चूंकि रावी नदी के सरप्लस पानी में राजस्थान का हिस्सा है इसलिए इस पानी से मिलने वाली विद्युत व अन्य लाभों में राजस्थान का हिस्सा होना चाहिए। अभी दिनांक 3-10-77 को प्रधान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में हमारे मुख्य मंत्री जी ने दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखा और दावा किया कि किसी भी हालत में थीन बांध की विद्युत के लाभ से राजस्थान को वंचित नहीं किया जा सकता। इस बैठक के निर्णय के अनुसार थीन बांध की विद्युत में राजस्थान के क्लेम पर भारत सरकार विचार कर निर्णय करेगी। राज्य सरकार इस मामले को तत्परता से अनुधावन (परस्यु) कर रही है।

मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र दिनांक 20-1-78 को प्रधान मंत्री जी को लिखा है कि थीन की विद्युत के बंटवारे पर निर्णय शीघ्र हो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहादुरी के साथ।

श्री मूलचन्द डागा : शब्द जाल मत बनाइये। इसमें कोई लाभ नहीं है। हुआ क्या ? यह बताइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, बैठिये-बैठिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह बहुत गम्भीर मसला है डागा जी कांग्रेस सरकार

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

के कूपमडूक हैं। Be serious. ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने भी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी को एक पत्र इसी सन्दर्भ में लिखा है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि राज्य सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार दबाव में नहीं आयेगी और विद्युत में हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करेगी। मुझे मालूम है कि माननीय सदस्यों का राज्य सरकार के प्रयासों में पूरा सहयोग है।

जहां तक थीन बांध के निर्माण कार्य का प्रश्न है हमारा यह मन्तव्य रहा है कि प्रत्येक अन्तर्राज्यीय योजना के निर्माण में भागीदार राज्यों के हितों की पूरी सुरक्षा रखी जाय और निर्माण कार्य एक स्वतन्त्र अन्तर्राज्यीय प्राधिकरण की देखरेख में हो। थीन बांध के निर्माण में भी हमने यही रुख अपनाया। दिनांक 3-10-77 को माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि थीन बांध निर्माण के लिये भी एक अन्तर्राज्यीय नियन्त्रक मण्डल बनेगा जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी होगा। इस नियन्त्रक मण्डल के अधीन एक स्थाई समिति भी बनायी जायेगी जो बांध के निर्माण कार्य पर दिन-प्रतिदिन निगरानी रखेगी। इस स्थायी समिति में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व होगा।

इस प्रकार बांध के निर्माण में भी राजस्थान के हितों की पूरी सुरक्षा रखी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : बात क्या हुई? आज तक क्या कार्यवाही हुई। आपने नई बात क्या की है? सवाल तो यह है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जिस मामले को खेत में डाल दिया।

श्री मूलचन्द डागा : हमने उस मामले को जोरों से उठाया था। पंजाब में जनता पार्टी की सरकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी।

श्री मूलचन्द डागा : प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप दब गये। आगे आपने क्या कदम उठाये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान से डागा जी को क्यों नहीं भेजते?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको राजस्थान से इतनी नाराजगी क्यों है। राजस्थान के मामले को लेकर मूलचन्द डागा को भेजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब मंत्री महोदय, मांग संख्या 38 और 46 विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण, एवं, मांग 46-सिंचाई की प्रस्तुती

श्री विज्ञान मोदी (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38–लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,75,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सिंचाई मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46–सिंचाई के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 131,54,10,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 38 व 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग सख्या 38, मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एव भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

1. सिंचाई के लिये जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

2. मकराना संगमरमर की खानों में भरे पानी का उपयोग लघु सिंचन हेतु काम में लेने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

3. मणादर गांव में शीघ्र ही भू-संरक्षण के माध्यम से नेगदिया को एनीकट प्रणाली से सुधारा जाय, इस पर चर्चा के लिये।

4. जालौर नगर के आसपास ट्यूबवैल खोदे जावें इसी प्रकार सिरोही के पास ब्लास्टिंग को प्राथमिकता दी जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदी कुई)

5. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण कार्य में पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :

6. लाम्बा वाला गांव में सिंचाई विभाग द्वारा नहर सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से काश्तकारों की कठिनाई व पानी खराब होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

7. लघु सिंचाई कार्यों को पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

8. छोटे बन्धे जो अधूरे हैं उन्हें पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह महता (माण्डलगढ़) :

9. गेनोली मांडलगढ़ तहसील तालाब को बांधने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10 संग्रामपुरा तालाब को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

11. तहसील कोटपूतली के ग्रामों के खेतों को लघु सिंचाई सुविधा प्रदान करने में उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

12. खाचरोल एनीकट को जल्द बंधवाने हेतु चर्चा के लिये।

13. काछोला के कुण्डया खाल पर एनीकट बंधवाने हेतु चर्चा के लिये।

14. झन्झोला और सगताजी का खेड़ा के मध्य एनीकट बंधाने हेतु चर्चा के लिये।

15. मांगटला के पास नोलप नदी में एनीकट बंधवाने की चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

16. रेगिस्तानी इलाकों में छोटी सिंचाई योजना को लागू करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

17. भू-जल विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में नलकूपों के निर्माण में उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये।

18 बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में खड़ीन विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

19. रेवदर क्षेत्र लघु सिंचाई व भू-संरक्षण के मामले में पूर्ण रूप से उपेक्षित है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

20. लघु सिंचाई व भू-संरक्षण के अन्तर्गत हुए अधूरे कार्य को पूर्ण करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह महता (माण्डलगढ़) :

21. महताजी का खेड़ा, रानीखेड़ा तथा बरूंदनी पानी तालाब को अच्छा बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

22. धौलपुर उप जिले में द्वितीय पर्वतीय बांध पर कार्य न आरम्भ करने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

23. पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति हेतु राजनैतिक कारणों से उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

24. ग्राम गांव में बान्ध बान्ध कर भूमि को सिंचित करने एवं आबादी भूमि के कटाव को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

25. भूमि संरक्षण कार्यक्रम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

26. भीनमाल क्षेत्र में भूमि का कटाव अत्यधिक होने से लघु सिंचाई योजनाओं एवं भू-संरक्षण कार्यों पर तेजी से अमल किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

27. भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मणादर गांव, तहसील शिवगंज की योजनाओं को क्रियान्वित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

28. लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कारण बांधों की मरम्मत न करने पर चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

29. अजमेर जिले में शीघ्र भू-जल परीक्षण (सोइल वाटर टेस्टिंग) प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No. 79

(श्री करतारसिंह)

30. पंचायत समिति किशनगढ़ के उत्तरवर्ती ग्रामों (रूपनगढ़ के आसपास) में नवीन तालाबों के निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) :

31. तहसील सांचौर में लघु सिंचाई बांधों के निर्माण के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये ।

32. जिला जालौर में भूमि संरक्षण कार्यों की क्रियान्विति के बारे मे सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

33. लघु सिंचाई योजनाओं को पंचायतों से निकाल कर सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

34. लघु सिंचाई योजना पर पर्याप्त ध्यान देने नहरों को पक्का करने के विषय में चर्चा के लिये ।

35. ओजियाड़ा बांध को ऊंचा कर शीघ्र पूर्ण कराने की चर्चा के लिये ।

श्री समरथ लाल (राजगढ़):

36. ईटोली, बीधोता, ईशवाणा, सालोली वहड़कों (अलवर) में नये बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

37. पंचायत समिति, किशनगढ़ के उत्तरवर्ती ग्रामों की भूमि के लिये सिंचाई के तालाबों के अभाव के कारण पर चर्चा के लिये ।

38. अजमेर जिले के सिंचाई तालाबों की मोरियां (इरिगेशन चेनल) की दुर्दशा पर चर्चा के लिये :

39. अजमेर जिले में सिंचाई दरों के बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

40. हर खेत को पानी दिया जाय इस हेतु बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी छोटी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

41. बड़े तालाबों एवं छोटे तालाबों की पानी दर की भिन्नता बाबत चर्चा के लिये ।

42. मांडल तालाब की रिपेअरिंग करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) :

43. क्षेत्र जमवारामगढ़ में सिंचाई के बांध से नहरों में पानी देने पर सरकारी कर्मचारियों की अनियमितताओं की कार्यवाही पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगन्ज मण्डी) :

44. कुओं में लगाने हेतु पम्प सैट पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये एवं खाल नाल की भूमि संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों पर चर्चा के लिये ।

श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) :

45. ग्राम मण्डेसरा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के तहत सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये फुटपाल तालाब की चर्चा के लिये ।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

46 बून्दी जिले के उन क्षेत्रों में जहां नहरें बांध आदि नहीं है लघु सिंचाई की व्यवस्था कराने की चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

47. केशवराय पाटन में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नल कूप की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

48. जोधपुर डिवीजन में लघु सिंचाई योजनाओं की धीमी गति को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

49. लघु सिंचाई भूमि संरक्षण योजनाओं में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

50. किशनगंज क्षेत्र में गोपालपुरा टैंक मगदा टैंक एवं खटका बांधों के निर्माण में हुई अनियमितताओं एवं सम्बन्धित अभियन्ताओं एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य में जान बूझ कर देरी करने से हजारों बीघा जमीन पानी से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

5 . पिड़ावा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्विति न होने के कारणों की चर्चा के लिये।

52. पिड़ावा में गागरली बांध योजना को प्राथमिकता से प्रारम्भ करवाने की चर्चा के लिये।

53. पिड़ावा क्षेत्र के तालाबों की सिंचाई विभाग द्वारा उपेक्षा व मरम्मत न कराने की चर्चा के लिये।

54. लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

55. बून्दी में अनेक गांवों की जमीनें सीपेज से खराब हो रही हैं इस सीपेज को रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

56. लघु सिंचाई योजना को ग्रामों तक पहुंचाने एवं लागू करने में विभाग की ओर से ढिलाई पर चर्चा के लिए।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

57. चूरू जिले के विभिन्न गांवों में काश्तकारों ने स्वयं के खेतों में सिंचाई हेतु कुएं बनवाये थे, जिनका पानी खराब व पिराया निकला है उन कुओं का ऋण माफ करने हेतु चर्चा के लिये

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

58. नहरों एवं ड्रेन्स के तल पर तथा नदियों के किनारों पर भूमि कटाव को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59 पीपल्दा क्षेत्र के गनेशगंज, डोली, विनायका आदि के किसानों की भू-संरक्षण विभाग द्वारा समतल की गई भूमि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. किसानों को अपने खेतों में बन्धे बांधने के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

61. राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहां जमीन के नीचे मीठा पानी है ट्यूब वैल्स बनवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भैरूंलाल बैरवा (शाहपुरा) :

62. मेजा बांध की एप्रोच रोड की दुरुस्ती बाबत जो लाखों रुपये की बनी है बहुत ही कम लागत से तैयार हो सकती है इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

63. धौलपुर क्षेत्र में जो वर्षा से तालाब व बन्धे टूट गए हैं उनकी मरम्मत अभी तक न किए जाने पर व नदी पारवती ने जो बरबादी मालौनी खुर्द धौलपुर में की है उसे रोक कर बांध बनवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गंभीरलाल मीणा (सराड़ा) :

64. अधूरे तालाब जो पंचायत समिति ने बनाए उनके कारण भारी समस्या का किसानों को सामना करना पड़ता है इस पर चर्चा के लिए।

श्री रंगजी (सपोटरा) :

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :

65. निर्वाचन क्षेत्र सपोटरा में सिंचाई विभाग की शिथिलता के कारण कार्यों में प्रगति नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

66. जिला झुन्झुनू में लघु सिंचाई योजनाएं एवं भू-संरक्षण कार्यक्रमों के बारे में सरकार की उपेक्षा की चर्चा के लिए।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) :

67. योजनाओं में संतुलन करने एवं मितव्ययता बरतने और इनका अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) :

68. पचायत समिति छीपाबद द्वारा बनाये गये अधूरे तालाब को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :

श्री रंगजी (सपोटरा) :

69. महुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की तीन लघु सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

70. ढारिया, बाजरवाला, जोड़ का वाला डेढ़वान छोटे बांध देसूरी क्षेत्र में निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

71. मेरा क्षेत्र 4 नदियों से घिरा हुआ है जिसमें अरावली की पहाड़िया हैं उन नदियों के पानी का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है एवं पर्वत उपत्यकाओं से निकलने वाले पोखरा आदि खालों को बन्धे बनवाकर लघु सिंचाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर):

72. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में बढ़ते हुए क्षार को रोकने के विषय में एवं इस भूमि के सुधार के लिए कारगार कार्यवाही करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :,

श्री मूलचन्द सामरिया(दौसा):

73. राज्य की लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक धन राशि व्यय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क):

74. लघु सिंचाई एव भूमि संरक्षण की समुचित व्यवस्था की योजना एवं परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी):

75. फलौदी तहसील के लिये लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (बागीदौरा):

76. बांसवाड़ा जिला में लघु सिंचाई योजनाए भगोरा डेम की नहरें, भढ़ाई तालाब की नहरें एवं पारीवोट तालाव की नहरें पक्की नहीं होने से कृषकों के खेत पानी से भरे रहते हैं सो नुकसान होने पर चर्चा के लिये ।

77. वांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील में पानेला तालाब कूंडी तालाब के फड के बाद ओवर पानी के बहाव से मौजा भगोरा कांकराहरा नाहले की भूमि के कटाव को रोकने बाबत चर्चा के लिये ।

78. बांसवाड़ा जिले में सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन तालाबों के कार्यों में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

79. बांसवाड़ा जिला में तहसील गढ़ी में भतार गांव तालाव सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण करने से आदिवासी कृषकों के खातेदारी खेत लगभग 300 बीघा आराजी नष्ट करने से मुआवजा नहीं मिलना और भूमि नहीं मिलने बाबत चर्चा के लिये ।

80. बांसवाड़ा जिला में भूमि संरक्षण कार्यों पर चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

81. राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता के कारण लघु सिंचाई साधनों के निर्माण पर बजट में कम प्रावधान किया गया है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृत लाल परमार (डूंगरपुर):

82. लघु सिंचाई के लिये अधिक प्राव-धान रखने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया(दौसा):

83. उप खण्ड दौसा में स्थान स्थान पर सीपेज से होने वाली हानि से बचाव हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली):

84. नाथद्वारा–मावली क्षेत्र के नहरी क्षेत्र में जल संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. मावली क्षेत्र में भूमि संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. मावलीक्षेत्र में एनीकट्स, छोटे तालाव व नहरों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा (माण्डल):

श्री भैरूंलाल बैरवा (शाहपुरा):

87. कनेधनकला में पालम सागर की मरम्मत कराने बाबत चर्चा के लिये ।

88. ग्रामलीकेला तालाब की मरम्मत कराने बाबत चर्चा के लिये ।

89. कोठिया के पास खारी नदी पर एनीकट बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा (माण्डल):

90. लघु सिचाई बाबत एनीकटों का अधिक निर्माण कराने पर चर्चा के लिये ।

91. पंचायत समितियों के तालाबों को सिंचाई विभाग में लेने बाबत चर्चा के लिये ।

92. बड़ी योजनाओं के स्थान पर लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक जोर दिया जाय इस पर चर्चा के लिये ।

93. जल स्रोतों को राष्ट्रीय घोषित किया जाय जिससे डेड पानी का उपयोग हो सके इस पर चर्चा के लिये ।

94. पानी का अधिक उपयोग हो, इस हेतु नालियों के लिए अधिक अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. कालूखेड़ा से मेजा बांध की नई नहर निकाली जाय जिससे आगे पानी सुविधानुसार जा सके व समय पर पिलाई हो सके इस पर चर्चा के लिये ।

96. नवलपुरा पंचायत समिति मांडल के लिये आव (फीडर) बनाई जाये जिससे बागोर व घोड़ास की जमीन को बराबर पानी मिल सके इस पर चर्चा के लिये ।

97. तत्कालीन अधिकारियों की मनमानी से मांडल तालाब के केचमेन्ट एरिया में अनेक निर्माण कार्य किये जाने से मांडल तालाब को कोठा बनाया है उसे यथावत् रखने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

98. भामा (तहसील कोटड़ी) के तालाबों की क्षमता बढ़ाकर सिंचाई की व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

99. थानागाजी तहसील में वर्षा एवं नदियों से कटाव को रोकने पर अधिक ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

100. भूमि के कटाव को रोकने हेतु तहसील दौसा की सूरी नदी पर ग्राम हरीपुरा के पास एनीकट बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

101. भूमि के कटाव को रोकने हेतु तहसील दौसा की बिजोरी नदी पर ग्राम सूरजपुर के पास एनीकट बनाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

102. गोविन्दगढ़ में तालाब निर्माण, पुष्कर क्षेत्र के अधूरे तालाबों को पूरा कराने तथा आवश्यकतानुसार रपटें बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री आर० डी० यादव (चौमूं) :

103 चौमूं क्षेत्र में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण कार्यों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री हनवंतसिंह (बाली) :

104. बाली क्षेत्र में छोटे बांधों को प्राथमिकता देकर छोटे किसानों को सिंचाई साधनों से लाभान्वित करने बाबत चर्चा के लिये।

105. भूमि के कटाव और पानी को रोकने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :,
श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़) :,
श्री हरी कृष्ण (नदबई) :,
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

106. जिस तरह बांधों का निर्माण सरकार करती है उसी तरह लघु सिंचाई कार्य भी सरकार ही करे-भूमि सरकार की है इस पर चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) :,
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :,
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :,
श्री मूरुचन्द सामरिया (दौसा) :,
श्री हनवंतसिह (बाली) :,
श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):,
श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :,
श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

107. राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक धन लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :
श्री नत्थींसिह (लक्ष्मणगढ़):,
श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर(कपासन) :
श्रीमती गुणवन्ता कुमारी (बैराठ):

108. कलौज तालाब की दोनों तरफ की नहरें पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) :

109. जैसलमेर क्षेत्र में खड़ीन बंधवाने एव खड़ीनों में नये धोरे बंधाने की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

110. जैसलमेर के रण क्षेत्र बाजरिया एवं बारानी भूमि की उड़ान व भराव रोकने हेतु वर्षा के पानी को रोक कर बांध बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री लालूदास (फलासिया) :

111. फलासिया क्षेत्र में तालाबों के निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत(कुम्भलगढ़) :

112. कुम्भलगढ़ तथा आमेट तहसीलों में लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह (खारची) :

113. नदी के किनारे सरकार द्वारा गांव बनाकर किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने एवं पाली जिले में नदी पर एनीकट बनाने की चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

114. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो लघु सिंचाई के कार्य हाथ में लिये गये थे अधूरे है जिन्हें सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

115. पंचायत समिति इटावा में भू-संरक्षण विभाग द्वारा समतल की गई भूमि की रकम की वसूली गरीब किसानों से माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर):

116. पाली जिले की रायपुर तहसील में लघु सिंचाई योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन):

117. झालावाड़ जिले की लघु सिंचाई योजनाएं एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

118. जालौर जिले के अकाल राहत कार्यक्रम डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम एवं बाढ़ के बजट प्रावधानों में निर्मित बांध वमल, घुम्बड़िया, वाटेरा, झाब आदि गांवों के बांध के पुनर्निर्माण करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

119. राजस्थान भूजल विभाग द्वारा जो गत तीन चार साल से नलकूप बनाये जा रहे हैं उनके निर्माण में त्रुटियां (डिफेक्ट) रखने, उनके ग्रेवल पेकिंग को ठीक नहीं करने, जाली अधिक चौड़ी रखने के कारण उनकी लाइफ 1 माह से 1 वर्ष तक अधिक नहीं रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (आहोर):

120. जहां ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाएं लागू हो गई हैं वहां साथ साथ नल कूप या खुले कुए खुदवाने की योजना भी लागू करवाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद):

121. कालीसिन्ध व चम्बल के बीहड़ों को जो सांगोद से बड़ोद तक एवं मंडावर के आस-पास के क्षेत्र को शीघ्र विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण):

122. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के गावों के कुओं को भूमिगत जल विभाग द्वारा गहरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. बरसात के पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किये जाने, निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में छोटे छोटे तालाब बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

124. भूजल विभाग द्वारा जयपुर क्षेत्र के कुओं में गत वर्षा से भरी मिट्टी निकलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर):

125. गंगापुर क्षेत्र में लघु सिंचाई के बारे में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

126. बाड़मेर जिले में लघु सिंचाई के अधूरे कार्यों को सम्पूर्ण कराने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये।

127. बाड़मेर जिले में एग्रीकल्चरल रीफाइनेन्स कॉर्पोरेशन स्कीम के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के कार्यों में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता की नीति अपनाने के कारण असंतोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये।

128. बाड़मेर जिले के भू-संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ):

129. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के छोटे-छोटे बांधों की आवश्यक मरम्मत किये जाने

Page No. 86

(८६)

(श्री उमरावसिंह गूजर)

में सिंचाई विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

130. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों को लघु सिंचाई योजना के द्वारा लाभान्वित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

131. कामां क्षेत्र में लघु सिंचाई हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

132. भू-संरक्षण विभाग के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के बिल हजारों रुपये के लम्बे समय से पेंडिंग पड़े रहने से कर्मचारियों में रोष है, उस पर चर्चा के लिये।

133. भू-संरक्षण विभाग के औजार (तगारी-फावड़ा) आदि झुन्झुनूं जिले में उनके कार्य स्थल पर ही पड़े रहने पर चर्चा के लिये

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

134. मरुस्थल को रोकने हेतु कृषि विभाग द्वारा फलों के पेड़ों को अधिक लगा कर, सघन कार्यक्रम बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

135. छोटे-छोटे एनीकट्स बनाकर नालों के पानी को जगह-जगह रोका जाय जिससे कुओं से सिंचाई में वृद्धि हो सके इस पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

136. जैतारण तहसील में लघु सिंचाई व भूमि संरक्षण के अधूरे कार्य पूरे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

137. डूंगरपुर जिला में (फ्री) मुफ्त में मेड़बन्दी व हरिजन व आदिवासी किसानों के 25 बीघा भूमि में राजकीय कुआ निर्माण करा कर फसल को सिंचित कराने व नहरों द्वारा कृषि उपजाऊ को बढ़ावा दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।।

श्री कारूभाई मीणा (प्रतापगढ़) :

138. सुहागपुरा नदी से वीरपुर चाईन पनावला, अम्बामाता की नदी एवं कोटड़ी नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

139. माही कडाना पुनर्वास नई आबादी के कृषकों की भूमि डूंगर-शारण, दांदकीचरी पांचकूण्डी, सालेड़ा व अन्य में अनुदान देकर मेड़बन्दी कराने हेतु चर्चा के लिये।

140. डाहाला का नाला, गड़ाबादर (मेरतिया) के फूहारा नाका, सालेड़ा नई आबादी धनापेव खेड़ा के पास नाला मउडी-कलां (मेहता का पारडा) के पास एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री जियिंग (कुशलगढ़) :

141. जिला बांसवाड़ा में लघु सिंचाई योजना आरम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

142. ग्राम बिलावास के पास एनीकट बनाने की चर्चा के लिये ।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) :

143. भरतपुर जिले में लघु सिंचाई के साधनों की कमी तथा पुराने तालाबों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

144. राजस्थान भू-जल विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में भाडला, ऊंडू भीमड़ा आदि स्थानों में नलकूपों के निर्माण एवं विकास ठीक तरह नहीं करने के कारण उनके जल्दी से खराब होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

145. तहसील लाडनूं में भूमिगत जल की गलत रूप से सर्वे करने के कारण नल कुओं के निर्माण में उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

146. लाडनूं क्षेत्र में सिंचाई के लिए नलकूप निर्माण कार्य को बन्द कर देने के कारण स्थानीय काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

147. लाडनूं में सिंचाई के लिए निर्माण किये गये नलकूपों को चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये।

148. भूमिगत जल के उपयोग पर कानून बनाकर नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रणजीत सिंह राठौड (ओसियां) :

149. अतिवृष्टि से गांवों में काश्तकारों के खेतों को नुकसान होने पर भू-संरक्षण योजना के अन्तर्गत राहत दिलाकर खेतों का कटाव रोकने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

150. खण्डार तहसील (जिला सवाई-माधोपुर) के गैली सागर टैंक के पानी को आम किसानों को नहीं देकर प्रभावशाली सरकारी अधिकारियों को ही देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

151. चित्तौड़ा तालाब, तहसील फागी, जिला जयपुर निजी सम्पति होते हुए भी, उस पर सरकारी धन का अपव्यय होने के सबंध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूलाल (घाटोल) :

152. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

153. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर सरकार द्वारा आवश्यकता से कम ध्यान देने पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

154. बांसवाड़ा जिला में सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों के निर्माण में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये ।

श्री जियेग (कुशलगढ़) :

155. जिला बांसवाड़ा में छोटे-छोटे तालाबों के निर्माण करने में की गई उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये ।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) :

156. पहाड़ी क्षेत्र (भीम) में रपटें एव तालाबों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जैठमल बरबड (परबतसर) :

157. परबतसर पंचायत समिति के अधूरे बांधों को पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

158. परबतसर पंचायत समिति के रघुनाथ पुरा ग्राम में भूमि के कटाव को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46, मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार) :,

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) :

1. रामगढ़ बंधे के जल को सिंचाई सुविधा के लिए काम में लाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर,ग्रामीण):,

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार) :,

श्री ओमप्रकाश शर्मा(बूंदी) :,

2. सिंचाई हेतु बनास योजना लागू न की जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :

3. मेजा फीडर को अविलम्ब पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

4. राजस्थान नहर को अति शीघ्र जैसलमेर तक ले जाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

5. सिरोही व शिवगंज तहसील के बांधों की दीवारों को दो फीट ऊंचा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :,

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

6. जमवारामगढ़ बांध को पुन: सिंचाई विभाग में न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :

7. लाम्बा, वाला गांवों में जहां जसवंत सागर बांध से सिंचाई के लिये पक्की नहर नहीं बनाने से पानी ज्यादा खराब होने पर चर्चा के लिये।

8. बिसलपुर बांध में ज्यादा पानी आ जाने से पाल टूट जाने के बाद पुन: मरम्मत कार्य शुरू नहीं करने से काश्तकारों को हुई क्षति पर चर्चा के लिये।

9. राजस्थान नहर से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में लिफ्ट योजना स्वीकृत कर सिंचाई करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

10. पश्चिमी राजस्थान हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना अविलम्ब लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. पुन्दलोता ग्राम, तहसील डेगाना में बाढ़ के पानी की निकासी कराने पर चर्चा के लिये।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

12. डेगाना ज० पर बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. पश्चिमी राजस्थान के लिये बनी लिफ्ट योजना को लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :

14. गोवटा तालाब को पांच फीट ऊंचा उठा कर तथा बाईं तरफ नहर बनाकर हजारों बीघा भूमि को सिंचित बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

15. पाली जिले के हेमावास बांध से सिंचाई की दोषपूर्ण नीति के कारण छोटे काश्तकारों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के के लिये।

16. पाली जिले के वाणियावास बांध के विकास की आवश्यकता पर व उसके कमांड एरिया को बढ़ाने की मांग पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)[1]:

17. नर्वदा नदी से बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा विशेष दिलचस्पी लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर की जिस प्रकार की नये तौर से योजना बनाई है उसमें बाड़मेर जिले की घोर उपेक्षा की गई है, जिस पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान नहर के विभिन्न जिलों में लिफ्ट कैनाल के निर्माण की योजना के कारण बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राजस्थान नहर का पानी कम या बिल्कुल उपलब्ध न होने के कारण सीमावर्ती जिलों की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

20. लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को कार्य रूप में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

21. सिंचाई के सम्पूर्ण छोटे बांध जिनसे सिंचाई होती है, उन्हें सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रखने पर चर्चा के लिये।

22. नहरों के हिसाब से जहां खार पैदा हो रहा है वहां पक्की नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. बनास नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

24. जिला टोंक में सहोदरा बांध को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. जिला टोंक के छोटे बन्धों व नहरों की मरम्मत हेतु पूरा रुपया देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

26. रेवदर क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :

27. राजस्थान नहर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राजस्थान नहर के निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं इस पर चर्चा के लिये।

28. सूरतगढ़ तहसील के रेवेन्यू गिरदावर हल्का के गांवों में घग्घर बांध एवं राजस्थान नहर का पानी डिप्रेशन्स में छोड़ने से लाखों परिवार बेघरबार हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. गंगानगर जिले में तीनों सिंचाई प्रोजेक्टों में पारस्परिक तालमेल न होने से काश्तकारों को नुकसान होता है तथा सिंचाई प्रतिशत घटता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

30. भरतपुर जिले के लिये बाढ़ नियत्रण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान उसका उपयोग तथा कार्य शिथिलता तथा किसानों को मुआवजा न दिये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :

31. राजस्थान कैनाल का पानी काश्तकारों को सिंचाई के लिए न दिया जाकर काश्तकारों को बरबाद करने हेतु अनधिकृत तरीके से घग्घर बाढ़ कंट्रोल हेतु बने डिप्रेशनों में डाला जा रहा है, उसको उपयुक्त जगहों पर डिस्ट्रिब्यूटरी व माइनर्स निकालकर सिंचाई प्रतिशत बढ़ाया जावे इस पर चर्चा के लिये।

32. बड़ोपल क्षेत्र में घग्घर बाढ़ का पानी डिप्रेशन में डाला गया व राजस्थान नहर का पानी काश्तकारों को न देकर एफ० आर० डी० 165 के स्केप में डाला जाकर काश्तकारों की फसल बरबाद की गई है जमीनों का मुआवजा नहीं दिया गया, न मकानों का मुआवजा दिया, पन्द्रह वर्षों से मामला लटका हुआ है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

33. राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण किसानों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

34. धौलपुर में चम्बल पर लिफ्ट सिंचाई का कार्य आरम्भ न करने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

35. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस विभाग के पुनर्गठन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

36. तहसील शेरगढ़ की सर्वे हुई योजनाओं को मन्जूर कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

37. अधूरे बांधों को पूरा करने से सिंचाई अधिक हो सकती है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मडांवा) :

38. राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में सरकार की असफलताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

39. पोसालियां नदी एवं जवाई नदी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए केराल में तटबन्ध कार्यक्रम लागू किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

40. बड़े लोगों द्वारा पानी का नाजायज उपयोग करने को रोकने में विभाग की अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

41. ब्यावर क्षेत्र में सुरेघाटा फीडर रेवाता फीडर के सबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

42. तहसील सांचोर एवं जिला जालौर में सिचाई साधन उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

43. लूनी इननडेशन स्कीम, बड़गांव जैतपुरा नदियों की सिंचाई योजना एवं नर्मदा नदी घाटी योजना की क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

44. मेजा बांध जिला भीलवाड़ा से सिंचाई का पानी देने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

45. मेजा बांध की नहरें एवं धोरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. मेजा फीडर को शीघ्र पूर्ण कर अतिरिक्त भूमि में सिचाई कराने हेतु चर्चा के लिये ।

47. गुवारड़ी बांध जिला भीलवाड़ा के पेटे में आने वाली जमीन का मुआवजा न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

48. कान्या खेड़ी बांध जिला भीलवाड़ा में डूब में आने वाली जमीन का मुआवजा न देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

49. राजस्थान के बांधों में नहरों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

50. शीली बेरी बांध जो राजगढ़ एरिया में बन रहा है से राजगढ़ तहसील के एक भी गाव को लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

51. धमरेड़ बांध (अलवर) जो बीस लाख रुपयों की लागत से बनाया गया है, उससे एक बीघा भी कृषि भूमि सिंचित न होने पर चर्चा के लिये ।

52. पिछले एक साल से राजगढ़ अलवर में कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई के न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

53. अजमेर जिले के अटड़ा बांध की नहरें पंचायत समिति किशनगढ़ के हरमड़ा ग्राम तक नहीं पहुंचाने से व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :

54. मेजा बांध पर बनी कोठरियों बाबत चर्चा के लिये ।

55. मेजा बांध के निर्माण के बाद मेजा बांध की वेस्ट वीयर के कारण मार्ग अवरुद्ध

(श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा)

हुआ है उस पर सूरास ग्राम के लिए काजबे पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

56. राजस्थान नहर से प्रवेश के विभिन्न क्षेत्रों में लिफ्ट नहरों को निकाल कर सिचाई करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

57. साही योजना पर चर्चा के लिये।

58. राजस्थान नहर क्षेत्र में लिफ्ट सिचाई योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

59. रामगंज मण्डी तहसील में आहू नदी बांध आलनिया डेम से सिचाई, गांधी सागर बांध एव हरिगढ़ बांध तागली नदी से सिचाई पर चर्चा के लिये।

श्री एच० एन० शर्मा (वेगूं) :

60. सिंचाई विभाग में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

61. ग्राम जवाहर नगर, फीकरा पतलोई में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई लिफ्ट इरीगेशन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

62. सिंचाई विभाग के तहत जाखम बांध निर्माण मे हुये भारी घोटालों को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) :

63. विभाग में होने वाली अनियमितताओं को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकौर (नैनवा) :

64. बूंदी जिले के उन क्षेत्रों में जहां नहर बांध नहीं हैं वहां सिंचाई की व्यवस्था करने, नहरों में समय पर पर्याप्त पानी देने व उनका विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

65. सिंचाई की अव्यवस्था के कारण ग्राम अरडाना चरडाना में नहर टूटने एवं सिंचाई में अनियमितताओं को दूर करने तथा असिंचित भूमि को भी सिंचित मान कर पिलाई वसूल की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

66. जोधपुर सभाग में रेतीले क्षेत्र को हरियाली में बदलने के लिए भावी योजनाओं को अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

67. सिंचाई साधनों की अभिवृद्धि तथा सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):

68. मनोहर थाना में पर्वन नदी की जल सिंचाई योजना को प्राथमिकता दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

69. पारवती व परवन नदी से जल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने तथा सिंचाई के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

70. जिला सवाई माधोपुर के परवना बांध की योजना को चालू करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

71. जगर बांध की नहरों के द्वारा एवं बांध का पानी ऊपर आने के कारण सीपेज को रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

72. जगर बांध की पेटे एवं नहरों में आई हुई जमीनों का मुआवजा चुकाने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

73. परशुरामपुरा के पास सिंचाई बांध बनाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

74. झुंझनू जिले में सिंचाई की उचित व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

75. राजस्थान कैनाल के निर्माण में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

76 नायब तहसील इन्द्रगढ़ में च्यांवल नदी पर बांध बांधे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. पीपल्दा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों के टेल पर पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न असुविधा के सबंध में चर्चा के लिये।

78. पीपल्दा क्षेत्र के किसानों को नहरों का पानी पर्याप्त तथा समय पर नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. पीपल्दा क्षेत्र में नहरों का पानी प्राप्त करने के लिए नहरों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पीपल्दा क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना लागू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. एल० ओ० टी० सी० मांगरोल द्वितीय कार्यालय की इटावा ब्रांच कैनाल तथा अयाना ब्रांच कैनाल के बीच लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

82. किसानों पर से खुशहाली कर तथा सरचार्ज समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

83. गोवरधन ड्रेन जो बाढ़ की तबाही का कारण है और उसका पूरा पानी उत्तरप्रदेश में जमुना नदी में चला जाता है उससे लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई करने एवं बाढ़ के पानी से छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) :

84. रलावत मोहन पुरा इदवा आदि ग्रामों के खेतों में से जो नदी जाती है वहाँ पर बांध बनवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

85. पंजाब में पड़ने वाले हैड वर्कस का इन्तजाम भाखरा मंडल को सौंपे जाने हेतु चर्चा के लिये।

94

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

86. राजस्थान के हिस्से के 18 हजार क्यूसेक्स पानी में से पँजाब उपयोग कर रहा है व पाकिस्तान जा रहा है तथा हमारा पानी हमें उपयोग नहीं करने दे रहा है इसके संबंध में चर्चा के लिये।

87. गंग कैनाल, भाखरा तथा राजस्थान कैनाल के पानी की इन्टेनसिटी एक जैसी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. राजस्थान नहर भाखरा व गंग कैनाल नहरों का बजट में प्रावधित रुपयों का पूरा उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

89. पाली जिले में लघु सिंचाई हेतु नई योजनायें चालू करने तथा अधूरी योजनाओं को पूरी करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर):

90. धौलपुर क्षेत्र में बने सिंचाई बांधों को ठीक किया जाकर पानी रोका जावे एवं रामसागर तालाबसाही को रेज किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम):

91. विभाग द्वारा अजमेर क्षेत्र की कृषि हेतु सिचाई की व्यापक व्यवस्था हेतु कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गंभीरलाल मीणा (सराड़ा):

92. सराड़ा क्षेत्र जिला उदयपुर में नहरों के पानी के सीपेज की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गंगासहाय (कठूमर):

93. कठूमर क्षेत्र में नहरों एवं बांधों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराजसिंह (बस्सी):

94. विधान सभा क्षेत्र बस्सी व फागी में सिंचाई के पुराने बांधों की मरम्मत व नये बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (वामनवास):

श्री बतीलाल मीणा (टोडा भीम):

95. पंचायत समिति टोडाभीम वामनवास के सिंचाई बांधों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्यप्रकाश (खेरवाड़ा):

96. सोम-कागदर परियोजना की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (पिलानी):

97. जिला झुंझुनूं में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा):

98. राजस्थान कैनाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर):

99. सिंचाई का राज्य स्तर पर पुनः उच्चस्तर पर मौलिक चिंतन एवं व्यापक रूप से इस क्षेत्र में क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :,

श्री रंगजी (सपोटरा) :

100. महुवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बांध जयरामपुरा, बौंल, कोट, शीशवाड़ा, बड़ा गांव आदि में आवश्यक मरम्मत, रेजिंग, नहर आदि के कार्य सिंचाई विभाग द्वारा न किये जाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

101. सर मिर्जाइस्माइल के जयपुर में डोंगरी तथा भूरी पहाड़ी के बीच के भाग में बनास नदी पर दो पहाड़ों के बीच बड़ा बांध बनाने की योजना थी वह अब क्रियान्वित की की जावे ताकि सवाई माधोपुर खंडार तथा सपोटरा करौली, मलारना इत्यादि तहसीलों के क्षेत्र की भूमि को सिंचाई हेतु पानी मिल सके इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

102. अलवर जिले में साहबी और रूपारेल नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा इस जिले के लिये उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) :,

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

193. राज्य के सभी सिंचाई बांधों की मरम्मत कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) :

104. सिंचाई के लिये प्रस्तवित लिफ्ट कैनाल योजनाओं को चालू न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

105. गंगानगर कैनाल एरिया में बेकार पड़े सिवेज के पानी का कृषि सिंचाई में उपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) :

106. सिंचाई की समुचित परिकल्पना एवं योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

107. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, धांधली, अनियमितता एवं मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

108. फलौदी, पोकरण आदि के लिये राजस्थान नहर की लिफ्ट योजनान्तर्गत सिंचाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :

109. कपासन तहसील में अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने तथा नई सिंचाई योजनाएं बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

110. मेरे क्षेत्र में अच्छी-अच्छी नदियां हैं अतः वहां बांध बांधकर हजारों बीघा जमीन की सिंचाई की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

111. बांसवाड़ा जिले में परसीलिया की लिफ्ट, केसरपुरा लिफ्ट योजना अपूर्ण को पूर्ण करने आदि पर चर्चा के लिये।

(96)

(श्री नाथूराम)

112. बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील में खरवेड़ा, वौरी, माही नदी पर लिफ्ट योजना की सर्वे हो गई है, निर्माण कार्य कराने बाबत चर्चा के लिये।

113. बांसवाड़ा जिला में माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति पर चलाने बाबत चर्चा के लिये।

114. बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण कार्य में पिछली सरकार के वक्त हुये भ्रष्टाचार एवं घोटालों की जांच हेतु चर्चा के लिये।

115. बांसवाड़ा जिले में ही माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण कार्य पर एवं स्थानीय पढ़े लिखे नवयुवकों को उक्त योजना में सर्विसेज में नहीं लगाने बाबत चर्चा के लिये।

116. बांसवाड़ा जिला में माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण कार्य. की नीति में परिवर्तन कराने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) :

117. बाधन डैम (चित्तौड़गढ़) की फीडर योजना अनार्थिक एवं अनुपयोगी होने से बन्द करवाई जावे एवं इस हेतु रकम दो करोड़ रूपयों का उपयोग डूंगला एवं बड़ी सादड़ी तहसील में ही सिंचाई की नहरों के लिये कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

118. जेतपुरा डैम की नहर को पक्की करके पानी दूर तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. गोवटा डेम की लिफ्ट कैनाल बनाकर तथा पांच फीट डैम को ऊंचा उठाकर पूरे सिंगोली, गावटा, सराना, फलासियां क्षेत्र को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

120. सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने एवं सिंचाई योजनाओं के विस्तार हेतु चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

121. बनास सिंचाई योजना जिसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जिसके खटाई में पड़ने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

122. मेजा फीडर पर होने वाले व्यय और उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

123. जवाई कमाण्ड एरिया जमीन मुकबुजा खुर्द का गलत ढग से बेचान हुआ उस पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) :

124. उदयपुर जिले के पहाड़ी भाग में लिफ्ट इरीगेशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल) :

श्री भैरूंलाल बेरवा (शाहपुरा) :

125. अड़बड़ बांध की नहरें पक्की कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री मंगूलाल बैरवा)

126. समेलिया बांध जिसका सर्वे हो चुका है, बनाने बाबत चर्चा के लिये।

127. गांगली करेधन कलां के पास फीडर बन जावे तो देवी सागर मालम सागर गणेश सागर तालाबों को पानी मिल जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (मांडल) :

128. बांधों व तालाबों के नीचे ग्रीन बैल्ट तैयार कराने बाबत चर्चा के लिये।

129. मेजा बांध को विश्व योजना में लेने बाबत चर्चा के लिये।

130. मेजा बांध पर बनी डोरियों का नियमन कराने बाबत चर्चा के लिये।

131. चोरबावड़ी, करेड़ा, हाथीपुरा, गंगदेव, बागोर को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

132. कुन्डिया खाल (काछोला) के बंधने से कुओं में हेभा होगा और हजारों किसान लाभान्वित होंगे और सिंचाई भी हो सकेगी, इस पर चर्चा के लिये।

133. बांदरमूथा (श्यामपुरा) तहसील मांडलगढ़ के बंधने से सिंचाई के साथ-साथ कुओं का जल स्तर बहुत ऊँचा हो जायगा, इस पर चर्चा के लिये।

134. खाचरोल (मांडलगढ़ बांध के बंधने से लोगों को बहुत लाभ होगा, इस पर चर्चा के लिये।

135 पचानपुरा क्षेत्र (मांडलगढ़) के बंध जाने से हजारों किसानों को लाभ होगा, इस पर चर्चा के लिये।

136. मेनाली नदी (मांडलगढ़) के बंधने से हजारों किसानों को बहुत लाभ होगा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री ताराचन्द (रूपवास) :

137. सिंचाई विभाग में फंसे हुए भ्रष्टाचार एवं उसकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

138. गुवाड़ा नंड़ोली एवं किशोरी (तहसील थानागाजी) में बांध बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

139. प्रतापगढ़ क्षेत्र थानागाजी में सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

140. ढूंढ नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. जयपुर जिले में सिंचाई कार्यों में वृद्धि की संभावनाओं का सर्वे करवा कर कार्यान्वियन करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह महता (मांडलगढ़) :

142 बांध्र ग्रनवासा (मांडलगढ़ के डूब में आने वालों को पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं)

143 जयपुर जिले के सिंचाई बांधों पर पानी वितरण में अव्यवस्था में सुधार एवं

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

कालख बांध में मेंडा नदी के पानी का बहाव रोक कर सिंचाई में वृद्धि करने हेतु चर्चा के लिये।

144. चौमूं क्षेत्र का हनुमान जी का नला एवं हस्तेडा नदी की पाल, येखाड़ा नदी का निर्माण कार्य न होने से भारी नुकसान होने की आशंका पर चर्चा के लिये।

श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना) :

145. लिफ्ट सिंचाई योजना की क्रियान्विति एवं राजस्थान नहर निर्माण में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

श्री मंजूरअली (सवाई माधोपुर) :

146. सरवातम वन्ध की नहर को भगवतगढ़ वन्ध की नहर से जडावता व अंजनोटी के करीब मिलाने बाबत चर्चा के लिये।

147. बन्ध गोपालपुरा की नहर से लिफ्ट सिंचाई के जरिये ग्राम पीपलवाड़ा हिंदूपुरा हरसोता हरसती जोलेन्दा को पानी देने बाबत चर्चा के लिये।

148. चेणकिया को देह (बनास) से नहर द्वारा भगवतगढ़ बांध में पानी पहुँचाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

149. हरियाणा से सिंचाई के लिये नेहरू-नहर को झुन्झुनूं, चूरू तक लाने पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) :

150. खारी बांध, तहसील आसीन्द की नहरों को पक्की बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

151. गंग कैनाल व राजस्थान कैनाल के उस हिस्से का जो पंजाब में आता है, रख-रखाव का कार्य राजस्थान सरकार को लेने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा) :

152. समस्त राजस्थान में सिंचाई के लिये जल वितरण से संबंधित समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री प्रयूबखां (तिजारा) :
श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :
श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ) :

153. डूंगरपुर में मारगिया बांध के निर्माण कार्यों मे हुये घोटालों की जांच हेतु चर्चा के लिये।

154. कला आवा बांध के स्टाफ द्वारा भारी मात्रा में हेर-फेर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर):
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़):
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ) :

155. सूगी नदी बांध के नहर का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :
श्री सुभाष चन्द (सूरजगढ़) :
श्री गुरशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :
श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

156. जहां बांध बनाये जाते हैं वहां किसानों की भूमि बिना नोटिस दिये भूमि

(श्री रतनलाल वर्मा)

अवाप्त करली जाती है तथा किसानों को बेघरबार कर दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

157. इन्द्रगढ़ में इन्द्रायणी नदी पर बांध से सिंचाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. पीपल्दा क्षेत्र में गन्ना तथा धान उपजाने हेतु नहरों में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. पीपल्दा क्षेत्र में नहरों की लम्बाई बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

160. कुम्भलगढ़ तथा आमेट क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर):

161. रेगिस्तान क्षेत्रों में अधिकाधिक सिंचित क्षेत्र बढ़ाये जाने हेतु लिफ्ट योजनाओं को शीघ्र हाथ में लिये जाने तथा अन्य साधन बढ़ाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

162. आपोल, सीनोता, शेरगंज दोनों लक्ष्मीपुरा, कजलियां तथा मूंडला माइनर के टेल पर पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. सीनोता, दोनों लक्ष्मीपुरा आपोल, बनोलिया माइनर तथा लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की लम्बाई आगे बढ़नी चाहिये इस पर चर्चा के लिये।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर):

164. राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जमीन की किश्तों को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली):

165. अभयपुरा बांध को शीघ्र पूरा कराने व गुढ़ा बांध से सिंचाई हेतु पूर्ण जल उपलब्ध कराने व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चोधरी (रानीवाड़ा):

166. रतनपुरा रामसीण के पास वाला बांध की दीवार ऊपर उठाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर):

167. चूरू जिले के गांवों में सिद्ध मुख नहरों के द्वारा शीघ्र सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री लालूवास (फलासिया):

168. तहसील फलासिया जिला उदयपुर के ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर):

169. गंगापुर सब-डिविजन में सिंचाई साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

170. राजस्थान नहर को राष्ट्रीय नहर घोषित करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

Page No. 100

(८८)

श्री दुलाराम (रायसिहनगर) :

171. गंग कैनाल व राजस्थान कैनाल के पानी देने में बरती जा रही अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये ।

172. गंग कैनाल की नहर एन॰पी॰ में बरती जा रही अनियमितता के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री नाथुराम (बागीदोरा):

173. माही परियोजना में मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय में पेमेन्ट में होने वाले विलम्ब तथा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नत्थीसिह (लक्ष्मनगढ़) :

174. सिंचाई सुविधाओं में सरकार के हस्तक्षेप से किसानों में व्याप्त रोष व सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा):

175. जिन गांवों में वर्षाकाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों के जन-धन की हानि होती है उस वर्षा के पानी को बांध बनाकर रोका जाय ताकि उस गांव को बाढ़ से बचाने के साथ-साथ पानी का समुचित उपयोग हो सके इस पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल (पाली):

176. सिंचाई के संबंध में समाजवादी नीति अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

177. पाली जिले में सिंचाई के टूटे बांध नये बांधों की योजनाओं की क्रियान्वति पर चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डेडोर : (सागवाड़ा)

178 भादर बांध का पानी नहरों द्वारा कोटरिया, सांगाम दरियाटी, पाडला, सोतबड़ली गुणाहीया से मैंस का तालाब में मिलाने से सैकड़ों बीघा भूमि में सिंचाई हो सकती है तत्काल कार्य प्रारम्भ हेतु चर्चा के लिये ।

179. तालाब मैंस का नाका द्वारा जो नहरें, उदड़िया सच्छेगाई, कटारापाड़ा गड़ाबादर (मेरतिया) गरियाता, जसैल, लोड़िया, गडिया व कहवारिया नई आबादी तक जाने हेतु योजना है इन नहरों का तत्काल कार्य प्रारंभ कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नाथूलाल (घाटोल) :

180. खेड़ी पाड़ा ददडा, में नये तालाब बनवाने तथा टिबुड़ी रामपुरा, दौलतसिह का गढ़ के अधूरे तालाबों को पूर्ण करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़) :

181. कुशलगढ़ क्षेत्र जिला बांसवाड़ा सिंचाई के साधनों के अभाव बाबत चर्चा के लिये ।

श्री माधोसिह दीवान (सोजत):

182. जिला पाली में खोड़िया गज माई तथा कटालिया नदी पर बांध बनाने की चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

183. कोलायत क्षेत्र में विद्यमान बांधों व नहरों का सुधार कर सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता :

184. विभाग में फैले व्यापक भ्रष्टाचार विशेषकर मुख्य अभियन्ता से सम्बन्धित आरोपों पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

185. राजस्थान नहर योजना से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सर्वे हो जाने के बाद भी इनको कार्यरूप में परिणित नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

186. राजस्थान नहर परियोजना के कार्य को गतिशील बनाने पर चर्चा के लिये ।

187. भाखड़ा नहर के राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) :

188. ओसियां तहसील में बाड़ी का बांध बनाने से हजारों बीघा भूमि सिंचित हो जायगी उसके सबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

189. सिंचाई विभाग में भारी घोटाले एवं व्याप्त भयकर भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल (घाटोल) :

190. घाटोल तहसील में नदियों पर लिफ्ट इरीगेशन हेतु सर्वे कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

19*. तहसील तिजारा में गुवालदा नीवाहेड़ी तथा कई स्थानों पर बांध बंधवाने हेतु चर्चा के लिये ।

192. वृहत व मध्यम सिंचाई साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर):

193. बांसवाड़ा जिला में निर्माणाधीन माही बजाज सागर परियोजना में हुई अनियमितताओं एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

194. बांसवाड़ा जिला में माही बजाज सागर परियोजना में स्थानीय बेरोजगार को काम पर नहीं लेने पर चर्चा के लिये ।

मेजर फतह सिंह (भीम) :

195. करड़िया देह बांध (भीम तहसील) और सांगावास बांध (देवगढ़ तहसील) के डूब जाने वाली कृषि भूमि एव मकानों का अविलम्ब मुआवजा दिया जाय इस पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम (तारानगर):

196. चुरू जिले के गांवों को सिद्धमुख नहर योजना तथा अन्य लिफ्ट योजनाओं के जरिये सिंचाई का पानी दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी) :

197. विधानसभा क्षेत्र फागी में सिंचाई के साधनों की कमी, बांधों को बनवाने हेतु व क्षेत्रीय सिंचाई समस्याओं के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह शेखावत (गुढ़ा) :

198. सिंचाई विभाग द्वारा राजस्थान कैनाल के कार्य को तीव्र गति से पूरा करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री हरलालसिंह खर्रा (दांतारामगढ़ी) :

199. श्री माधोपुर तहसील में झाड़ली (हरीपुरा) के पास व अजीतगढ़, हाथीदेह के पास छोटे-छोटे बांध बनाकर सिंचाई सुविधा कृषकों को देने पर चर्चा के लिये।

श्री जगतारसिंह कंग (करणपुर) :

200. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को सीनियोरोटी के मुताबिक प्रमोशन नहीं देने पर चर्चा के लिये।

201. गंगानगर की जी० पी० ब्रांच को राजस्थान कैनाल से पानी देने तथा असिंचित क्षेत्र को सिंचित कराने हेतु चर्चा के लिये।

2 2. गंगानगर की खस्ता तथा खराब हालत पर चर्चा के लिये।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) :

203. लूणकरणसर लिफ्ट से वर्तमान में कम भूमि की सिंचाई होने व टूटे हुए खालों पर चर्चा के लिये।

204. राज्य सरकार की राजस्थान नहर के निर्माण की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

205. छत्तरगढ़ मैन कैनाल के जल को लिफ्ट करके छत्तरगढ़ मैन कैनाल व लूणकरणसर लिफ्ट केनाल के बीच के क्षेत्र को सिंचित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) :

206. जिला कोटा की तहसील किशनगंज के गोपालपुरा बांध के ठेके की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा समय पर नहीं दिये जाने के कारण तीस हजार बीघा में किसानों द्वारा खेती करने से वंचित हो जाने बाबत चर्चा के लिये।

207. जिला झालावाड़ में सारोला बांध के निर्माण का ठेका मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को गलत ढंग से, बिना ठेके की स्वीकृति के ही, ठेकेदार को निर्माण करने की भ्रष्ट तरीकों से स्वीकृति दे देने बाबत चर्चा के लिये।

208. कोटा जिला के खटका, गोपालपुरा आदि चार पांच बांधों के निर्माण कार्यों मे मुख्य अभियन्ता की मिली भगत से हुए लाखों के घोटाले पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 38 व 46 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : अब जो कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत हुए हैं और जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेने हेतु अपने नाम प्रेषित करवाये हैं काफी हैं, 13। माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कोई भी माननीय सदस्य 15 मिनट से अधिक नहीं लेंगे। श्रीमती उजला अरोड़ा जो शुरू कर रही हैं, उनसे खास तौर से आग्रह करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों मांगों पर एक साथ ही निवेदन करना चाहूंगी। पानी जीवन के लिये आवश्यक वस्तु है। जिस तरह से भोजन, हवा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी पानी है। पानी रॉ-मेटीरियल है, जिसकी सहायता से अपने लिये भोजन उत्पन्न कर सकते हैं पशुओं में बढ़ोतरी कर सकते है, बिजली पैदा कर सकते हैं आदि-आदि जितनी जीवन की आवश्यक वस्तुएं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं। मैं समझती हूं इसके बारे में बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। इरिगेशन का जो इस समय पैटर्न चल रहा है उसको बदलना चाहिये। 5 करोड़ की योजना है। इन्जीनियर और आपका ताम-झाम जिस तरह से बनता है, रख-रखाव के लिये पैसा खर्च किया जा रहा है उस पैटर्न को बदलना चाहिये। यह पैसा, जो बड़ी गाढ़ी पसीने की कमाई का है, टैक्स के रूप में लेकर पब्लिक से आप इन योजनाओं में लगाते हैं, बड़े सुनियोजित ढंग से इसको विकास कार्यों में लगाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह जरूरी है, इन्जीनियर को उचित तनख्वाह मिले, पर्याप्त भत्ता मिले, वेतन मिले। इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि उन पर कन्ट्रोल भी हो। जिस काम के लिये उन्हें लिया गया है, वह कितना काम कर पाये हैं, कितना काम अभी अधूरा पड़ा है, इसके लिये एक सैल बनाया जाना चाहिये। पिछले दिनों का जो इतिहास रहा है, उससे स्पष्ट है कि कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं, यदि देखा जाय तो उनको वेतन मिलता है, उनको भत्ता मिलता है, फिर भी उन्होंने गलत रास्ते से पैसा पैदा किया है। उनके रहन-सहन के यदि ढंग को देखा जाय, उनकी सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जाये, उनके रहने के मकान देखे जायं तो वह यह शो करता है कि उन्होंने गलत ढंग से कमाई की है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी जांच की जानी चाहिये। ऐसे लोगों को सजा दी जानी चाहिये जिनके द्वारा सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो ईमानदारी से देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी, उन्हें अच्छे कामों के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इस तरह से....

एक माननीय सदस्य : आयो ! बैठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट से पहले भी बैठ सकती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बीच में जो सदस्य बाधा डालते हैं, मैं समझती हूं उनको रोका जाना जरूरी है। यह समय मेरे समय में न जोड़ा जाये।

बरसात का पानी हमारे यहां आता है। एक तरफ सूखा प्रदेश है दूसरी तरफ हमारे यहां 12 मासी नदियां नहीं हैं। बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो केवल बरसात में ही चलती हैं। इसलिये उनमें जो पानी आता है उसको रोकने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे विकास कार्य कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी लघु सिंचाई....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

योजना की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारे यहां पहले समय में भी टांके बनाये जाते थे, पानी का रख-रखाव किया जाता था और उस पानी का पीने के लिये भी उपयोग किया जाता था। उसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। कुओं को खोदने का और गहरे करने का, मैं समझती हूं, बहुत अधिक काम नहीं किया गया

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

थोड़ा सा समय ही लूंगी।

Page No. 104

(104)

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय नहीं दूंगा, आप बिराजिये मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो शब्दों में अपनी बात समाप्त कर रही हूं

बन्धे पर चार-चार फीट पानी की चादर चलती है क्यों नहीं उस पानी को इकट्ठा करके उनका गांवों में विकास कार्य के लिये उपयोग करें।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इस तरह की जब योजनायें बनायें तो लघु सिंचाई योजना को शामिल करें ताकि पनप सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय से, अभी जो योजनायें बनने जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बिराजिये आप।

श्री गुल मोहम्मद !

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज डिमाण्ड सिंचाई विभाग की है इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो भी अफसर हैं इनमें से जो गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं उनका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। सन् 1971 के अन्दर ओवरसियरों के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया और दरख्वास्तें प्राप्त की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन दरख्वास्तों के साथ में जो पोस्टल आर्डर्स मांगे गए उनकी रकम लगभग साठ हजार रुपये थी। उन साठ हजार के पोस्टल आर्डर्स का अधिकारियों ने डेस्ट्रोय कर दिया, उनको खत्म कर दिया गया। इसमें अफसरों का क्या गया, गया तो सरकार का गया। सरकार को नुकसान हुआ है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से ....

श्री ओंकार लाल चौहान : डेस्ट्राय करने का क्या मतलब है ?

श्री गुल मोहम्मद : क्या मतलब है यह तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्यों नष्ट किये गए। मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं साठ हजार की रकम को डेस्ट्रोय कर दिया, नष्ट कर दिया, इसका जिम्मेदार कौन है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सन् 1971 से लेकर 1977 तक कम से कम पांच हजार अपोइन्टमेंट इस इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंकिए गए। पांच हजार अपोइन्टमेंट किए गए हैं जिनमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर ड्राफ्टमैन, ट्रेसर्स, जूनियर ट्रेसर्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, जूनियर रिसर्च असिस्टेंट्स इत्यादि इत्यादि हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो रुपये के पोस्टल आर्डर एप्लीकेशन फार्म देने के लिए जाते हैं जब दरख्वास्त ली जाती है तो छः रुपये का पोस्टल आर्डर लिया जाता है। लेकिन इनसे किसी किस्म का पोस्टल आर्डर नहीं लिया गया जिससे 90 लाख रु. की हानि राज्य सरकार को हुई है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अधिकारियों द्वारा किया गया जिससे राज्य सरकार को हानि हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ सन् 77 के अन्दर जिलेदारों की

(श्री गुलमोहम्मद)

नियुक्ति की गई लेकिन विभाग ने इसके लिए कोई साक्षात्कार नहीं लिया। जिन लोगों ने पैसे दिये, जिन लोगों ने घूंस दी उनको जिलेदार ले लिया गया और बाकी आदमियों को वंचित रख दिया गया।

इसी तरह से और भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को, जो बहुत भ्रष्ट अधिकारी थे, आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र दिए गए जब कि उनके खिलाफ इंक्वायरीज़ चल रही थीं। कई जो सस्पेंड थे उनको प्रमोशन दिया गया है, यह पिछली सरकार के कारनामे थे।

आप और देखिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों का ठेकेदार वगैरह से कमीशन 3 पर्सेन्ट से 5 पर्सेन्ट तक बंधा हुआ है.....

(व्यवधान)

दस पर्सेंट भी होगा, आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है। जो लोग कमीशन देते हैं उनके टेंडर पास कर दिये जाते हैं और जो कमीशन नहीं दे पाते उनको टेंडर नहीं दिये जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार सारे डिपार्टमेंट में व्याप्त है। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के भ्रष्टाचार को इस विभाग से दूर किया जावे।

सन् 70 के अन्दर करीब 25-30 भ्रष्ट अधिकारियों को गंभीर आरोपों में निलम्बित किया गया था। सन् 71 में अधिकतर अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता इत्यादि निलम्बित किए गए लेकिन आज तक कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। जो निलम्बित किये गये थे उनको वापस काम पर ले लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस किसी आदमी, किसी अफसर के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, वह आरोप साबित भी हो जाते हैं और अगर वह पैसा फेंकता है, बड़े अफसरों को पैसा खिलाता है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको वापस कार्य पर ले लिया जाता है, राज्य सेवा में ले लिया जाता है। इस तरह से डिपार्टमेंट के अन्दर घूंसबाजी चल रही है, जिसके लिए एक कहावत है कि चान्दी की मेख खड़ी, तमाशा देख। इस तरह की जो कहावत है वह इस डिपार्टमेंट में सिद्ध होती है

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के अन्दर जो लिपिक वर्ग है, उसके लिए सरकारी आदेश हैं जिसके अन्दर यह कहा गया था कि कोई भी लिपिक तीन वर्ष से ज्यादा एक पद पर किसी भी विभाग के अन्दर नहीं रह सकता है। पत्र संख्या है एफ (10) सा. प्र./11/74 दिनांक 19-6-75। उसमें राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तीन वर्ष से अधिक लिपिक वर्ग का कर्मचारी एक ही पद पर नहीं रखा जावे लेकिन आज तक इसकी कोई पालना नहीं हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन दिन से नहीं बोला हूं इसलिए आज थोड़ी देर बोलने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शायद यह मेहरबानी मैं आपको नहीं दे सकूंगा। कृपया बिराजिये।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचारियों की एक चेन बनी हुई है जिसको मंत्री महोदय तोड़ने की कृपा करें। उस चेन को उठा कर देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर श्री मनोहरलाल जी माथुर हैं वे मुख्य अभियन्ता हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री कैलाश रूपराय माथुर हैं इनके नीचे अवीक्षण अभियन्ता जो हैं वे हैं श्री ओम प्रकाश माथुर, एक्स. ई. एन. महेश कुमार माथुर ....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी इस चेन को बन्द कर दीजिए और अपनी बात को जल्दी समाप्त करिये।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपको क्या तकलीफ है इसमें अगर ये सब माथुर हैं तो ?

श्री गुल मोहम्मद : सवाल इस बात का है कि जिस तरह से इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? यह इनकी चेन बनी हुई है जातीयता के आधार पर....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : यह कांग्रेस की लगाई हुई है ....

श्री गुल मोहम्मद : पहले की सरकार द्वारा ही लगाई हुई है।

एक माननीय सदस्य : जो उच्च-पदों पर लगे हुए हैं वे सीनियोरिटी के आधार पर लगे हुए हैं। इसमें कोई आपत्ति कैसे हो सकती है ?...

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : सत्य बात बहुत कड़वी होती है। सत्य को बरदाश्त करने के लिए क्षमता चाहिए। ....

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य बात तो यह है कि वे योग्य हैं या अयोग्य हैं।

श्री मदनसिंह दांता : खान साहब तो खान साहब ही रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आप इस तरह से किसी की आवाज को दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, अगर आप सत्य बात का सहारा लेकर टाइम ज्यादा जाया करेंगे तो आपको टाइम नहीं दूंगा। यहां पर हर माननीय सदस्य सच्ची बात ही कहते हैं लेकिन हर एक को ज्यादा अवसर नहीं दिया जा सकता। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गुल मोहम्मद : इसी तरह से कार्यालय सुपरिन्टेंडेंट कृष्ण बाबू श्रीवास्तव हैं और दूसरे महावीर प्रसाद माथुर हैं जो सन् 50 में इस सीट पर पैदा हुए थे और आज भी उसी सीट पर बैठे हुए हैं। क्या इनकी ठेकेदारी है इसी पोस्ट पर.....

श्री मदनसिंह दांता : इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री गुल मोहम्मद : जो चेन बनी हुई है वह बता रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाइये आप ।

श्री गुल मोहम्मद : जो भी अधिकारी हूँ मैं, उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार सजग रहे और .....

श्री मदनसिंह दांता : जनता पार्टी के आदमियों को ले जाकर बिठा दो इन अधिकारियों की जगहों पर ।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। फिर आप बीच में मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराज जाइये । माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिराजिये।

श्री गुल मोहम्मद : इस विभाग में इस तरह से सारे घोटाले हो रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुल मोहम्मद, आप बिराजिये कृपया ।

श्री गुल मोहम्मद : इसलिए मैं कहना चाहूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं बोलने दूंगा आपको ।

श्री गुल मोहम्मद : जयपुर की बात भी नहीं कहने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई बात नहीं कहेंगे । अगर आप नहीं बैठे तो मैं आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं करने दूंगा ।

श्री गुल मोहम्मद : जो जयपुर की समस्या है उसके बारे में तो निवेदन करने दें....

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी निवेदन कर चुके हैं, अब और मौका नहीं दूंगा । एक क्षण भी नहीं, एक सैकिंड भी नहीं । माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं कह चुका हूं कि आज मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा ।

श्री गुल मोहम्मद : इस तरह से इन भ्रष्ट अधिकरियों को और प्रोटेक्शन मिलेगा, इनकी बात को कहने नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में चम्बल नदी के पानी के कारण जमीन सिंचित होती है परन्तु जो जमीन सिंचित नहीं होती है, उसके लिए मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं बूंदी क्षेत्र में नवाना, रघुवीरपुरा, सलारा, देवपुरा, छत्रपुरा, हेट्टीपुरा अन्य ऐसे गांव हैं जहां पर 11,000 एकड़ जमीन है और आवादी के अन्दर हैं । लोग काश्तकारी करते हैं । इस जमीन को सिंचित करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम भी है। इससे यह 11,000 एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है और काश्तकारों को लाभ हो सकता है ।

इसी प्रकार थरमल पावर प्रोजेक्ट कोटा में लगाया जा रहा है ।उसके लिए पानी की आवश्यकता होगी । नदी के किनारे थरमल पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं । मेरा

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

यह निवेदन है कि थरमल पावर प्रोजेक्ट के पानी को वापस नदी में न डाला जाए। लिफ्ट से जो पानी इस प्रोजेक्ट के लिए लिया जाए उसको अलग नहर में डालकर एक नई नहर बनाई जाए। यह नहर तालेड़ा खटकल होती हुई लाखेरी से सवाई माधोपुर तक निकाली जाए। इस नहर से जो 65,000 एकड़ जमीन उस क्षेत्र की है, वह सिंचित होगी। इस प्रकार अत्यधिक लाभ होगा और अन्न की जो कमी है, वह पूरी होगी।

इसी प्रकार से गरड़दा का बांध है, जिसके लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है और उसके सर्वे की बात हो रही है। यह सर्वे का काम शीघ्र पूरा किया जाए। इस बांध का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो ताकि वहां की जमीन जो असिंचित है वह सिंचित हो सके।

इसी प्रकार से बड़ग्रा बांध का कार्य चल रहा है। अगर उस बांध को इस वर्ष या 1979 तक पूरा कर दिया जाए तो लगभग 8,000 एकड़ जमीन, जो असिंचित है, सिंचित होगी। इस प्रकार बूंदी क्षेत्र की जो जमीन है, वह सिंचित हो सकेगी। अगर इसको शीघ्र से शीघ्र पूरा कर दिया जाए तो बूंदी की जो असिंचित भूमि है वह सिंचित हो सकेगी।

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में 16 तालाब हैं। इन 16 तालाबों में से मंत्री महोदय के आदेश के अनुसार दस तालाब का कार्य चल रहा है। जो 6 तालाब बचे हैं उनका भी कार्य शुरू कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सी जमीन, 10-12 हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर कार्य चलते हैं, उनके अन्दर जो घोटाले होते हैं, उनके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उसके पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा। पहले सैशन में मैंने घोटालों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट रखी थी। उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई पता नहीं चला है, क्या कार्यवाही हुई? इस प्रकार हम घोटालों को सदन के सामने रखें, फिर सामने नहीं आवें और कोई कार्यवाही न हो तो इन घोटालों को यहां पर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोटाले यहां पर रखे गये हैं, उनकी जांच हो। वास्तव में जो घोटाले हुए हैं उनके लिये दोषी लोगों को पकड़ा जावे, उनके खिलाफ तथ्यों में जाकर कार्यवाही हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा तहसील है, वहां पर टेकला तालाब का कार्य चल रहा है। इसके बारे में वहां के विधायक भी निवेदन कर चुके हैं। जो भी वहां पर कार्य चल रहा है, उसमें जिस प्रकार का मैटीरियल लगाया जा रहा है, मंत्री महोदय को वह देखना चाहिये और उसकी जांच करायी जानी चाहिये। इसी प्रकार बूंदी क्षेत्र में जो नहरें बनी हैं उनमें सीमेन्ट का घोटाला किया गया है। भूतपूर्व जिला प्रमुख श्री भैरव प्रकाश की बिल्डिंग वहां के जो इन्जीनियर श्री बैरी हैं, उन्होंने बना कर दी है। उन्होंने खुद की बिल्डिंग भी बनाई है। इस तरह के घोटाले होते हैं जिसके लिए निवेदन किया है, मांग की है, परन्तु सुनवाई नहीं होती है। एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो मुख्य अभियन्ता है, उनके बारे में सारे तथ्य मैं नहीं रख सकूंगा, यदि आप

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

समय देंगे, तो मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा मेरे पास प्रतिलिपि मौजूद है इन घोटालों की उसकी एक प्रतिलिपि मैं मंत्री महोदय को देना चाहता हूं और उनसे यह विश्वास चाहता हूं....

श्री मदनसिंह दांता : पढ़ कर सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए ।

श्री मदनसिंह दांता : यह आरोप लगा देते हैं यह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी इंडिविजुअल ओपीनियन नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : We should know the opinion of the House.

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं यह निवेदन करने जा रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, सारे इन्जीनियर्स, सारे ही अधिकारी चोर हैं, यह बात मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ व्यक्ति वास्तव में चोर हैं। उन पर जो आरोप लगाये गये हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य और वास्तविकता का पता लग सके ।

इतना ही कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि जो मैंने निवेदन किया है, मंत्री महोदय इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि जो बात यहां पर रखी जाती है, उसकी वे जांच कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई के विषय में....

श्री मदनसिंह दांता : It should have gone to your table.

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद 31 साल में यह बात सराहनीय है कि राजस्थान में सिचाई के साधनों में कुछ न कुछ परिवर्तन करके उसमें नवीनता हम लाए हैं और उससे अनाज की उपज बढ़ी है । लेकिन खाद्य समस्या का उस वक्त तक समाधान हो जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि गरीब तबका यह चिल्लाता रहे कि अनाज मंहगा है । इस आधार पर इस बात को अर्ज करना चाहता हूं कि सिचाई की मांग के सिलसिले में मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिया है, उसमें मैंने यह कहा है कि मकराना में जो संगमरमर की खानें हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। उस पानी को अगर सिचाई के काम में लेते हैं तो उसे मिनरल इन्डस्ट्री और माइन्स के विकास के साथ उन समस्त खेतों की जमीन, जो बेकार पड़ी है, में पैदावार होने में मदद मिलेगी। मैंने इस सिलसिले में जो स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन है उसको एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी मि. सरीन हैं उनके माध्यम से एक रिक्वेस्ट की थी । ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने उसका सर्वे कराया है । इत्तफाक की बात है , उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माइन्स डिपार्टमेन्ट यह मानता है, इन खानों में पानी बहुत मात्रा में है। उस पानी को पम्प

(श्री अब्दुल अजीज)

द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। एक तरफ गवर्नमेन्ट का माइन्स डिपार्टमेन्ट यह बताता है और दूसरी तरफ अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड यह कहता है कि इतना पानी नहीं है कि उसको हम सिंचाई के काम में ले सकें। यह दोनों बातें डिस्प्यूटेड हैं। हाइएस्ट लेवल के इन्जीनियर्स की दोनों बातें अलग अलग हैं। इस आधार पर मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सिंचाई मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाटर बोर्ड इस पर पुनः विचार करे और लघु सिंचाई की योजना पर अमल करे ताकि जन साधारण के लिए यह लाभदायक बने। हर आदमी यह मानता है कि माइन्स में पानी है और ज्यों ज्यों माइन्स खोदी जाएगी पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो क्यों नहीं सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है कि माइन्स में छोटे छोटे पम्प लगाकर रेगुलर सिंचाई की व्यवस्था करे। इससे राजस्थान का एक इलाका हरा भरा होगा, अनाज पैदा होगा और जो माइन्स है, उनसे जो मिनरल मिलता है, वह भी आसानी से उपलब्ध होता रहेगा। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। यह अच्छा सुझाव है हमारी सरकार को खान से आमदनी होगी, मिनरल इन्डस्ट्रीज बढ़ेंगी। इन दोनों पर्पज के लिए यह योजना लाभदायक होगी और खाद्य समस्या को भी हल करेगी।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनन्दन व्यास!

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं सिंचाई मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 139 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्थान के विकास के लिए सिंचाई के मद में रखा है। साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 139 करोड़ रुपया अगले वर्ष 31 मार्च के पहले पहले खर्च हो जाए ताकि यह लेप्स न हो जाए और बाद में हमें शर्म आवे कि हमारा इतना पैसा इन इन्जीनियर्स महोदय की गलतियों के कारण लेप्स हो गया। तो इस ओर ध्यान रखें।

एक तरफ हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्राउन्ड वाटर के उपयोग का प्रश्न है। इसके साथ ही भू-संरक्षण का और सिंचाई का प्रश्न है। राजस्थान का सांचौर व जालौर भूभाग है उस क्षेत्र में लूनी नदी और जवाई नदी के बांध हैं। लूनी नदी के पानी का सही उपयोग हो तो चार लाख एकड़ में गेहूं पैदा हो सकता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वे के नाम पर इन्जीनियर्स ने सांचौर और जालौर में क्या किया। छोटे-छोटे बांध थे वह सारे के सारे उपेक्षित पड़े हैं। वह उनकी अयोग्यता का रूप प्रदर्शित करते हैं। कहावत है, पढ़ा है गुना नहीं। उन्होंने डिग्री तो ले ली है लेकिन समझा कुछ नहीं है। सारी की सारी सर्वे इन्वेस्टीगेशन की मशीनरी है, जो सिंचाई से सम्बन्धित हैं, उसको ठीक करें। चाहे वह बड़े बांध हों, चाहे छोटे बांध हों उनकी मरम्मत कराई जाये। मैं निवेदन करूंगा कि सर्वे करने के लिए जो गांव में बैठे हैं, उनकी आप उपेक्षा करते हैं उनसे आप राय लेने की कृपा करें। वहां भ्रष्टाचार करने के सिवाय कोई काम नहीं है। सिरोही और जालौर जिले में 50 इन्जीनियर चाहिए। सांचौर तहसील और जालौर तहसील में जो बांध पड़े हुए हैं, उनको मरम्मत

(श्री रघुनन्दन व्यास)

कराई जाये । सिरोही और जालौर में तीन-तीन, चार-चार फीट बांधों को बढ़ाइये । मैं उन बांधों के नाम नहीं लूंगा । उनसे कम से कम 50 हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी । थोड़े से खर्चे से भूमि सिंचित हो सकेगी । इसका सिंचाई मंत्री ध्यान रखें । जवाई बांध पर खर्चा हुआ लेकिन जवाई बांध ओवर फ्लो नहीं हुआ । तीन करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी जवाई बांध भर नहीं सकता है, इसका मतलब है कि कोई न कोई कमी है ।

जालौर और सिरोही दोनों ऐतिहासिक नगर हैं । इसी प्रकार से तालाब आदि भी बहुत पुराने हैं । उनसे सिंचाई होती रही है। आज जालौर और सिरोही के तालाब खाली पड़े हैं। कुछ उनकी रिपेयर हो जायें तो उससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं । गांवों में जो छोटे-छोटे टूटे-फूटे हुए तालाब हैं, उनकी मरम्मत हो जाये और कुछ काम हो जाय तो बहुत सा इलाका सिंचित हो सकता है। जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं जैसे नर्बदा योजना है, माही योजना है, राजस्थान कैनाल है उनमें पैसे का मिसयूज हुआ है । उसका वास्तव में प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं की ओर ध्यान दिया जाये। यदि इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो लोगों को भ्रम में अनास्था पैदा होती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें । 145 करोड़ रुपया सिंचाई के लिए मिला है, उसका उपयोग पूरा किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मूलचन्द सामरिया ।

श्री नूरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज शिक्षक संघ का शिष्टमण्डल आया हुआ है । उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये । उनकी मांगें ऐसी हैं जो वाजिब हैं । उन लोगों में असन्तोष है । इसलिए सरकार से आप कहें कि उनकी मांगों के बारे में ध्यान दे और उनसे मिलने के लिए प्रबन्ध करें ।

(व्यवधान)

उनकी मांगें वाजिब हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि मन्त्री महोदय वहां पहुंच गये हों ।

श्री शिवचरण सिंह : पहुंचे नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको रिसीव करने की व्यवस्था कर दी है ।

श्री शिवचरण सिंह : वह व्यवस्था कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में ऐसी नदियां नहीं हैं जिन पर बांध बनाये जा सकें । एक जो बांध सिंचाई के लिए बनाया गया था वह पेयजल के काम में आता है । ढूंढ नदी के सन्दर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि उस पर बांध बनाया जाये या जयपुर के लिये पेयजल की और व्यवस्था करवा दें । जयपुर जिले का जो बांध जमवा रामगढ़ है वह सिंचाई के लिए बनाया

(श्री मूलचन्द डागा)

गया था। उसको पुनः सिंचाई के लिए दिया जा सकता है। जमवा रामगढ़ से तीन तहसीलों की सिंचाई की जा सकती है। जमवा रामगढ किसानों की खेती के लिए बनाया गया था, इस पर करोड़ो रुपया खर्च किया गया था लेकिन यह सिंचाई के काम में नहीं आ रहा है। आज राजस्थान सरकार जयपुर के लिये पेयजल की व्यवस्था अलग से नहीं कर रही है। इस कारण जो एकमात्र सिंचाई का साधन जमवा रामगढ़ का पानी था, वह छीन लिया गया। जयपुर की जनता के पेट में कीड़ों की शिकायत आम तौर से पाई जाती है। जयपुर के सेन्ट पर्सेन्ट निवासियों के पेट में जमवा रामगढ़ का पानी पीने से कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े वाली बीमारी हो जाती है। जयपुर, टौंक, ब्यावर, अजमेर और किशनगढ़ के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए बनास योजना बनाई गयी थी। इस पर 50 लाख रुपया खर्च हुआ। बनास योजना को हाथ में लिया जाय, यह जरूरी है लेकिन सरकार तैयार नहीं है। क्या बनास में पानी नहीं है? जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि शहरों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाये। जमवा रामगढ़ का कीड़ों वाला पानी सिंचाई के लिए है। वह खेतों की सिंचाई के काम में लिया जाये। जनता सरकार बनी है और मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि सर्वप्रथम पेयजल के मामले को प्राथमिकता देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां–जहां पेयजल की समस्या है, वहां-वहां उसको हल करने के लिए सरकार सब से ज्यादा ध्यान दे। इसीलिए आपने यह डिपार्टमेन्ट अपने पास रखा है।

पिछले साल जो सिंचाई की स्थिति रही है, वह सन्तोषजनक रही है। इसके लिए मैं अधिकारियों को बधाई देता हूं

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जमवा रामगढ़ बांध के पानी के सम्बन्ध में हमेशा यह दिक्कत रहती है कि जयपुर के लिए कितना पानी दिया जाय और सिंचाई के लिए कितना पानी दिया जाय.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिए जलदाय विभाग और सिंचाई विभाग को तय करना चाहिए जिस समय किसान को जरूरत हो उस समय मोरियां खोल दी जानी चाहिए।

साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भूमि के कटाव की भी समस्या है। सूर्य नदी की वजह से भूमि में कटाव हो जाता है। यह कटाव दो जगह पर होता है एक तो सूरजपुरा के पास और दूसरा तिजोरी नदी के पास। इन जगहों पर यदि आप एनीकट्स बनवा देंगे तो कटाव रुक सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में यह निवेदन करूंगा कि पहले वाली सरकार ने गंगा और यमुना के पानी को लाने घोषणा की थी। मैं निवेदन कर दूं कि इस सरकार को साहस के साथ घोषणा करनी चाहिए कि उस पानी को लाया जायगा। यह दिखा दें कि पिछली सरकार केवल घोषणायें ही करती थी और हम इसको पूरा करके दिखा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को आप सिंचाई के साधन उपलब्ध करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह नदेरा !

(अनुपस्थित)

श्री राम सिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई का किसी देश या प्रान्त के अन्दर खेती की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व होता है । जिस प्रान्त के अन्दर सिंचाई के साधन ज्यादा होंगे, सिंचाई की दरें समान होंगी और ज्यादा से ज्यादा किसानों को सिंचाई की सुविधायें प्राप्त होंगी वह प्रान्त और वहां के किसान बहुत ज्यादा खुशहाल होंगे । लेकिन जिस प्रान्त के अन्दर सिंचाई के अन्दर असमानता है, किसी क्षेत्र के अन्दर ज्यादा सुविधायें हैं और कहीं पीने के लिए पानी नहीं है , खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, जहां पर दो तीन साल में अकाल पड़ जाता है और दो सौ-तीन सौ फीट नीचे से पानी निकलता है, तो वहां किसान दूसरे प्रान्तों के किसानों के मुकाबले खड़ा नहीं रह सकता । मान्यवर, जिस प्रान्त के अन्दर एक किसान को कम खर्च में ज्यादा उपज सिंचाई के साधनों की वजह से हो और एक किसान के यहां अकाल पड़ने की वजह से सिंचाई के साधन न हों और साधन उपलब्ध हों तो सिंचाई पर ज्यादा खर्चा आयेगा , इस तरह की असमानता होगी तो वहां का किसान अपने जीवन स्तर को बनाये नहीं रख सकता। इसलिए मेरी मान्यता है कि प्रान्त के अन्दर समान रूप से सिंचाई के साधन प्राप्त होने चाहिए। मैं मारवाड़,जोधपुर, बीकानेर, जालौर, पाली, नागौर की बात कहूं, यहां के किसान बहुत मेहनती हैं लेकिन प्राकृतिक मजबूरियों के कारण यह किसान आने वाले समय में कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते और हिन्दुस्तान और राजस्थान के दूसरे किसानों के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते । इसकी वजह है, मान्यवर, अपनी उपज पैदा करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। एक ओर पंजाब और हरियाणा में जहां किसानों को एक क्विण्टल गेहूं पैदा करने के लिए 80/- रुपये खर्च करना पड़ते हैं वहां राजस्थान में और स्पेशली मारवाड़ के अन्दर दो सौ रुपया एक क्विण्टल गेहूं के लिये खर्च करना पड़ता है । यही नहीं उस गेहूं को 105/- रुपये क्विन्टल में बेचना पड़ता है । मान्यवर, अगर उसके पास पशुपालन का धन्धा न हो, उसके घर के बच्चे और औरत काम नहीं करे तो खेती से जो अनाज उसको उपलब्ध होता है उस अनाज से वह अपना और परिवार का पेट भी नहीं भर सकता है। ऐसी स्थिति में, मान्यवर, राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रान्त के अन्दर समान रूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध करे। ऐसी हालत के अन्दर मारवाड़ में सन्तोष नहीं हो सकता कि 126 करोड़ तो आप पूर्वी राजस्थान के ऊपर खर्च करो और हमारे यहां एक दो करोड़ ही छोटे-मोटे कामों के ऊपर खर्च करो। इससे वहां की जनता को खुश रखना चाहते हैं ? यह वहां की जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है इसलिये समानता की दृष्टि से देखा जाय ताकि पूर्व और पश्चिम की बात फिर कभी नहीं की जाय । इससे पश्चिमी क्षेत्रों में रोष फैलना स्वाभाविक है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे देश के अन्दर यदि आप समान रूप से किसानों को उठाना चाहते हैं तो सिंचाई की समान व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजस्थान नहरसे लिफ्ट

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इरिगेशन की व्यवस्था मारवाड़ के अन्दर, नागौर,पाली,जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर करनी पड़ेगी चाहे इस पर अरबों रुपया ही क्यों न खर्च करना पड़े और विश्व बैंक से या दूसरे कन्ट्री से ही क्यों न व्यवस्था करनी पड़े । अगर यह व्यवस्था नहीं होगी तो आने वाले समय में किसानों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में असमानता बढ़ जायगी और जहां पर सिचाई के साधन ज्यादा उपलब्ध हैं उनके मुकाबले में मारवाड़ का किसान खड़ा नहीं हो सकेगा ।

मान्यवर, दो मिनट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, निर्धारित समय हो चुका है । जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे क्षेत्र के अन्दर जो एक विसलपुर बांध है जो पिछले दो वर्षों से टूट गया है उसकी मरम्मत नहीं कराई गई उससे हजारों मन अनाज पैदा किया जा सकता है लेकिन बांध के टूट जाने के कारण और उसकी मरम्मत नहीं होने के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है , आज तक उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई, इसकी जांच की जानी चाहिए ।

दूसरा जसवन्तसागर बांध है जिसकी पाल टूट गई है । उसको ठीक करने के नाम पर हजारों रुपयों का घोटाला व मरम्मत के नाम पर, नहरों की सफाई के नाम पर हजारों का घोटाला किया गया । हजारों रुपया प्रति वर्ष अधिकारी लोग

(समय-समाप्ति- सूचक-घंटी)

हजम कर जाते हैं, इसलिए मैं मांग करूंगा कि इसकी भी जांच की जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ !

श्री रामरघुनाथ चौधरी(डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में रहने वाले 75 प्रतिशत किसान देहातों में रहते हैं , उनका मुख्यतः धन्धा पशुपालन और काश्त है। कृषि या तो सिंचाई से हो सकती है या प्रकृति पर निर्भर रह कर बरसात के जरिये हो सकती है । इन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं भगवान के भरोसे बरसात पर निर्भर रहते हैं और कुछ लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये गये हैं जो वर्षों से लाभ तो उठाते ही हैं पर कृषि के लिये सिंचाई का अतिरिक्त साधन है जिससे उनका आर्थिक स्तर बढ़ा है , सुधरा है । अतः हमें चाहिए कि ऐसी एक मास्टर योजना बनाई जाय जिससे सारा राजस्थान लाभान्वित हो सके। जिस तरह से कि पश्चिमी राजस्थान के लिए लिफ्ट योजना बनाई, इस योजना पर बहुत ही गम्भीरता से सोच कर इसे सफल बनाने की आवश्यकता है । इस तरह की योजना बनायें जिससे कि सम्पूर्ण राजस्थान को सिंचित क्षेत्र बनाया जा सके, इसके बारे में सोचना पड़ेगा । लिफ्ट इरिगेशन की योजना, जो हमने पहले पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों के लिए बनाई, को नजर अन्दाज किया जा सकता है। निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान की भूमि समतल और उपजाऊ है पर प्यासी है । अगर उसे पानी मिल जाय तो सोना उगलेगी । इस भूमि को डवलप करने में ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा । वहां का किसान भी इस उम्मीद में बैठा है कि पानी जल्दी व अवश्य आयेगा, हमारे खेत भी हरे भरे होंगे, हम भी विकास कर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सकेंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकेंगे। अतः मैं चाहूंगा कि उस समस्या की तरफ, उस योजना पर भी गम्भीरता से सोचा जाय और जल्दी से जल्दी उसको लागू किया जाय ताकि जो अच्छी भूमि है और समतल जमीन है उसमें उपज पैदा कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और अपने आपको सुदृढ कर सके।

मैं पश्चिमी राजस्थान के और अपने इलाके के कुछ छोटे-मोटे बांधों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो पिछले अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये थे और अधूरे रह गये थे। उनमें करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है। चूंकि वह पूरे नहीं हुए इसलिए जो लागत उनमें लगी है आज तक उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, न तो किसान को कोई लाभ मिला और न सरकार को। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, उन एनीकट्स को और बांधों को, जो अधूरे रह गये हैं फिर से प्रारम्भ कर अविलम्ब पूरा करें ताकि किसानों को लाभ मिल सके और जल्दी से जल्दी उनको यह सुविधा मिल सके।

मैं मेरे इलाके के इस तरह के बांधों व एनीकट्स के कुछ नाम भी बताना चाहूंगा जिन पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन अधूरे पड़े हैं। उन पर कोई गौर नहीं किया गया है। एक मुख्य तो राजलोता एनीकट है जो अधूरा बना है। पूरा होने पर सैंकड़ों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। अभी वर्षा के पानी का बहाव गांवों में होकर है। अधिक बरसात के कारण पानी घरों व बाड़ों में चला जाता है जिससे प्रति वर्ष नुकसान होता है। उसकी ओर आप ध्यान दें और अविलम्ब पूरा करायें।

दूसरे हरचंड़ा का बांध है। उसको अधूरा छोड़ दिया गया है। उसमें पानी ज्यादा आता है लेकिन उसको रोकने की क्षमता नहीं है। इसलिए उसको रेज किया जाए ताकि उससे सिंचाई क्षमता बढ़ सके व जो पानी फालतू बह जाता है उसका उपयोग हो सके। साथ ही बनवाड़ा एनीकट, मोडी एनीकट, रेहिसड़ा बांध, माताजी बांध वगैरह कई छोटे-मोटे बांध हैं जिन्हें तुरन्त पूरा कराना आवश्यक है। इसके अलावा और भी बांध हैं जिनके बारे में विभाग अच्छी तरह से जानता है। अतः उनको पूरा करने के लिए विभाग योजना बनाये।

नलकूपों की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह योजना शुरू में बड़े पैमाने पर ली गई और भूजल विभाग ने शुरुआत के अन्दर अच्छा काम करना शुरू किया। लेकिन अब यह विभाग भी भ्रष्टाचार से नहीं बचा। जो नलकूप खोद कर किसानों को सुपुर्द करते हैं उसमें दोष है, भ्रष्टाचार है। जब विभाग के लोग कुए खोदने के लिए आते हैं तो नियम है एवं उनका फर्ज है कि कुआं खोदने के बाद व किसान को सौंपने से पूर्व भूमि का और जल का टैस्ट करा कर जब इस निर्णय पर पहुंचें कि जमीन और पानी अच्छा है तब ही किसानों को नलकूप सुपुर्द किए जायें अन्यथा नहीं। पर इसकी जगह विभाग ने व विभाग के अधिकारियों ने बड़े मनमाने तरीकों से कार्य किया है। इस तरह के कई कुएं जिनका पानी खराब है। राज्य सरकार इस बात के लिये बाध्य है कि उन कुओं को बंद कर दे जिन कुओं का पानी खारा अथवा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

फसल के लिए ठीक नहीं है उन कुओं को किसानों के सुपुर्द न किया जाए। विशेषकर उस समय तक जब तक कि पानी टेस्ट नहीं करवाया जाय । इस तरह के कुएं, जिनका पानी उपज के लिये खराब है , गरीब को सुपुर्द कर देते हैं । उस ऋण से किसान और मर जाता है, ऋण कभी नहीं चुकता । न सरकार को फायदा होता है न किसान को । इस तरह की योजनायें अधूरी व गलत हैं । अतः सरकार पाबंद है कि टेस्ट कराए । वह पानी जमीन व उपज के लिए ठीक हो तभी किसान को सुपुर्द करे । जो कुएं गलत दिए हैं वह वापस लें। इतना ही नहीं उन पर जो मशीनें लगाई गई हैं, वे ठीक नहीं हैं । किसी को ओबलाइज करना होगा इसलिए पुरानी मशीनें नई मशीनों के नाम पर लगा दी व किसान से नई के पैसे ले लिए। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की मशीनें अगर कुओं में लगेंगी तो किसान कैसे सिंचाई करेगा और कैसे उत्पादन बढाएगा? इस तरह को बेईमानी से किसान के साथ जो धोखा हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है ? राज्य सरकार को चाहिये कि उन तमाम लोगों को रुपये वापस करे जिनके कुओं पर पुरानी , खराब मशीनें लगा दी गई हैं ।

जिन गांवों में कुछ नलकूप खोदे गये हैं अब वहां कुएं खोदने पर प्रतिबंध लगा दिया है । अधिक कुए होने से जमीन के अन्दर वाले पानी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इसलिए वे उस विशेष इलाके मे कुएं नहीं बढ़ा रहे हैं। जब तक जमीन में पानी के बारे में पूरा सर्वेक्षण नहीं करा लेते तब तक कुछ पता नहीं लग सकता कि वहां कितना पानी है। क्योंकि कई वर्षों से वर्षा काफी हो रही है इसलिए पानी का लेवल भी काफी बढ़ गया है । मेरा निवेदन है कि उसका दुबारा सर्वेक्षण करायें। कई काश्तकार आशा लगा कर बैठे हैं कि हमारे इलाके में नलकूप लगायेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ): उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मुसीबत को अच्छी तरह से समझता हूं लेकिन जिस तरह से जिन–जिन माननीय सदस्यों के जिलों में अकाल था उनको आपने समय दिया, उसी तरह मुझे भी समय दें । हो सकता है कि एक आध मिनट मैं ज्यादा ले लूं क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसमें अकाल निवारण की ज्यादा क्षमता है । मैं अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों की तरफ नहीं जाऊंगा।

मेरे क्षेत्र में बनास, बेडच मेनाल, अरवली कोठारी, सोम तथा नोलप दूसरी बड़ी-बड़ी नदियां हैं इनमें से कुछ पर बांध आपने बनवाने की कृपा की है इसके लिए मैं आभारी हूं । गोंवटा तालाब (मेनाल) हजारों बीघा जमीन की सिंचाई करता है लेकिन सबको जान कर दुःख होगा कि गोवटा का नाम मात्र है । उसमें पानी नहीं जाता । आप लिफ्ट कैनाल बनायें तो देवलिया बांध का जो सर्वे पूरा हो चुका है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी । लिफ्ट कैनाल बनने से हजारों बीघा जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

वोरीमाता डैम का सर्वे हो चुका है लेकिन काम चालू नहीं हुआ है । उसको देखें ताकि जल्दी से जल्दी काम चालू हो सके।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

इसके अलावा काछोला जो शाहपुरा राज्य के कब्जे में था उसके आस-पास में तालाब नहीं है। वहां एनीकट बना हुआ था, वह टूट गया है। उसको कृपया वापस बनायें ताकि कुओं का जल स्तर ऊंचा आ जाय और बढ़िया से बढ़िया जमीन है, कुओं से उसकी कुछ पिलाई हो सके। काछोला कस्बे के पास कुन्डमा खाल बंधने पर ही काछोला और आस-पास के कुओं का जल स्तर ऊंचा उठ सकता है। आमां तहसील कोटडी के तालाब की क्षमता भी बढ़ सकती है। खाचरौल का एनीकट का सर्वे हो चुका है लेकिन काम चालू नहीं हुआ। जन्झोला और सगताजी का खेडा के मध्य सोन नदी पर एनीकट बनवायें ताकि कुओं का जल स्तर ऊंचा उठे। बांगटला ऐसा क्षेत्र है जहां बस की शक्ल नहीं दिखती। कोई आवागमन का साधन नहीं। वह क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। नोलप नदी में एनीकट्स बनायें जायें ताकि वाटर लेवल ऊंचा हो जाए। बांदरमूथा बांध श्याम पुरा के पास है। उसका सर्वे हो चुका है। वह एक दम इन्टीरियर में है। उसका सर्वे हो चुका है। उसका काम चालू करवायें ताकि जो बंजर भूमि है वह उपजाऊ बन सके। संग्रामपुरा तालाब को पूरा करें। माताजी खेड़ा और रानी खेडा तालाब को पंचायत समिति से लेकर सिंचाई विभाग को दें ताकि उसकी क्षमता बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा अनाज उससे पैदा हो बरूदनी तालाब पचानपुरा एवं रसून्दा तथा खडीपुरा तालाब बनायें अभी मंत्री जी मंडक बांध को देखने आये थे। शाम हो चुकी थी फिर भी इन्होंने चूने का नमूना लिया। यह ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, जितने भी आपके विभाग के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग बुलायें और उनको शपथ दिलायें शराब काम में न लेने की। मास्टर साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आपके कमाऊ पूत हैं उनमें सिंचाई विभाग भी है। सड़क विभाग में अगर भ्रष्टाचार करते हैं, तो सड़क टूटेगी लेकिन सिंचाई विभाग में बांध में रेत ज्यादा मिलायेंगे, सीमेंट में रेत अधिक मिलायेंगे तो हजारों आदमी मरेंगे। मैं नहीं कहता कि सब कमाते हैं। जब शराब की आदत पड़ती है तो उनको मजबूर होना पड़ता है। इसलिये उनको कसम दिलवायें तो कृपा होगी। आज 19 जिलों में अकाल है, जहां-जहां बांध बनवायेंगे वहां अकाल नहीं पड़ेगा। मांडलगढ़ दूसरा गंगानगर बनेगा, मांडलगढ़, शराब से मुक्त है। लोगों को अनाज उपलब्ध कराने में गर्व का अनुभव करेगा, इसलिये जितने भी बांध व तालाब बन सकते हैं बनाइए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम करण सिंह !

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबदाता है। लोग इसको अन्नदाता कहते हैं लेकिन वह सबदाता है। कौनसी ऐसी चीज है जो किसान देश के लोगों को नहीं देता ? सब चीजें देता है। यदि किसी प्रांत या देश की बहबूदी बढ़ती तो केवल किसान के जरिये ही। किसान का संबंध सीधा सिंचाई से है। यदि यू.पी. के बराबर हमारे राज्य का करना है, हरियाणा व पंजाब की तरह हमारे प्रांत की पैदावार बढ़ानी है तो आपको उन प्रांतों के मुकाबले में खर्चा करना पड़ेगा और अच्छी योजनायें लागू करनी होगी।

(श्री रामकरण सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे ही क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र कोटपूतली में पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई भी काम नहीं कराया। पिछली सरकार का एक भी निशान वहां पर नहीं छूटा हुआ है। इसका कारण है कि वहां पर कोई काम ही नहीं हुआ। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वहां पर कुछ भी काम नहीं कराया उसी तरह यह सरकार भी कोई काम नहीं कराना चाहती है तो फिर हमारा कहना ही बेकार है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कोटपूतली में स्टेट के जमाने का एक कुंवेरा बान्ध है वह कोई नया नहीं है बहुत पुराना है। बाकी वहां पर कोई बांध नहीं है। वहां पर दांतली के बान्ध और बनाड़ी के बान्ध का सर्वे हो चुका है करीब सात साल हो चुके हैं। सभी प्रकार के टैस्ट हो चुके हैं पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्यवाही नहीं होने से बनाड़ी के बांध की योजना की हालत तो यह हो गयी है कि सीप आने से सारी स्थिति ही खराब हो गयी है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर दलदल ही हो गया है। उसके बारे में तो राज्य सरकार कुछ व्यवस्था करे। साथ ही दातली का बांध जल्दी से जल्दी आप अगर बनायें तो उससे हमारे कोटपूतली क्षेत्र के कई इलाकों में खेती हो सकती है। इससे दो फायदे हैं, एक तो वहां सिंचाई हो जायेगी जिससे उत्पादन बढ़ेगा और दूसरे जो अनाज का अभाव है वह भी दूर हो जायगा इससे आप वहां की जनता का काफी लाभ पहुंचायेंगे। आप दोनों ही तरह से कोटपूतली की जनता का लाभ कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सारे टैस्ट हो चुके हैं, योजना बन चुकी है सिर्फ कार्यवाही करने की देरी है। तो सिंचाई मन्त्री इस ओर ध्यान दें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है भूमि संगठन के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में एक जगह टापरी है। उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाके का नाम ही टापरी पड़ गया क्योंकि उस इलाके की टापू जैसी स्थिति हो गयी है। 25-30 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। चारों तरफ नाले हैं। उस इलाके की हालत तो टापू की तरह हो गयी है। वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ। अगर थोड़ी सी रकम लगा दें तो उस क्षेत्र की स्थिति काफी ठीक हो सकती है। वहां पर आपने बोरिंग कराये हैं, योजनायें भी बनायी हैं। उनको यदि पूरा किया जाय तो उनसे काफी लाभ हो सकता है। मगर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि योजनायें बन जाती हैं, आपके यहां आती भी हैं पर वह सारी योजनायें आपके सेक्रेटेरियट में पड़ी रहती हैं। किसी के द्वारा इनीशियेटिव ही नहीं लिया जाता है, किसी को भी किसी प्रकार की चिन्ता ही नहीं है।

आपके अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने बोरिंग किये हैं स्कीम बनायी है पर पांच-सात साल हो गये हैं कोई काम नहीं हो रहा रहा है। मैं समझता हूं कि 5-7 साल तक अगर वहां पर कोई काम नहीं हुआ तो लोग स्कीम को भूल जायेंगे। इसलिये मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह

(श्री रामकरण सिंह)

भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास जो भी योजनायें आती हैं आप उन योजनाओं के लिये कम से कम धन तो दें। आपके नीचे के इन्जीनियर्स स्कीम बना कर भेजते हैं, तो चाहे अकाल राहत कार्यों के तहत धन दें चाहे फ्लड्स आते हैं उसके तहत दें। आप कम से कम उनकी ओर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली में तीन जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत भारी नुकसान होता है। आप तो दिल्ली आते-जाते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि आपको इन तीन स्थानों पर बहुत भारी परेशानी होती है। वहां पर फ्लड्स से काफी नुकसान होता है। उससे नेशनल हाई-वे की रोड्स को तो नुकसान होता ही है उसके साथ-साथ वह पानी कोटपूतली कस्बे के अन्दर लोगों के घरों में घुस जाता है। उससे जनता का बहुत नुकसान होता है। मुझे पता नहीं लगता कि क्या बात है आखिर, आपके अधिकारी लोग, जो सचिवालय में बैठते हैं, चुप्पी लगाये क्यों बैठे रहते हैं? कोई कार्यवाही नहीं होती है। आखिर यह क्यों है? आप खुद अपने हाथ से काम नहीं करें लेकिन आपको नीचे के लोग स्थानीय कठिनाइयों के अनुसार स्कीम बना कर देते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर नीचे के लोग काम नहीं करें तो बात दूसरी है, उनको दोषी भी कहें। उन बेचारों ने अपना काम करके दे दिया पर आपके सेक्रेटेरियट के अधिकारी लोगों की मनमानी की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने इसके लिये कम से कम दस स्थगन प्रस्ताव इस सदन में दिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सोचते होंगे कि रोजाना स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं पर क्या करूं मुझे राज्य सरकार का ध्यान तो आकर्षित करना ही पड़ता है। स्थगन प्रस्ताव देने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सदन में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था तो मुख्य मंत्रीजी ने खड़े होकर यह कहा कि क्या उसकी योजना बना ली गयी है? मैंने सोचा, अब तो शायद मुख्य मंत्रीजी के आग्रह पर वहां कार्यवाही शुरू हो जायेगी पर, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में कोई इनिशियेटिव नहीं लिया गया। आज आपके कलेक्टर साहब व सिंचाई विभाग के अधिकारी और पूरे सेक्रेटेरियट के अधिकारी लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। वह धन ही नहीं देते हैं। वह अकाल के मामले में धन बांट देते हैं पर यों किसी योजना के लिये चार हजार रुपये खर्च करने को तैयार नहीं हैं। अरे ठीक है साहब, आप अपनी सूझबूझ से कोई योजना नहीं बनाओ तो मत बनाओ लेकिन आपके नीचे के विभाग स्कीम्स बनायें कम से कम उन्हें तो आप जल्दी शुरू करा कर पूरा करावें ताकि जनता को उनका लाभ तो हो और जो हानि होती है वह नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी !

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी इलाके में सदैव ही अकाल की छाया पड़ी रहती है उसके कारण राज्य सरकार को इतने सालों में अरबों रुपये खर्च करने पड़े है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल की छाया मिटाई जा सकती है। जितना रुपया हम अकाल के समय खर्च करते हैं उस रुपये से अकाल के पहले ही हम अगर हमारे यहां की जो योजनायें हैं इन्हें पूरा कर लें तो अकाल राजस्थान के पश्चिमी इलाके से समाप्त हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे

(श्री विरदमल सिंघवी)

यहां पर पहले की सरकार ने अकाल की विभीषिका को दूर करने के लिये राजस्थान नहर से लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम बनायी थी लेकिन अब ऐसा सोचा जाता है और सुना भी जाता है कि शायद लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम खटाई में पड़ गयी है। इसके लिये कुछ इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है कि लिफ्ट इर्रिगेशन की योजना पश्चिम राजस्थान में लागू करने से बहुत महंगी किसानों को पड़ेगी इसलिये वह लागू नहीं की जा रही है। इसमें यह तर्क दिया जा रहा है कि राज्य सरकार की पोलिसी नो प्रोफिट नोलोस की है पर इससे लोस होता है। सरकार व्यापारिक संस्थान नहीं है जिससे कि फायदा या नुकसान की बात सोची जावे। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो न रेलों का विकास होगा, न सड़कों का विकास होगा और न बिजली का ही विकास हो सकेगा। इस प्रकार जो पहले से अविकसित क्षेत्र हैं वह हमेशा के लिये ही अविकसित रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार की इच्छा है कि पश्चिमी राजस्थान का विकास हो, वह पिछड़ा नहीं रहे तो राज्य सरकार को यह नो प्रोफिट नो लोस की नीति को छोड़ना पड़ेगा। आज हमारी सरकार अन्त्योदय योजना को लागू करना चाहती है, गरीबों को ऊपर उठाना चाहती है, अविकसित को विकसित करने की मंशा रखती है तो सरकार को यह नो प्रोफिट नो लोस की नीति को छोड़कर राजस्थान के पश्चिमी इलाके में राजस्थान नहर से लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम्स लागू करनी चाहिये। इससे ही जो क्षेत्रीय इम्बेलेन्स है वह मिट सकेगा वरना वह इलाका पिछड़ा ही रह जायगा। अगर आप क्षेत्रीय असन्तुलन मिटाना चाहते हैं पश्चिमी राजस्थान जो सदियों से पिछड़ा हुआ है, को विकसित करना चाहते हैं और भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के पश्चिमी इलाके के विकास के लिये और अकाल को हमेशा के लिये विदा करने के लिये वहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन से सिंचाई करने की योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। यह जो बात कही जाती है कि लिफ्ट इर्रिगेशन मंहगी पड़ती है इसको आपको त्यागना पड़ेगा। जो सिंचाई नेचरल फ्लो से करते हैं और जो लिफ्ट इर्रिगेशन से सिंचाई होती है, इन दोनों का जो खर्चा आता है उसका अनुपात बना कर आप वहां पर सिंचाई के चार्जेज काश्तकारों से लें। अगर आप लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम को लागू कर देते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका मरु प्रदेश कहलाता है वह एकदम हरा भरा हो जायेगा। आज जहां पर आपको अकाल और सूखे की स्थिति के कारण करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं वह बच ही जायेंगे। गंगानगर का इलाका गंगानहर आने के पहले डेजर्ट था किन्तु गंगानहर आने के बाद और राजस्थान नहर शुरू होने से जिस तरह पूरा इलाका हरा भरा हो गया है उसी तरह लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम शुरू होने से यह राजस्थान का मरु प्रदेश भी हरा भरा हो जायेगा। इसके साथ साथ हमारे यहां से जो केटल माइग्रेट होती है अकाल के समय में वह भी बन्द हो जायेगी। अकाल के समय में जो केटल पश्चिमी राजस्थान से मध्य प्रदेश को जाती है और लोगों को दिक्कतें आती हैं वह बन्द हो जायेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो भेड़ों के लिये कह रहे थे।

श्री बिरदमल सिंघवी : यह क्षेत्र हरा-भरा हो जाने से हमारे यहां पर पशुधन का भी हम अच्छी तरह से विकास कर सकेंगे। इससे हमारे डेयरी का डवलपमेंट करने की जो योजना है वह भी अच्छी तरह से विकसित हो सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हमारे यहां पश्चिमी राजस्थान में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू करें जिससे कि जनता को लाभ हो और सरकार को भी लाभ हो। श्रीमान, चूंकि यह योजना कांग्रेस सरकार ने बनायी थी इसलिये इनको रद्द किया जा रहा है तो यह उचित बात नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार लिफ्ट इरिगेशन की जो स्कीम्स बनी हुई हैं उन्हें जल्दी से जल्दी शुरू करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में एक व्यवस्था खेती करने की और है जो कि विशेष रूप से जैसलमेर और हमारे पश्चिमी राजस्थान के मरु हिस्से में पायी जाती है। वहां पर जब बरसात आती है तो पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार के बान्धों को खडीन बान्ध कहते हैं। बाद में जब पानी सूख जाता है तब उससे जमीन पर सिंचाई की जाती है। पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में इस प्रकार के 200 खडीन बान्ध होंगे। इस प्रकार के 50-60 बान्ध और भी बन सकते हैं और इससे सिंचाई हो सकती है।

इसके सिवाय एनीकट जो हैं इन से भी लाभ है। यह कम से कम पाली जिले में 50-60....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जोधपुर जिले में 10-12, नागौर जिले में 10-12 बनवायें ताकि वाटर का लेवल वहां पर ऊपर आ जाय। जब वाटर लेवल ऊपर आयेगा तो वहां पर खेती को लाभ होगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, श्रीमान, इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से इन बातों को ध्यान में रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रथम कृषि आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में लिफ्ट कैनाल्स और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की प्रगति के बारे में प्रस्तुत की थी तो बड़ी आशा बन्धी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, लिफ्ट कैनाल का किस प्रकार से विस्तार किया जाय उस संबंध में एक कमेटी सर्वेक्षण करने के लिए बनाई थी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। मगर हमें बड़ी निराशा हुई यह जान करके कि कभी भी बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट में किसी तरीके से लिफ्ट कैनाल के जरिये भी कोई एरिया सिंचित नहीं किया जा सकता। नागौर डिस्ट्रिक्ट में कोई एरिया किसी प्रकार से सिंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह उठता है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का क्या भविष्य रहेगा ? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के विकास के नक्शे में आने की गुन्जाइश बहुत कम है। सिंचित होने की हमारे क्षेत्र की कोई गुन्जाइश मालूम नहीं पड़ती। सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, विकास की हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे जिले में पानी की समस्या भी गंभीर समस्या है। अभी जो पानी की समस्या है इसका समाधान ट्यूब वैल्स के द्वारा, बाड़मेर टाउन और ग्रामीण क्षेत्रों की योजना बना कर किया जा रहा है। उससे भी हमें सन्तोष नहीं है। 10 वर्ष के बाद में यह स्थिति पैदा हो सकती है कि ट्यूब वैल्स का जो

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और जो इनवेस्टीगेशन आपका डिपार्टमेंट कर रहा है वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि लाठी ट्यूब वैल एरिया में कितना पानी है और कितने वर्ष तक वह रहेगा ? हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्यूब वैल्स कितने साल तक एक्जिस्ट रह सकेगा ? मुझे यह मालूम पड़ता है कि हम जिस प्रकार से अभी पानी का उपयोग कर रहे हैं उससे 10 साल से अधिक पानी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रह नहीं सकेगा । आप हमारे जिले में सिंचाई के लिए योजना नहीं बनायें, हम यह मान सकते हैं लेकिन यह तो कम से कम आशा कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि राजस्थान कैनाल से लिफ्ट के द्वारा पीने का पानी देने की योजना जरूर बनायें ताकि उन क्षेत्रों में, जहां पानी की भयंकर समस्या है, पानी प्राप्त हो सके । मनुष्यों को पानी प्राप्त हो सके, पशुओं को पानी प्राप्त हो सके, यह तो व्यवस्था करें। अगर चरागाह की व्यवस्था कर सकते हैं, फोडर उगाने की व्यवस्था की जा सकती है तब तो बहुत ही अच्छा है । इससे हमारी इकोनामी सुदृढ़ हो सकती है । अगर वह नहीं किया जा सकता है तो मैं कम से कम यह कह देना चाहता हूं कि लिफ्ट योजना बनाकर हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा यह स्थिति पैदा होगी कि 10 साल के बाद हमारा भविष्य अंधकारमय हो जायगा, और यह क्षेत्र बिल्कुल वीरान हो जायगा । पश्चिमी राजस्थान का यह एरिया अगर वीरान हो जाता है तो पाकिस्तान से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है । इस दृष्टि से सोचा जाना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट वालों को आज राजस्थान कैनाल के अन्दर कोई जमीन अलाट नहीं की जाती है । मंत्री महोदय आ गये हैं वह नोट करें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को उसमें इन्क्लूड कर लिया जाय । राजस्थान कैनाल एरिया में जब दूसरे जिलों व राज्यों के काश्तकारों को जमीन अलाट की जाती है तो क्यों बाडमेर जिले को कोई भी सिंचाई का लाभ होने वाला नहीं है? इसलिये जिस एरिया से वह नहर आये उसमें हमारे यहां के काश्तकारों को भी इन्क्लूड किया जाय और उनको भी राजस्थान नहर में जमीन अलाट की जाय ।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जो शरणार्थी हैं जिनकी समस्या आपके सामने है उनको राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के लिए प्रिफरेन्स दें । आप उनको नागरिकता देने जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि राजस्थान नहर क्षेत्र में उनको बसाने के लिए व्यवस्था करें ।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कितनी ही बडी–बड़ी योजनाएं अपन ले लें, परन्तु यदि छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनाओं को नहीं लेंगे, जैसा कि खडीनों के बारे में जिक्र किया गया है, छोटे बान्ध हैं, खडीन हैं एवं तालाब हैं इनके निर्माण की योजनाओं को नहीं लेंगे तो हमारी इकोनामी सुदृढ़ नहीं होगी । आप कितनी ही बड़ी–बड़ी योजनायें बनायें जैसी कि राजस्थान कैनाल है उससे हमारे डिस्ट्रिक्ट की स्थिति अच्छी नहीं होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट एवं अन्य जिलों के लिये आपको छोटी–छोटी योजनाओं का प्रोविजन

(श्री निरदमल सिंघवी)

करना चाहिए। मैंने देखे हैं प्रोविजन

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो प्रोविजन आपने किये हैं वह, 1974-75 में 168.26 लाख, 1975-76 में 120 लाख, 1976-77 में 250 लाख, 1977-78 में 245 लाख और 1978-79 में 309 लाख। यह जो प्रोविजन है बहुत ही कम है। अगर वहां की गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं तो छोटे-छोटे बान्ध ही वहां की गरीबी को दूर कर सकते हैं। अन्त्योदय योजना को सफल करना चाहते हैं तो वहां की इकोनामी को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। छोटी सिंचाई योजना के लिए कहा गया था कि जब तक लघु सिंचाई योजना को हाथ में नहीं लेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में एक बात कह कर समाप्त कर देता हूं।

जो ट्यूब वैल्स का आपका डिपार्टमेंट है, जो ट्यूब वैल्स का निर्माण करता है और जो आई. टी. ओ. ने ट्यूब वैल्स बनाये हैं उन दोनों की लाइफ में बहुत अन्तर है। वह 10 ईयर्स तक खराब नहीं होता है और जो ट्यूब वैल राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है जैसे मेरे यहां बायतू का ट्यूब वैल है वह 6 महीने भी नहीं चला। तो उनके निर्माण करने में डिफेक्ट है या डवलपमेंट की कमी है। आपको ध्यान रखना चाहिए। आज ट्यूब वैल्स के निर्माण पर हम लाखों रुपये खर्च करते हैं और उनसे जलप्रदाय योजनाएं चलती हैं, बाड़मेर, नागौर में योजनायें चल रही हैं। तो कुछ क्षेत्र के लिए नलकूप बनायें, उनका विकास करने का विशेष ध्यान रखें और उनमें टेक्निकल भूल नहीं रखें। बाड़मेर में जो पानी की स्थिति आजकल खराब हो रही है उसका मुख्य कारण यही है। तो इसको भी जरूर ठीक करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान मेरे कटौती प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो असमानता है इसको मिटायें, मैंने बजट पर जनरल डिबेट के वक्त भी कहा था, जो धन राजस्थान सरकार के पास में आता है उसमें से राजस्थान का हर व्यक्ति अपना हक चाहता है। आपने पहले जो बजट बनाया था उसमें भी इस तरह की असमानता थी। यह बजट बनाया है इसके अन्दर भी उसी तरह की असमानता है। न मालूम यह सरकार सब क्षेत्रों को समान अवसर क्यों नहीं देना चाहती है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रगति पुस्तिका जो आपके विभाग ने जारी की है, या तो वे आपके विचारों को जानते हैं इसलिए उन्होंने यह कहा है या फिर आपके डाइरेक्शन्स से उन्होंने कहा है।

"उत्तर पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग जिसमें संभावित वर्षा 5 इंच से 15 इंच तक होती है। इससे प्राप्त जल अत्यन्त कम है। इस भाग में लूनी तथा इसकी सहायक नदियां हैं जो अरावली पर्वत माला के पश्चिमी ढाल से निकल कर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती हैं। ये वर्षाकालीन नदियां हैं, इनमें बहने वाला जल बहुत कम होता है। दूसरा, दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसमें 20 से 35 इंच तक वर्षा होती है।"

Page No. 124

(124)

(श्री माधोसिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सिरोही के अन्दर बड़े-बड़े पर्वत हैं। अरावली की बड़ी बड़ी श्रेणी वहां पर हैं। सब से ज्यादा रेनफाल 75 इंच रेनफाल होता है वह भी पश्चिमी ढाल में आता है लेकिन वहां आपका विभाग यह रिपोर्ट देता है कि वहां की नदियों में बहुत कम पानी होता है। क्या मालूम आपके किसी डाइरेक्शन से उन्होंने ऐसा किया हो या विकास की गति को दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया, यह मंत्री महोदय जानें, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि आप वहां जायें। अभी आप 1-2 महीने पहले उस क्षेत्र में आये थे, वहां पर आपका दौरा हुआ था, ऐसी मुझे जानकारी मिली थी। आपने उस एरिया को देखा है। वह पहाड़ी क्षेत्र है। चारों तरफ पूरे भू-भाग में नाले बहते हैं और वहां पर आवागमन तक रुक जाता है। इतना जल का वह क्षेत्र है। अगर आप इन सिंचाई योजनाओं जैसे सूकली बांध, उडवारिया, अन्गोर बांध, आदि को लें तो मैं यह समझता हूं कि वह चमन बन सकता है.....

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आप मंत्री जी को उधर ले जायेंगे तो उनकी गाड़ी निकलेगी नहीं तो अपने आप उनको मालूम पड़ेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: एक साल में चार बार जाता हूं।

श्री माधोसिंह: सरकार जो भी योजना बनाती है वह अपने तरीकों और नीतियों पर बनाती है। आपने एक नीति निर्धारित की है, अन्त्योदय योजना से गांवों के उन अंतिम परिवारों, जो राजस्थान के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे हैं, को फायदा पहुंचाना है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले मैंने निवेदन किया था लेकिन आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वहां पर सिंचाई के साधनों की पूरी आवश्यकता है जिससे जो छोटी-छोटी होल्डिंग हैं, पानी से वंचित हैं उनमें सिंचाई हो तो मामूली आदमी का स्तर, जिसको आप भी उठाना चाहते हैं, उठ सकता है। किसी को बैलगाडी देने या अन्य कोई साधन उपलब्ध कराने से थोड़ी बहुत हालत उसकी सुधर सकती है लेकिन तीन चौथाई लैंड जो असिंचित है, जो छोटे-छोटे टुकडों में काश्तकारों के पास है उनको सबको उन्नति का समान अवसर आप देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सिंचाई को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इतना ही अनुरोध करते हुए मैं सिरोही जिले के लिये निवेदन करना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भूतपूर्व सरकार ने आवश्यकतानुसार किसी प्रकार से ज्यादा सिंचाई के कार्य उपलब्ध नहीं कराये। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक बांध के नीचे चार हजार बीघा जमीन की सिंचाई होती है। पहले भी इस क्षेत्र के साथ असमानता और असंतुलन बरता गया और अब तक भी इस सरकार ने उन्हीं कदमों का अनुसरण किया है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक तरफ आप डी. पी. ए. और सूखा ग्रस्त योजनाओं को हाथ में ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप उस क्षेत्र, जो न पश्चिमी सूखा ग्रस्त क्षेत्र में आता है और न दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, बीच का क्षेत्र है, उसके लिए उपयोगी और स्थायी योजनाओं को हाथ में नहीं लेते हैं तो उस क्षेत्र को तो और पिछड़ना पड़ेगा। एक ओर राणा प्रताप सागर योजना है तो दूसरी ओर राजस्थान नहर और भरतपुर में भी काम हो रहे हैं, लेकिन आपने

(श्री माधोसिंह)

इस क्षेत्र की ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। आपने जालौर और सिरोही जिले की ओर ध्यान ही नहीं दिया है जहां पर $\frac{3}{4}$ जमीन बेकार पड़ी हुई है। लोग यहां पर केवल वर्षा पर निर्भर करते हैं और अतिवृष्टि से पांच साल के अन्दर तीन फसलें जहां पर खराब हो जाती हैं।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : इसी के साथ बता दें।

श्री माधोसिंह : पहले भी सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध किया था कि आपके विभाग ने कल्वर्ट बनाये हैं लेकिन अभी तक नहर पर काम शुरू नहीं हुआ है। उसी समय यदि नहर बना देते तो 5 हजार बीघा में सिंचाई हो सकती थी बारिश के बाद लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के जरिये से भी रहुआ गांव के लिये अर्ज किया था। उसके तीन तरफ पहाड़ हैं। पूरे गांव में पानी आकर भर जाता है। आज भी पूरा गांव पानी से भरा पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पूरा गांव डूबा हुआ है। पानी वहां से निकाल दें।

श्री माधोसिंह : छोटा सा बांध बना हुआ है। 75 हजार रुपये खर्च हो गये और कुछ रुपये आप उस बांध पर और डाल सकते हैं तो $\frac{1}{8}$ पानी जो गांव में आता है वह रुक सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। भाषण समाप्त करें। मैं विवश हूं, आप ज्यादा समय ले चुके हैं।

श्री माधोसिंह : 2 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप अधिक समय ले चुके हैं। आप बिराजिये।

श्री माधोसिंह : एक इम्पोर्टेन्ट कट मोशन है। बहुत उपयोगी सुझाव दे रहा हूं। आप फर्माते हैं तो बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आप कटौती प्रस्तावों पर तो चर्चा नहीं करते। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री माधोसिंह : एक मिनट ही दे दीजिये। कह तो दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा, आप बिराजिये।

श्री मधोसिंह : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। मैं विवश हूं।

श्री रतना राम चौधरी।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव हैं कि मेरे जालौर जिले में रानीवाड़ा क्षेत्र बांध में जो बांध अधूरे हैं, जो पहले बनाये हुए हैं और जो अधूरे पड़े हुए हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं उनको पूरा कराने

(श्री रतनाराम चौधरी)

की कृपा करें । अधूरे बांध हैं, करवाडा, जारडा, रतपुरा भवरिया, भोमणवाडा पाटा । ये बाध पहले बना दिये गये । अति-वृष्टि से टूट गये । जिससे उनमें से पानी निकल गया । कई बांधों में थोडा पानी रुका हुआ भी है। गांव वालों की मांग है कि रतपुरा बांध से तीन-चार हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। तलवाडा बांध बिलकुल टूट गया है उसको वापस बंधवा दें । गांग (चीमनगढ) में एक ऐसा तालाब है जिसमें बारह मास पानी रहता है। यदि उस पर पचास हजार रुपया लग जाय तो पांच सौ-सात सौ बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। उस तालाब के फूट जाने से आबादी भी डूब में आती है। करीब दस बीस घर का गांग में नुकसान हुआ और डूब में आये । इसको बांधने से पांच सौ-सात सौ बीघा जमीन सिंचित हो सकती है और गांव की आबादी की रक्षा हो सकती है।

रानीवाड़ा क्षेत्र में पांच-सात नदियां ऐसी हैं जहां बारह मास पानी रहता है । लेकिन जतपुरा नदी का पानी गुजरात को बह कर चला जाता है । इसका सर्वे भी हो चुका है । इसका पानी रोकने से पांच-सात हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है । गुजरात में फालतू जा रहा है ।

जालौर जिले में नल कूप योजना डी. पी. ए. पी. के द्वारा चलायी जा रही है परन्तु उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। रानीवाड़ा क्षेत्र के काश्तकारों ने 150 नलकूपों के लिये प्रार्थना पत्र पेश किये परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है और न ही काश्तकारों के लिये कोई योजना है । हमारे क्षेत्र में अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं जब कि हमारे क्षेत्र में पानी का भंडार है। पानी की कमी नहीं है परन्तु अभी तक यह कार्य हाथ में नहीं लिया गया है इसलिये नलकूप योजना का कार्य कराया जाय

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह।।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ करने से पहले यह जानना चाहूंगा कि मुझे कितना समय दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनट ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, मैं ढाई मिनट में ही समाप्त कर दूंगा ।

मैं संक्षेप में ही कहना उचित समझता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि इरिगेशन रेट्स को बढ़ाया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार की इस के बारे में क्या नीति है ? क्या भविष्य में इरिगेशन रेट्स को बढ़ाने जा रहे हैं या नहीं ? कारण यह है, लोग कह रहे हैं कि इरिगेशन वर्क्स हैं उन पर काफी खर्चा आता है और रिटर्न कम मिल रहा है इसलिए सिंचाई की दरें बढ़ाई जायें। इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ? मैं पाइन्टॅवार आपसे निवेदन कर रहा हूं ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले सत्र में मैंने कहा था और पहले भी कई बार

(श्री रतनाराम चौधरी)

कहता आ रहा हूं कि लिफ्ट इरिगेशन से चम्बल के पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? यू. पी. की सरकार ने सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन को वाटर को लिफ्ट करके सिंचाई की कई योजनायें बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं। यदि उनकी योजनाओं को एप्रूवल मिल गया तो आप उस पानी को लिफ्ट नहीं कर सकते। समय रहते आपने काम नहीं किया तो यू. पी. वालों का हक पहले बन जायेगा और आपका हक मारा जायेगा। तो आपकी सरकार ने क्या कार्यवाही की है, इस पर प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहेगा। खास तौर से धोलपुर के अन्दर इसके लिए बहुत आइडल जगह है। आपको चम्बल के पानी को लिफ्ट करके सिंचाई के काम में लेना चाहिए।

तीसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि धौलपुर में पार्वती पर सैकिण्ड बांध बनाने की गुंजाइश है। आप बतायें कि इसका काम आप कब शुरू करने जा रहे हैं? कम कीमत से किसान इस बांध के द्वारा 30 हजार एकड़ तक सिंचाई कर सकेंगे। इसके बारे में क्या योजना है?

मैं एक बात और निवेदन कर रहा था कि पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा अब तक की गई। तीस साल तक कांग्रेस के काल में पूर्वी राजस्थान की बहुत उपेक्षा रही। आप कहेंगे की आपने क्या किया। मैंने सदन में कहा कि बदकिस्मती यह हुई कि सिंचाई विभाग पूर्वी राजस्थान के मंत्री के पास नहीं रहा। पहले वाले शासन में यह विभाग उदयपुर क्षेत्र के मंत्रियों के पास रहा और वर्तमान सरकार में जो सिंचाई मंत्री हैं वह कोटा के हैं। हमें मालूम है कि यह मंत्री महोदय भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपको कोटा से ही फुरसत नहीं है तो इधर क्या ध्यान देंगे। तो पूर्वी राजस्थान के साथ जो अब तक सौतेला व्यवहार किया गया है, सिंचाई के साधनों का एक्सप्लाइटेशन किया गया है और जो पानी बेकार जा रहा है उसको लघु सिंचाई के लिये इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी क्या योजना है? पूर्वी राजस्थान के साथ जो अब तक भेदभाव होता आया है उसको समाप्त करने की दिशा में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? यह बता दें।

फिर एक बात और राजस्थान कैनाल के बारे में कहना चाहता हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जवाब तक रुकेंगे?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप मुझे न्योता देंगे तो जरूर रुकूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : न्योता दे दिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने मेरा समय लिया उसको मत गिनियेगा। आपके वित्त मंत्री जी ने शाम को दावत पर बुलाया है वहां से आकर जरूर सुनूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह रहा था कि जो राजस्थान कैनाल है इससे पश्चिमी राजस्थान को छोड़ कर आपके गंगानगर और बीकानेर जिले को मेक्सीमम लाभ मिलने वाला है लेकिन आप इसके ऊपर जो रुपया खर्च कर रहे हैं वह आपके प्लान का खर्चा है उसके तहत

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कर रहे हैं। यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि इसको आप सेन्ट्रल प्राजेक्ट बनवा दें। हमें तो सफलता नहीं मिली। आप कोशिश करके कामयाबी हासिल कीजिए। आपकी पार्टी की सरकार है। राजस्थान के और हिस्सों के काश्तकारों का इस राजस्थान कैनाल के लिए गला घोटा जा रहा है। आप बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं जब कि राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा पानी के लिए स्टार्व कर रहा है। आप अन्य काम हाथ में नहीं ले रहे हैं तो राजस्थान के और हिस्से के काश्तकारों का गला मत घोटिये। इसको एक नेशनल प्राजेक्ट बनावें, यह मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर टेल के ऊपर पानी पहुंचाने की व्यवस्था जब से खराब है। टेल के काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है। यह मैं अपने यहां का एक्सपीरियन्स बता रहा हूं। कारण यह है कि आपके यहां कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है और कभी सख्ती से नियमों का पालन नहीं होता। इसलिए आप टेल पर पानी पहुंचाने के लिए सख्त कदम उठायें। अब आप कैसे कदम उठा सकते हैं। मैं यह मांग 5 वर्षों से कर रहा हूं कि भगवान के लिए एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर राजस्थान में कैनाल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति कर दीजिए। लोग नहरों को काट लेते हैं। यू. पी. में किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह से नहर काट ले। वहां पर नहर काटने पर 500 का जुर्माना होता है। यहां तो लठ्ठ का जोर चलता है। इसलिए इसको रोकने के लिए एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर कैनाल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कीजिए। अब तक सख्ती से काम नहीं किया इसलिये देश की हालत बहुत ही बिगड़ रही है। अगर आपने सख्ती से काम नहीं किया तो जो ताकतवर किसान हैं वह पानी का उपयोग करेंगे और गरीब किसान को पानी नहीं मिलेगा। पानी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए बहुत सख्त नियम आपको बनाने पड़ेंगे और उन नियमों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप कैनाल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति नहीं करते। क्या आप बता सकेंगे कि अब तक कितने लोगों को नहर काटने में सजा हुई? क्या इस तरह के आंकड़े हैं आपके पास? आपको मैं कहूंगा कि आप इसकी तरफ भी ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कितने लोगों को नहर काटने में और पानी की सप्लाई में आब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करने में सजा मिली? इसकी कभी सूचना देने की कृपा करें।

धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय!

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरणसिंह (बागना): माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी भी देश की प्रगति इस बात पर आधारित है कि उस देश को मिलने वाला जो प्राकृतिक पानी है उसका कितना उपयोग होता है। अगर आप देखें तो राजस्थान के अन्दर आपको ताज्जुब होगा कि 690 टी. एन. सी. पानी की अवेलेबिलिटी है जिसमें से आप अन्दाजा लगायें कि यूजेबल वाटर केवल 412 टी. एन. सी. है। आपने कभी देखा कि राष्ट्र के स्तर पर क्या पर्सेन्टेज है? आपके स्टेट का क्या पर्सेन्टेज है? आपके स्टेट का पर्सेन्टेज 27 की जगह 17 पर्सेन्ट है। आपकी

(श्री शिवचरण सिंह)

काबलियत तब मानी जायेगी जब कि 27 पर्सेन्ट के स्तर पर आप राजस्थान में इरिगेशन फैसेलिटीज देंगे। आपकी काबलियत इस बात में नहीं है कि आप प्रोजेक्ट के लिए कहां किस तरह से अलाट करते हैं? आपकी क़ाबलियत तो इस बात पर है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इरिगेशन के पर्सेन्टेज कायम कीजिए।

माननीय मंत्री महोदय, आप पूर्वी राजस्थान से आये हैं आप बता सकते हैं कि झालावाड़ में कितना वाटर अवेलेबल है, कोटा में कितना पानी अवेलेबल है, सवाई माधोपुर में कितना वाटर अवेलेबल है और भरतपुर में कितना वाटर अवेलेबल है, अलवर के अन्दर कितना वाटर अवेलेबल है? आपकी योजनायें इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि भरतपुर में गुड़गांव कैनाल पर आपने 5 करोड़ रुपया खर्च किया, जिससे सवा लाख एकड़ की सिंचाई होनी चाहिए थी उससे अब केवल 4 हजार एकड़ भूमि की ही सिंचाई होगी। आपने सवा लाख एकड़ का प्लान बनाया और सिंचाई सिर्फ 4 हजार एकड़ में ही हो रही है। आपने 5 करोड़ रुपया खर्च किया।

इसी तरह से मैं आप को आगाह करना चाहता हूं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको आपके सामने कर देता, आपको फ्लड के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपया मिला है। यह रुपया भी राजस्थान में इसी प्रकार से मिट्टी में मिलने वाला है जिस तरह से कि 20 करोड़ रुपया मिला है। भरतपुर की जो वाटर को स्टोरेज करने की गुंजाइश थी वह नहीं रही। आपके यहां गुड़गांव की तरफ से पानी आता है, गम्भीरी से आता है और बाणगंगा से आता है। इसका आपके पास क्या इलाज है? गुड़गांव का पानी आता है और आपके सारे कामां के इलाके में फैल जाता है। मैं मानता हूं कि इस साल जितना पानी भरा करीब 80 हजार एकड़ भूमि में पानी भरा था और करीब दस हजार एकड में आज भी पानी मौजूद है। आपके विभाग की एफीशियेन्सी मानता हूं कि उसने बहुत काम किया लेकिन यू. पी. वालों ने क्या किया? उन्होंने वहां पानी नहीं आने दिया और हरियाणा वालों ने फाटक खोल दिए और सारे भरतपुर जिले को तबाह कर दिया। इससे भरतपुर को तो नुकसान हुआ ही लेकिन नेशनल इनकम को भी बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि जो प्राडक्शन होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह सब केवल आपके विभाग की अकर्मण्यता के कारण से हुआ। आप यह ध्यान कीजिए कि जो फ्लड का रुपया आपको मिला है उसका यूटीलाइजेशन करने के लिए मैं फिर आपको लिखाता हूं। इसके लिये योजना है। आपकी बाणगंगा नदी है उसके ऊपर दो बांध हैं कुडियाना और पाली। आप इमीजियेट सर्वे कराइये। गम्भीरी नदी है उस पर आपके तीन प्राजेक्ट्स हैं। एक प्राजेक्ट है पाचड़ी का और दूसरा कजोली और फिर बयाना का। इसी प्रकार से गुड़गांव की साइड से फ्लड आता है उसको चैक करने के लिये कुछ कीजिये। ओखला पर बैराज बनाइये। पिछली सरकार ने जमुना से पानी लाने की कोशिश की, पता नहीं आपकी सरकार कैसी बदली, यू. पी. की सरकार पानी देने के लिये तैयार नहीं है। आपकी पोजीशन में चार चांद लगेंगे यदि आप जमुना से पानी ला सकें और भरतपुर के फ्लड्स को चैक

(श्री शिवचरण सिंह)

कर सकें। माइनर इर्रिगेशन में लेना चाहिये। अगर आप लोग इसको शामिल नहीं कर सकें तो केन्द्रीय सरकार जो पैसा दे रही है वह नहीं देगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सुझाव और देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप राजनैतिक आधार पर निर्णय न लें वैसे गंगापुर से आपकी जनता पार्टी का एम. एल. ए. है, कोई दूसरा नहीं है। आप राजनैतिक आधार पर निर्णय न लें। एम. एल. ए. हमारा है, या नहीं, यह घटकवाद नहीं चलना चाहिये। यह राष्ट्रीय कार्य है, इसको पूरा करने की चेष्टा करें। सवाई माधोपुर की नदी है, भरतपुर में फ्लड आता है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे आशा है कि आप इन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सूरज पाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जालौर जिले के लिये लघु सिंचाई के लिये कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा जालौर जिला और विशेष कर मेरा क्षेत्र ऐसी भौगोलिक स्थिति में आया हुआ है कि वहां पांच नदियां बहती हैं। बांडी, सूखी, जवाई, लूणी आदि नदियां हैं। 73 की बाढ़ के बाद पिछले साल बाढ़ आई। हर साल नहीं तो अमूमन हर दूसरे साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमि का कटाव काफी अधिक बढ़ रहा है इसको रोकने के लिये भूतपूर्व सरकार ने कुछ बन्धे बनवाये थे, जाट का बांध, पाटेरा का बांध। यह जो बांध बनाये गये थे बड़े उपयोगी बांध थे। मंत्री महोदय को रेगिस्तानी इलाके का अनुभव नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इन नदियों ने वहां की भूमि को एक तरह से तबाह कर दिया है। सरकारी आंकड़े सिंचाई विभाग के पास हैं, जो मैप्स हैं, उनको आप मत देखिये। आज की स्थिति क्या है, भूमि का कटाव कितना बढ़ रहा है, इसको देखिये। इस सदन में और बाहर पश्चिमी राजस्थान की मांग और अन्य मांगें आती है वह क्यों उत्पन्न होती हैं? मेरे क्षेत्र की हालत यह है कि अगर सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देगी तो दूसरा रेगिस्तान बन जायेगा। आप अधूरे बांधों की ओर ध्यान दीजिए। जिन बांधों के ऊपर आपने लाखों रुपया लगाया है वह आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। सिंचाई विभाग ने भीनमाल क्षेत्र के लिये जो गेट्स खरीदे थे सात लाख रुपये के वह आज भी सड़ रहे हैं, नुमाइश हो रही है। आप ध्यान दीजिए। जो बन्धे टूटे हुए हैं, उन बन्धों का पुनर्निर्माण कराइये। उससे कम से कम 50 हजार बीघा भूमि को लाभ होगा।

अब तक बड़ी बड़ी योजनायें बनाते रहे हैं। 149 करोड़ रुपये का सिंचाई के लिये प्रावधान रखा है, मेरे ख्याल से जोधपुर डिवीजन के अन्दर इस फण्ड का कोई हिस्सा आने का नहीं है। कोटा का कोटा पूरा नहीं होना है। मेरे क्षेत्र के विकास

(श्री सूरजपाल सिंह)

के लिये, मंत्री महोदय, आपसे पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि वहां सर्वेक्षण कराइये। सूखी, लूणी, जवाई इन नदियों का स्पेशल सर्वेक्षण कराइये और जहां-जहां उपयोगी हो, कम्प्लीट सर्वे करवाकर बांध बनवाइये। जहां लाखों मन हाई ब्रीड अनाज मेहनत करके पैदा करते हैं उससे ज्यादा उपजाऊ जमीन उस क्षेत्र की थी। आपको उस क्षेत्र की जमीन का अनुभव नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत अनुभव है उनसे पूछिये। कितना उपजाऊ एरिया था, आज सब रेगिस्तान बन गया है। मै निश्चित रूप से कहता हूं, मंत्री महोदय, अगर इस समस्या की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वहां की जनता में रोष है वह और बढेगा। जो विभाग ने आंकड़े दिये हैं उनके आधार पर जालौर जिले को फैमिन की कैसे घोषणा करेंगे? जमीन कटाव में आ रही है। 50 पर्सेन्ट क्षेत्र बरबाद पड़ा हुआ है, 50 पर्सेन्ट गिरदावरी बता दी उसको फेमिन में नहीं लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसकी गहराई में आप जायें तो वहां के लोगों में आक्रोष है, लोग आन्दोलन करेंगे, मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री करतार सिंह!

श्री करतारसिंह (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूं। इस मामले में कहा गया है कि लघु सिंचाई पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जनता पार्टी ने चुनावों में बड़े वायदे किये थे, कृषि के ऊपर बहुत पैसा खर्च करेंगे, 80 प्रतिशत कृषि के ऊपर खर्चा करेंगे। देखा जाये तो सिंचाई ही कृषि का मूल आधार है। किन्तु मैंने बजट देखा कि माइनर इरिगेशन के लिये 14.43 करोड़ रुपया रखा गया है। किस तरह से कृषि उत्पादन देश का बढ़ेगा? किस तरह से राजस्थान का विकास होगा?

अजमेर जिले की बात निवेदन करना चाहूंगा। अजमेर जिले की भौगोलिक स्थिति को देखा जाये तो तलहटी प्लेटू के ऊपर बसा हुआ है। अजमेर में जो सिंचाई के साधन हैं वे कुएं हैं या तालाब हैं। तालाब अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं या राजा-महाराजाओं के समय के जैसे किशनगढ़ में बने हुए हैं उन तालाबों की पिछली सरकार ने उपेक्षा की। 30 वर्षों से उनकी रिपेयर का नाम नहीं लिया। वे तालाब टूटे हुए हैं जो मोरियां बनी हुई हैं, जो खेती में पानी पहुंचाती हैं वे टूटी पड़ी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पिछली सरकार ने उन तालाबों की उपेक्षा की है। मैं समझता हूं हमारी सरकार अवश्य ही उन तालाबों की तरफ ध्यान देगी।

अजमेर जिले के अन्दर तालाब ही एकमात्र सिंचाई के साधन हैं, इसलिए इन समस्त तालाबों की रिपेयर करायें। साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो तालाबों की मोरियां हैं, उन कच्ची मोरियों से पानी ले जाने से पानी की बहुत बरबादी होती है इसलिए पक्की मोरियां बनाने के लिए बजट दिया जाय ताकि किसानों को अधिक क्षेत्र में पिलाई का साधन मिल सके।

Page No. 132

(132)

(श्री करतार सिंह)

इसके साथ ही सरकार को सिंचाई की वसूली से अधिक रेवेन्यू मिलेगा और किसानों का उत्पादन भी बहुत बढ़ेगा। तो एक तो मेरा निवेदन इन तालाबों की रिपेयर के बारे में है।

मेरा दूसरा निवेदन है मेरे किशनगढ़ क्षेत्र के बारे में। अजमेर जिले के अन्दर जो रूपनं नदी है उसका पानी सांभर झील की ओर जाता है। रूपनगढ़ के निकट एक पालड़ी नाम का ग्राम है। वहां पर देशी रियासतों के समय बहुत पुराना बांध बना हुआ था जो टूट चुका है। अगर वहां सर्वे कराने के बाद पुनः बांध बंधाया जाय तो काफी क्षेत्र में पिलाई हो सकती है। सांभर क्षेत्र में जो अत्यधिक पानी जाता है उससे नमक बनना बन्द हो गया है। भारत सरकार को भी चिन्ता है कि पानी अधिक आने से नमक नहीं बनेगा। यह बांध बनने से एक ओर भारत सरकार की चिन्ता भी मिटेगी और सांभर झील मे अधिक पानी आना भी रुक जाएगा तथा दूसरी ओर इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन होने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि उस क्षेत्र में करडाला एक जगह है। करडाला के अन्दर पानी तो काफी अधिक आता है लेकिन अभी तक बांध नहीं बनाया गया है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, अगर आपको जिले की अकाल की स्थिति से निपटना है तो छोटे-छोटे, दो सौ, तीन सौ एकड़ पिलाई के तालाब बनाने पड़ेंगे ताकि सिंचित क्षेत्र बढ़ सके और कृषि उत्पादन में भी मदद मिल सके।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले में चार तरह के तालाब हैं। इन तालाबों में थर्ड और फोर्थ किस्म के तालाबों का सिंचाई शुल्क भी राजस्व में जुड़ा हुआ था परन्तु अभी 6-7 सालों से सिंचाई विभाग द्वारा अलग से दरें निर्धारित की गई हैं। उनसे अभी भी तालाब की सिंचाई की दरें वसूल कर रहे हैं जो नियम विरुद्ध हैं अतः वसूली की जावे। अब मालूम हुआ है कि इन तालाबों से सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई की दरों के अलावा बारानी एवं चाही किस्म की भूमि से पन्द्रह-बीस गुना पैनल रेट वसूल करने की बात है। मेरा निवेदन है कि जिन तालाबों के नीचे ये जमीनें हैं और लगातार कई वर्षों से पिलाई हो रही है उन क्षेत्रों को नेहरी क्षेत्र घोषित करें और जुर्माना नहीं लेकर सिंचाई की दरें ही वसूल करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में।

आज मण्डी समितियों के ऊपर जितना आप सड़कों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा निवेदन है कि इस पैसे को तालाबों की रिपेयर के लिए खर्च किया जाना चाहिए ताकि कृषि का उत्पादन बढ़े।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लघु सिंचाई के ऊपर, आपने तालाबों से सिंचाई की तरफ, एनीकट और छोटे-छोटे नाड़े बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इससे भूमि का कटाव होता है और वाटर लेवल भी नहीं बढ़ता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि छोटे-छोटे एनीकट और नाड़े जो काश्तकार बनाना चाहते हैं, आप उनको

(श्री करतार सिंह)

आर्थिक सहायता दें तथा राज्य सरकार की ओर से भी बनावें ताकि भूमि का कटाव रुके, कुओं का जल स्तर भी बढ़े और कृषकों की उपज भी बढ़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

भू-जल विभाग के बारे में दो शब्द निवेदन करूंगा। भू-जल विभाग के नियम बने हुए हैं कि दो सौ मीटर की दूरी के बाद ही दूसरा कुआ बनेगा, क्योंकि नजदीक-नजदीक कुए होने से पानी का स्रोत नहीं रहता है। मेरी इससे सहमति नहीं है। अतः इस पर विचार करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में जो सिलोरा पंचायत समिति है उसके बारे में ए. आर. सी. की रिपोर्ट बनाने का कार्य समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया इन्स्टीट्यूशन को देकर रिपोर्ट तैयार कराई थी जो बिल्कुल फाल्स रिपोर्ट है। मैं सदन के अन्दर चैलेंज करता हूं कि यह बिल्कुल फाल्स रिपोर्ट है। सरकार इस रिपोर्ट को देखे तो मालूम होगा कि यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। जहां पर बहुत अच्छा पानी है, पानी का अच्छा पोटेंशियल है। वहां कम दिखाया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो ए. आर. सी. की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को वापस लेकर पुनः जांच की जावे और अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का जो स्टाफ है उससे रिपोर्ट बनवाई जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ एक निवेदन और करूंगा। भू-जल सर्वेक्षण हेतु समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया नामक स्वयं सेवी संस्था को वहां पर भू-जल अनुसंधान हेतु एक लाख तीस हजार रुपया सन् 74 में राज्य सरकार की विशिष्ट योजना में भू-जल विभाग द्वारा दिया गया था उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। यह रुपया अनुसंधान के लिए दिया गया था, यहां पर 21 तालाबों में बोरिंग करना चाहते थे, एकाध जगह एक्सपेरीमेंट भी हुआ लेकिन वह एक लाख तीस हजार रुपया बिल्कुल बरबाद हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस संस्था के डायरेक्टर से मिले हुए हैं, उनके दोस्त हैं, इसलिए वे उस संस्था को उचित-अनुचित अनुदान देते हैं तथा दुरुपयोग होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करावें। वहां पर कोई काम नहीं हुआ है इसलिए वह रकम वापस रिकवर की जावे।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो बजट देते हैं सिंचाई विभाग में वह पैसा तो अप्रेल से मार्च तक के लिए होता है लेकिन जो पैसा देंगे वह वर्ष के अन्त में मार्च में जाकर देते हैं इससे पैसे का उपयोग नहीं हो पाता और लैप्स हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पैसा देना है वह अप्रेल में ही दे दें ताकि अप्रेल, मई, जून में तालाब का काम कर सकें और बारिश के पहले तालाबों पर काम भी हो जाए और उसका उपयोग भी हो सके।

इसके साथ ही अपने कटौती प्रस्ताव मूव करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में पिछले तीन चार सालों में एक्सेसिव रेन्स होने के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कारण जो इर्रिगेशन विभाग ने पिछले आठ-दस सालों में बन्धों का काम कराया था वह सारा का सारा काम तहस-नहस हो गया है। मेरे अतारांकित सवाल के बाद में माननीय मन्त्री महोदय ने यदि लूनी इनन्डेशन स्कीम को समझने की कोशिश की हो तो वे यहां पर बता दें, वरना मैं माननीय मन्त्री महोदय को दावत देता हूं सांचौर के डाक बंगले में पधारें और वहां पर इंजीनियर्स को बुलाकर डिस्कस कर लें। फिर उस एरिया की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहें तो कामयाब होंगे। उपाध्यक्षजी, इसके अलावा लूणी इनन्डेशन स्कीम के अन्दर यह भी था कि दो-दो मील पर जो भूमि के अन्दर गहरा पानी है उसको भूमि के अन्दर डायवर्ट कर दिया जाय जिससे पानी का फैलाव हो जाय। इस इलाके में लगातार फैमिन रहता है, पांच-छः साल में लगातार फैमिन पड़ता रहता है इसलिए चालीस बांध स्माल इर्रिगेशन वर्क्स के रूप में बनाये गये थे। इस बारे में श्री डी०एम० सिंघवी, जो अजमेर में सुपरिटेन्डिन्ग इंजीनियर हैं, को पूरा ज्ञान है। उन्होंने और इर्रिगेशन विभाग ने बीच में सोचा था कि गेट से पानी को रोका जाय किन्तु सांचौर में सब बन्धों के गेट पड़े हुए हैं। कोई काम में नहीं लिए गए। यह काम वहां पर चलता रहा, अधूरा काम चलता रहा, एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर एक गेट चीतलवाना बांध पर लगाया गया लेकिन टाइम पर वह खोला नहीं गया। लूणी, जवाई, सुकड़ी सब नदियों का पानी दूसरी तरफ डायवर्ट हो गया उससे नई नदी बन गयी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सांचौर का जो नेपड़ एरिया है वह बरबाद हो गया है। तीस साल से यह हालत हो रही है कि नदी पर वह पानी डायवर्ट हो गया है। उसका श्री फोर्थ पानी बिल्कुल खारा है इसलिए जो मीठा पानी था वह भी खारा हो गया है, जमीन खारी हो गई है, जमीन पानी से बिल्कुल दो साल से ढकी पड़ी है। राजस्थान की जितनी नदियां हैं, वे लूणी में जाकर मिलती हैं। सूकड़ी है, जवाई है, बांडी है, साबी है, ये सारी नदियां सांचौर में लूणी में जाकर मिलती हैं जिसका पानी खारा है। वह रण खार कच्छ में जाकर मिलती हैं, वह सी लेवल से बहुत कम ऊंचा होने से खारा पानी जमीन पर फैल जाता है। तो इस तरह से यह जो स्कीम है अगर यह कामयाब हो जाती है तो जो यह फ्लड एरिया है सांचौर, यह वास्तव में ग्रेनरी ग्राफ राजस्थान हो सकता है। पिछले वक्त इतना गेहूं उत्पन्न हुआ था कि उसको खरीदने के लिए एफ०सी०आई को जो रुपया दिया था वह भी खतम हो गया था, पहले जब रेन होती थी तो गेहूं ज्यादा पैदा होता था और बहुत सस्ता गेहूं वहां पर बिका था। अब इतनी समस्या है वहां पर। जिस तरह से हनुमानगढ़ में नाली आती है उसी तरह से पानी की नाली सांचौर में आती है। तो इस तरह से वह जो एरिया है उसमें एक तरफ तो फैमिन पड़ता है और दूसरी तरफ जो पानी है उसका उपयोग नहीं होता है। इसलिए नए सिरे से सर्वे डिवीजन खोलें और सर्वे करायें कि जो जमीन काश्त के काबिल है, हम उसको कैसे सिंचाई के योग्य बना सकते हैं। वहां पर जितने तालाब हैं, जितनी नदी-नाले हैं, उन सब का री-सर्वे कराने के लिए सर्वे डिविजन खोलें और री-सर्वे करा कर नया मैप बनायें

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तभी सही काम होगा। वरना आप पुराने नक्शे देखते रहेंगे तो पुराने नक्शे में जहां पर धोरे हैं वहां पर आज नदी मिलेगी और जहां नदी है वहां धोरे मिलेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह एरिया ग्रेनरी है सबसे अधिक उपजाऊ एरिया है, यहां पर पशुधन भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां से छोटी छोटी नदियां जाती हैं उन नदियों का पानी जगह-जगह रोकने की जो टेन्डेन्सी है वह बहुत खतरनाक टेन्डेन्सी है। उसका परिणाम यह होता है कि जहां लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए योजना बनाते हैं वहां पर हजारों एकड ही सिंचाई वास्तव में होती है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि आप इसको अपने इंजीनियर्स से डिस्कस कर लें। अभी तक भी वहां पर फैमिन डिक्लेयर नहीं हुआ है, दुर्भाग्य से फिफ्टी पर्सेंट से ज्यादा तो जमीन काश्त ही नहीं हुई है, ज्यादा वर्षा के कारण फिफ्टी पर्सेंट में जो फसल बोई गई, उसमें आठ आना खराबा बताया। इससे फैमिन भी घोषित नहीं किया जा सका है। इस तरह से कितना अन्याय इस एरिया के साथ हुआ है।

इसी तरह से फ्लड कण्ट्रोल में जो पैसा आता है वह भी लास्ट में फरवरी में जाकर आप देते हैं जिससे समय पर खर्चा नहीं हो पाता है और आगे जाकर लेप्स हो जाता है। तो, उपाध्यक्षजी, एक कटमोशन तो मेरा लूणी इरिगेशन स्कीम के बारे में है

मेरा दूसरा निवेदन जैतपुरा और बड़गांवा नदियों के बारे में है। नर्बदा और माही योजना बना कर काम शुरू कर दिया। अब नर्बदा नदी योजना के मामले में ट्रिब्यूनल बिठा दिया है, ट्रिब्यूनल न मालूम कब फैसला देगा कितना पानी देगा क्योंकि इसमें चार स्टेटों का मामला है। मेरा आग्रह यह है कि जैतपुरा और बड़गांवा नदियों का जो पैरिनियल पानी चलता है, उस पानी को डाइवर्ट कर सांचौर में लूणी नदी में डाल दें तो यह माही और नर्बदा की योजना यहां पर अपने आप हो जायगी। एक तो पीने की पानी की समस्या मिट जायगी, दूसरे इरिगेशन होगा और जो कुए हैं, बेरे हैं उनका पानी का लेवल भी ऊंचा हो जाएगा। इस तरह आप इन्जीनियर्स को बिठाकर यह जो पानी बेकार जाता है उसका उपयोग करें। नर्बदा का जो पानी है, वह पता नहीं कब आएगा। इन नालों का बांधने की आप योजना बनावें और यह कैनाल आप लावें तो वहां के लोगों को फायदा होगा। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ने भी इसकी एक योजना बना कर भेजी थी केन्द्रीय प्लानिंग विभाग को उसका क्या हुआ? मेरा पुनः निवेदन है कि आप पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन के इन्जीनियर्स को बिठा करके, दोनों को इकट्ठा कर के इसकी योजना बनावें, इससे जालौर बाड़मेर दोनों जिलों का भला होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन!

(अनुपस्थित)

श्री समरथ लाल!

श्री समरथलाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान

(श्री समरथलाल)

के अन्दर इरिगेशन रेट्स आप बढ़ाना चाहते हैं वह इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए, वह रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसका कारण ढूंढने की आपने कोशिश नहीं की है। इसका कारण यह है कि एक तो सिंचाई विभाग के द्वारा इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वे पानी के यूटिलाइजेशन के बारे में ढंग से ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा कारण यह है कि राजस्थान में माइनर इरिगेशन के अन्तर्गत बांध बहुत बना लिए गए परन्तु इन बांधों के साथ-साथ नहरें नहीं बनाई गई हैं। बांध तो बनाये गये किन्तु नहरें नहीं होने के कारण उनका रिटर्न नहीं हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बांधों के साथ साथ जहां-जहां पर नहरें नहीं है, वहां पर पहले नहरें बनाई जायें। मेरे इलाके का एक उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। वहां पर 15 छोटे-छोटे बांध हैं, परन्तु कम से कम आधे बांधों में नहरें नहीं हैं। जिनमें नहरें बनी हुई हैं, उनका जो वार्षिक मेन्टीनेन्स होना चाहिए, वह नहीं होता है। वे नहरें इससे खराब हो जाती हैं और पानी जहां पहुंचना चाहिए, वहां पर नहीं पहुंच पाता है

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, विभाग के अंदर कुछ इस प्रकार के इन्जीनियर्स होते हैं, जो इस विभाग को नुकसान पहुंचाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। धमरेण बांध है। यह 15–20 साल पहले बना था। करीब 25–26 लाख रुपया धमरेण बांध पर खर्च किया गया। परन्तु इस बांध से एक बीघा तो क्या एक इंच भूमि में भी सिंचाई नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपया जिस बांध पर खर्च हुआ उससे एक बीघा की सिंचाई नहीं होती है, तो मैं समझता हूं विभाग के लिए यह एक गंभीर बात है। इस बांध में पानी आता है। पानी से बांध भर जाता है लेकिन रात भर रह जाए ऐसा नहीं हो पाता। शाम को भरा तो सुबह उस बांध में एक बूंद पानी नहीं मिलता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रकार के बांध, जिसके अन्दर विभाग की लागत लगी हुई है, का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री महोदय इसके लिए कारगर कदम उठावें।

दूसरा निवेदन राजगढ़ तहसील में जो सेलोबेरी बांध है, उसके सम्बन्ध में करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय इससे राजगढ़ तहसील के एक गांव को भी फायदा नहीं मिल रहा है। इस बांध की 40–45 लाख की योजना है। इस पर काम चल रहा है, कभी चलता है और कभी बन्द हो जाता है। इस बांध से राजगढ़ तहसील के गांवों को भी फायदा होना चाहिये। राजगढ़ तहसील के एरिया के अन्दर यह बन रहा है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ़ तहसील के एरिया में भी इस बांध का पानी जाय, इस प्रकार की योजना बननी चाहिए।

दूसरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह करना चाहूंगा कि राजगढ़ के अन्दर ओवरसियर पिछले 4–5 महीनों से नहीं है। कल्पना कीजिए मंत्री महोदय,

(श्री समरथलाल)

जिस इलाके में ओवरसियर 4-6 महीनों से न हो, उस इलाके में कोई काम हो सकता है ? मैंने एक्स० ई० एन०, सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर, और चीफ इन्जीनियर महोदय को कहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ओवरसियर वहां पर नहीं भेजा गया। इसके नाम से ओवरसियर लगा रखा है। उसको अलवर जिले की दूसरी जगह पर एडजस्ट कर रखा है। वहां पर ओवरसियर नहीं है, इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

इस आधार पर आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव के अन्तर्गत नए बांधों के लिए निवेदन किया है, ईटोली, बीघोता, ईशवाणा, सालोली, वहड़को, इनका सर्वे किया जाए और इन नये बांधों को बनाया जाए। इन बांधों के बनने से तहसील के 40 प्रतिशत गांवों को फायदा होगा और बहुत कम खर्च विभाग को करना पड़ेगा। यह बांध बंध जाये तो इससे तहसील के काफी हिस्से को फायदा होने वाला है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश का 80 प्रतिशत भाग खेती पर आधारित है। खेती देश की अर्थ व्यवस्था की एकमात्र आधार रही है। इसलिए जब तक खेती पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा और खेती के लिए पानी बहुत आवश्यक है, उस पर विशेष जोर नहीं दिया जाएगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। पिछली सरकार ने विदेशी नकल के आधार पर बड़े-बड़े बांध बनाएं किन्तु उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ। सिंचाई की योजना के तहत जो बांध बने उनका भी विशेष उपयोग नहीं हुआ। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो गलती की है, वह गलती जनता सरकार न करे। कम से कम साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए मेरा एक सुझाव है। सबसे पहले तो जो बड़े-बड़े बांध है, उनको छोड़कर जो छोटे-छोटे बांध हैं उन पर लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जोर दिया जाए तो ज्यादा लाभ होगा। हर खेत को जो हम पानी देना चाहते हैं, वह लघु सिंचाई से ही संभव होगा। इसके साथ-साथ जो बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनमें केचमेन्ट एरिया तय होता है उससे गांव के गांव बरबाद हो जाते हैं। पानी का स्रोत सूख जाता है, इसलिए निर्धारित एरिया में छोटे-छोटे तालाब नहीं बन सकते हैं, एनीकट नहीं बन सकते हैं। लघु सिंचाई योजना से वहां पर यह संकट मिट जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लघु सिंचाई योजना के तहत एनीकट बनने चाहिए। उस एनीकट से सिंचाई हो या न हो, यह देखने की जरूरत नहीं है, परन्तु उससे छोटे-छोटे काश्तकारों के कुओं को पानी मुहैय्या होगा। कम लागत में ज्यादा लाभ होगा और हर खेत को पानी दे सकेंगे। साथ ही खेतों में अच्छी फसल पैदा कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के तहत अनेक बड़े-बड़े तालाब हैं। तालाब में पानी भरा है परन्तु नहरें नहीं हैं इस कारण पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपयों की लागत उन पर लगी हुई है उसका उपयोग हो इसलिए मैं चाहूंगा कि, पंचायत समिति के जो तालाब हैं या तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

सरकार उनको बजट दे और बजट नहीं दे तो उन तालावों को सिंचाई विभाग को सौंप देना चाहिए जिससे उनका उपयोग हो सके। मौजूदा पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए यह जरूरी है कि जो तालाब हैं, उनकी नहरें पक्की बनाई जाये, ताकि आज की तारीख में उस पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो। काश्तकार को पानी ले जाने के लिए, नाली बनाने के लिए पैसा दिया जाए। सरकार अनुदान के रूप में पैसा देकर नाली बनवाये ताकि पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो।

जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया था, पानी से ही सिंचाई हो सकती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार पानी उपलब्ध कराये। पिछली सरकार ने जिस ढंग से पैसे का दुरुपयोग किया है, मैं समझता हूं कि सही योजना बनाकर सही रूप से पैसा खर्च होता तो आज चारों तरफ जो समस्या देखने को मिलती है, वह नहीं मिलती। आज बांधों के लिए फीडरों की जरूरत पड़ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि मेजा बांध बना हुआ है। पहले एक करोड़ खर्च हुआ आज उसके लिए 7 करोड़ की फीडर की जरूरत पड़ रही है। मेरा सरकार को सुझाव है कि केवल विद्युतीकरण के लिए बड़े-बड़े बांध बनाये जायें सिंचाई के लिए नहीं। सिंचाई के लिए छोटे-छोटे बांध ही उपयोगी हो सकते हैं। उनसे अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है और जो पैसा लगा हुआ है, उसका उपयोग हो सकता है। मेजा बांध बनने से उत्पादन बढ़ना चाहिए लेकिन वहां के काश्तकार बरबाद हुए हैं। मांडल तालाब पहले मेजा बांध का कोठा था जिससे बाईं नहर से पानी सिंचाई के लिए लिया जाता रहा है। लेकिन अब डाइवर्शन नहर निकाल कर पानी को मांडल तालाब से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे वहां की सिंचित भूमि को बरबाद किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उस कोठे को पुनः कायम किया जाये जिससे सिंचित भूमि को बरबाद होने से बचाया जा सके। पुराने तालाबों की मरम्मत नहीं हो रही है जिससे कि लोग बरबाद हो रहे हैं।

इसके साथ मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा, प्रत्येक बड़े तालाब के नीचे ग्रीन बेल्ट तय की जाय जिससे कम जमीन में अच्छी फसल बोकर ज्यादा उत्पादन किया जा सके। पानी को अधिक दूर देने के बजाय पास में ही दिया जाये। गत तीस सालों से विदेशी नकल पर बड़े-बड़े बांध बनाये गये हैं। उनमें से कुछ का सही उपयोग हो रहा है, बाकी का अभी उस रूप में उपयोग नहीं हो पाया है। बड़ी बड़ी योजनाओं से कैचमेण्ट एरिया बरबाद हो जाता है। नीचे के स्रोत सूख जाते हैं। लघु सिंचाई से अधिक लाभ मिल सकता है। जनता सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकार की योजनाएं बनाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इससे अधिक उत्पादन होगा।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : मेरे 25 कट मोशन हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मेरा निवेदन है कि लघु सिंचाई के लिए अधिक से अधिक एनीकट बनाये जायें। एनीकटों से पिलाई हो सके तो भी ठीक और नहीं हो सके तो भी ठीक है। एनीकटों से स्रोतों से पानी उपलब्ध हो सकेगा। कुओं का पानी सूखेगा नहीं और जो सूखे हैं, उनमें पानी हो जाएगा। मेरा यह भी निवेदन है कि पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाये। पानी के राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित होने से सभी के लिए उसका उपयोग हो सकेगा।

पंचायत समितियों में हजारों तालाब हैं। जहां पर तालाब हैं, उसमें पानी भरा रहता है। पर पानी निकालने के लिए नहरें व गेट नहीं हैं जिससे व्यर्थ ही पानी भरा रहता है। या तो पंचायत समितियों को बजट दिया जाये जिससे कि वे अधूरे तालाब पूरे किये जा सकें या उन तालाबों को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत दे दिया जाये। साथ ही काश्तकारों को पक्की नालियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इससे जो पानी खराब होता है, वह रुक जाएगा। प्रदेश में जहां ट्यूब वैल की गुंजाइश हो वहां पर उनको बना कर जमीन को सिंचित किया जाये। इसके लिए सर्वे कराया जाये। राजस्थान में यह सम्भव हो सकता है। पंचायत समिति मांडल में भगवानपुरा ऐसा स्थान है जहां यह योजना सफल हो सकती है। बड़े-बड़े तालाबों और नहरों को पक्का कराने के लिए विश्व बैंक योजना से भी सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार से मेजा बांध के लिए बनने वाली फीडर को तुरन्त पूर्ण कराया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मांडल तालाब बहुत पुराना और बड़ा तालाब है, उसकी रिपेयरिंग करा कर उसे टूटने से बचाया जाये। मेजा बांध पर बनी डोरियों का नियमन कराया जाय। मेजा बांध की नई नहर कालूखेड़ी के पास से निकाली जाये जिससे पानी का अधिक उपयोग हो सके। नवलपुरा के लिए एक फीडर बनाकर वागोर व घोड़ास को पानी पहुंचाया जाये। मेजा बांध के निर्माण के बाद मेजा बांध की रपट से सुरास के गांव व खेत अलग-अलग हो गये। खेतों व गांव को जोड़ने के लिए काज वे की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अतः उस सड़क को बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा !

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीतकुमार पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विचाराधीन मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विचाराधीन मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

मांगे पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री हरीश शर्मा !

मांग संख्या 38 व 46 पर विचार

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं श्री सम्पतरामजी को सादर प्रणाम करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उपस्थित नहीं हैं वह।

एक माननीय सदस्य : यह प्रणाम किसलिए ?

श्री हरीश कुमार शर्मा : गान्धी सागर बांध के अभियन्ता की फाइल उनको दी वह गायब हो गई। हड़ताल हुई। धमकी दी गई। भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कहते हैं लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पदोन्नत किया और प्रमोशन दिया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही जा रही है। इसीके लिए प्रणाम किया है।

एक माननीय सदस्य : साष्टांग प्रणाम करो।

श्री हरीश कुमार शर्मा : आपने घोषणा की है कि जो पानी बेकार जा रहा है, वह बेकार नहीं जाये। मैं निवेदन करूंगा कि गान्धी सागर बांध मध्य प्रदेश के अन्तर्गत है। उसके सिंचाई क्षेत्र के अन्दर राजस्थान का भू-भाग है। मैं निवेदन करूंगा, हम देख रहे हैं कि जो नदियां हैं, उनका पानी बेकार जा रहा है। हमारे उस क्षेत्र में कुल मिला कर 10 नदियां हैं। आहू आदि दस नदियां हैं उनका पानी बेकार जा रहा है। आज उनका पानी बेकार नहीं जाना चाहिये। मेरा निवेदन है आप तत्काल उन पर ध्यान दें और लाडपुरा तहसील में बांधों की योजना बनाएं। 11 तालाब लाडपुरा तहसील में हैं जो राजा-महाराजाओं के जमाने के तालाब हैं। सिंचाई का कार्यालय बूंदी में है। जब वहां मैं गया तो वहां के सब के सब अभियन्ता गायब थे। कोई जवाब देने वाला नहीं था। किशनगढ़ शाहबाद के बारे में भी सोचा नहीं गया है। वहां बांध भी हैं, तालाब भी हैं। बरसात से पहले ही उनको ठीक कर दें। कुछ बड़े-बड़े तालाब हैं, जो टूटे हुए हैं। आप किसी भी प्रकार से उनकी मरम्मत करायें।

(5.00 सायं)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पदासीन)

इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि लघु-सिंचाई योजनाओं के लिए जब कृषक ऋण लेने के लिए जाते हैं तो उनको डेढ़ साल तक चक्कर काटना पड़ जाता है। इसके बावजूद ऋण नहीं मिल पाता है। इससे वह निराश हो जाता है, इसलिए इस योजना को आप व्यवस्थित कीजिये। इसके अलावा किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सारा काम एक ही जगह पर होना चाहिए जिससे उनको ...

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

लाभ मिले। इसके साथ ही मैं यह दुबारा याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचार करने वालों को प्रमोशन दिया जाता है इसका बहुत बड़ा दर्द है। ढ्ढा की फाइल आप ढूढ़ कर बता देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री एच. एन. शर्मा !

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान सिंचाई विभाग का जो प्रगति विवरण है उसकी ओर दिलाना चाहूंगा बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ है 'प्रगति' लेकिन देखने में यह आया है कि नाम मात्र भी प्रगति नहीं हुई है। मैं सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान दिलाऊं, पृष्ठ संख्या 25 पर लिखा है, 1974–75 में 20, 1975–76 में भी 20 योजनाएं पूर्ण की गई और 76–77 में 3 योजनाएं पूर्ण की गई। इसके बाद आप पृष्ठ 28 पर देखें। उसमें लिखा है कि वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनायें, जिन पर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, सर्वेक्षण के उपरान्त सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की जावेंगी। ये की ये सात योजनाएं 77–78 में भी अंकित की गई हैं। यह इस बात का द्योतक है कि क्या प्रगति हो रही है ? ऐसा लगता है कि अधिकारी लोग जो प्रगति विवरण बना देते हैं वह विधायकों को पेश कर दिया जाता है। सिंचाई मन्त्री जी को उसे देखने को फुरसत नहीं मिलती है चाहे पहले वाले हों या अभी वाले हों। यह प्रगति विवरण नहीं है यह तो पीछे खिसकाने वाला विवरण है। 1977–78 में, पृष्ठ संख्या 29 पर देखें, 1 से 20 योजनायें हैं, 20 से आगे की योजनाएं हैं। उसमें लिखा गया "मध्यम सिंचाई योजनाएं जिनका सर्वे कार्य प्रगति पर है"। 76-77 में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। पृष्ठ नं. 26 पर लिखा हुआ है "मध्यम सिंचाई योजनाएं जिनका कार्य प्रगति पर है।" वही की वही बीस योजनाएँ हैं उनका 76–77 में भी सर्वे हो रहा है और 77–78 में भी सर्वे हो रहा है। यह मालूम नहीं, सर्वे कब कम्पलीट होगा। ऐसा लगता है कि हर साल प्रगति विवरण में यह लिख दिया जाता है। इसके बाद अगर अन्त मे देखें 77–78 का जो प्रगति पत्र है उसमें पूर्ण और चालू सिंचाई कार्यों की सूची वर्ष 77–78 की दी गई है यह भी जो 76–77 की है वही है बिल्कुल एक सी है। मेरी समझ मे नहीं आता, योजना पूर्ण हो गई और चालू है, यह कैसे संभव है ? यह क्या लिख दिया ?

श्री मदनसिंह दांता : ठीक बात तो है।

श्री एच. एन. शर्मा : इसका मतलब क्या हुआ ?

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बिहार में चसनाला काण्ड हुआ था और हजारों मजदूर बेघरबार हो गये थे, विदेशों से मशीनें और टैक्निशियन्स मंगाये गये थे, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में भी उसी प्रकार राणा प्रतापसागर डेम जो है, उस डेम के अन्दर 70 फीट का गड्ढा हो गया है, वह बहुत खतरनाक है। अगर इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो रावतभाटा एटमिक पावर स्टेशन में पानी भर जायगा और एक नया चसनाला काण्ड हो जायगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप रावतभाटा पधारें और उसका जो गड्ढा 70 फीट है उसको बन्द करने की योजना क्या है, इसकी तरफ ध्यान दें नहीं तो यह काण्ड होकर रहेगा और सरकार देखती रह जायगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र

(श्री एच० एन० शर्मा)

के ग्राम जवाहरनगर, भोकरा पतलोई में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई लिफ्ट इरिगेशन की अव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। उस पर तीस लाख रुपये खर्च किये गये लेकिन जितनी सिंचाई होनी चाहिए उसकी 10 परसेन्ट भी नहीं हुई। यह विभाग बिल्कुल सक्षम नहीं रहा। सभापति महोदय, जो तालाब बनाये गये उन पर 14 लाख रुपया खर्च हुआ। भूमि अधाप्ति अधिनियम के अनुसार उस भूमि को अवाप्त करना चाहिए लेकिन सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग की अवहेलना की और भूमि अवाप्ति अधिनियम को जेब में रख दिया। आपको जानकर बड़ा दुःख होगा कि कम से कम दस-बारह लाख रुपये मूल्य के पेड़ आज भी तालाबों के अन्दर खड़े हैं, जब कि उनको काट देना चाहिए था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पूर्ण रूप से उनकी अवहेलना की और पेड़ नहीं काटे। आज भी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

वे पेड़ तालाबों के अन्दर खड़े हैं। साथ ही साथ उन काश्तकारों को, जिनकी भूमि उन तालाबों के तहत आई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खातीखेड़ा बांध है—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट और, श्रीमान्।

कुछ सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के साथ सन् 7 में एक एग्रीमेन्ट हुआ था जिसमें यह अंकित किया गया था कि जिन्होंने दस वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है उनको स्थाई कर दिया जायगा लेकिन बड़ा दुःख है कि एग्रीमेन्ट होने के बाद भी सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने दस वर्ष का सेवा काल समाप्त कर लिया है, लेकिन उनको स्थाई नहीं किया जा रहा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरी मन्त्री महोदय से मांग है कि जिन कर्मचारियों ने सरकार की सेवा में रहते हुए दस वर्ष पूरे कर लिये हैं उनको जल्दी से जल्दी स्थाई किया जाय।

श्री सभापति : श्री माणकलाल ठाकोर!

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं, यह सिंचाई विभाग ही एक ऐसा विभाग है कि जिसके मंत्री सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माने जाने चाहिए। वे अगर चाहें तो इस प्रान्त की जनता की सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं। मैं समयाभाव के कारण सीधा उनका ध्यान उन क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। चाहे वह पूर्वी राजस्थान हो या हमारा क्षेत्र हो उस तरफ आपको पूरा ध्यान देना होगा। जहां-जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, जहां पर नहरें और बांध नहीं हैं और कुओं में भी पर्याप्त पानी नहीं है, जहां पर न बिजली है, न सिंचाई की व्यवस्था है ऐसे स्थानों की ओर सरकारी अधिकारियों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हुए, हालांकि मशीनरी यही है आपको ध्यान देना चाहिए और उनके जरिए आपको सही हाल मालूम करना चाहिये। स्वयं आप दिलचस्पी लेकर पुनः सर्वे करा कर उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दें जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं इससे

(श्री माणकलाल ठाकोर)

मेरे क्षेत्र का लाभ होगा क्योंकि पिछले 30 साल में राजनैतिक प्रतिशोध के कारण नैनवा क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं किए गए हैं जब कि बूंदी में कई स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में नहरें व बांध उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे यहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं न नहर है न बांध है। है तो भी नाम मात्र को है। वहां पर कुछ बांध निर्माणाधीन हैं जैसे बांडिया, डोबीका बांध। इसी प्रकार बूंदी जिले में अन्य बांध भी हैं। किसी भी जिले में तमाम बांध एक साथ नहीं बन सकते हैं इसलिए मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवा तहसील एक ऐसी तहसील है जो सूखी तहसील है, जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है, नहर व बांध नहीं हैं इसलिए हमारे यहां जो बांध हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लेने की कृपा करें।

बूंदी जिले में जो दूसरे क्षेत्र हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि नहरों की क्षमता कम है वह बढ़ाई जानी चाहिए ताकि टेल की तरफ जो गांव हैं उनको पानी मिल सके।

अब मैं लघु सिंचाई के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां नैनवा क्षेत्र मे कुओं को गहरा कराने के लिए और कुओं में बिजली लगाने के लिए एक सघन योजना बनी थी। उसमें बड़ौदा बैंक ने कर्जा भी दिया था लेकिन नई सरकार आने के बाद वह कार्यक्रम ढीला ही नहीं ठप्प पड़ गया है। इसलिए वहां के कुओं को गहरा करवाने के लिए, वहां पर इंजन लगाने के लिए और बिजली लगाने के लिए नजो सघन योजना चालू की गई थी, वह योजना मेरी नैनवा तहसील में विशेष रूप से नैनवा पंचायत समिति में यह मानकर कि सूखा क्षेत्र है और नहर व बांध नहीं हैं लागू की जाए। इस योजना को आप पुनः चालू कराने का कष्ट करें....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वैसे मुझे आशा थी कि जब सिंचाई मंत्री नैनवा पधारेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे...

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी। श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। केशवराय पाटन क्षेत्र में 17 पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें सिंचित एरियां मानने के बावजूद, जिनमें नहरें होने के बावजूद, पानी नहीं पहुंचता है और असिंचित होने के बावजूद किसानों को पानी न मिलने के बावजूद उनसे पिलाई वसूल की जाती है। मेरा निवेदन है कि उन 17 पंचायत क्षेत्रों मे जो अवैधानिक पिलाई वसूल की जाती है वह माफ करायें। उसके साथ-साथ नलकूप की व्यवस्था करें जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

ग्राम चोतरा खेड़ा पंचायत मुख्यालय है और पास एक दूसरा बोरदा खाबी यान ग्राम भी है। वहां जो नहर है वह एक तरफ टूट रही है। पानी वहां से बह कर खेती में चला जाता है उससे किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। मैं अधिकारियों से मिला था लेकिन वे सुनवाई नहीं करते हैं। उन दोनों ग्रामों के बीच में जो नहर है, उसको मैंने भी देखा है। मैंने अधिकारियों

(श्री गोपाल पचेरवाल)

ने कहा कि वहां मिट्टी डलवायें लेकिन सुनवाई नहीं की। वहां नहर टूटी हुई होने के कारण अनुसूचित जाति व जन जाति के गरीब किसान, जिनको भूमि आवंटित की गई है, अपनी फसल नहीं कर पा रहे हैं। उसकी व्यवस्था करें ताकि उनका नुकसान न हो।

हमारी सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करती है, मुख्य मन्त्री कई बार घोषणायें कर चुके हैं कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। वह इस समय यहां बिराजमान नहीं हैं उनको फुर्सत नहीं है लेकिन मैं सिंचाई मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं, आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे यहां कापरेन आफिस में फर्जी मस्टर रोल बनाए गए, लिस्टें तैयार की गईं कि ये मजदूर काम कर रहे हैं जब कि मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, पैसा अधिकारियों की जेब में गया। वहां के इंजीनियर व ओवरसियर फर्जी बिल बनाकर भुगतान खुद उठाते हैं वे पकड़े गए उसके बाद उनको निलंबित किया गया। लेकिन निलंबित करना कोई सजा नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को जेल भेजें, पुलिस में भेजें, उनके विरुद्ध केसेज दर्ज हों जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो अन्यथा आपके विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। आप जब उत्तर दें तो घोषणा करें कि जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल भेजेंगे।

चरगना गांव में कर्मचारियों की गलती से, अधिकारियों की लापरवाही से नहर टूट गई जिसके कारण 6 0 बीघा जमीन, जिस पर फसल खड़ी हुई थी, नष्ट हो गई किन्तु अब तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। अधिकारियों से सम्पर्क किया, उनको पत्र लिखे, जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता भी मिले लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरा निवेदन है कि जिन किसानों की 600 बीघा जमीन पर फसल का जो नुकसान हुआ है, तत्काल उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करें और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें जिनकी लापरवाही से यह नुकसान हुआ है। आपका विभाग तो बदनाम होता ही है लेकिन गरीब लोगों को भी नुकसान होता है। इसलिए आप भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह कछवाह !

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह !

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सिंचाई योजना में सुधार और विस्तार की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की खुशहाली खेती की पैदावार पर निर्भर है और खेती की पैदावार सिंचाई पर निर्भर है। इसलिए सिंचाई की आवश्यकता व महत्व निर्विवाद है। हमारी सिंचाई योजनायें प्रशासनिक शिथिलता व भ्रष्टाचार के कारण खटाई में पड़ी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सन् 1958 में राजस्थान कैनाल का काम शुरू हुआ, वह 1968 में पूरा हो जाना चाहिए था एक अरब रुपये से कम लागत में। आज 1978 में उसका एक चरण पूरा हुआ है और 1½ अरब रुपया उसमें खर्च हो गया है। यह कैनाल तीन चरणों

(श्री बहादुरसिंह)

में पूरी होने वाली है। जो एक अरब रुपये से कम कीमत में योजना पूरी हो जानी चाहिए थी उसमें 20 साल से ज्यादा समय लगने से जो नुकसान हुआ उसका अंदाजा लगायें तो मालूम होगा कि हमारे राज्य की सारी आर्थिक हालत पेरेलाइज हो गई है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भ्रष्टाचार छाया हुआ है उसको तुरन्त रोका जाय और दोषी लोगों को सजा दी जाए।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने सिंचाई की योजनाओं को जहां भी चालू किया है वहां पर उन सिंचाई योजनाओं से लाभ तो होता है लेकिन उन योजनाओं की अच्छी तरह से क्रियान्विति नहीं होने से काश्तकारों को परेशानी बहुत उठानी पड़ती है। इसमें कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काश्तकार को समय पर पानी नहीं मिलता है। समय पर काश्त के लिये खाद भी नहीं मिलती है। इससे ऐसा होता है कि फसल जितनी अच्छी होनी चाहिये उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती है। जब काश्तकार की फसल को पानी चाहिये, जब काश्तकार अपनी फसल को खाद डालकर फसल को तैयार करना शुरू करता है तब कई बार पानी समय पर नहीं मिलने के कारण काश्तकारों की फसलों को बहुत नुकसान होता है। इस प्रकार की कार्यवाहियां हमारे जोहर के क्षेत्र में बहुत होती हैं। वहां पर कई बार समय पर काश्तकार को न तो पानी मिलता है और न ही कई बार समय पर बिजली मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसान की बिजली और पानी को बीच में ही बन्द कर दिया जाता है जिससे काश्तकार की फसल को नुकसान होता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य के सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को समय पर पानी मिले और समय पर बिजली पूरी मिले। मेरा सुझाव है कि बिजली और पानी की सुविधा जो किसान को दी जाती है वह सुनिश्चित होनी चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज काश्तकारों को कहीं पर 30 प्रतिशत, कहीं पर 50 प्रतिशत, कहीं पर 60 प्रतिशत पानी मिलता है लेकिन सरकारी अधिकारी वर्ग के लोग उसके घनत्व को 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत बढ़ा कर सिंचाई की रेट्स चार्ज करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सिंचाई के घनत्व की ओर ध्यान दिया जाय। मेरा निवेदन है कि सिंचाई के घनत्व को बढ़ाया जावे और उसको बढ़ा कर 150 फीसदी कर दिया जावे। उतना ही पानी काश्तकारों को दिया जाना चाहिये जिससे कि काश्तकारों को उनकी मेहनत का फायदा पूरा मिल सके।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारियों की गड़बड़ी से या गलती से जो काश्तकारों को कम बिजली मिल पाती है और कम पानी मिल पाता है उससे किसान को पैदावार में नुकसान होता है। जितना काश्तकार को नुकसान होता है। वह सारा नुकसान किसान को राज्य सरकार को देना चाहिये और जिन अधिकारियों की गलती से काश्तकार की फसल को नुकसान होता है

(श्री बहादुरसिंह)

उन अधिकारियों की जिम्मेदारी मानी जानी चाहिये ताकि किसान को उनकी मेहनत का पूरा फायदा मिल सके। किसान को कभी बिजली समय पर नहीं मिलती है, कभी समय पर पानी नहीं मिल पाता है या बीच में ही काट दिया जाता है और किसान को पैदावार में नुकसान होता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि किसान सबसे कमजोर प्राणी है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सिंचाई योजनाओं के बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है, राजस्थान के जिस क्षेत्र में कुओं से सिंचाई होती है उसमें छोटे-छोटे अलग कुए खुदवाये तो लासेज ज्यादा होते हैं। मेरा निवेदन है कि बड़े कुए खुदवा कर मिनिमम गारन्टी बेसिस पर काश्तकारों को बिजली पानी की सुविधा दी जाय जिससे कि काश्तकार को राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे क्षेत्र में दो तीन सिंचाई की स्कीम्स बन चुकी हैं और उनका सर्वे वगैरह का कार्य काफी समय पहले पूरा हो चुका है पर अभी तक स्कीम को चालू नहीं किया जा रहा है। इससे जनता में असन्तोष है। सभापति महोदय, तीन स्कीम्स हैं सिद्धमुख कैनाल, चूरू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और लोअर फीडर स्कीम। 15-20 साल से इनके बारे में सुन रहे हैं, पूरी स्कीम्स बन गयीं, सर्वे हो गया। राज्य सरकार के इस पर लाखों रुपये आज तक खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनको कार्यान्वित नहीं किया जाने से हमारे यहां के काश्तकारों को बहुत भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस सरकार ने हर चुनाव के मौके पर वोट लेने के लिये उन तीन स्कीम्स को चालू करने के आश्वासन दिये लेकिन आज तक उनको शुरू नहीं किया जा रहा है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान लोअर फीडर सिद्धमुख कैनाल और चूरू लिफ्ट इरिगेशन की ओर आकर्षित कर उनको जल्दी से जल्दी चालू करने के लिये निवेदन करूंगा। इन सभी स्कीम्स का पूरा काम हो चुका है, लाखों रुपये राज्य सरकार के खर्च भी हो चुके हैं पर अभी तक उनकी क्रियान्विति नहीं होने के कारण काश्तकारों को परेशानी है अतः उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करा कर काश्तकारों को लाभान्वित किया जाय। उन स्कीम्स के पूरा हो जाने से सरकार को भी फायदा होगा, उस क्षेत्र की पैदावार बढ़ेगी, अकाल सहायता के मद में खर्च में भी कमी होगी. रेगिस्तान जो आज बढ़ रहा है वह भी बन्द हो जावेगा और काश्तकारों की आर्थिक हालत में सुधार होगा। यह तीनों ही योजनायें आर्थिक दृष्टि से सरकार और काश्तकार दोनों के लिये लाभप्रद हैं इसलिए इन्हें जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करके किसानों को लाभ पहुंचाया जाय। इससे सरकार को भी लाभ होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वर चन्द्र!

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको उन तालावों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जो कि पंचायत समितियों को दिये गये थे। सिंचाई विभाग उनकी ओर बिलकुल ही तवज्जह नहीं दे रहा है। पंचायत समितियों के पास तो धन नहीं है और सिंचाई विभाग उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे उन तालावों की हालत खराब हो रही है। उनकी हालत देख कर एक शेर मुझे याद आता है।

चमगादड़ की क्या महमानी।
हम भी लटके तुम भी लटके।

तो मेरा निवेदन है कि उन तालावों की दुर्दशा हो रही है जिससे काश्तकारों को तो हानि होती ही है उनसे सिंचाई भी होती नहीं। इसलिये मैं, सभापति महोदय आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अपनी नीति बदले और उन तालावों को पंचायत समितियों से लेकर सिंचाई विभाग को दे। वरना इस अफसरशाही के खिलवाड़ में इन तालाबों और काश्तकार दोनों की हालत खराब होती रहेगी। मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग इन तालाबों को अपने नियन्त्रण में ले। इसके लिये सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न भी दिया था। वह प्रश्न विधान सभा में 15-3-78 को पूछा गया। उसमें मैंने यह पूछा था कि जिला झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में कितने ऐसे तालाब हैं जो कि सिंचाई विभाग के नियन्त्रण में हैं? उसका उत्तर मन्त्री महोदय ने 15-3-78 को यह दिया कि एक तालाब है जो कि सिंचाई विभाग के पास है। उसमें यह भी कहा कि उस एक तालाब को भी ठीक कराने के लिये राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के पास पैसा नहीं है। तो यह हालत है। इसके अलावा हमारे पिड़ावा में ज्यादा नदियां नहीं हैं, बहुत कम नदियां हैं। जो एक बड़ी नदी है उस पर एक बान्ध गागरली का बन सकता है। अगर वह बान्ध बन जाय तो मैं आपको निश्चित तौर से यह कह सकता हूं गागरली बान्ध के बन जाने से करीब 5 लाख 9 हजार 200 एकड़ भूमि सिंचित हो जायेगी, और पिड़ावा और उसके आसपास का सारा इलाका सरसब्ज हो जायेगा। आपका गंगानगर का जो सरसब्ज इलाका है उसको भी हमारा झालावाड़ सरपास कर जायेगा। इससे मध्य प्रदेश के भी काफी हिस्से में खेती होगी। इसके लिये हमारी सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से बात करनी पड़ेगी। अगर आप इस बान्ध को बना दें तो सारा झालावाड़ ही हरा भरा हो जायगा। यह सिर्फ एक ही बान्ध से हो सकता है लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार वित्त संकोच में रहती है, सरकार वचन बद्ध सरकार नहीं है। मैं यह आरोप लगाता हूं, हमारी सरकार इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं देती है। खैर, अगर आप इस बान्ध को नहीं बनावें तो पिड़ावा क्षेत्र में एक रामपुरिया गांव है वहां पर एक तालाब है। अगर आप उस योजना को भी पूरी कर दें तो उससे 100 एकड़ भूमि पीवत हो सकती है। सभापति महोदय, क्या निवेदन करूं, यहां पर सिंचाई मन्त्रीजी नहीं हैं। अगर वह यहां होते तो मैं उनको कुछ ऐसे सजेशन्स देता जो कि उनको उनके डिपार्टमेन्ट वाले भी नहीं बता सकते हैं।

श्री सभापति : आप चिन्ता नहीं करें। दूसरे मन्त्रीजी नोट कर रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : सभापति महोदय, अगर आप कहते हैं तो कह देता हूं।

सभापति महोदय, रामपुरिया गांव का जो तालाब है उसका पाल व नाका बनाना ही बाकी है। इस तालाब के बनने से कुओं में भी पानी बढ़ सकता है। इसी तरह ग्राम खटकड़का तालाब है उसको अगर ठीक करा दिया जाये तो वहां पर 250-300 बीघा तक सिचाई हो सकती है। पाल व नाका बनाना है और यह सिंचाई विभाग के अधीन है। इसी तरह डोला ग्राम का तालाब है उसकी भी मरम्मत करानी है। इसी तरह शेरपुर का

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तालाब है उसको भी पूरा करा दिया जाय तो 100 बीघा में सिचाई हो सकती है। आदा खेड़ी, देवली के तालाब हैं उनको भी सिंचाई विभाग अपने हाथ में लेकर पूरा करा दे। इसी तरह शेरपुर व कल्याणपुरा के बीच वाले तालाब की मरम्मत सिंचाई विभाग करावे। औसाव में एनीकट अधूरा पड़ा है। माथनिया तालाब को भी सिंचाई विभाग मरम्मत कराकर सिंचाई करने के काबिल कर सकता है। इसी प्रकार हिम्मत गढ़ पर बान्ध बनाया जाये। गादिया ग्राम का तालाब है उसको भी सिंचाई विभाग द्वारा गहरा कराया जावे तो उससे भी सिचाई हो सकती है। सभापति महोदय, घटोद का तालाब है उनको पूरा कराया जाय। ग्राम गुमरा खेड़ो के तालाब को पूरा कराया जाये। अगर सिचाई विभाग इन तालाबों को पूरा करवा दे तो किसानों को राहत मिलेगी, पैदावार बढ़ेगी और सरकार को आमदनी भी होगी।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर एक खान साहब हैं वह परियोजना अधिकारी हैं झालावाड़ में और अब बैंक के सचिव भी बन गये हैं। उन्होंने लाखों रुपये का घोटाला किया है। उनके खिलाफ में आडिट रिपोर्ट में भी आया है। झालावाड़ के पांचों एम० एल० एज० ने उनके बारे में मन्त्री महोदय को शिकायत की। लेकिन बात यह है कि वह हर वक्त जब कभी झालावाड़ से आते हैं तो दस 15 पेटियां सन्तरे की लेकर आते हैं और आपके सचिवालय में लाकर बांट देते हैं। सचिवालय के सरकारी अधिकारी उन सन्तरों को खाकर उस आडिट रिपोर्ट पर कोई भी कार्यवाही उन खान साहब के खिलाफ में नहीं होने देते हैं। वह लाखों का घोटाला किये हुए हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक्शन लेने की घोषणा करती है पर अभी तक उन खान साहब का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। उनको तुरन्त वहां से हटाया जाकर उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये।

दूसरे वहां पर एक भीम सागर बान्ध है। उसके अन्दर लाखों रुपये का घोटाला है। भ्रष्टाचार लाखों रुपये का हुआ है। कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें की गयीं, अखबारों के मुख पृष्ठ पर भी खबर उसके बारे में आयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज भी वहां पर तीन हजार बोरियां सीमेन्ट की लावारिश पड़ी हैं पर कोई उठाने वाला नहीं। मेरा निवेदन है कि वहां भ्रष्टाचार की जांच हो और दोषी लोगों को सजा दी जावे।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : माननीय सभापति महोदय, सिचाई विभाग की डिमान्ड पर मेरे कट मोशन्स हैं। उनकी ओर मैं आपके द्वारा माननीय सिचाई मन्त्रीजी का, जो अभी यहां पर नहीं हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस विभाग में सबसे पहले जो कमी रही है उस कमी की ओर आप का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करूंगा कि जो बकाया की राशि है चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह बकाया की राशि 1 करोड़ 81 लाख रुपये के आस-पास है, उसकी फौरन वसूली की जाय। यह जो आंकड़े हैं कोई मेरे अपने बनाये हुए नहीं हैं। यह अपनी जनलेखा समिति की रिपोर्ट के अन्दर है। इस कमेटी ने सिचाई विभाग का परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद इसने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें, माननीय सभापति महोदय, यह बताया गया है कि सिंचाई विभाग के अन्दर 152 71 लाख, जल परियोजनाओं में 27.35 लाख रुपया, इसी प्रकार राजस्थान नहर परियोजना में भूमि व भवन का किराया बताया है उसने 0.85 लाख और 53.0 के आस-पास, यह कुल मिलाकर 1 करोड़ 81 लाख के आस-पास बकाया होती है। सभापति महोदय, एक तरफ तो हमारी बकाया हो, उसको हम वसूल नहीं करें तो यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी बकाया यदि 5 रुपया, 25 रुपया भी हो तो उन पर कुर्कियां आ जाती हैं, उनके घर के कपड़े और बैल तक नीलाम कर दिये जाते हैं। यह लम्बी बकाया चाहे उनको पूंजीपति कहिये, चाहे लैंडलार्ड कहिये उनसे की हुई साजिश के कारण है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से उसकी वसूली के लिये निवेदन करूंगा। यह बकाया वसूल होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ इस सिंचाई विभाग को यदि देखा जाय तो माथुर विभाग कहा जाना चाहिये। मैं इसको माथुर विभाग कहूंगा। इस विभाग में मुख्य पदों पर तमाम माथुर बैठे हुए हैं। वे किसी प्रकार की भी इन्क्वायरी नहीं होने देते हैं। किसी प्रकार के चार्जेज लगाये जाते हैं उनको टाल दिया जाता है। गबन घोटालों के केसेज जो अकाल राहत कार्यों में हुए थे वे सैकड़ों की तादाद में अभी भी बन्द पड़े हुए हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपको मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो गबन और घोटालों के केसेज पड़े हुए हैं, उनकी जांच पिछली सरकार तो नहीं कर पायी, लेकिन जनता सरकार ने भी उन गबन घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों को देखा तक नहीं। उन मामलों में चार्जशीट दी हुई हैं लेकिन उनमें कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग में अस्थायी नियुक्तियों के लिये 6 रुपये के पोस्टल आर्डर की मांग करते हुए विज्ञापन निकाला। हर एप्लीकेशन पर 6 रुपये के पोस्टल आर्डर ले लिये। उसकी रकम 60 हजार रुपये के करीब होती है लेकिन पोस्ट फिल-अप नहीं हो सकी। उस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसका विज्ञापन निकाला लेकिन पोस्ट फिल अप नहीं हो सकी और 60 हजार रुपये के पोस्टल आर्डर फाड़ कर फेंक दिये गये। यह विभाग के रिकार्ड पर है।

(श्री श्रवणलाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जानकारी चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से कि इसकी इन्क्वयरी की जाये। 60 हजार रुपये के पोस्टल आर्डर या तो लेने ही नहीं चाहिये और यदि लिये गये तो फिर किस तरह से उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको यह भली भांति ज्ञात है, सभापति महोदय, किसी भी पोस्ट के लिये पहले एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से नाम मंगाये जाने चाहिये और उसके बाद ही किसी पोस्ट के ऊपर नियुक्ति की जानी चाहिये लेकिन इस विभाग में एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से नाम न लेकर डाइरेक्ट ही जलधारी और पटवारी नियुक्त कर लिये जाते हैं। जलधारी और पटवारी के नाम पर अन्धाधुन्ध भर्ती डाइरेक्ट कर ली जाती है। उसका टोटल अंक उठाकर देखा जाय तो यदि पोस्टल आर्डर के जरिये से लेते तो कम से कम दस लाख की ग्रामदनी होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो एक मिनट और लूंगा।

बहुत सी बातें हैं। इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं ग्रापके द्वारा मन्त्री महोदय से कहूंगा कि भरतपुर में फ्लड के नाम पर खर्चा होता है। सभापति महोदय मुझे याद आ गया है, राष्ट्रीय मार्ग पर जो पुल बने हुए हैं उन पर मरम्मत की जरूरत रहती है फिर भी इन्जीनियर नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करोड़ों रुपये फ्लड में लगाये जाते हैं लेकिन फ्लड का स्थायी हल जब तक नहीं निकालेंगे, मिट्टी के नाम पर, पहाड़ी पानी को रोकने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होते रहेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं कहना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर के पास जब तक पहाड़ की धाराओं को नहीं बांधेंगे और जब तक उन नदियों को नहीं बांधेंगे तब तक पानी नहीं रुकेगा। जब पानी नहीं रोक सकेंगे तो भरतपुर में बाढ़ की समस्या हल नहीं हो सकेगी चाहे कितना ही रुपया उसके लिये ग्राप खर्च कर दें। इसी प्रकार से बाण गंगा को भी नहीं बांधा गया तो हमेशा इस ओर पानी ग्राता रहेगा ग्रौर बाढ़ का स्थायी हल नहीं निकल पायेगा। इसलिये नदियों पर बांध बनाना बहुत जरूरी हैं ताकि बाढ़ के नाम पर जो भरतपुर में पैसा लगता है उससे ग्रापको छुटकारा मिल सके।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : माननीय सभापतिजी, एक छोटा सा कट मोशन मेरा है। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापतिजी हमारे चूरू जिले में सिंचायी का स्कोप नहीं है। इसलिये जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने आपसे निवेदन किया ग्रौर हाउस में प्रश्न भी उठाया था जिसे मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह डेजर्ट एरिया है, चूरू, बीकानेर, सीकर, जहां पीने के पानी का ग्रभाव है ग्रौर सिंचायी का कोई साधन नहीं है उन जिलों के लिये आपको व्यवस्था करनी चाहिये। पहले सिधमुख कैनाल योजना बनी थी।

(श्री रावतराम)

उसके बारे में आज तक क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। इसी प्रकार लिफ्ट इरिगेशन का मामला था। उस सब का क्या हुआ? यह जानकर दुःख हुआ कि लिफ्ट इरिगेशन की जो भी स्कीम थी उसको राजस्थान सरकार ने एक तरह से क्लोज कर दिया है। चाहे ज्यादा खर्च होता हो लेकिन लिफ्ट इरिगेशन की योजना हाथ में लें तो उस भू-भाग का बड़ा भला करेंगे जहां पर पीने का पानी नहीं मिलता है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस ओर कोशिश कीजियेगा। जहां इरिगेशन की स्कीम्स चल रही हैं वहां दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि बड़े भारी घोटाले हैं। किन्तु मंत्रीजी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो स्वागत करेंगे और वहां स्वागत करेंगे यदि आप डेजर्ट एरिया में कोई नहर लाने की व्यवस्था करें। इससे बहुत बड़ा उपकार होगा और उस एरिया के लोगों का भला आप कर सकेंगे।

दूसरे मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के काश्तकारों के पास नहरों के सिचाई के साधन नहीं हैं। उन्होंने सिंचाई के लिए अपने क्षेत्र में कुंए बनाये। इसके लिए गवर्नमेन्ट ने उनको कर्जा दिया था पंचायत समितियों के मार्फत। जहां नजदीक में बिजली की लाइन थी वहां से कनेक्शन लिये। लेकिन क्योंकि वहां पानी बहुत गहरा था और कम था इसलिए कुओं से सिंचाई की योजना असफल रही। इसका नतीजा यह हुआ कि कर्ज की किश्तें वह जमा नहीं करा सके। आप उनकी जमीनें नीलाम करवा रहे हैं और उनकी कुर्की हो रही है इसको आप रोकें। इसके साथ ही कुछ ऐसे कुए भी हैं जिनका पानी बिलकुल खारा और जहरीला है। वह न पीने के योग्य है और न सिचाई के योग्य है। इस तरह से जिन कुओं का पानी खारी और जहरीला है उन काश्तकारों का कर्ज राज्य सरकार को राइट आफ करना चाहिए। वह किसी भी हालत में कर्जा वापस जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए इस ओर भी आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको जरूर देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं राजस्थान कैनाल के बारे में। स्टेट मिनिस्टर राजस्थान कैनाल के बैठे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान भूमि विकास निगम की ओर से नहरी एरिया में पक्की नालियां बनाने की आपकी योजना है। उसके लिए हर खातेदार के जिम्मे आपने पैसे लगाये है और उनसे आप वसूल कर रहे हैं एक मुरब्बा जमीन के ऊपर जहां लागत 5-6 हजार से ज्यादा नहीं है आपने 9-10 हजार उनके नाम लिखे हैं। बैंक का ऋण और विशेष ऋण दस किश्तों में वापस देना होता है। वह टोटल जाकर 25 हजार रुपया पड़ता है। इस तरह से आप काश्तकार को एक तरह से तबाह कर रहे हैं। यदि काश्तकार नाली नहीं बनाना चाहे तो आप उसको कम्पलसरी मत करें। यदि आपने नालियां बना दीं तो उनकी जो कीमत लगी है उसी कीमत को किश्तों में वसूल कीजिए। उस पर बेशुमार ब्याज लगा कर 20-50 हजार रुपया वसूल करें तो आप काश्तकारों का भला नहीं कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री रावतराम)

कुए की बात मैने कहा कि जिन कुओं का पानी खारा और जहरीला है ऐसे कुए चूरू जिले में 25–50 मिल जायेंगे। जिन काश्तकारों के वह कुए हैं उन काश्तकारों का कर्जा आपको राइट आफ करना चाहिए। यही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य !

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति जी, मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से मेरे क्षेत्र के लोग कृषि पर निर्भर हैं। अच्छी खेती हो इसके लिए सिंचाई के साधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में आधे से अधिक क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है। कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं और कुछ एरिया ऐसा भी है जैसे नायब तहसील इन्द्रगढ़ है इसमें कुओं से सिंचाई होती है। जिस क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होती है उस क्षेत्र में क्योंकि मेरा क्षेत्र टेल पर पड़ता है और नहरों का भी वहां टेल है इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। खास तौर से उन जगहों पर पानी नहीं मिलता है जो टेल पर है। टेल की नहरें जहां पड़ती हैं वह स्थान है, सीनाता दोनों लक्ष्मीपुरा, बमोनिया, शेरगज, मुडला माइनर, तथा लक्ष्मीपुरा, खापोल डिस्ट्रीब्यूटरी। यहां टेल पर पानी नहीं पहुंचने की वजह से किसानों के खेत सूखे रहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसानों की खेती के लिए इन टेल के स्थानों पर पानी पहुंचे। इसके लिए नहर के किनारों पर और मिट्टी पड़नी चाहिए तथा बेड कटिंग होना चाहिये। मेरे क्षेत्र मे जो पानी है वह समय पर नहीं पहुंचता और पर्याप्त नहीं पहुंचता। समय पर पानी नहीं छोड़ा जाता और कभी कभी तो पानी बीच में बन्द कर दिया जाता है। मेरे क्षेत्र के किसान पानी की समस्या को लेकर कालोनी के चक्कर लगाते रहते हैं। पानी के बिना वे भारी परेशान हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के किसानों को पानी समय पर मिले और पानी की कोई असुविधा नहीं हो।

माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र में केवल एक फसल होती है क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र के किसान भी चाहते हैं कि अपने खेतों में धान उगायें और गन्ना उपजायें। यदि उनको पर्याप्त पानी मिल जाता है तो वह अपने खेतों में धान और गन्ने की फसल कर सकते हैं। मैंने बहुत बार अधिकारियों से निवेदन किया लेकिन पता नहीं उनकी मेरे क्षेत्र के प्रति उपेक्षा क्यों रही है? ज्यादा नहरें होते हुए भी मेरे क्षेत्र का किसान केवल एक फसल करता है। मैं चाहूंगा कि पर्याप्त पानी मिले ताकि किसानों की यह समस्या दूर हो।

माननीय सभापति जी, नहरों का कुछ एरिया ऐसा है जहां नहर के एक ओर फसल होती है और दूसरी तरफ खेत बिल्कुल सूखे पड़े हैं। ऐसे स्थानों में इटावा ब्रांच कैनाल तथा अयामा ब्रांच कैनाल के बीच का क्षेत्र है और गैंता डिस्ट्रिब्यूटरी के दक्षिण एव पश्चिम तथा केशोपुरा से समानपुरा का क्षेत्र है। यहां पर लिफ्ट इरिगेशन की योजना लागू हो जाय तो किसानों के खेत में पानी पहुंच सकता है। मै निवेदन करूंगा कि यहां पर लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था कराई जाये।

(श्री हीरालाल आर्य)

कुछ नहरें ऐसी हैं जिनकी लम्बाई मात्र बढ़ा दी जाती है तो जो सैंकड़ों एकड़ जमीन है उसमें सिंचाई हो सकती है। छपोल एवं लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों लक्ष्मीपुरा, बमोलिया, सीमोता माइनर्स की लम्बाई बढ़ जाती है तो बहुत से किसानों के खेतों में पानी पहुंच सकता है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नायब तहसील इन्द्रगढ़ क्षेत्र में सिंचाई कुओं से होती है। सिंचाई के साधनों के अभाव की वजह से वह अपनी फसल ठीक तरह से नहीं कर सकते। वहां इन्द्रायनी नदी है। यदि वह बंध जाती है और बांध बन जाता है तो पूरे इन्द्रगढ़ के क्षेत्र, जिसमें हजारों एकड़ जमीन है, में सिंचाई हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन्द्रायनी नदी पर बांध की व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति जी, मैं यह भी चाहूंगा कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ के लोग अपने खेतों में कुए बनाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं। किसानों को कुओं के लिए भी ऋण दिया था लेकिन दस हाथ खोदकर लोग बैठे हुए हैं और ऋण की अगली किश्त का इन्तजार कर रहे हैं। अतः उनको ऋण समय पर मिल जाये तो सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

मेरे क्षेत्र में, सभापति महोदय, नहरे हैं इसलिए किसान खुशहाल हुआ है और उनके ऊपर खुशहाली कर लगाया गया है। मैं इसको किसानों के साथ अन्याय मानता हूं। सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों के ऊपर से यह खुशहाली कर माफ होना चाहिये। क्योंकि अब सीलिंग भी हो गया है इसलिए सरचार्ज को भी समाप्त करें तो किसानों के साथ न्याय होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव भू-संरक्षण पर भी हैं ...

श्री सभापति : वह आप रख दें।

श्री हीरालाल आर्य : एक मिनट लूंगा।

श्री सभापति : समय नहीं मिलेगा आपको।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे क्षेत्र में भू-संरक्षण विभाग द्वारा किसानों को कह दिया गया था कि 250, ·00 रुपया प्रति एकड़ खर्चा आयेगा किसान राजी हो गये। उन्होंने खेत समतल करा लिये। हजारों रुपया बकाया निकाल दिया। गरीब किसान हैं। मकान आदि में केवल छपरे से बढ़ कर नहीं हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है हजारों रुपया गरीब किसानों के जिम्मे निकाल दिया, वे देने में बिल्कुल असमर्थ हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं चाहूंगा अगर ऋण माफ हो जाये या उचित असेसमेंट करके पैसा लिया जाये तो किसान को राहत मिल सकती है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे क्षेत्र में नहरों का मुआवजा भी नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि मुआवजा मिल जाये। मांगरोल तहसील में कुछ कुए हैं,

(श्री हीरालाल आर्य)

कुछ तालाब हैं। इटावा में तालाब है वह टूट गया है। यदि बंध जाय तो....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उससे सिंचाई हो सकती है। कृपया उसे बंधाने का कष्ट करें। धन्यवाद!

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा नम्बर।

श्री सभापति : आपका नाम बाद में आयेगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): सभापतिजी, मैं सबसे पहले जो योजनायें हैं उन पर अपने विचार रखना चाहूंगा। राजस्थान कैनाल के पानी को मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा यूटीलाइज किया जाये। मगर हमारे चाहने पर पंजाब की सरकार हमको यूटिलाइज नहीं करने दे रही है 9 महीने से यह सवाल लिंगर आन होता रहा। अभी थीन बांध के सवाल पर सिंचाई मन्त्री ने बड़ी बुलन्द आवाज में कहा था कि हम लड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लड़ें। ऐसा न हो बहादुरी के साथ हम पीछे आ जांय। पानी का सवाल पंजाब से है। पंजाब के मिनिस्टर्स से हम बहुत पीछे हैं। चाहे थीन के बांध का सवाल हो, चाहे हमारे पानी के यूटीलाइज करने का सवाल हो, चाहे हैड वर्क्स के चार्ज का सवाल हो पंजाब की हुकूमत के हाथ बहुत लम्बे हैं, सेन्टर के अन्दर इरिगेशन मिनिस्टर भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। मन्त्री महोदय को आग्रह करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं लड़ सकते। सारे मन्त्रि मण्डल को, मुख्य मन्त्री को साथ लीजिये। सारी राजस्थान की जनता को साथ लेकर इस सवाल पर आपको बहुत सख्ती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें पानी यूटीलाइज नहीं करने देते, पानी पाकिस्तान को जाता है और पंजाब यूटीलाइज करता है। मेहरबानी करके इन तीनों सवालों को साथ लें, अलग अलग सवाल नहीं लें। अलग अलग सवाल नहीं हैं। मजबूती के साथ लड़िये, यही मेरा कहना है।

दूसरा राजस्थान कैनाल के पानी को पोलिटिकल आधार पर डिस्ट्रिब्यूट नहीं करिये। मेहरबानी करके इसमें पोलिटिक्स मत लाइये। इमर्जेन्सी में हमने देखा लिफ्ट कैनाल का पानी नागौर में चला गया नागौर में पानी जा नहीं सकता। मुझे तजुर्बा है जहां फ्लो इरिगेशन होगा पानी वहीं लग सकता है, बाकी लिफ्ट सिंचाई के पैसे किसान दे ही नहीं सकता। आपके पास बीकानेर लिफ्ट इरिगेशन है। वहां के किसान आपको वाटर चार्जेज नहीं दे सकेंगे, वे जमीन छोड़ जायेंगे उनके लिये लिफ्ट कैनाल किसी काम की नहीं। वहां का किसान हाई चार्जेज दे नहीं सकेगा। आलरेडी आपके पास फ्लो इरिगेशन आबपाश होने वाला क्षेत्र मौजूद है वहां का बजट आप फिर भी खर्च नहीं कर रहे हैं बड़ा तमाशा है। गग कैनाल में इन्टेन्सिटी अलग है, भाखड़ा में इन्टेन्सिटी अलग है। आपने वाटर रेट तीनों की एक सी रखी है। भाखड़ा के किसान को 3 पानी मिले, राजस्थान और गंग कैनाल के किसान को 6 पानी मिले तो पानी के हिसाब से प्रोडक्शन होगा लेकिन आपने रेट्स एक जैसी कर दीं। तीनों जगहों के पानी की रेट एक जैसी कर दी तो आपको पानी भी मेहरबानी करके एक जैसा देना चाहिये जहां 100 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

से ज्यादा पानी दे रहे हैं, अभी वहां सेम का खतरा पैदा हो रहा है। यह जो खतर पैदा हुआ है उसको कैसे रोकेंगे ? हमें तजुर्बा है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में एक है वह क्रियेट कर दिया है। लोग घर छोड़ गये। महसूस कीजिये, क्या हालत है। उसका समाधान नहीं हुआ। 9 महीनों से डुला रहे हैं वहां के किसानों को। अभी डिप्रेशन में वे जा रहे हैं घग्घर डिप्रेशन में पानी 30 फीट खड़ा रहता था पानी वहां पर खड़ा नहीं रहे, पास आन कर दें जिससे सेम पैदा न हो। उसका नतीजा यह हुआ कि बीसों गांवों में सेम की समस्या खड़ी हो गई मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लोगों ने शिकायत की इस पानी को आगे ले जाकर लो लेवल कैनाल में डालिये। हम पानी राजस्थान मे यूटीलाइज करना चाहते हैं। राजस्थान की धरती सूखी है वहां पानी नहीं दे रहे हैं। रंग महल के सैकड़ों लोग आये हुए हैं। एक इतनी बडी समस्या पैदा हुई है वहां सेम आ गई, वहां के हजारों किसानों को 5 नम्बर डिप्रेशन से काटकर जमीन दी जाये। दौबारा पानी उस नाली में छोड़ रहे हैं। मेहरबानी करके इस काम को रोकिये और लो लेबल कैनाल में पानी लीजिये। अगर खाली पानी चला गया तो हजारों आदमी इसमें बरबाद हो जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी. मैं समझता हूं मैं अकेला हूं मेरा और मेरी पार्टी का टाइम

श्री सभापति : 10 मिनट।

एक माननीय सदस्य : आगे पीछे कोई नहीं है क्या ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी तो आपके जिम्मे है।

श्री मदनसिंह दांता : Communist always starts from we and remains only I.

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसके साथ एक और अर्ज करना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्य सिंचाई मन्त्री जो लिफ्ट कैनाल को पोलिटिकल आधार पर मत लीजिये। 10-15 फीट की लिफ्ट से हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। बहुत ही फर्टाइल जमीन है इसमें आपका कम खर्चा होगा जितना भी भाखड़ा कैनाल में और गंग कैनाल में अन कमाण्ड एरिया है उसमें पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है ? हम पंजाब से क्या लड़ें, हमारे में ही अलग-अलग रीजन बन गए हैं। गंग कैनाल वाले कहते हैं कि भाखरा का पानी नहीं मिलता है। भाखरा वालों का सवाल आता है तो वे कहते हैं कि हमारी धरती सूखी है, हमारी धरती पर पूरा पानी नहीं जा रहा है। राजस्थान कैनाल वाले कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। जब पानी का सवाल आता है तो अलग-अलग रीजन बन जाते हैं। भाखरा में राजस्थान कैनाल का पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे अधिकारी कहते हैं कि अगर एक बार दे दिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर मांगते ही रहेंगे। तो आप क्या इसे बेटर समझते हैं ? पाकिस्तान में पानी चला जाता है उसे बेटर समझते हैं ? पाकिस्तान और पंजाब इसको यूटिलाइज करें इसको बेटर समझते हैं ? लेकिन राजस्थान कैनाल का पानी भाखरा वाले यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप इस तरह से पानी से वंचित रखना चाहते हैं।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

इसलिए जब तक राजस्थान नहर का सारा पानी हम यूटिलाइज नहीं करते भाखरा व गंग कैनाल क्षेत्र में यूटिलाइज करना चाहिये ।

आखर में एक बात कहूंगा कि हमारी राजस्थान कैनाल जैसलमेर तक जाएगी । इसको बहुत संजीदगी से सोचिये । जब जैसलमेर तक जावेगी तो इससे लाखों टन अनाज पैदा होगा लेकिन इसको ढोयेंगे किस तरह से आप ? अगर ढोयेंगे नहीं तो एक मण्डी से दूसरी मण्डी तक, देश के दूसरे हिस्सों मे अनाज कैसे पहुंचेगा ? अगर नहीं पहुंचेगा तो किसान की क्या हालत होगी कभी आपने सोचा है ? अभी जिस तरह की किसान की हालत हुई है नरमा में, कपास में, गन्ना और सरसों में, उससे किसान तबाह हो गया, उसको भाव नहीं मिले, उसी तरह से यहां पर किसान को भाव नहीं मिलेंगे । इसलिए मेहरवानी करके एक ब्रोडगेज लाइन डालिये गंगानगर से पदमपुर, रायसिंहनगर से अनूपगढ़ होते हुए जैसलमेर तक । राजस्थान कैनाल के बैंड के साइड बाई साइड लाइन ले जाइए । हमने देखा है देश में कई जगहों पर बैंड से पैरेलल रेलवे लाइन गई है । एक तरफ सड़क गई है और दूसरी तरफ रेलवे लाइन गई है । इसलिए आप इसके साइड बाई साइड जैसलमेर तक रेलवे लाइन ले जायं ताकि जो पैदावार हो वह देश के इण्टरनल पार्ट तक पहुंच सके । अगर वहां तक माल नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

पहुंचता है तो किसान को एक पैसा नहीं मिलेगा । आज भी काश्तकार राजस्थान कैनाल के पास जा नहीं रहा है । आपका पानी पहुंच गया मगर काश्तकार नहीं पहुंच रहा है । पानी पहुंच गया लेकिन आपको जमीदार नहीं मिला काश्त करने के लिए । इस तरह से अगर इन सारी बातों का ध्यान रखें तो आपके डिफेंस पोइन्ट ऑफ व्यू से भी यह रेलवे लाइन सबसे ज्यादा उचित रहेगी । साथ ही जो हमारा कमाण्ड एरिया है उससे माल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा फिर आपके हाथ में तो ईरान का शाह आ गया है, उससे उधार ले लो । पहले भी राजस्थान कैनाल के लिए उधार ले ही रहे हो । वापस तो देना है नहीं आपको, पचास करोड और ले लो । आपको तो उधार मिलता है तो ले लो और एक अच्छा काम कर दो ।

श्री सभापति : श्री भैरवलाल काला-बादल !

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशसिंह !

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि तीस साल मे, पिछले तीस सालों में उपेक्षा गांवों की रही, अब सरकार ने गांवों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है । इसलिए मैं ज्यादा भाषण में नहीं पड़ कर आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा । अपने क्षेत्र की तरफ और निवेदन करूंगा कि उसकी तरफ ध्यान दें । खास तौर पर एक बांध के लिए कहूंगा कि आज से करीब छः सात महीने पहले उसका उद्घाटन किया था पहले वाले मन्त्री महोदय ने और उसके बाद मन्त्री महोदय भूल गए । मैं आशा करता हूं कि उस बांध का उद्घाटन जो हमारे मन्त्री महोदय ने किया

(श्री जगदीशसिंह)

था उसको नहीं भूलेंगे और उसका काम चला कर कम से कम पांच छः गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेंगे। यह रायताखार है धौलपुर में। उसका उद्घाटन पिछले मन्त्री महोदय कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद आज तक एक ईंट, एक पत्थर तक नहीं पहुंचा है मैं आशा करता हूं कि इस तरफ खास तौर पर ध्यान देंगे।

दूसरा निवेदन यह करना है कि धौलपुर क्षेत्र के पास में चम्बल नदी आई है। उस चम्बल नदी को सतापरा के पास रोका जाय तो लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है और लाखों किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है जो कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी असैट होगी।

नम्बर तीन, धौलपुर सब डिविजनल एज ए होल के बारे में निवेदन करूंगा कि वहां पर पत्थर जमीन के नीचे ज्यादा हैं। वहां पर ट्यूब वैल नहीं बने हैं। इसलिए सरकार की तरफ से उस पथरीली जमीन पर ट्यूबवैल बनाया जावे। पिछले साल सरकार ने एक ट्यूब वैल बनाया तो केवल दस फीट की निचाई पर पानी मिल गया। दस फीट पर ही पानी मिल गया लेकिन सरकार की तरफ से वहां पर जो ट्यूब वैल बनाया उसका पानी लेने को तैयार नहीं हैं। इसलिए धौलपुर बाड़ी क्षेत्र में जो पथरीली जमीन है वहां पर सरकार की तरफ से ट्यूब वैल बनाया जाय ताकि वहां पर जो जमीन असिंचित पड़ी है सैंकड़ों सालों से वह सिंचित हो जाय।

धौलपुर क्षेत्र में पानी की बहुतायत है। जब से राजस्थान बना है तब से आज तक वहां पर कोई भी नया बांध नहीं बनाया गया है। इसके साथ-साथ जो छोटे-छोटे बांध हैं, रायसागर व तालाबशाही, ये स्टेट टाइम के बने हुए हैं। इनके पानी को छोटी-छोटी नहरों से लिफ्ट किया जाय और इनकी मरम्मत करके इनको रेज किया जावे तो कम से कम दुगुनी आबपाशी हो सकती है। कई गुना आबपाशी इससे बढ़ाई जा सकती है और जो पानी की कमी काश्तकार महसूस करते हैं, फसलें सूख जाती हैं, यह शिकायत हमेशा के लिए दूर हो सकती है।

इसके साथ ही उर्मिला सागर है उसका जो कैचमेंट एरिया है वह डायवर्ट होना जरूरी है क्योंकि जो पहाड़ों का पानी आता है वह चम्बल नदी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इस पर थोड़ा सा कर्व लगा दें, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे तो जो शिकायत है कि पानी नहीं आता है, कैचमेंट एरिया कम है उसका हमेशा के लिए सोलूशन हो सकता है।

साथ-साथ पार्वती बांध में नहरें जो बनी हुई हैं वह करीब-करीब खराब हो गई हैं। इसके कारण दो-दो फर्लांग तक सीपेज होने के कारण गर्मी बना रहती है और उसके कारण काश्तकार काश्त करने में असफल रहता है। वैसे जैसी मुझे जानकारी मिली है सरकार के यह मामला विचाराधीन है लेकिन फिर भी मैं आशा करूंगा कि सरकार इस तरफ खास तौर से ध्यान देगी। सीपेज की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है और साथ में हजारों बीघा जमीन पर काश्त लेने से काश्तकार महरूम हैं। इसलिये नहरों की मरम्मत हो जाय तो वह भी काश्त योग्य बनाई जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

158

(श्री जगदीशसिंह)

एक सैकिंड।

इस साल पार्वती नदी के उस पार फ्लड आया था। फ्लड आने से उसके पास जो मालोनी खुर्द गांव है गांव के अन्दर बड़े-बड़े खाल बना दिए हैं बीस-बीस फीट गहराई के खाल हैं। उसके साथ साथ में दीवार वगैरह बना दी जावे तो वह फ्लड रुक सकता है भरतपुर में फ्लड कन्ट्रोल का काम चल रहा है। उसके साथ ही इस काम को भी किया जावे वरना अगले साल वहां फिर बाढ़ का पानी आएगा और सारा का सारा काम ठप्प हो जाएगा। अभी तो केवल हजारों की बात है फिर लाखों का नुकसान होगा और स्कीम में भी लाखों रुपये खर्च होंगे।

इसके साथ-साथ में धौलपुर क्षेत्र में भी फ्लड आया था और सैंकड़ों एकड़ एरिया फ्लड में डूब गया था। अब वहां के लिए स्कीम बना दी है। मुझे आशा है कि यह योजना पूरी होने पर आयन्दा भरतपुर एरिया में फ्लड नहीं आएगा। इसके साथ-साथ पांच सात ग्राम और हैं जैसे तौर सादिकपुर, फीरोजपुरा, ओडेला, सरानीखेड़ा, पुरैनी करीमपुर, किरारपुरा, उमराराकोटा, जो कि धौलपुर से केवल सात आठ मील की दूरी पर है। इस एरिया में बहुत जबरदस्त फ्लड दो साल से आ रहा है, लेकिन न मालूम किन कारणों से इन गांवों को फ्लड कन्ट्रोल में नहीं लिया गया है। सरकार को लिख कर भी दिया है। मैं आशा करता हूं इस एरिया का खास तौर पर ध्यान रखेंगे और इस एरिया को फ्लड कन्ट्रोल में लेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दूसरा मैं अर्ज करूंगा कि अगर चम्बल से लिफ्ट ईरिगेशन की ओर सरकार ध्यान दे तो धौलपुर के पास में ही चम्बल नदी है, जहां पानी भी खूब आता है। इसलिए अगर लिफ्ट इरिगेशन की योजना बना दी जावे तो लाखों एकड़ भूमि की उससे आबपाशी हो सकती है। इस पर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।

आखरी एक बात और निवेदन करना चाहता हूं. सभापति महोदय, नहरों के किनारे जो सर्विस रोड्स हैं, बहुत छोटी छोटी हैं. काश्तकार उस पर आ-जा नहीं सकते हैं। बरसात में तो ये रोड्स इतनी खराब हो जाती हैं कि जीप नहीं जा सकती है। इसलिए इन रोड्स की मरम्मत कराई जाए। एक पालिसी मैटर तय कर के नहरों के किनारे पक्की रोड बना दें तो ये रोड्स पब्लिक यूटिलिटी की हो सकती हैं। सरकार को और किसानों को दोनों को इससे लाभ होगा।

एक निवेदन और करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : श्री गम्भीरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रंगजी !

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह गूजर !

(अनुपस्थित)

श्री शीश राम ओला !

श्री शीश राम ओला (पिलानी) : सभापति जी, सिंचाई विभाग की डिमांड्ज पर मेरे कट मोशन हैं। आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय को कुछ सजेशन देना चाहूंगा।

राजस्थान में बहुत सारे विकास के कार्यों में बड़ी भारी असमानता है किन्तु सिंचाई के क्षेत्र में जितनी असमानता है, यह सब को पार कर गयी है। हम झुन्झुनू जिले में रहते हैं। झुन्झुनू ऐसी जगह पर स्थित है, जिसके पूर्वी ओर उत्तरी हिस्से में सब जगह नहरों का जाल बिछ गया है। हरियाणा की जमीन जो टीलों के रूप में पड़ी थी, जो डेजर्ट था, जो टीले झुन्झुनू जिले से लुहारु और महेन्द्र गढ़ होकर गये थे, वह सारा एरिया डेजर्ट के रूप में था। आज वहां, उस सारे डेजर्ट में नहरों से सिंचाई होती है। वह एरिया लहलहा रहा है। झुन्झुनू जिले के जो गांव उससे मिलते हैं, उनके दिल सिकुड़ रहे हैं। वे आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हो गये हैं कि वे जिन्दगी भर ऐसे ही रह जाएंगे। खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों को जब तक खेती के समूचे विकसित साधन नहीं दिए जाते हैं तब तक वह खेती से निर्वाह नहीं कर सकते। हमारे यहां पर नहर की योजना बनी थी। वह जवाहरलाल नेहरू नहर से जुड़ी थी झुंझुनूं और चूरू जिले को पानी देकर डेजर्ट को हरियाली में परिवर्तित करने की योजना थी। उस योजना को खटाई में डाल दिया गया है। पिछले विधान सभा सैशन में, सिंचाई विभाग की मांगों पर विचार के समय भी कहा था कि झुंझुनूं और चूरू जिले को पानी दिए जाने की योजना है, लेकिन उस बात पर कोई विचार नहीं किया गया। एक तरफ तो पानी के बिना बरबादी हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारी सीमा से लगा हुआ एरिया है हरियाणा का, वह लहलहा रहा है। एक तरफ झुंझुनूं और चूरू जिले की भूमि पानी की एक एक बूंद के लिए प्यासी रहें, दूसरी तरफ अथाह पानी हो, यह बड़ी अजीब घटना है, विडम्बना है।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, झुंझुनूं जिले में खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में पानी लाने के लिए 15-16 गांवों में 0-25 ट्यूब वैल्स इस प्रोजेक्ट ने खोदे और वह भी 300-400 फीट गहरे खोदे। तीस मील की दूरी से पानी खेतड़ी प्रोजेक्ट में आता है। इससे इन 15-16 गांवों का पानी इतना गहरा हो गया है कि वहां जो कुए थे वे कुए सिंचाई के योग्य नहीं रह गए और वहां के सारे के सारे काश्तकार इतने बरबाद हो गए हैं कि वे नए कुए खोद नहीं सकते हैं। पानी गहरा हो गया है, कुए बरबाद हो गए हैं वहां के काश्तकार शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं। इन गांवों के काश्तकारों की दशा देखी जावे तो बहुत दयनीय है। खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट को पानी की अत्यन्त आवश्यकता है। वह पानी के बिना नहीं चल सकता है और उधर हरियाणा ने राजस्थान के काकड़ा अम्बास के पास लाकर नहर छोड़ दी है इस सम्बन्ध में पिछली सरकार से हमने लिखा पढ़ी की थी तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि इस नहर को लाकर 3 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि, झुंझुनूं और चूरू जिले की भूमि में सिंचाई होगी। हरियाणा की इस नहर से राजस्थान को पानी मिलेगा और उसका उपयोग झुंझुनूं

(श्री शीशराम ओला)

और चूरू जिले के लिए होगा। इसका सर्वे हो चुका है। हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार को लिखा भी था, हम यह जो नहर बना रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कैनाल, इसके निर्माण खर्च का कुछ हिस्सा अगर राजस्थान सरकार देती है तो हम उस नहर को उतनी कैपिसिटी की बनावें जिससे राजस्थान को भी पानी मिल सके। यदि राजस्थान सरकार ने कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं दिया तो हम इस पर नहर से राजस्थान को पानी नहर नहीं दें सकेंगे। यह पत्र, हरियाणा का राजस्थान को मिला था। परन्तु हमारी सरकार उस पर सोई हुई रही। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

थोड़ा समय और लूंगा।

कुछ दिनों बाद इरिगेशन महकमे के लोग दिल्ली के राजस्थान हाउस में मुझे मिले थे कि कैसे समझौता हो सकता है। इस तरह राजस्थान का इरिगेशन विभाग पीछे रह गया। उनका समय पर इस ओर ध्यान नहीं गया। मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में....

(6.18 सायं)

(श्री ओंकारलाल, चौहान सभापति, पदासीन)

निवेदन करना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल ही एकमात्र ऐसी कैनाल है, जिसके माध्यम से झुंझुनूं जिले को पानी मिल सकता है। चूरू जिले को राजस्थान कैनाल से पानी मिलने की सम्भावना है परन्तु इस नहर के अलावा कोई ऐसी नहर नहीं है, जो झुंझुनूं जिले को पानी दे सके। सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले के काश्तकारों के पास बहुत अच्छी जमीन है। हरियाणा की जमीन से बेहतर जमीन है और वे लोग काम करने में भी सक्षम हैं, मेहनती हैं। काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास खेती से पैदा करने लायक साधन नहीं हैं। बिना पानी के कैसे खेती हो सकती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल, जो हरियाणा के बोर्डर पर आकर खड़ी है, वो शीघ्र से शीघ्र झुंझुनूं जिले में लाया जाए। मिस्टर सिंघल सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर थे, उन्होंने इसका सर्वे किया था। उनकी यह मान्यता थी कि केवल यही एक ऐसी योजना है. जिसके माध्यम से झुंझुनूं जिले को पानी मिल सकता है। न मालूम कैसे वह योजना खटाई में पड़ गई। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे इस योजना को दुबारा देखें वरना इसका नतीजा काफी गंभीर होगा। वहां के काश्तकार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाएंगे। झुंझुनूं, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में एक ऐसा जिला है जिसका डिफेन्स में बहुत बड़ा योगदान है। वह न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होगा, बल्कि देश की रक्षा करने के लिये जो जवान देता है, जो आर्मी की एक कड़ी है, वह कमजोर होगी।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बड़ी बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक दोवा बसी नदी हमारे राजस्थान में बहती है। हरियाणा सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने इस नदी पर बांध बना कर कई गांवों की सिंचाई की योजना बना डाली है जब कि हमारे यहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं।

(श्री शीशराम ओला)

बांध पर हमारी सरकार, हमारा सरकारी महकमा इस प्रकार व्यय बढ़ावे····

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शीशराम ओला : मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल से शीघ्र से शीघ्र पानी झुंझुनू जिले को दें।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, यह विडम्बना की बात है, छोटे-छोटे बांधों की परवाह करते हैं लेकिन जो बड़े-बड़े बांध हैं, बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, उनकी परवाह नहीं की जाती है। हिन्दुस्तान की नदियों का पानी सीमा को पार करके पाकिस्तान में जा रहा है। यही नहीं हमारे क्षेत्र में पानी इधर-उधर खराब हो रहा है। जैसा कि अभी किसी साथी भाई ने बताया था कि सारे पानी का उपयोग नहीं हो रहा है। यहां जो बहाव का पानी है उसका 2/5 हिस्सा ही उपयोग में ले सकते हैं। सवाल यह आता है कि राजस्थान के क्षेत्र में नदियां हैं लेकिन नागौर क्षेत्र के पश्चिम भाग के नागरिकों को यह आशा नहीं है कि तालाब सिंचाई के काम आ सकेंगे या बिजली से भू-जल प्राप्त कर सकेंगे। न नर्बदा से, न चम्बल से, न माही से, पानी उपलब्ध हो सकेगा और न गंगा-जमुना के पानी की आशा है, जैसी कि चूरू और झुंझुनू के लोग आस लगाये बैठे हैं, न कि सिद्धमुख के पानी की आशा है। सरकार की ओर से काफी समय तक यह कहा गया था कि राजस्थान नहर की योजना से नागौर को लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन अब निर्णय किया गया है कि नागौर को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है। कहा गया कि इसमें बड़ी राशि लगेगी और यह अव्यावहारिक रहेगी। जहां कि नीचे से लेकर ऊंच तक राजनीति चलती है, चिन्तन भी राजनीतिक है, उन्होंने यह मान लिया कि यह नागौर इसी प्रकार रहेगा।

एक माननीय सदस्य : डिफरेण्ट ओपीनियन हो सकती हैं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं यह भी देख रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री किशनसिंह भाटी : व्यवधान नहीं है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : अगर वह होता तो आज यह नजारा नजर नहीं आता। आज जो हालात हैं उनमें तो मैं यह कहूंगा कि एक निराशा की भावना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसका पुनः निरीक्षण करने की आवश्यकता है। जो भी आश्वासन दिया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाये। इस नागौर के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाये। निराशा भरे नागौर के बेरोजगार युवकों का भी ध्यान रखा जाय। जब भी कोई मामला आता है तो दुहाई यह दी जाती है कि यह अन्तर्राज्यीय मामला है। अन्तर्राज्यीय प्रसंग का वादविवाद है। समूचे राजस्थान का प्रश्न आता है तो वादविवाद है। क्या

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)

राज्यों की अपेक्षा हमारा विवाद कम है? जब कि दक्षिण के आने वाले कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है, दूसरे भी यही कहते हैं तो मैं कहूंगा, राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं, सुगमता के दृष्टिकोण से नहीं, व्यावहारिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु कल्याण भावना से निर्णय हो। अधिक से अधिक जो क्षेत्र में असन्तुलन है प्रत्येक योजना और परियोजना उसे मिटाने वाली होनी चाहिए। उसको प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उपेक्षित क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : नागौर पश्चिम क्षेत्र का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, जहां कुए उपलब्ध हो सकें। जब बिजली विभाग को बिजली वितरण को कहा गया तो वह यह असैसमेन्ट करने को तैयार नहीं है। जल सर्वेक्षण का पुनः कहा गया तो वह कहते हैं कि 50 लाख रुपये का बजट देंगे तब करेंगे। अण्डर ग्राउन्ड योजना का प्रश्न आता है तो यह हाल है। इस प्रकार से तो शताब्दियां लग जायेंगी। अकाल से पीड़ित नागौर के लोगों को पानी की बूंदें तक ही नहीं नजर आती हैं। सारे परिवार को लिये हुए अकाल के समय लोग दूर-दूर तक जीविका कमाने के लिए जायें

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह कोई आवश्यक नहीं है। हम बाहर से और बर्डन नहीं लें। हमारे जो लोग हैं, उनकी समस्या का जो भी समाधान हो, वह किया जाये और नागौर को प्रधानता दी जाये। प्राथमिकता की दृष्टि से राजस्थान कैनाल के साथ बांध दिया जाये।

श्री सभापति : श्री नारायण मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री अचलाराम!

श्री अचलाराम (सूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय कहो।

श्री अचला राम : ओह, Sorry!

माननीय सभापति महोदय, लघु सिंचाई योजना पर मैंने मंत्री महोदय को पहले लिख कर दिया है। टेलीग्राम आया। जे.ई.एन. के पास गया। मैंने पूछा, अब सर्वे करायें। तो उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए अलग से बजट आया है। टेलीग्राम आ गया है लेकिन सर्वे बजट के लिए मैं चाहता था इसीलिए हम सर्वे करने में असमर्थ है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सर्वे करने के लिए इस बजट में मेरे क्षेत्र के लिये पैसा आप बढ़ाइये। कई छोटे छोटे बांध है, डारिया बांध है वहां के सभी कुओं का जल गहरा है। इसका कारण यह है कि वह अरावली की तराई में आया हुआ है। डारिया, बाजरवाला, भीमकुल, डेडबान, छोड़-इन सब बांधो के नीचे लघु सिंचाई योजनाओं को लागू किया जाये। इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति और गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लिया जाये तो हमारे यहां कुओं का वाटर लेवल बढ़ेगा और सिंचाई हो जाएगी इससे उत्पादन बढ़ जाएगा। बांधों में पानी होगा तो उपर्युक्त रूप से देखें तो कुओं का जल बढ़ेगा। घोड़ादड़ा, मांडीगढ़, राजपुरा

Page No. 163

(163)

(श्री अचलाराम)

इन बांधों में जल की केपेसिटी ज्यादा है इसलिए इन बांधों को क्यों न रेज किया जावे जिससे कमाण्ड एरिया भी बढ़े और कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठे।

सियावा (नारलाई) का जो तालाब है वह स्टेट के टाइम में, जोधपुर सरकार के समय में एक बार बनाया गया था। यहां पर और तालाब बन जाय और इसकी मरम्मत करा दी जाय तो दस-पन्द्रह गांवों में कुओं में पानी आ सकता है। यह बांध फ्लड के समय टूट गया था, इसकी ओर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सादड़ी नदी का तटबन्धन भी जरूरी है। सादड़ी के बीच में एक और नदी है मादा, उसके आस-पास मेघवालों के, हरिजनों के और कुम्हारों के घर बह गये हैं। यह मेरी आंखों देखी बात है।

माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने यह बात तो बहुत अच्छी कही कि जल बिना जीवन नहीं लेकिन यह 'जल बिना जीवन नहीं" शहरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह कहावत कुछ हिस्सों के अन्दर ही नहीं सम्पूर्ण राजस्थान में लागू होनी चाहिए तो हमारी भी बारी आ जायगी। पानी नहीं है तो जीवन क्या है–

"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,

पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून"

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके अलावा जो पानी किसान को देने की पालिसी है इसमें त्रुटि है। इससे जोर जबरन पानी लग जाता है और ज्यादातर लोगों को पानी नहीं मिलता। पटवारी लोग भी मोनोपोली बरतते हैं, मैंने यह देखा है। इसलिए जे. ई. एन. को यह काम दिया जाय तो ठीक रहेगा। दूसरी त्रुटि यह है कि कम से कम पांच प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा पचास प्रतिशत सिंचाई की पालिसी है यह त्रुटिपूर्ण है। मेरा सुझाव यह है कि 1 से 10 बीघा में 100 पर्सेन्ट सिंचाई होनी चाहिए, 11 से 20 बीघा में 90 पर्सेन्ट, 21 से 30 बीघा में 80 पर्सेन्ट, 31 से 40 बीघा में 70 पर्सेन्ट, 41 से 50 बीघा में 60 पर्सेन्ट, 51 से 60 बीघा में 50 पर्सेन्ट, 61 से 70 बीघा में 40 पर्सेन्ट, 71 से 80 बीघा में, 30 पर्सेन्ट, 81 से 90 बीघा में 20 पर्सेन्ट, 91 से 100 बीघा में 10 पर्सेन्ट, 100 से अधिक हो तो 10 पर्सेन्ट सिंचाई होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री अचलाराम : इससे जो नीचे के तबके को ऊंचा उठाने की बात है वह समझ में आ जायगी। मैं आशा करता हूं कि यह पालिसी रखी जायगी और हमारे क्षेत्र में जो छोटे-छोटे बांध हैं उनकी तरफ ध्यान जायेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊदयाल जी जोशी!

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदय को 131 करोड़ 54 लाख 10 हजार रुपये की स्वीकृति इस सदन के माध्यम से चाही गई है लेकिन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अब तक 70 वां नम्बर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों ने जो डिमाण्ड रखी हैं उसके आधार पर यह मांग भी कम महसूस होगी । इससे भी बढ़ कर राजस्थान की महत्वपूर्ण समस्या है। 1977 तक राजस्थान में 17.11 प्रतिशत जमीन की हमने सिंचाई की व्यवस्था की है। इसके साथ-साथ राजस्थान की जो समस्या है, राजस्थान की दुर्गम परिस्थिति के कारण जो स्थिति बनी है, इसको राजस्थान का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि 62.5 लाख बीघा में से जयपुर जिले में 75.3 प्रतिशत जमीन, अजमेर में 57.5 प्रतिशत जमीन, कोटा में 33.5 प्रतिशत जमीन, बून्दी में 36.5 प्रतिशत जमीन और कोटा में 25 हजार एकड़ जमीन को सिंचित कर सके हैं। अभी भी 1 लाख 58 हजार एकड़ में लवणीयता की समस्या बढ़ती जा रही है। मैंने चम्बल के उच्चाधिकारियों से भी वार्ता की, उन्होंने जो इसका हल बताया, उसके हिसाब से योजना बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

आज तक कोटा में केवल एक ही स्कीम काम कर रही है, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इस योजना को तेजी के साथ लागू किया जाय । ज्यादातर किसान यह समझते हैं कि यह बेकार की योजना है इससे कोई फायदा नहीं है। एक साल तक जमीन को पडत रखना पड़ता है। उससे जो नुकसान होता है वह किस प्रकार पूरा किया जावे ? मेरा निवेदन है कि हरियाणा और पंजाब के पास ऐसे यन्त्र मौजूद हैं जो तेज गति के साथ इस स्कीम को लागू कर सकते हैं ।

मैंने सुना है कि कोटा डिविजन के तीन डिविजन बनाये जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो केन्द्रीय सरकार ने अनुकम्पा करके किसानों को मुआवजा देने की स्कीम बनाई, ढाई सौ रुपया प्रति बीघा के देने की, दुःख है कि उसको वापस लिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्कीम पर राज्य सरकार गौर करे। मेरा क्षेत्र हाड़ोती का क्षेत्र है, चम्बल का क्षेत्र है, वह धान से तो सम्पन्न है लेकिन धन से सम्पन्न नहीं है। गरीबी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को इस स्कीम के तहत मुआवजा देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस स्कीम को बहुत तेजी के साथ लागू किया जाय।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि आप कासिमपुरा में स्कीम लायें ।

मेरे क्षेत्र में भड़गांव है जो धीरे-धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। वहां के लोगों में दहशत पैदा हो गई है ।

मेरा निवेदन है कि जहां चम्बल की बात करते हैं तो पार्वती और कालीसिंध बड़ी नदियां हैं उनमें से कालीसिंध पर तो हरिश्चन्द्र बांध है लेकिन पार्वती पर नहीं है। यह बांध भी चार बार टूट चुका है। डिफेक्टिव योजना के कारण और डिजाइन गलत होने के कारण कालीसिंध का जो बांध है वह चार बार टूट गया है। इसकी कैनाल जो है वह सीमेन्टेड है। माननीय सभापति महोदय का क्षेत्र भी इससे सिंचित हुआ। इसका पानी मेरे क्षेत्र में भी आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हरिश्चन्द्र बांध की योजना को लागू किया जाय।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इसी प्रकार 1964 में हमारे क्षेत्र में सर्वे हुआ था सावन भादों की स्कीम का। सभापति महोदय, जब भी आप चम्बल के क्षेत्र से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक नदी बहती है वहां नियमित रूप से काफी पानी बरबाद हो जाता है। इसके लिए हमारे चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के पास योजना है कि चम्बल बांध को 4 फीट ऊंचा करना है लेकिन कई महीनों से वह योजना बंद पड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत तौर पर मंत्री महोदय ध्यान देकर इसको शीघ्र हाथ में लें और चम्बल बैराज को चार फीट ऊंचा उठा लें ताकि जो पानी 10 प्रतिशत बरबाद जा रहा है वह काम में आ सके। आलने का बांध है उसको भी चार फीट बढ़ाया जाये तो बहुत बड़े भू-भाग का फायदा हो सकेगा।

हमारे यहां अब तक लिफ्ट इरिगेशन की एक योजना थी लेकिन न मालूम किन परिस्थितियों में उस लिफ्ट इरिगेशन को ताक पर रख दिया। लिफ्ट इरिगेशन एक महत्वपूर्ण योजना है जो जल्दी से जल्दी लागू हो सकती है। 10 करोड़ की योजना बनाई है जिसके तहत सवा लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा जो चंबल और कालीसिंध के बीहड़ हैं उनको जल्दी से जल्दी सुधारने के लिए योजना बनायें।

वन विभाग द्वारा सुलतानपुर क्षेत्र में लेवलिंग करने की योजना बनने को थी। केन्द्रीय सरकार से पैसा आ रहा है। कुल 1100 या 1200 रुपये प्रति एकड़ खर्च होता है लेकिन न मालूम कुल 3 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से क्यों लेना चाहते हैं? राज्य सरकार ने कोई पैसा नहीं लगाया, सारा पैसा केंद्र सरकार से जमीन के बचाव के लिए आ रहा है। नो लोस नो प्रोफिट बेसिस पर उस योजना को स्वीकृति दें। करीब 3 हजार एकड़ जमीन है।

मेरे क्षेत्र में काली सिंध व चम्बल के बीहड़ों को, जो सांगोद से बड़ौद तक एवं मंडावरा के आस पास हैं, जल्दी से जल्दी वन विभाग के जरिए, सोइल कन्जर्वेशन के माध्यम से सुधारने की व्यवस्था करें। मुख्य मंत्री छबड़ा क्षेत्र से आते हैं....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप छबड़ा के विधायक नहीं हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : राम कृष्णदास जी, आपने हीरा सोना देखा है लेकिन मेरे क्षेत्र में काला सोना अफीम है। खेतीहरों के पास 3-4 बीघा जमीन है, वहां पानी नहीं मिल रहा है। मेरा दुर्भाग्य है कि कोटा जिले में, छीपाबड़ोद क्षेत्र में किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन से ज्यादा नहीं है। अगर पानी की व्यवस्था करें अंधेरी नदी के जरिए वहां योजना बनाई जाए तो अच्छा होगा। यहां का काला सोना विदेशों में जाता है, योजना बनने से लाभ होगा।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह यादव!

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान अलवर जिले के सिंचाई के साधनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस जिले में आजादी के पहले जो सिंचाई के साधन राजा-महाराजाओं के समय में

(श्री हरिसिंह यादव)

निर्मित थे उनके अलावा केवल एक बांध का काम, जनतांत्रिक सरकार जब से बनी है, हाथ में लिया है। इस बांध को पूरा करने के लिए पिछली सरकार ने कभी भी तत्परता से कार्य नहीं किया और जो बजट इस वर्ष देखने को मिला उससे भी मालूम होता है कि इस बांध के निर्माण को पूरा करने में और विलंब होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बांध को अविलंब पूरा करवाया जाए और इससे सिचाई का लाभ प्राप्त किया जाए।

इसके अलावा इस सदन में मैं दो बार सभी माननीय सदस्यों के सामने सरकार का ध्यान साबी नदी के बांध की ओर आकर्षित कर चुका हूं। पिछले दिनों हमारे मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि हरियाणा व केन्द्रीय सरकार हमारी आर्थिक मदद करना चाहती है। साबी नदी के जरिए जो विनाश हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में होता है उसको रोकने के लिए राजस्थान में कहीं भी बांध बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की तैयारी बताई। इस विषय में प्रगति रिपोर्ट में कोई बात नहीं है। मंत्री महोदय अपने भाषण में इस साबी नदी को रोकने के बारे में बतायें कि अब तक क्या प्रयास किए हैं, क्या योजना उनके सामने है, कहां उसको बांधना चाहते हैं?

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अलवर जिले में एक स्थान है जहां ऊपर से एक नदी निकलती है उसको नटनी का बाड़ा कहते हैं। उसके पास यह नदी दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है। दोनों पहाड़ों की दूरी ज्यादा से ज्यादा 500 गज होगी। तो 500 गज का बांध बनाना होगा। केचमेंट एरिया है, उपजाऊ जमीन नहीं है, जंगलात की जमीन है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस नदी को बांधने से फायदा होगा। जो पानी सीरी के बांध को तोड़ता हुआ भरतपुर जिले में उत्पात करता है वह सिचाई के काम आ सकता है। अगर रूपारेल नदी को बांध दिया जाए तो जो पानी बेकार जाता है और भरतपुर में बाढ़ आती है वह भी रुक सकती है। इससे अलवर तहसील और उसके पास लक्ष्मणगढ़ व रामगढ़ तहसीलों के किसानों को सिचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए इस बांध के निर्माण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस योजना से बहुत कम खर्चे में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, इसलिये इसको क्रियान्वित कराने की कृपा करें।

मैं अपने क्षेत्र के सिचाई बांधों के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। एक बांध है बापरिया, उसे टूटे हुए समय हो गया। उसमें से पानी निकल जाता है। पड़ोस की जमीन में कटाव हो गया। वह पानी रुकता नहीं, पहले रुकता था। उस बांध को टूटे हुए कई वर्ष हो गए। उस बहाव के कारण वहां मिट्टी आगे खिसक गई और चाही जमीन, जिसमें दो फसल होती थी, सारी की सारी जमीन में कटाव हो गया है।

सभापति महोदय, वहां पर स्थिति खराब हो गयी है इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो भूमि में कटाव आ जाने से सारा इलाका ही खराब हो गया है इसलिये उसको जल्दी से जल्दी सुधारने की व्यवस्था की जावे ताकि किसानों को लाभ हो सके।

इसके अलावा हमारे यहां बावरिया का बान्ध है इस बान्ध से भी काफी खेती हो

(श्री हरिसिंह यादव)

सकती है पर इस बांध की भी स्थिति खराब है। इस बांध की पाल तो बन्ध गयी है पर अभी पूरी नहीं बन्धने से काफी दिक्कत आ रही है। अगर मन्त्री महोदय इस बान्ध को पूरा करवा दें तो काफी सिंचाई हो सकती है और काश्तकारों को लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं सिंचाई मंत्री जी को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक हरसोरा का बांध है उस पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं फिर भी वह अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, अधूरा पड़ा है। अगर उसको पूरा करवा दे राज्य सरकार तो काफी लाभ किसानों को हो सकता है। पहली राज्य सरकार के लाखों रुपये खर्च किये हुए हैं फिर भी वह अधूरा पड़ा हुआ है। इस ओर अभी तक, सभापति महोदय, आपके सिंचाई विभाग का ध्यान नहीं गया है। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसे पूरा करवा दें।

श्री सभापति: शिक्षा मंत्री जी नहीं, सिंचाई मन्त्री जी।

श्री हरिसिंह यादव: हां साहब सिंचाई मन्त्री जी। पहले तो यह शिक्षा मन्त्री जो थे।

सिंचाई मन्त्री जी से यह मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो बावरिया का बान्ध और हरसोरा का बान्ध है जो कि अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें सिंचाई विभाग को आदेश देकर जल्दी से जल्दी पूरा करवा दें तो मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में काफी सिंचाई हो सकेगी।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री आलम अली !

श्री आलम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आज सदन में काफी लोग बोल्या। सदस्य लोगां ने भ्रष्टाचार की बात डिपार्टमेन्ट में है जो कई। वो बात पुरानी सरकार खुद भी भ्रष्ट है और उस सरकार ने ही जो अफसरां भ्रष्ट नहीं हा, भ्रष्ट किया। पहली वाली सरकार आपणां चुनावा में पईसा योजनाओं के जरिये अफसरों रे लिये लियो और चुनाव लड़्यो। और जीतयो इण वास्ते जो हमारे देश री योजना ही अधूरी रह गयी। जनता पार्टी वाली सरकार आयी है वो ई तरह का भ्रष्ट काम करके नहीं आई। आपणा आफिसर तो सबी अच्छा है। इनका दिमाग टैक्नीकल जो है बहुत अच्छा है। इण वास्ते चाहे हमारा सरकार का अफसर हो, चाहे चपडासी हो, चाहे सिपाही हो म्हाने इनकी इज्जत करनी चाहिये। अगर हम इने बार-बार चोर कहेंगे या भ्रष्ट कहेंगे तो इनकी आदतें और बिगड़ेंगी। सभी हमारा देश रा सम्मानीय नागरिक है। सबणे मूं एक ही बात कैणी चाहूंगो कि पहला घर ने नहीं मान कर पहले अपनो मुल्क को ध्यान राखो।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : तो रोटी कौन देगा ?

श्री आलम अली खां : रोटी रोजी देणा रो काम आपणों नहीं है, वह तो खुदा रो काम है। वह देगा।

श्री सभापति: आप जिस मद की मांग चल रही है उसी पर बोलें।

श्री आलम अली खां : पहले वाली सरकार भ्रष्टाचार में खुद लिप्त ही और अब वो चली गयी है। अब पहले वाली सरकार री जो घर बनाओ नीति ही वीणे तो छोड़ों। पहले आपणों देश बनाओ वाली नीति अपनाओ।

अब थोडो में सिंचाई रे मामले में निवेदन करनो चाहूं हूं। सिंचाई मन्त्री जी, जो मैं सुझाव देऊ वी ओर ध्यान दें। म्हारो इलाको रेतीलो है लेकिन बठे रो पानी बहुत बढ़िया है। जमीन रे नीचें गहरो पानी है और मीठो भी है। बीमे साधन राज्य सरकार जुटावे तो खूब पानी आ सके। खेती खूब हो सके पानी री समस्या दूर हो जावे तो अकाल री समस्या हमेशा रे वास्ते समाप्त हो जावे। जठे बीकानेर और आसपास रा इलाको में खारो पानी है चूरू में उठे नहर री व्यवस्था या कोई और योजना आप शुरू करावो। सभापति महोदय, हमारा आफिसर न तो धोखा बाज है और न ही बेईमान है। पहले री जो सरकार ही वो इन्हाणे सही काम नहीं करने देती ही। अब जनता सरकार जिकी है बी के द्वारा थोंडा सा दिन में सभी माननीय सदस्य री सभी बाता आणी चाहिजे वो कैसे आ सके भ्रष्टाचर वाली बात ने बिलकुल भूल जावो। मुल्क रो मुल्क याद करो। दूजा मुल्का में भ्रष्टाचार री बात करता सू हमारी साख गिरे है। हमारा जो इलाका है वह ऐसा इलाका है वठे कोई साधन तो नहीं चाहिये। आप बिजली दो, और हम पूरा साधन, बाकी का दूसरा हम जुटा लेंगे। म्हारा बठे री जनता बहुत जागरुक है।

म्हारा पूरा लक्ष्मण गढ़ और सीकर जिले मां दूसरा इलाका रेतीला है। जहां जहां भी है वहां पर सीकर जिले मा बिजली पानी री व्यवस्था जल्दी कराओ। बीकानेर री बात तो अलग है वठे री योजनाओ ने आप चाहे पूरी करो लेकिन म्हारा रेतीले इलाकों मां बिजली री व्यवस्था जरूर करो ताकि कुआं ने गहरो करके पानी निकालो जा सके। वैसे भी बठे बहुत कुआ बनाया हुआ है सिर्फ बीजली री जरूरत है। सभापति महोदय, आप खुद जाणों हो। और आप तो कांग्रेस में मिनिस्टर भी रह्या हो यह फेमिन रे नाम पर जो पैसा दियो वी मिनिस्टर और एम. एल एज. कांग्रेस वालां ने नोटां की बोरीयां भर कर आपणा एरिया से लै आता हा और फेमिन में हर काल रा समय अरबों रुपये ले जाता हा। आफिसरां रो दोष देणों गलत है म्हारी जो सरकार है वह सही दशा देगी। आफिसर जिका है यहां काम करने के लिये बहुत उत्साहित है। इन वास्ते सरकार और अफसरों को धन्यवाद देता हुओ म्हारा कटौती प्रस्तावों रो समर्थन करतो हुओ एक बात और कहनो चाहूंगो कि आप जो भ्रष्टाचार री बात करो हो वी के लिये अगर म्हारा मन्त्री भ्रष्ट हुआ तो म्हे खुद वीणे उखाड़ फेंकेगा।

बस धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाल कृष्ण थानवी!

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलौदी): सभापति महोदय, जब से हमारे क्षेत्र के लोगों ने सुना है कि राजस्थान नहर की लिफ्ट इरिगेशन योजना को हमारी जनता सरकार हाथ में नहीं ले रही है तब से हमारे यहां के काश्तकारों को बहुत ही दुःख हुआ है। हमारी सरकार ने यह कह कर कि लिफ्ट इरिगेशन की सिंचाई बहुत

(श्री बालकृष्ण थानवी)

महंगी पड़ती है इसलिये इस योजना को रद्द किया जा रहा है। समापति महोदय, हमारा इलाका पश्चिमी राजस्थान का ऐसा है कि जहां पर हर वर्ष अकाल पड़ता है। समापति महोदय, हमारे इलाके में जो खेती होती है वह हमेशा वर्षा पर आधारित होती है और चूंकि हमारा इलाका ऐसा है जहां पर वर्षा कम होती है, वहीं खेती भी कम होती है, इससे यह भी होता है कि वर्षा की कमी के कारण हर वर्ष या हर दूसरे साल हमारे यहां का अधिकांश इलाका अकाल की चपेट में आ ही जाता है। इसलिये मैं, समापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजस्थान कैनाल की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को चालू करें। अगर इस स्कीम को आप रद्द नहीं करेंगे तो हमारे पश्चिमी राजस्थान का इलाका विशेष रूप से नागौर, फलौदी, पोकरण और जैसलमेर का इलाका पूरा ही सरस बन जायेगा

समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले तथा हमारे क्षेत्र में कई जगह ट्यूब वैल्स से भी सिंचाई होती है पर चूंकि इस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे यहां जो ट्यूब वैल्स से सिंचाई होती है वह महंगी पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में बिजली जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था करावें ताकि किसानों को राहत मिले और पैदावार भी बढ़े।

समापति महोदय, यहां पर भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा। मैं भी, समापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि छबड़ा और फलौदी में उप चुनाव हुए तो भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार के नेताओं ने राजस्थान नहर, जो कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है, के अधिकारियों से मिलकर करीब दस लाख रुपये का भ्रष्टाचर करा के वहां के ठेकेदारों से पैसे लिये और वह पैसा कांग्रेसी लोगों ने वहां पर अर्थात छबड़ा और फलौदी के उप चुनावों में लिया। उनका आशय इस पैसे को लगाकर यह था कि किसी प्रकार कांग्रेस को विजयी बनाया जावे।

कांग्रेस की हुकूमत में तो यह सब कुछ होता था, परन्तु जनता पार्टी की हुकूमत होने के बाद भी कांग्रेस के लिए सरकारी अधिकारी इस तरह से भ्रष्ट तरीके अपनाकर लाखों रुपया इकट्ठा करें और भेजे, यह एक आश्चर्य की बात है। हमने इसकी शिकायत उस समय मुख्य मंत्री जी से की थी, पर उसका अन्जाम क्या हुआ, उसका नतीजा क्या आया—यह तो मैं नहीं बता सकता, परन्तु एकाध व्यक्ति, जो इसमें अग्रणी था, पर कुछ रोक जरूर लगी थी। आज भी मैं यह कह सकता हूं कि बीकानेर क्षेत्र में राजस्थान नहर के जो बड़े अधिकारी हैं वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। फलौदी में राजस्थान नहर क्षेत्र का एक मुकाम रखा हुआ है वहां पर भी काफी इमारतें और स्टाफ है, परन्तु फलौदी के नाम से जो दफ्तर है वे काम करते हैं बीकानेर में। कर्मचारियों की भर्ती भी फलौदी और जोधपुर क्षेत्र से न होकर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के मार्फत बीकानेर से की जाती है। दफ्तर फलौदी के नाम से मगर काम फलौदी वालों को नहीं मिलता है। इस अव्यवस्था को व्यवस्था में

(श्री बालकृष्ण थानवी)

बदलना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

भू- संरक्षण की दृष्टि से भी हमारे क्षेत्र में बहुत ही कम काम किया गया है। अगर बरसाती नदियों पर बान्ध बनाने का काम किया जाय तो बरसात में पानी जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे उपज ज्यादा ली जा सकती है। इसलिए मैं आपकी मार्फत सभापति जी, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

वर्षा की नदियां हर जगह से निकला करती हैं। हमारे क्षेत्र में भी कुछ बरसाती नदियां हैं जो अगर बान्धी जायं और उनके पानी को उपयोग में लाया जाय तो खेती की उपज काफी बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर कानसिंह की सिड़ू क्षेत्र में जो बरसाती नदी आती हैं वह बहुत ज्यादा पानी बटोर कर लाती है। उसको अगर बांधा जाय तो खेती को काफी अच्छा लाभ हो सकता है। इसी तरह से खौह लोडियां के पास से जो नदी चलती है वह भी बांधी जाय तो आगे जाकर उससे भी काफी लाभ मिल सकता है। पोकरण तहसील में जो ओला की नदी है उसको बान्धने से भी खेती की उपज बढ़ सकती है। इसी तरह से हमारी फलौदी तहसील में बावडी कलां में बड़ी नदी आती है उसको बान्धने से हमारे इलाके में लोगों को काफी लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि घंटी बज चुकी है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कि राजस्थान नहर की जो लिफ्ट योजना है उसको किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जाय और उसका लाभ हमको मिलना ही चाहिए। इसी तरह से हमारे इलाके में जो बरसाती नदियां हैं उनको बान्ध कर भूमि को अधिक लाभ पहुंचाया जाय, और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार राजस्थान नहर के अधिकारियों में है उसको समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश की जाय।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूराम!

श्री नाथूराम (बागीदोरा): सभापति महोदय, प्रस्तावित डिमांड पर मेरे 12 कटौती प्रस्ताव हैं। मैं उन पर संक्षेप में ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : आप पहले ही संक्षिप्त कर पाइंटवाइज बोलें।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, बांसवाडा जिले में माही- बजाज परियोजना बहुत बड़ी योजना है। इसका शिलान्यास तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री मोरारजी भाई के कर कमलों से 1960 में हुआ था। उस वक्त इस योजना की लागत 86 करोड़ थी इस परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही से अधिक समय बढ़ता गया और इसकी लागत के अनुसार 1983 के अन्दर इसको पूरा करने का और करीब 96 करोड खर्च करने का उनका अनुमान है। मेरा अनुभव है, सभापति महोदय, 1990 तक यह योजना पूरी हो सकेगी और लगभग डेढ अरब रुपया खर्च होने का इसमें अनुमान है। सभापति महोदय, यह इतनी बड़ी योजना है कि 18 साल से यह चल रही

(श्री नाथूराम)

है। इसमें भ्रष्टाचार काफी हुआ और काफी भाई-भतीजावाद इसके अन्दर फैला। लोकल पढ़े-लिखे आदिवासी नवयुवकों को वहां पर नहीं लिया गया। ओवरसियर से लगाकर ए. ई. एन. तक ने अपने आदमियों को लाकर वर्कचार्ज पर लगाकर परमानेन्ट कर दिया है। मैं कहूंगा कि उदयपुर डिविजन के कई नवयुवकों को पढ़े लिखे होते हुए भी इसमें नहीं लिया जाता है। इस परियोजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैंने पिछली गवर्नमेंट के समय भी इस हाउस में कई बार आरोप लगाये, लेकिन पिछली गवर्नमेन्ट ने इसकी कोई जांच नहीं की। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी परियोजना में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और इसको बनने हुए 18 साल हो गये हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हाउस की एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये, और 18 सालों के अन्दर जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच एक कमेटी करे और दोषी अधिकारियों को सजा देनी चाहिए। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन जिन्होंने घोटाले किये हैं, भ्रष्टाचार किये हैं, उनको सजा देनी चाहिए। राष्ट्र के धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस परियोजना को पूर्ण करके सूखी जमीन को पानी देना चाहिए।

सभापति महोदय, इस परियोजना में हजारों सीमेंट के थैले हर साल बेच जाते हैं। उसका नाजायज फायदा उठाने वाले अधिकारी हैं। सभापति महोदय, इस माही परियोजना के निर्माण कार्य में वहां के आदिवासियों को नहीं लगाया जाता है। इसलिए आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर उच्च स्थानों पर पढ़े-लिखे आदिवासियों को लगाना चाहिए और उनकी बेरोजगारी मिटानी चाहिए।

सभापति महोदय, माही परियोजना के लेखाधिकारी द्वारा विलम्ब से पेमेन्ट होता है। उसका कारण यह है कि उनका कमीशन बन्धा हुआ है। कई ठेकेदारों द्वारा कमीशन दिया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि फलां व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है लेकिन अधिकतर का कमीशन वहां पर बन्धा हुआ है। इस तरह से योजना में धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए और बांसवाड़ा जिले के जन-प्रतिनिधियों और जिलाधीश वगैरह की कमेटी का निर्माण करना चाहिए ताकि छोट-मोटे झगड़े हैं और कोई अनियमिततांए हैं तो वहीं पर उसकी कमेटी जांच करे।

माही -बजाज सागर और माही परियोजना में कई घोटाले हैं। समय का अभाव है नहीं तो आंकड़े सहित बताता। इनका पुनर्वास आजादी के 30 साल बाद भी नहीं हो पाया है। माही परियोजना और कडाना बान्ध के विस्थापितों का पुनर्वास आजकल जंगल नष्ट करके किया जा रहा है। राजस्थान कैनाल में सवा तीन लाख पंजाब से आने वाले लोगों के लिए जमीन रिजर्व रखी, लेकिन कडाना पुनर्वास के लिए हम एक इंच जमीन भी गुजरात से नहीं ले सके। वहां के जंगलों को नष्ट किया जा रहा है उसके कारण से यह डैम भी भविष्य में नष्ट होगा क्योंकि पहाड़ से पानी बह कर सीधा डैम में भराव करेगा और उससे इस परियोजना

(श्री नाथूराम)

को बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माही और कडाना के पुनर्वास के लिए गुजरात सरकार से पैसा लिया है, लेकिन बैकवाटर वालों को मुआवजा दिया नहीं है और न उनका पुनर्वास किया है। उनकी सोना उगलने वाली भूमि को नष्ट करके उनका पुनर्वास पहाड़ों पर कर रहे हैं। तो पहाड़ नष्ट किये, जंगल नष्ट किये और उनको वन विभाग आबाद करे। काबिल काश्त भूमि को निकालकर उनका पुनर्वास होना चाहिए और जो गुजरात सरकार ने पैसा दिया है उससे उनका पुनर्वास करना चाहिए।

सभापति महोदय, गुजरात सरकार ने पैसा दे दिया किन्तु उनका पुनर्वास नहीं हुआ। गुजरात सरकार डैम को पूरा करके 330 तक ले गई है और उसने पानी रोक दिया है। उससे वहां के लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी से खास तौर से कि आपको मौका मिले बजट सशन के बाद तो आप बांसवाड़ा में मुकाम रखें और माही और कडाना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुन कर पुनर्वास के तमाम अधिकारियों को वहां पर बुलाकर जल्दी से जल्दी उनको निपटायें।

सभापति महोदय, संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नाथूराम : अतिवृष्टि से 73 के बाद से तालाब टूट गये। ऊपर से रकम नहीं मिलने से अराई डैम की नहरों के पानी से किसानों के खातेदारों के खेत भरे हुए हैं। आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तालाबों की नहरों को पक्की कराने के लिये आपको पैसा देना चाहिए ताकि किसानों के खेत भरे हुए हैं वे इस प्रकार न खराब हों। तगड़ा किसान होता तो कोर्ट में केस दायर कर देता लेकिन वहां तो गरीब लोग रहते हैं जिनके खेत पानी से भरे हुए हैं। इसलिए आपको नहरों को पक्का करने के लिये पैसा देना चाहिए। केसरपुरा की योजना पर 15 लाख खर्च हो गये। आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर नहरें आ गयी हैं वहां पाइप लाइन डाल कर किसान पानी लेने के लिये तैयार हैं, इसलिये केसरपुरा की नहर के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया मिलना चाहिये। विशेष निवेदन है कि राजस्थान कैनाल पर तो आप पूरा रुपया देते हैं जब कि कम दरें हैं वहां पर हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर आप दो तीन बीघा पानी देते हैं तो एक पानी का 30 रुपया लेते हैं। एक एकड़ सिंचाई पर 850 रुपये का खर्चा आता है जब कि उतनी आमदनी उससे नहीं होती है। पैदावार होती ही नहीं है बांसवाड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम: विद्युत की रेट को भी कम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको उस इलाके को पैसा देना चाहिये। यही मैं आप से निवेदन करता हूं।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सर्वे शुदा तालाब हैं माही

(श्री नाथूराम)

नदी से सराड़ा के आस पास खेतों की जमीन का कटाव होता है उसको रोकने के लिये आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिये। जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूराम : अच्छी जमीनें हैं जो तालावों के कारण से रुकी हुई है और जो छोटी-छोटे खेतों के टुकड़े हैं उनकी यह हालत है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर अधिक से अधिक ध्यान देकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचायें।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल परमार!

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण!

श्री शिवनारायण (थानागाजी): सभापति महोदय, भूमि कटाव को रोकने एवं भू-संरक्षण के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति है कि चारों तरफ पर्वत अधिक हैं। जिन क्षेत्रों में पर्वत अधिक होंगे तो यह स्वाभाविक है कि वहां पर पानी को निकालने का रास्ता तो चाहिये। उस पानी के निकास के कारण से उस क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है कि तमाम किसानों की जमीन उस पानी से कट जाती है। पचास पचास साल की उपजाऊ जमीनें कट गयी हैं। इसलिये इसका सर्वेक्षण करवा कर छोटे-छोटे एनीकट, जिससे किसान के खेत उस पानी से न कटें और पानी का उचित लाभ भी मिल सके, आपको बनाने चाहिये और उस पानी को रोकना चाहिये।

एक उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। थानागाजी ऐसी जगह पर है कि वह 75 फीसदी जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ है। 25 प्रतिशत कृषि योग्य जमीन है उसमें पांच बिस्वा, 8 बिस्वा की छोटी-छोटी होल्डिंग्ज हैं। किसान का एक मात्र जरिया कृषि है। उनका जीवन निर्वाह बड़ा मुश्किल है। मान्यवर, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कटाव को रोक ने के लिये कारगर प्रयास किये जांय।

सिंचाई मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लोसल का बांध जो ठेके पर छोड़ा गया था उसको बांधने से रोक दिया गया है। मैंने प्रश्न पूछा था तो कहा गया मंत्री महोदय की ओर से अपने उतर में कि औचित्य नहीं है। मैंने इसका पता लगाया तो पता चला कि यह गलत सैंक्शन हो गया था। जब बांध का ठेका हो गया था, पांच महीने ठेके पर रह चुका था वह औचित्य फिर कहां विलीन हो गया? मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया। फ्लड कन्ट्रोल सर्वे के अतिरिक्त उसका सर्वे किया गया था, उसको स्वीकार कर लिया यह बड़ी भूल थी, यह कहा गया लेकिन पांच महीने ठेके पर रहने पर भी यह स्थिति बनी रही और उसको छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से किशोरी बांध का भी सर्वेक्षण किया जा चुका है। दो हजार एकड़ भूमि की इससे सिंचाई हो सकती है। इसका सर्वेक्षण भी कम्पलीट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रभारी मंत्री जी से कि इस ओर

(श्री शिवनारायण)

तवज्जह देकर इस किशोरी बांध के निर्माण को पूरा कराया जाय जिससे मेरे क्षेत्र को समुचित लाभ मिल सके ।

श्री चिरन्जी लाल गर्ग (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ।

(7. 16 म. प.)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पदासीन) :

छोटे-छोटे गांवों में सिंचाई के बारे में ध्यान नहीं देते । किसी प्रकार की शिकायतें आती है तो आप ध्यान नहीं देते । तालाबों की जो नालियां हैं उनकी ओर आपके अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते तो उनका पानी व्यर्थ बह जाता है । कई तालाब इस प्रकार से टूटे पड़े हैं । राजगढ़ के तालाब से करीब 800 बीघा की सिंचाई हो सकती है, केवल उसकी मरम्मत की आवश्यकता है और मोरियों की आवश्यकता है । इतना सुन्दर तालाब बना हुआ है कि लाखों रुपया भी यदि आप खर्च करें तो वैसा नहीं बन सकता । इस प्रकार के जो तालाब हैं यदि सिंचाई विभाग उनकी व्यवस्था नहीं कर सकता है तो इस विभाग से जनता को क्या लाभ है ? कोई लाभ नहीं है । सारे प्रशासन के लोग विभाग का पैसा चाट जायं, किसान का जो अधिकार है वह लाभ उसको न उठाने दें और उसको लाभ से वंचित करें, इससे क्या लाभ है जनता को? कोई लाभ नहीं है । कोई पूछने वाला नहीं है बड़े-बडे अफसरों को । बडे-बड़े आफिसर भरे पड़े हैं इस विभाग में फिर आज तक इस प्रकार के तालाबों जो टूटे पड़े हुए हैं, की मरम्मत क्यों नहीं करायी ? इस प्रकार से जो इसके लिये जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही आपको करनी चाहिए । तालाबों का निर्माण नहीं करा सकते । आप असमर्थता प्रकट करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है ।

गोविन्दगढ़ के साबरमती बांध के लिये मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में भी कहा था तो विभाग से यह जवाब आया कि इस बांध के निर्माण कार्य को लिया जा सकता है । विभाग अब तक यह समझता था कि इस बांध के बनाने से जसवन्तसागर का पानी रुक जावेगा । परन्तु पिछले दो तीन साल से अच्छा पानी पड़ने के बाद भी जसवन्त सागर खाली रहा तो इनसे ऐसा लगता है कि साबरमती नदी का पानी उसमें नहीं जाता । मेरा निवेदन है कि इस निर्माण कार्य को हाथ में लेकर शीघ्र पूरा करना चाहिये जिससे कि उपरोक्त गांव के लोगों का आर्थिक विकास हो सके और विभाग का आश्वासन स्वप्नों की बात न बनी रहे ।

खानपुरा में बहुत बड़ा तालाब है । उसके बारे में अंग्रेजी शासन का एक आदेश है कि सितम्बर अथवा अक्टूबर मास तक इस तालाब को खाली कर दिया जावे । यह आदेश किसलिये किया गया, यह मैं नहीं कह सकता । या तो किसानों को तालाब में आई हुई जमीन का कम्पेन्सेशन नहीं दिया तो देना चाहिये या वह जमीन काश्त करने के लिये यह व्यवस्था रखी गयी है तो तालाब के पानी को कहीं आगे तालाब बना कर रोकना चाहिये क्योंकि बारिश के पानी के अलावा इस तालाब में अजमेर शहर का 90 प्रतिशत गन्दा पानी रोज का आता है उसका उपयोग होना चाहिये । यह तभी

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

हो सकता है जब नया तालाब बना कर पानी को रोका जावे और सिंचाई के काम में लिया जावे। क्षेत्र में नये तालाबों की आवश्यकता है। खोड़ा में पहाड़ों के बीच में पानी को रोका जा सकता है। जारली हालियावास ग्रामों में तालाब का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार से अनेक तालाव हैं जिनके ऊपर यदि सरकार ध्यान दे तो मैं समझता हूं काफी सिंचाई हो सकती है। एक रपट पिचोलिया ग्राम में 2 लाख रुपये लगाकर बनायी गयी। यदि उसके ऊपर और 2 लाख रुपये लगाये जावें तो सिंचाई हो सकती है। यदि तालाबों की मरम्मत करा दी जाये और कुछ नये तालाब बना दिये जायें तो मेरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति नहीं आ सकती। आज अजमेर के साथ जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार हो रहा है उसी प्रकार मैं समझता हूं कि 1948 से अजमेर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अजमेर सब से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसके साथ आज इस प्रकार का सौतेला व्यवहार है यह हमारे लिए बड़ी दुखदायी स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि सिंचाई के साधन वहां पर होने चाहिये। टूटे हुए तालाबों की मरम्मत होनी चाहिए। सिंचाई विभाग यह सूचना नहीं दे सका कि कितने तालाबों की मरम्मत करनी है और कितने नये बनने हैं तो यह दुःख की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी साधन आपके पास हैं उनको सामने रखते हुए कितने नये तालाबों का निर्माण करना आवश्यक है और कितनों की मरम्मत करनी है, यदि इस पर विचार होता है तो मेरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति कभी नहीं आ सकती। मैं सब तालाबों के नाम आपको समय की कमी के कारण नहीं बता सकता मगर तालाबों की मरम्मत की जाय और नये निर्माण किये जायें तो इस क्षेत्र में चाहे भगवान कितना भी रूठ जाये अकाल नहीं पड़ सकता। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी महोदय से निवेदन करता हूं कि अजमेर के साथ जिस प्रकार का कष्ट व्यवहार सरकार का रहा है नेग्लेक्ट करने का रहा है उसको छोड़कर अजमेर की ओर विशेष ध्यान देकर राहत पहुंचायें!

श्री सभापति: श्री आर. डी. यादव!

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्त सिंह!

श्री हनवन्त सिंह (बाली): सभापति महोदय, देश के विकास में कृषि का सर्वाधिक महत्व है इसके लिए सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा विकसित करना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए सरकार को सब से अधिक महत्व सिंचाई के साधनों को विकसित करने में देना चाहिए। यही कारण है कि 49 करोड़ रुपये की मांग हम पास करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में मैं यह भी नहीं कहता कि कुछ काम नहीं हुआ। पिछले समय में अधिकारियों द्वारा कई सराहनीय कार्य हुए हैं। आपने कभी देखा हो तो कई एक यूनिक चीजें बनी हैं। कई बड़ी योजनायें हैं जिनको देखने से हमें यह पता लगता है कि हमारे इन एफीशियेन्ट आफिसर्स और इन अधिकारियों के अथक प्रयासों से कितने सराहनीय कार्य हुए हैं। हर एक अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता। मगर मैं यह भी नहीं कह सकता कि विभाग में कोई भी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। जो

(श्री हरवन्तसिंह)

अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक केसेज रजिस्टर करा कर सजा देनी चाहिए। लेकिन सारे डिपार्टमेन्ट को भ्रष्ट कह कर उनको हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे राज्य में कई तरह के विकास कार्य सिंचाई के क्षेत्र में हुए हैं मगर अभी भी कुछ कार्य अधूरे हैं जिनको पूरा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस क्षेत्र में भी कई ऐसे कार्य अधूरे पड़े हैं जो कि अकाल राहत कार्यों के नाम से शुरू किये गये थे और जिनका सीधा संबंध सिंचाई विभाग से है। उन कार्यों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको प्राथमिकता के आधार पर लेकर जिनका लोक महत्व की दृष्टि से अधिक महत्व है उनको पूरा किया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा। जिन जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, जहां कि सिंचाई के साधन प्राकृतिक तौर से जुटाये जा सकते हैं उनको प्राथमिकता देकर पूरा किया जाना चाहिए तथा एक डिटेल्ड सर्वे के रूप में वहां की पोटेन्शियलिटी को देख कर माइनर इरिगेशन के बांध और एनीकट्स बांधे जाने चाहिए। मेरे क्षेत्र में मैं आपका ध्यान सोनवा के उस छोटे बांध की तरफ दिलाना चाहूंगा जिससे छोटे और सीमान्त कृषक को अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। इसी तरह से काकेटी लालपुरा के पास छोटा सा नाला है उससे ढाई, तीन हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसी तरह से कई एनीकट और छोटे डैम हैं जिनसे वहां के लोगों को अधिक से अधिक राहत दिलाई जा सकती है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

कई कार्य ऐसे हैं कि जिनके द्वारा लोगों में प्रोस्पेरिटी लाई जा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को और सिंचाई मंत्री जी का विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह से छोटे-छोटे कार्यों को हाथ में लें और प्राथमिकता से पूरा कराने में मदद करें। साथ ही छोटे छोटे काश्तकारों को, जिनके पास में रोटी के लिए साधन कोई विशिष्टता नहीं है, अधिक से अधिक राहत दिलायें।

श्री सभापति: श्री सुभाष चन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण !

श्री रतन लाल वर्मा !

एक माननीय सदस्य : श्री हरिकृष्णजी हैं।

श्री सभापति : पहले रतनलाल जी बोलेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : आदरणीय सभापति महोदय, यह विषय बडा गम्भीर विषय है। इसका तााल्लुक सीधा गावों से है। 30 सालों के अन्दर भूतपूर्व सरकार ने गांवों की छोटी सिंचाई योजनाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भूतपूर्व सरकार ने बड़े बड़े बांध बनाये जिनसे इतना लाभ नहीं हुआ जितना कि नुकसान हुआ है। मैं मौजूदा स्थिति के अन्दर आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले के अन्दर सबसे अधिक तालाब हैं। आप सर्वे कराके

(श्री रतनलाल वर्मा)

देख लें, तालाब ही सिंचाई के साधन हैं। गांवों में उन तालाबों की मोरियों को पक्का बनवा दें। इससे जो अभी मौजूदा पिलाई होती है और मौजूदा उत्पादन होता है वह कम से कम डेढ गुना होगा, यह मेरी गारन्टी है। कच्ची मोरियों में दो मील दूर पानी जाता है। कच्ची मोरियां पानी के बहाव से कटते कटते जमीन की सतह से 1½ फुट और दो फीट नीचे हो गयी हैं। इस कारण से उनमें पानी भरा रहता है। वह पानी आपरता है और बेकार जाता है। वह खेत में काम नहीं आता है। वह रास्ते में बहता है और जंगल में बहता है खेतों की पिलाई ठीक तरह से नहीं होती और जो पीचे हुए खेत हैं उनमें पानी चला जाता है तो खेती बेकार होती है और लोगों को जुर्माना अलग देना पड़ता है। इसलिए देखने में तो यह छोटी बात है लेकिन हर गांव इससे पीड़ित है। मैं बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप इस बजट के अन्दर गांवों में दूसरे काम करें या नहीं करें लेकिन तालाबों की मोरियों को पक्का बनाने का काम तत्काल करायें।

दूसरे जो उन तालावों की आवें हैं और जहां से पानी आता है वह कई जगह से खराब हैं और टूटी हुई हैं। कई जगह चौकड़ियां ऐसी बनी हुई हैं कि उनमें पानी भरा रहता है और सारा का सारा पानी तालाब में नहीं जाता है। तो जहां इस तरह की आवें हैं उनको आप मेहरबानी करके ठीक करायें।

तीसरी बात यह है कि जहां कुएं नहीं हैं, वहां कुएं खोदने का सरकार नाम ही नहीं लेती। छोटे किसान ने न जाने सरकार का क्या गुनाह किया है इस्तमरारदार के समय में, बादशाही के जमाने में, जागीरदारों के समय में, सब ही समय में किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार भूमि की मालिक, सभापति महोदय, कांग्रेस के जमाने में भी थी और आज भी रेवेन्यू रिकार्ड में भूमि की मालिक श्री सरकार है। कुआ किसान खुदवाये, यह छोटे किसान के साथ अन्याय है।

माननीय सिंचाई मंत्री जी, यह फैक्ट्रियों में मशीनें लगाकर महीने में 15-15, 20-20 हजार रुपया कमाते हैं। लेकिन आपके भू-जल मण्डल की मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं, उन्हें किसी काम में नहीं लेते। उन मशीनों को गांवों में भेज कर कुएं खुदवा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दीजिए। तनख्वाहें आप को देनी पड़ती हैं, मशीनें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। उनको ठीक करवाकर गांवों में भेजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री रतनलाल वर्मा : चौथी बात निवेदन करूं कि शहरों के अन्दर जो बंगले बन रहे हैं, वे सीमेंट के बन रहे हैं, आर. सी. सी. के बन रहे हैं। उनमें हजारों थैले सीमेंट के लग जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान के किसान को अपने धोरे ठीक करने के लिये, मोरी ठीक करने के लिये सीमेंट नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। यह उन पूंजीपतियों की चुनौती है। पानी निकल रहा है, रिस रहा है

(श्री रतनलाल वर्मा)

फिर भी किसान को धोरा ठीक करने के लिये सीमेंट नहीं मिलता। यह व्यवस्था करिये कि गांवों में किसानों को जब भी आवश्यकता हो, सीमेंट दिया जावे। मैं तो कहता हूं 80 प्रतिशत सीमेन्ट उन किसानों को क्यों नहीं दिया जाता, ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती?

एक और निवेदन यह है, माननीय सभापति जी, एक बड़ा अन्याय है। 3-4 करोड़ रुपया खर्च करके बांध बनाते हैं लेकिन जिस किसान ने कुएं पर बिजली ली, सिक्योरिटी जमा कराई, 7-8 हजार रुपये उसके खर्च हो गये, उसे बिजली 25 पैसा यूनिट के हिसाब से मिलती है लेकिन एक लखपति कारखाना लगाता है उसको 5 पैसे यूनिट में बिजली मिलती है। मैं तो कहता हूं इस जनता सरकार ने इस पर अभी तक विचार नहीं किया। जनता सरकार के टाइम में भी उन किसानों के साथ घपला होता रहेगा...

श्री सभापति: आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्थान ग्रहण करें! Please sit down.

माननीय श्री हरिकृष्ण जी।

श्री हरिकृष्ण (नदवई): माननीय सभापति जी,

श्री सभापति: No interruption please.

श्री हरिकृष्ण: राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां आधे हिस्से में सूखा और आधे हिस्से में बाढ़ की स्थिति है। यह विनाश लीला होती रही है। राजस्थान का भरतपुर जिला एक बहुत छोटा जिला है वहां हर साल बाढ़ आती है। सरकार को करोड़ों रुपया बाढ़ पर व्यय करना पड़ता है। आधे क्षेत्र में पानी की दिक्कत है। 60-60 हाथ पर पानी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह भगवान की देन नहीं यह सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता है। भरतपुर जिले में आने वाली बाढ़ के पानी को समुचित ढंग से सूखे इलाके में पहुंचाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। सिंचाई विभाग ने कभी भी यह नहीं सोचा कि बाढ़ को किस तरह से रोका जाय। भरतपुर जिले में 5 करोड़ रुपया मन्जूर हुआ लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इस रकम का सदुपयोग करने के लिए वहां कोई इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। दो महीने बाकी हैं। पांच करोड़ का काम दो महीने में कैसे होगा? वह पैसा लेप्स हो जायेगा। इस तरह का हाल है सिंचाई विभाग का।

मैं निवेदन करूं, सभापति जी, मैं अपने क्षेत्र में बावड़ी बडोदन गया था। वहां बन्द बारेण से 3 नं. की नहर चलती है। उसका पानी रिसता है, खेतों को बिगाड़ता है। खेतों की हालत रस्सी पड़ कर खराब हो रही है। अगर सिंचाई विभाग इस ओर ध्यान दें, इस नहर को 4-5 मील पक्का करायें तो खेत खराब होने से बचें। भू-संरक्षण की कार्यवाही करेंगे, खेतों की मेड़ बधायें तो अन्न पैदा होने लग जायेगा। लेकिन कभी भी सरकार ने और सिंचाई विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो नहर नं. 3 से छोटी कैनाल निकाली है उससे बड़े किसान छोटे किसानों को पानी नहीं लेने देते। सिंचाई विभाग उन्हें अपने पजेशन में ले।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्री हरिकृष्ण)

मान्यवर, छोटी नहरें दी हुई हैं। उनका पानी खराब चला जाये, चाहे पानी कहीं भी जाये, उसके बारे में कभी सिंचाई विभाग ने नहीं सोचा। पानी का बटवारा किया जावे, गांव-गांव तक पानी पहुंचाया जाये, इसकी तरफ सिंचाई विभाग ने कभी ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे-कुओं की बात कहूं, हमारा इलाका है उसमें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटे किसानों को कुएं बनाने के लिये कर्जा मिलना चाहिये, कुएं बनाना बड़ा मुश्किल है। एक चक जमीन न होने के कारण कर्जा मिलता नहीं। सिंचाई विभाग को किसानों के लिये छोटी लघु सिंचाई योजना में कोई....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिकृष्ण : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति जी, जिला गंगानगर आज राजस्थान का अमरीका इसलिये कहलाता है कि गंग कैनाल, भाखड़ा और राजस्थान कैनाल के साथ-साथ घग्घर नदी उस जिले में बहती है। उस जिले की स्थिति यह है कि एक तरफ पानी की कमी की वजह से फसलें सूखती हैं तो दूसरी तरफ पानी की अधिकता की वजह से फसलें बरबाद होने के साथ-साथ उसके आस पास का सारा का सारा देहात का इलाका है वह भी बरबाद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला गंगानगर को घग्घर की बाढ़ से बरबादी से बचाने के लिये घग्घर फ्लड कन्ट्रोल नाम का एक विभाग बनाया गया था। जिसे नाली कहा जाता था उसमें पानी की अधिकता को कम करने के लिये रेगिस्तान के इलाके में पानी दूसरी दिशा से प्रवेश कराया जाय। 18 जिलों में जिस गति से जिस स्थिति में पानी पहुंचाया जाता था वह सही स्थिति से नहीं होने की वजह से पानी खड़ा है। आस पास के जो गांव हैं, उनकी जमीन इससे खराब होने की वजह से आज गांव उजड़े पड़े हैं।

इसके साथ साथ वहां पानी का स्तर पानी को रोकने से इधर उधर आ चुका है जिससे किसानों की फसलें भी तैयार नहीं होती हैं और हजारों किसान बरबाद हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से विशेष कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं इसकी जांच कीजिए कि किस वजह से आज यह स्थिति पैदा हुई है? मेरे क्षेत्र में गंग नहर क्षेत्र के कई गांव बरबाद हो चुके हैं। वहां के जिन किसानों के पास सैंकड़ों बीघा जमीन थी, जो आज लखपति होने चाहिए थे वे आज रोटी के लिये भी मोहताज हो रहे हैं।

इसके साथ साथ आज घग्घर नहर पर तीन हजार क्यूसेक का नया स्कैप बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से घग्घर फ्लड को रोकने के लिए नाली में पानी डालने की सरकार की योजना है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस योजना से मेरे क्षेत्र के सैंकड़ों किसान बरबाद हो जायेंगे। आज भी काफी बड़ी तादाद में किसानों का डेपूटेशन यहां आया हुआ है तथा माननीय मंत्री महोदय से मिलने का प्रयास कर रहा है। सभापति महोदय, मैं

(180)

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

आपके माध्यम से इतनी सी प्रार्थना करूंगा कि इस योजना को अविलम्ब रोका जाय, इस कार्य को अविलम्ब रोका जाय, इसको स्टे किया जावे। जब तक आप स्वयं जाकर इसको नहीं देख लें, जब तक इसकी पूरी तरह से जांच नहीं करा लें तब तक इस स्कीम के निर्माण को अविलम्ब बन्द किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर की जो मुख्य शाखा है, मेन चैनल है, मुख्य कैनाल है उसके 350 आर.डी. के ऊपर ठोकर का निर्माण कराने की काफी समय से मांग करते रहे हैं। यह जो पीछे के गांव हैं उनके किसानों को पूरा पानी मिलना चाहिए, अन्यथा वह दो हजार क्यूसेक पानी किया जावे। आज एक तरफ तो जैसलमेर को पानी देने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ जो मेन कैनाल है, जो नहर आ चुकी है इसमें पानी के अभाव के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। जब-जब भी विभाग को पत्र लिखा जाता है तो आपकी तरफ से एक ही उत्तर दिया जाता है कि पूरा पानी दे रहे हैं। अगर दो हजार क्यूसेक पानी होता तो पानी की कमी नहीं होती। लेकिन आज मुश्किल से एक हजार क्यूसेक पानी चल रहा है जिससे हजारों किसान बरबाद हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अविलम्ब या तो पानी की कमी को पूरा किया जाय या वहां ठोकर लगाई जावे ताकि किसानों को पूरा पानी मिल सके।

इसके साथ-साथ एक सुझाव और दूंगा। जिस क्षेत्र में वाटर लोगिंग है, जहां पानी का स्तर काफी ऊंचा आ चुका है, उस क्षेत्र में इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाय और ट्यूब वैल्स के माध्यम से इसको हल किया जाय। जो भीतर का पानी ऊपर आ रहा है, उसे ट्यूब वैल डिविजन बना कर नहरों के माध्यम से जो नहरें वहां बनी हुई हैं गंग कैनाल, भाखरा की उन नहरों में डालकर वहां ले जाया जाय जहां पानी की कमी है। टैनल के ऊपर पानी का अभाव है वहां इस पानी का काफी यूटिलाइजेशन हो सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे।

धन्यवाद

श्री सभापति : माननीय श्री नत्थीसिंह जी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री उगमराज जी मेहता!

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी का ब्यावर क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा किया जाय। सूरेघाटा फीडर के लिये साठ सत्तर हजार रुपये और चाहिए। अगर यह काम पूरा हो जाता है तो इससे वहां की जनता को और किसानों को राहत मिलेगी। ब्यावर क्षेत्र में जो सुरेघाटा फीडर और रेवाता फीडर हैं,ये दोनों काम हाथ में ले लिए जावे तो

(श्री उगमराज मेहता)

किसानों के लिए सिचाई की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। वह अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। आज वैसे भी उधर बारिश बहुत कम होती है इस कारण वहां तालाब फीडर भरे नहीं रहते। यह काम पूरा हो जाने से कुओं में पानी रहेगा और किसानों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा वहां पर जितने सिंचाई विभाग के तालाब हैं उनकी सूची भी अधिकारियों को भेजी परन्तु अभी तक उनकी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर जितने तालाब हैं उनकी रिपेयर करवाई जाय।

दूसरा मैं आपका ध्यान अजमेर सिंचाई विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर काफी घोटाले हुए हैं। पांच सौ बोरी निवाई-टौंक से और दो सौ बोरी अजमेर से सीमेंट गया है। सात सौ बोरी सीमेंट रिकार्ड में दर्ज है, वह ठेकेदारों को बेचा गया है। राज्य सरकार इसकी इंक्वायरी करावे। आडिट पार्टी सरकार यहां से भेजती नहीं है और जो सीमेंट बेचा गया है उसकी जांच नहीं कराती है। इसी प्रकार वहां जो एक्स. ई. एन. लूंगटा हैं उनकी शिकायत मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी की थी। उनका ट्रान्सफर तो वहां से हो गया है लेकिन ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। उनकी जांच करवाई जानी चाहिए। वहां पर जो एफ. सी. आई. का गोदाम है उससे झुंझनू जिले में जो नेशनल हाइ वे रोड पर है वहां पर कम से कम दो हजार बोरी सीमेंट निवाई और अजमेर से गया है। मिसेज कौशल्या है और उनके पार्टनर श्री कानोड़िया हैं उन सबने मिल कर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं आपका ध्यान रूल्स की इस पुस्तक की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। किसी पर्सन के खिलाफ तब तक इस हाउस ....

(व्यवधान)

आप कृपया मुझे सुनिए।

किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई इल्जाम उस वक्त तक इस हाउस में नहीं लगाया जा सकता जब तक अध्यक्ष को या उससे सम्बन्धित जो मंत्री महोदय हैं, उनको उसका पूर्व में नोटिस नहीं दे दिया गया हो। मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी पर्सन पर नामजद इल्जाम इस हाउस में नहीं लगावें।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : रेफरेंस तो दे ही सकते हैं।

श्री उगमराज मेहता : माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित में दिया हुआ है। मुख्य मंत्री जी को इसकी जांच के लिए लिखा हुआ है।

मैं अब दूसरा अपना कट मोशन पेश करता हूं। पाली जिले में जवाई बांध से ही सिंचाई होती है। वहां पर जो किसानों को राहत मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिलती है। वहां के छोटे-छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं उनको पानी नहीं मिलता है और जो भूतपूर्व कांग्रेस के बड़े-बड़े नेतागण हैं उन्होंने हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। वह अपने यहां सिंचाई उसी

(श्री उगमराज मेहता)

बांध से करते हैं और पानी का दुरुपयोग करते हैं। इसकी जांच करायें। वहां पर जो भी जल वितरण कमेटी है, हर वक्त पानी वितरण के लिए कमेटी बनती है परन्तु वह कमेटी भी सिर्फ उन्हीं अधिकारियों के लिए, जो भूतपूर्व कांग्रेसी सदस्य हैं या विरोधी दल के नेता हैं या उनके रिश्तेदार हैं........

(व्यवधान)

उनको ही पानी देती है। छोटे-छोटे किसानों को पानी नहीं मिलता है जिससे वे अपनी खेती नहीं कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की जांच करायें और उन किसानों को राहत दें। वहां एक मात्र साधन जवाई कमाण्ड एरिया है उस पर इन्होंने अपना आतंक करके कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार जो 16 परिवार पाकिस्तान से आए थे और वहां पर हल चला रहे थे उनको एक भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री ने इमर्जेंसी में आर. ए. सी. की बटालियन भेज कर बेदखल करा दिया और जो उनका कब्जा था उसको छुड़ा कर अपने अधिकार में ले लिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार सिंचाई विभाग में जो कुछ भी घोटाले हैं उस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीशचन्द्र शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी जी !

माननीय श्री किशन सिंह भाटी !

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, आज भी उस दिन की तरह न हो...

श्री सभापति : आप बोलना चाहती हैं?

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : सभापति महोदय, मेरा नम्बर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, किसी दूसरे नम्बर पर बोल चुकी हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : वे भाटियों की भाणजी हैं। उनको पहले बोलने दें।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : श्रीमान, इनके पहले मेरा नाम है

श्री सभापति : इसमें नोट लगा हुआ है कि आप नम्बर 33 पर बोल चुकी हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : उस वक्त बोली नहीं थीं।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती श्यामाकुमारी जी।

श्री किशनसिंह भाटी : हम रह गए फिर।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : सभापति महोदय, आज की मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने क्षेत्र में कपासन की कुछ योजनाओं की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में कुछ योजनायें तो पिछली सरकार द्वारा शुरू की हुई हैं लेकिन अधूरी पड़ी हुई हैं, उनके विषय में तथा कुछ योजनाओं की और आवश्यकता है उनके विषय में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

कि मेरे क्षेत्र कपासन , जिला चितौड़गढ़ में स्वर्गीय महाराणा भूपाल सिंह जी ने एक बहुत ही सुन्दर और मजबूत तालाब बनवाया था । जब उस तालाब से सिंचाई होने लगी तो आस पास के लोगों की मांग आई कि इस तालाब में पानी और बढ़ाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र को अधिक से अधिक लाभ मिल सके । इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी सरकार ने वहां एक फीडर योजना बनाई । वह बनास नदी से शुरू होकर काबरा के तालाब तक बन चुकी है । उसके लिए उस समय 1,90,000) रु. स्वीकृत हुए थे लेकिन चूंकि पिछले मुख्य मंत्री ने एक सरपंच के साथ पक्षपात किया जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, उनकी जमीन उसके अंदर आती थी उस जमीन को बचाने के लिए लगभग एक माइल अधिक खोदना पड़ा और फीडर को मोड़ना भी पड़ा। मोड़ने के साथ बीच में पहाड़ी आती थी, उसको भी खोदा गया । उसकी वजह से उस स्थान की गहराई 35 और 40 फीट गहरी होती चली गई और उसमें पानी भी आ गया । अनुमान से अधिक व्यय होने के कारण फीडर आज तक फिक्स नहीं हो सका और 1,90 लाख की जगह 32 लाख रुपये खर्च हो गये, उसमें आज भी 22 लाख की जरूरत है । 32 लाख वहां लग चुके हैं, और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । इतनी रकम और चाहिये । मेरा निवेदन है कि इसकी स्वीकृति प्रदान करें और फीडर का काम चालू करने की कृपा करें ।

मैं अपने क्षेत्र कपासन के एक गांव मुंगाना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । वहां भेवदा के बांध से आसपास के क्षेत्र में पिलाई होती है लेकिन पिलाई होने के साथ में हर समय पानी कम पड़ जाता है । वहां एक फलोल की नाड़ी है उसको मुंगाना के तालाब में डाल दिया जाए तो तालाब में पानी ज्यादा दिनों तक ठहर सकता है और ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है ।

मेरे क्षेत्र में भाट्टों के बामण्ये में छापरिया नाड़ी को बांधने के लिए तीन साल पहले 25,642) रु. स्वीकृत हुए थे । नकशे में तालाब बन भी गया है लेकिन उसके लिए एक भी पैसा नहीं रखा गया है । पिछले कागजात का निरीक्षण किया जाए कि हजारों रुपये कहां गए और क्यों नहीं काम हुआ । वहां आज भी तालाब का नामोनिशान नहीं है ।

मेरे क्षेत्र में अनोपपुरा गांव है, वहां एक छोटे से बांध की आवश्यकता है नारियों की नाड़ी का अगर छोटा सा बांध बन जाता है तो वहां 500 बीघा में पिलाई हो सकती है इसलिए स्वीकृति दी जाए और नाड़ को बांधने की सैंक्शन देने की कृपा करें ।

हमारे यहां शम्भूपुरा और गूजरिया खेड़ी में एक छोटे से बाध की आवश्यकता है। अगर वहां पर सर्वे करा दिया जाए तो कम खर्च में उसके आस पास में जो शंभूपुरा, गूजरिया खेडी, असरोल, रूपपुरा, रायपुरिया 5 गांव हैं उनकी पिलाई का काम हो सकता है ।

इसके आलावा वहां सिंहपुर तालाब तथा जयसिंह पुरा का नाला का तालाब बनाने का सर्वे हो चुका है मगर वहां पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए । इससे वहां पर एक हजार बीघा जमीन में पिलाई हो सकती है ।

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

उदयपुर में पीछोला तालाब में आब डालने के लिये एक बांध बन रहा था उसका पहला चरण पूरा हो चुका है और दो चरण बाकी हैं। यदि काम वापस शुरू हो जाता है तो जो जिंक स्मेल्टर तथा जावर माइन्स आदि उद्योग है, जिनको पानी कम पड़ता है, उसकी कमी पूरी हो जाएगी और वे भली प्रकार चल सकेंगे।

धन्यवाद ।

श्री सभापति: श्रीमती गुणवंन्त कुमारी।

श्री किशन सिंह भाटी ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान नहर के लिए दो शब्द कहूंगा। यह विश्व की सब से बड़ी नहर है और महाराजा गंगा सिंह जी के समय की स्कीम है यह कच्छ की खाड़ी तक जानी थी, वह योजना तो दूर रही यह जैसलमेर तक भी नहीं पहुंच पाई है। इसको द्रुत गति से पूरा करने लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाय, ओवर आल चेंजेज की जाए और प्राथमिकता के आधार पर इस नहर को पूरा किया जाए तो राजस्थान ही नहीं, कम से कम एक चौथाई देश का कल्याण होगा। हम यहां से अनाज, कपास, फ्रूट्स आदि बहुत सी चीजें निर्यात कर सकते हैं। आप जितना कर्जा ईरान के शाह से ले सकें लें, आप केवल फसलों के जरिये ही उस देश को अपना ऋण चुका सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अनाज की कमी है और हमारे यहां पर पैसे की कमी है। अगर हम उनसे पैसा लें और किश्तों के रूप में वे अनाज मंगाते हैं तो महंगा सौदा नहीं है लेकिन इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। राजस्थान नहर में दो तरह की राजनीति आई है। मैं व्यक्तिगत तौर से आक्षेप नहीं करूंगा लेकिन एक साधारण बात कहूंगा कि राजस्थान कैनाल में जो धीमी गति रही है इसमें पंजाब का भी हित है। वे लोग नहीं चाहते कि राजस्थान नहर की गति तेज हो और जल्दी से जल्दी जैसलमेर जाए। इसलिए खास तौर से हमारे जो हुकमरान हैं उनमें परिवर्तन करके जो वाच डाग्स हैं, पंजाब का इन्ट्रेस्ट वाच करने वाले हैं नहर की धीमी गति करने वाले हैं, उन पर मंत्री जी कड़ी निगाह रखें।

इज्राइल, अमरीका और दूसरे जितने देश हैं मार्डन टैक्नोलोजी से अगर 100 मील की नहर वार पीरियड में बना सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि युद्ध स्तर पर राजस्थान नहर पूरी नहीं की जा सके। जितने राजस्थान के इंजीनियर्स हैं उनको कुछ कामों पर लगाया जाए, बाकी जितनी इंजीनियरिंग शक्ति है टैक्नोलोजी है वह राजस्थान नहर पर लगाई जाए। दूसरे राज्यों से डेपूटेशन पर इंजीनियर्स लेकर उन्हें राजस्थान नहर पर लगाया जाए, हो सके तो मिलिट्री इन्जीनियरिंग आफिसर्स को राजस्थान नहर पर लगाया जाए। राजस्थान नहर का काम युद्ध गति से करने पर ही यह पूरी हो सकती है, वह बातों से पूरी नहीं हो सकती। विधान सभा में यह आश्वासन देने से कि यदि वित्त संकोच नहीं रहा तो 1981 तक पूरी हो जाएगी, काम नहीं चलेगा। यह एक राष्ट्रीय योजना है, विश्व की बड़ी योजना है इससे राजस्थान की काया पलट हो सकती है, राजस्थान के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है। इसलिए सारी शक्ति केन्द्रित करके इसको पूरा करना चाहिए। इसमें बहुत भ्रष्टाचार

(श्री किशनसिंह भाटी)

है। भ्रष्टाचार हर विभाग में होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। 8 महीने में मैंने महसूस किया है कि भ्रष्टाचार कैंसर जैसी इन्क्योरेबल डिसीज है, रात दिन ढिंढोरा पीटने से भी इसको बंद नहीं कर सकते। इसको कम किया जाए तो इसकी शुरुआत राजस्थान नहर से करें। भविष्य में आप देखें कि जैसे कांग्रेस राज में होता था, सीमेंट पाकिस्तान में न जाए, गड़बड़ी न हो और लाखों रुपये की मशीनरी जो अनोपगढ़ व लूणकरणसर के नाम से लिफ्ट कैनाल के लिए मंगाई है, बीकानेर सिटी में पड़ी हुई है उसे जंग न लगे। मैं सिद्धान्त रूप से लिफ्ट कैनाल से पानी पिलाने का विरोध नहीं करता लेकिन इसकी फीजेबिलिटी नहीं है। यह महंगी पड़ती है। राजस्थान नहर पर वित्त की कमी है, विद्युत की कमी है, टैक्नोलोजी की कमी है, श्रम की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, प्रगति इसलिए नहीं होती। इसलिए मेरी मान्यता है कि इन सारे साधनों को पर्याप्त मात्रा में लगाकर पहले मुख्य नहर को पूरा किया जावे।

(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया इन्ट्रप्शन न करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री किशनसिंह भाटी: I am having it.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: आसन की तरफ इशारा करके बात करते हैं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके भाषण में किसी ने इन्ट्रप्शन नहीं किया। आप इन्ट्रप्ट क्यों करते हैं?

श्री किशनसिंह भाटी: ये मेरे मित्र हैं, प्रिविलेज का फायदा उठायें मेरे मित्र का सुझाव ठीक है। मेरे मित्र ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहने को कहा है।

राजस्थान नहर एक राष्ट्रीय योजना है इसलिए इसको वार फुटिंग पर पूरा करें। अगर इज्राइल समुद्र के खारे पानी को मीठा करके पिला सकता है, बादलों से कृत्रिम वर्षा करवा सकता है, अगर इतना पैसा आप के पास हो तो हर घर में नल ले जाइए। हर जगह ले जाइये राजस्थान नहर की लिफ्ट्स को परन्तु पहले राजस्थान कैनाल के मेन प्रोजेक्ट को पूरा करके ले जाइये। इसकी पहले पूर्ति हो। मेरा यह क्वेश्चन है इस सदन से, लिफ्ट इरिगेशन के बारे में हमदर्दी जाहिर करते हुए पूछता हूं कि जितने भी टैक्नीकल साधन लिफ्ट में हैं, जितनी बिजली है, जितने मजदूर हैं, जितनी इन्जीनियरिंग है, इन सब को जोड़नें से राजस्थान कैनाल की मेन कैनाल की प्रगति क्या दुगुनी रफ्तार से नहीं हो सकती है? यदि हो सकती है तो पहले इसको पूरा कीजिए और उसके बाद दूसरी वरीयता इस योजना को, लिफ्ट इरिगेशन की योजना को दीजिए। राजस्थान सरकार इस परिप्रेक्ष्य में इस कैनाल को देखे। मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं, नहर के सम्बन्ध में समझदारी का पहला निर्णय वर्तमान कैबिनेट ने यह लिया है, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं। बार-बार यहां पर प्रश्न उठता है लिफ्ट इरिगेशन के सम्बन्ध में और मंत्री महोदय की ओर से यह कहा जाता है कि हम इस प्रश्न पर पुनर्विचार कर रहे हैं। पुनर्विचार का कहा जाता है तो उससे मुझे घबराहट होती है। वैसे हमारे मंत्री योग्य हैं और मुझे आशा है कि वे इस

(श्री किशनसिंह भाटी)

प्रश्न पर दबेंगे नहीं। यह एक राष्ट्रीय योजना है। विश्व की सब से बड़ी नहर योजना है। अगर यह योजना, यह कैनाल पूरी होगी तो राजस्थान का यह डेजर्ट डेन्मार्क इज्राइल हो जाएगा। इसके बाद आप कितनी ही लिफ्ट योजनाएं हाथ में लीजिए। कितना ही पानी लिफ्ट इरिगेशन के जरिए लीजिए परन्तु मंत्री महोदय आप इनके आगे घुटने न टेकें। कांग्रेस के राज में पोलिटिक्स इसमें घुस गई थी। आप इसमें पोलिटिक्स को न आने दें।

इतना और कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल में अनियमितता है। जैसलमेर, नाचणा, रामगढ, सुल्ताना, नेडाई, मोहनगढ़ इत्यादि--इत्यादि जगहों में आफिस कागजों में खुले हुए हैं परन्तु ये सारे आफिसेज बीकानेर में हैं। जहां के नाम से तनख्वाह लेते हैं, राजस्थान कैनाल के ये आफिसेज जहां पर रखे गये हैं, वहां पर उनको शिफ्ट कीजिए तब जाकर यह योजना पूरी होगी। यह अनियमितता आप रोकेंगे तो इस कैनाल का काम पूरा हो सकता है अन्यथा राजस्थान कैनाल का काम बातों से नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसको प्रायोरिटी दें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: 15 सैकिन्ड आपको डिस्टर्ब किया गया था। उसके लिए आपको एक मिनट और....

श्री किशनसिंह भाटी : You are very liberal.

सभापति महोदय, मैं हमेशा से यह कहता रहा हूं कि यह जो अकाल है, वह मनुष्य निर्मित अकाल है। बार-बार मैं यहां पर इसको रिपीट करता रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि सिन्ध से अंग्रेजों ने फेमिन को मार भगाया, सदर अय्यूब और याह्या खां ने फैमिन को मार भगाया किन्तु राजस्थान में करोड़ों रुपया फैमिन से लोगों को बचाने के लिए, जोधपुर, बीकानेर में खर्च करके भी अकाल का स्थाई हल नहीं ढूंढा गया। अतः पहले आप डिवीजन को बचाने के लिए, राजस्थान नहर को पूरा कीजिए। यही राजस्थान के अकाल का स्थायी समाधान है। इस राष्ट्रीय योजना को पूरा करके आप अकाल की विभीषिका को समाप्त कर सकते हैं।

जैसलमेर के सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहता हूं। यह वहां कि टोपोग्राफ ऐसी है कि सिटी डेजर्ट से काफी दूर है। यह पठार के बीच में है। इसके आस पास 20–25 माइल्स के रेडियस में काफी खडीन हैं। यहां पर छोटे छोटे बांध बरसाती पानी को रोक कर बनाए जा सकते हैं। एक खडीन में एक धान के दाने से 60 धान के दाने पैदा होते हैं। ऐसी कहावत यहां पर चलती है। ये इतनी अच्छी खडीन हैं। इनको प्रायोरिटी से बांधा जाए। वहां काणदो व रूपसी लाफेला के रणों का पानी चालीस मील तक जाता है। इसको कृत्रिम ढंग से रोक कर बारानी भूमि में भी सिंचाई की योजना बनावें। यहां हजारों हजारों वर्षों की बन्जर लैन्ड है। वह आपको गल्ला दे सकती है। मैं सिंचाई मंत्री जी से आशा करता हूं कि उत्तर के वक्त मुझे आश्वस्त करेंगे कि इस ओर वे जरूर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूं।

श्री सभापति : श्री लालूदास !

श्री लालूदास (फलासिया) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में फलासिया कोटड़ा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कोटड़ा फलासिया ऐसा क्षेत्र है जो सब से अधिक पिछड़ा क्षेत्र रहा है। कारण पिछले तीस वर्षों के अन्दर भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई विशेष ध्यान हमारी ओर नहीं दिया। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इसका मूल कारण यह था कि पिछले दस वर्षों से यहां से विरोधी पार्टी जीती। जैसा कि पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, जहां से विरोधी जीतते थे, कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा की विकास के कामों में। यहां से स्वतन्त्र पार्टी जीतती थी। उसके एम. एल. ए. जीतते आए। इस कारण कांग्रेस वालों ने बार-बार आकर के कहा, दूसरी पार्टी जीत गई इसलिए आपके यहां पर काम नहीं होगा। इसलिए वर्तमान सरकार से मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे कोटड़ा फलासिया में 90 पर्सेन्ट जनता आदिवासी है। वहां नाम मात्र का कोई साधन नहीं है और न कोई सिंचाई के साधन हैं। कोटड़ा फलासिया राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पिछड़ा हुआ है। वहां की जनता राम भरोसे है। कभी मंत्री महोदय उस इलाके में जाकर देखें तो वास्तव में मालूम होगा कि हालत क्या है ? इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां अधिक से अधिक सिंचाई के साधन खोले जाएं। वहां की भूमि काफी मात्रा में उपजाऊ भूमि है। इसलिए वहां पर सिंचाई की योजनाएं खोली जाएं ताकि वहां की जनता की गरीबी दूर हो सके और वहां की जनता को साधन उपलब्ध हो सकें। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर काफी जमीन ऐसी है जो सूखी पड़ी हुई है। इसलिए वहां पर नये तालाब की योजना लागू की जावे तो पूरे इलाके में सिंचाई हो सकती है, खेती हो सकती है। इसलिए इस क्षेत्र में आप अधिक से अधिक एनीकेट बनाइये, क्योंकि वहां पर बेकारी है इसलिए इस इलाके में एनीकट की योजना लागू की जावे .....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लालू दास : वहां पर तालाबों की योजना बनाई जावे ताकि वहां की जनता की गरीबी दूर हो सके।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह शक्तावत !

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की प्रगति पुस्तिका मैंने देखी है, उसके पृष्ठ क्रमांक 28 पर जो वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना का उल्लेख किया गया है, उसमें कहीं भी उदयपुर जिले की 18 लाख जनता के लिए किसी योजना का नाम नहीं है। इसी पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 29 पर विभिन्न जिलों में जो मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, जिनका सर्वे किया जा रहा है उनका उल्लेख किया गया है, किन्तु उसमें जाखम के अलावा किसी मध्यम सिंचाई योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार इस पहाड़ी इलाके में अरावली पर्वत माला है, जहां से बनास, बैगच, कोठारी और बेणगंग ये चार नदियां निकलती हैं। इन नदियों

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

के पानी को उस क्षेत्र को बिलकुल नहीं दिया जाता है। ये जो बरसाती नदियां हैं, इनका पानी भी बह कर चला जाता है। इनके लिए कोई छोटी योजनाएं भी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपके विभाग के अधिकारियों का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा कि किस प्रकार इस क्षेत्र में छोटी योजना भी कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। यह अभियन्ता कांकरोली में हैं, इन्होंने पत्र लिखा था आपने अपने उपरोक्त पत्र द्वारा कुम्भलगढ़ क्षेत्र में एनीकट एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु लिखा था, किन्तु इस सन्दर्भ में मैं आपको यह अवगत करवाना आवश्यक समझता हूं कि आप द्वारा सुझाये गये किसी भी कार्य का चयन राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना में नहीं हो सकता जिसका मुख्य कारण यह है कि आप द्वारा प्रस्तावित कार्य केवल एनीकट है जिनसे सीधे सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस विभाग की योजना में सिर्फ ऐसे ही कार्य सम्मिलित किये जाते हैं जिनसे सीधी सिंचाई उपलब्ध हो सके व बेनिफिट कास्ट का अनुपात 1.5 : 1 से अधिक हो जिसमें ब्याज दर 10 प्रतिशत मानी गई हो—ऐसी ही स्थिति लिफ्ट योजनाओं की है जो कि सम्पूर्ण होने के पश्चात् भी बिना लाभ हानि के चलाई जाती है। अतः क्रियान्वयन सम्भव नहीं है। आप द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत समिति या अन्य कृषि विभाग के लघु कृषक विकास अभिकरण इत्यादि के द्वारा करवाया जाना सम्भव हो सकता है जहां बिना कास्ट बेनिफिट के योजना का क्रियान्वयन सम्भव है।"

इस प्रकार का उत्तर दिया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग की दो सिंचाई योजनाएं थीं। पहली धानिन सिंचाई प्रोजेक्ट (साकरावाला) जिसकी अनुमानित लागत थी 2,75,000.00 रु. और उसका सिंचित क्षेत्र 60.4 हेक्टेयर के लगभग सम्भव था। दूसरी योजना थी, मेवाड़िया सिंचाई प्रोजेक्ट जिसकी अनुमानित लागत राशि थी 12,80,400.00 रु. जिससे 122 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं, यदि बांधों के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है तो छोटी योजनाओं द्वारा करायी जा सकती है। बड़े-बड़े इन्जीनियर बैठे हैं उनके द्वारा दूसरे क्षेत्र में योजनाएं बनाई जा रही हैं। और मेरे पहाड़ी क्षेत्र में दो वर्ष से प्रस्तावित छोटी सिंचाई योजनाएं कार्य रूप में परिणित नहीं हो रही हैं। हमारे यहां के दो बांध राजसमन्द और जय समन्द, किसी जमाने में बने थे। अगर ये दोनों नहीं होते तो कोई भी सिंचाई का साधन सम्भव नहीं था। जो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, वह इन्हीं दो बांधों के कारण हुई है। इनके अलावा जो पानी बचे वह सिंचाई के उपयोग में लिया जाए और कुछ तहसीलों में बांध बनाये जायें तो पानी का उपयोग सिंचाई के लिये हो सकेगा।

दूसरे हमारे क्षेत्र में आमेट कस्बा है। वहां पर नगरपालिका है। उसके पास चन्द्रभागा नदी बहती है। वहां पर कोई बांध नहीं होने के कारण बरसात का सारा पानी निकल जाता है। गर्मियों में वहां जानवर भी प्यासे मरते हैं। इसलिए नदी पर किसी योजना के अन्तर्गत छोटा सा बांध बनवा दिया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा , इस क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाएं ही उपयोगी हो सकती हैं ।वहां पर जमीन उबड़-खाबड़ है। नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाये जायें। मात्र एनीकट ही उस इलाके के लिए रामबाण हो सकते हैं। कुम्भलगढ़ में चारभुजा के पास साकिया ग्राम में बांध बनाया है। एक लाख में बनाया है। उसमें पानी भरा हुआ है। गांव वालों ने श्रमदान करके नहर खोदी है। सारे पहाड़ को काटा है। किन्तु लिफ्ट इरिगेशन के अभाव में इसका लाभ नहीं मिल पाता है। आमेट तहसील में चन्द्रभागा नदी पर लोहियाणा में बांध पर पहले भी कुछ पैसा खर्च हुआ हैं। अगर उसी पर कुछ प्रस्तावित योजना का लाभ मिले तो इससे 100 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। उस एरिया के अन्दर कुम्भलगढ में हीरसागर बांध बनाया है परन्तु वह पानी भरा हुआ रह गया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गांव वालों ने श्रमदान करके पहाड को काटा और खोदा है। उससे लोगों को लाभ मिल सकेगा। उससे लोगों को लाभ मिल सके, इस बारे में मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री खंगार सिंह !

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची): सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने अन्त्योदय योजना बनाई है इसको कामयाब करने के लिए सिंचाई के साधनों को उपयोग में लेना पड़ेगा। जो छोटी छोटी योजनाएं हैं अगर उन योजनाओं को चालू नहीं कर सकते हैं तो अन्त्योदय योजना कामयाब भी नहीं कर सकती है। पाली जिले में कई ऐसे बांध हैं, जहां पर एनीकट बना सकते हैं। पाली जिले में एक सरदार समन्द बांध हैं और दूसरा जवाई बांध है। मेरे क्षेत्र में सुमेर बांध हैं। मदपुरा, बगावत, कोटड़ा इनका सर्वे कराकर वहां पर बांध बनाये जायें। इससे पानी की क्षमता बढ़ेगी और सिंचाई अच्छी तरह से हो सकेगी। उनके आस पास जो जमीन आई हुई है, उसमें सिंचाई से अच्छी फसल होगी। नदियों का पानी गहरा हो गया है। पानी का लेविल गहरा हो गया है। इस कारण वहां पर थोड़ा अकाल पड़ जाये तो पानी नहीं मिलता है। अगर वहां पर पानी रोका जाये तो काफी मात्रा में फायदा हो सकता है। जहां मीठे पानी की सम्भावना हो सकती है वहां गवर्नमेंट एक्सपेरीमेंट के आधार पर नलकूप लगाये। पैसा लगाकर नलकूपों को कामयाब कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में $\frac{1}{8}$ क्षेत्र में मीठा पानी है और $\frac{7}{8}$ में खारा है। इस योजना में नलकूप हाथ में लें तो उनके द्वारा पिलाई हो सकती है। जहां मीठा पानी है वहां क्यों खाली जमीन पड़ी है ? अगर दो तीन किलोमीटर दूर नदियों के किनारे ट्यूबवैल लगायें तो खाली जमीन काम में आ सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ेगी। बांध बनायेंगे तो अन्त्योदय योजना कामयाब होगी। अगर सरकार छोटी-छोटी सिंचाई योजना की ओर ध्यान देगी तो अन्त्योदय योजना कामयाब हो सकेगी। यदि छोटी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया तो अन्त्योदय योजना कामयाब नहीं होने वाली है। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहने वाली है, जो छोटी जोत वाले किसान हैं, वह गांवों में काश्त कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री खंगारसिंह)

गवर्नमेंट छोटी-छोटी सिंचाई योजना बनायेगी तो अन्त्योदय योजना कामयाब हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय श्री सुखलालजी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री निर्मलकुमारजी !

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन): माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग राजस्थान के अफसरों के लिए समृद्धि की दृष्टि से सबसे अच्छा विभाग है, जितने भी सिंचाई विभाग के अफसर हैं उनके मकानों को देखा जाय, उनके रहन-सहन के ढंग को देखा जाय तो मेरी निश्चित मान्यता है कि जितना उनको मिलता है उससे कई गुना उनके पास है। विभाग के काम की इनको चिन्ता नहीं है। विभाग के माल की कोई चिन्ता नहीं है। इसका एक उदाहरण है, सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में चालीस हजार बोरियां सीमेंट की बांध बनाने के लिए आई थी लेकिन बारिश हो जाने से वह पत्थर हो गई। मेरा निवेदन है कि जिस अफसर की लापरवाही की वजह से चालीस हजार बोरियां बिगड़ी उस अफसर की जिम्मेदारी तय की जाय और उसको दण्ड दिया जाय ताकि राजस्थान के और अफसरों को सबक मिले।

सभापति महोदय, झालावाड़ जिला तीन नदियों से घिरा हुआ है, तीन नदियां बहकर निकलती हैं, कालीसिंध, माही और परवन। इन नदियों पर बांध बनाये जा सकते हैं और सारे जिले को सिंचित किया जा सकता है। सभापति महोदय, कुछ काम शुरू हुआ, भीमसागर बांध पर सन् 48 से काम चल रहा है, 60 लाख रुपया उसमें लग चुका है परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। सन् 48 से उस बांध का काम शुरू हुआ, और अभी तक काम चालू है, साठ लाख रुपया लग चुका फिर भी काम कुछ नहीं हुआ इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर शीघ्र ही ध्यान देकर भीमसागर बांध को पूरा कराया जाय। कालीसिंध पर भी बांध की योजना बनाई गई थी लेकिन वह एक बरसात के अन्दर ही साफ हो गया। उसके बाद आज तक उस पर एक पैसा भी नहीं लगाया गया। मेरा निवेदन है कि उसके लिए भी पैसा दिया जाय।

इसके अलावा दूसरी जो सिंचाई योजनाएं हैं, सारोला की सिंचाई योजना उस पर 52 लाख रुपया लगने का है, चार लाख रुपया दिया है। क्यासरा में पांच लाख की जगह दो लाख दिया है और बिनायका में जो साढ़े सतरह लाख की योजना है उसके लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मन्त्री) : कौनसी योजना ?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : हमारे झालावाड़ जिले की है। सारोला की 52 लाख रुपये की है जिस पर चार लाख दिया है, क्यासरा में पांच लाख की जगह दो लाख दिया है, बिनायका में साढ़े सतरह लाख की योजना है किन्तु एक पैसा भी नहीं दिया है। मेरा निवेदन है कि इन मंजूरशुदा योजनाओं को शुरू किया जावे।

इनके अलावा जो नवीन प्रस्तावित योजनाएं बना कर भेजी हुई हैं, दादरी, कालीपीपर, मनोहरथाना, छपरी, जलादरा, इन सिंचाई योजनाओं की मन्जूरी होना बाकी है। इनका सर्वे कराकर इनको मन्जूरी देने की कोशिश करें।

(श्री निर्मलकुमार सकलेचा)

सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में लिफ्ट इरिगेशन चार जगह पहले होता था परन्तु उसकी महँगी दर होने के कारण किसान उससे पानी नहीं लेते थे । मोटरें लगी हुई हैं वे बन्द पड़ी हैं, यह स्कीम बन्द हो गई है इसलिए जिस दर से आप और जगह से पैसा लेते हैं उसी दर से यहां भी लिया जाय जिससे यह स्कीम यहां फिर से लागू हो सके । इसके अलावा बहुत सी जगह.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरू हुआ । राजपुरा लिफ्ट इरिगेशन और जवारिया खाल पर पचास-पचास करोड़ का काम करके बन्द कर रखा है । मेरा निवेदन है कि इन अधूरे कामों को पूरा कराया जाय जिससे जो नदियों का लम्बा देह है उसके पानी का पूरा उपयोग किसान लोग कर सकें ।

सभापति महोदय, जिले में 12 तालाब हैं जिससे ढाई हजार एकड़ में सिंचाई होती है । पचास तालाब पंचायत समितियों के पास हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इसलिए या तो उनको सिंचाई विभाग को दे दीजिए या पंचायत समितियों को पैसा मन्जूर कीजिये जिससे सिंचाई हो सके ।

ट्यूब वैल्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि झालावाड़ एक पथरीला जिला है, वहां पानी निकले या नहीं निकले इसकी कोई गारन्टी नहीं है । इसलिए निवेदन है कि मंत्री महोदय ऐसा करें, अगर किसान ट्यूब वैल्स लगवायें और पानी नहीं निकले तो उनसे पैसा नहीं लिया जाय । इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : हमारे जिले में एक सर्वे डिविजन भिजवाया जाय जो प्लान बनाकर दे । सारे जिले का सर्वे कराया जावे तो पचास करोड़ की आवश्यकता है । मन्त्री महोदय चार साल के अन्दर इस राशि को देकर पूरे जिले को सिंचित करने का प्रयास करें तो बहुत कृपा होगी ।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपालसिंह जी !

श्री गोपालसिंह (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता है कि पानी के बिना जिस तरह से जीवन संभव नहीं है उसी तरह से 80 प्रतिशत किसान भी पानी के बिना जिन्दा नहीं रह सकते । एक व्यक्ति के पास जमीन है लेकिन पानी नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता, जब कि एक आदमी के पास जमीन कमजोर होते हुए भी पानी है, सिंचाई का साधन है तो वह अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सकता है । इसलिए यह एक बहुत ही अहम मसला है इसके लिए राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि चाहे किसी भी विभाग में किसी प्रकार के काम की कटौती कर लें लेकिन इरिगेशन के मामले में जितना ज्यादा पैसा लगा सकें, जितना ज्यादा धन लगा सकें और जितना ज्यादा काम करा सकें तो वह 80 प्रतिशत जनता के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी ।

मैं हमारे कृषि मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू कर दी । इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि जहां-जहां बिजली पहुंच रही

(श्री गोपालसिंह)

है वहां ट्यूब वैल्स खुदवा दिये जायं तो हमारे इरिगेशन मन्त्रीजी भी धन्यवाद लेंगे। जहां-जहां बिजली पहुंच गई है या बिजली का काम शुरू हो रहा है उसके साथ में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाय और ट्यूब वैल्स खुदवा दिये जायं जिससे गरीब काश्तकारों को अधिक पैसा नहीं खर्च करना पड़े" सिंचाई सुविधा कम खर्च में हो जाय और थोड़ी सी जमीन के लिए कुए नहीं खुदवाने पड़ें, इसके लिए मैं राज्य सरकार को यह भी सुझाव दूंगा कि कम्युनिटी वैल्स का सिस्टम लागू किया जाय जिससे किसानों को फायदा हो और उनका स्तर बढ़े।

मैं बहुत बड़े बांधों के खिलाफ हूं, जहां 12 महीनों पानी बहता है वहां जरूर बड़े बांध बनवाये जायें। लेकिन जहां बरसाती नाले हैं, जहां बरसाती नदियां हैं, उन पर एनीकट्स बनवा दिये जायें। हमारे इलाके में जवाई नदी बहती है, उस पर एनीकट्स बनवा दिये जाय तो आसपास का इलाका इन्डेट होगा, वहां से पानी बहता हुआ निकलेगा और वापस नदी में गिरेगा। इससे पानी का स्तर भी काफी बढ़ेगा और किसानों को भी फायदा होगा। हमारे इलाके में जोइन्ट फार्मिंग भी काफी होता है, इसलिए एनीकट्स बन जायेंगे तो फसल पर कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बहुत लो हो जायेगा।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि मेरे क्षेत्र में होरड़ा गांव में तालाब है, उसमें पानी सूख जाता है। अगर उस तालाब में छोटी सी जगह निकाल दी जाय तो खेतों में बुआई हो सकेगी और उसके नीचे की जमीन में खेती हो जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक पावड़ा बांध लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बना हुआ है। बरसात के समय उसमें भराव ज्यादा होने से, क्योंकि उसमें कैनाल का सिस्टम नहीं है, पानी रिस-रिस कर चला जाता है। उससे इरिगेशन होना चाहिए, खेतों में पिलाई होनी चाहिए, उसकी जगह खेत भर जाते हैं न उनमें फसल होती है और न घास होती है। इसलिए सुचारु रूप से इसका प्लान कर दिया जाय तो इरिगेशन हो जायगा। हमारे क्षेत्र में बाकी बांध हैं जिनसे इरिगेशन होता है।

तो मेरा निवेदन है कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उनके ऊपर सिंचाई मन्त्री जी अगर ध्यान दें तो काफी काश्तकारों को राहत मिल सकती है, पैदावार बढ़ सकती है और साथ में सरकारी आय भी बढ़ सकती है। मेरे इलाके के जो बान्ध हैं उन बान्धों का कैनाल लाइनिंग को पूरा करवा दिया जाय तो काफी सिंचाई हो सकती है।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सहाय !

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिला राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो कि हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई-माधोपुर जिला पिछले तीस वर्षों से पिछड़ा ही रहा है। सभापति महोदय, अगर रेवेन्यू की दृष्टि से देखा जाय, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाये तो सवाई माधोपुर जिला दूसरे जिलों से बहुत आगे है। फिर भी सवाई

(श्री गोविन्द सहाय)

माधोपुर जिले की उपेक्षा ही होती रही है। सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि सवाई माधोपुर जिला का पानी बहुत बड़ी मात्रा में निकल कर राजस्थान के दूसरे इलाकों में चला जाता है। उस पानी का सिर्फ दो आना पानी ही हमारे यहां पर काम में आता है। उस दो आने भर पानी के काम में आने से भी वहां खेती हो सकती है तो अगर बान्ध बनाकर सारा पानी काम में लाया जाय तो कितना लाभ हो सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सवाई-माधोपुर जिला कांग्रेस के शासन काल में पिछले तीस वर्षों से उपेक्षित रहा है, इस-लिये अब तो कम से कम मन्त्री जी इस जिले की ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, बनास नदी का पानी सवाई माधोपुर जिले में कई स्थानों में दर्रे तो बनाता ही है उसके साथ-साथ दुर्दशा भी करता है उसको नुकसान पहुंचाता है। सभापति महोदय, चम्बल की वजह से कोटा को फायदा हुआ है किन्तु बनास नदी का पानी इतना जोर से कई जगह पर गिरता है, 100 फीट ऊपर से गिरता है उससे वहां पर बहुत नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से खनिज विभाग में सर्वे का विभाग है उसी तरह राजस्थान में सिंचाई विभाग में एक सर्वे विभाग होना चाहिये जो इस बारे में सर्वे करायें कि राजस्थान में कहां-कहां पर कितना-कितना नुकसान हो रहा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हर डिविजन और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे डिविजन खोला जाना चाहिये। सिंचाई विभाग को यह जानकारी होनी चाहिये कि कहां-कहां पर कितना-कितना पानी है और उससे कितना लाभ किसानों को हो सकता है। आज यह किसी को पता नहीं है इस सवाई माधोपुर जिले का पानी कहां जाता है, जितना पानी बेकार जाता है उसका उपयोग भी हो सकता है या नहीं।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिले में खण्डार तहसील है वहां पर बनास नदी पर बान्ध बनाने के लिए सर्वे भी हो चुका है कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह एक पाचना बांध सवाई माधोपुर जिले में आप पूरा करवा दें तो आज जो भरतपुर हर साल तबाह होता है वह बच जायेगा। उससे वहां के इलाके में काश्त हो सकेगी, पैदावार बढ़ेगी, सरकार को आय मिलेगी और साथ में किसानों को भी राहत मिलेगी। सभापति महोदय, उसका सर्वे हो चुका है पर अभी तक वह स्कीम कागजों में ही कहीं लिपटी पड़ी हुई है। जो स्कीम 1.27 लाख की शुरू शुरू में बनी थी वही स्कीम अब 3 करोड़ 57 लाख की हो गयी है। वह योजना पाचना बांध की क्यों नहीं चालू हो सकी इसका भी कारण है। सिंचाई विभाग में एक डाइरेक्टर है रावत साहब, वह उस योजना में कभी कोई टेक्निकल गलती निकाल देते हैं तो कभी कोई और गलती निकाल देते हैं जिससे वह योजना हर साल खटाई में पड़ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई योजना चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, चाहे मन्त्री जी भी चाहते हों लेकिन अगर सरकारी अधिकारी उस योजना को चालू नहीं कराना चाहें तो उसको वह चालू नहीं होने देंगे, कोई न कोई टेक्निकल रुकावट उसमें डाल ही देंगे। यह सिर्फ सरकारी अधि-कारियों की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि कोई योजना चालू की जावे या नहीं।

(श्री गोविन्द सहाय)

इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वह सरकारी अधिकारियों पर ही सारा काम नहीं छोड़ दें बल्कि खुद इस ओर विशेष रूप से सतर्क रहे तो योजनायें जल्दी क्रियान्वित होंगी वरना तो सरकारी अधिकारी अपनी इच्छा मुताबिक ही काम करेंगे। इसलिए मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि पाचना बांध को जल्दी से जल्दी बनायें तो सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करा सकेंगे,साथ में भरतपुर के अन्दर जो फलड आता है उससे उसको तबाह होने से भी आप बचा सकेंगे।

इसी तरह हमारे यहां एक तुलसीघाटा नदी है वह भी भरतपुर को पानी से तबाह करती है। उस पर बांध के कार्यों को पूरा करावें ताकि सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई हो सके और भरतपुर को तबाह होने से बचाया जा सके।

इसके अलावा और कई छोटी-छोटी स्कीमें हैं उनको अगर आप पूरी पहले करवा दें तो मैं आपको कहूंगा कि वह ऐसी योजनायें हैं जो कम खर्च में; कम समय में ही पूरी हो सकती हैं और खेती के लिये ज्यादा फायदेमन्द हो सकती हैं। यह छोटी-छोटी स्कीम छोटे-छोटे नालों को बान्धने की हैं इनके द्वारा किसानों को तुरन्त लाभ पहुंचा सकते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आप एक-दो साल राजस्थान में स्कूल, नहीं खोलें, सड़क नहीं बनवावें पर आप बांधों को अगर बांध देते हैं तो एक दो वर्ष में ही कृषि उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में वढ़ जावेगा और हमारे प्रान्त को उन्नति की नयी दिशा मिल सकेगी। मैं यह भी सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे आदेश भी राज्य सरकार से निकलवा दें कि दो साल तक कोई नयी बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग नहीं बनेगी ताकि सीमेन्ट की कमी की कोई बात बांधों के बनने में पैदा नहीं होगी। मैं यह भी सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक चीफ इन्जीनियर की पोस्ट क्रियेट करायें जो कि छोटी-छोटी योजनाओं के लिये ही हो। उन चीफ इन्जीनियर साहब को आप यह पावर दे दें कि वह चार-पांच लाख की कोई स्कीम को चालू कर सके। अभी योजना स्वीकृति के लिये सेक्रेटेरियेट भेजी जाती है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट को जाती है इस कारण उसमें फिर देर लगती है। वहां पर जो अधिकारी हैं वह कई बार योजनाओं में टैक्निकल बाधायें लगा देते हैं जिससे योजनाओं का रूप ही बदल जाता है और वह योजना शुरू नहीं हो सकती है। वह इसमें व्यवधान पैदा करते हैं। मेरा सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो बाधायें टैक्निकल ऑफिसर जानबूझ कर डालते हैं उनके ऊपर आप कड़ी निगाह रखें, महत्वपूर्ण योजनाओं को आप जल्दी से जल्दी शुरू और पूरी करावें ताकि किसानों को लाभ हो। तीस वर्षों से उपेक्षित जो यह इलाका रहा है इस की ओर ध्यान दिया जाय। अगर छोटी छोटी योजनायें जल्दी-जल्दी पूरी कर ली जाय तो गंगापुर का जो इलाका आज अच्छी मन्डी है वह गंगानगर की मन्डी से भी और अच्छी मन्डी का इलाका हो जावेगा। सिंचाई मन्त्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पाचना बांध और तुलसीघाटा योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करावें।

श्री सभापति: आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहम्मद जहूर !

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह खर्रा !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूंडी !

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई की मांगों पर वाद-विवाद चल रहा है। मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव इस पर दिये हैं ।

सभापति महोदय, खेती के लिये सबसे जरूरी चीज है वह है पानी । पानी की हमारे राजस्थान में कमी है । राजस्थान की अधिकांश नदियां राजस्थान से निकल कर मध्य प्रदेश, गुजरात में चली जाती हैं। हमारी नदियों का कुछ पानी पाकिस्तान में चला जाता है तो अगर इसके लिये प्रयास किये जायें राजस्थान की नदियों के पानी को रोक कर उसे सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। यहां पर कई बार यह कहा जाता है कि पिछले 30 सालों में कांग्रेस के शासन काल में कोई काम नहीं हुआ। यह कहना उचित नहीं होगा कि राजस्थान में कांग्रेस शासन काल में कोई काम नहीं हुआ । पिछली सरकार ने काफी प्रगति इस क्षेत्र में की है। लगता है कि इस सरकार ने अधिकांश बजट पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर लगाया है। वैसे भी आज तक पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर ही राजस्थान का बजट अधिक खर्च होता आया है इसलिये राजस्थान में क्षेत्रीय असन्तुलन होना स्वाभाविक है। इस असन्तुलन की वजह से लोगों में असन्तोष भी बढ़ता है । सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जब कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का एक तिहाई क्षेत्रफल है, वह भी मरुस्थलीय भू-भाग है इसलिये पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत दिक्कत है । मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी राजस्थान के इलाके को पीने के लिये पानी और सिंचाई के लिए पानी मुहैया करावें आप चाहे गंगा का पानी लायें या चाहे जमुना का पानी लायें आपको इसके लिये योजनायें बनानी पड़ेगी । पुरानी सरकार ने राजस्थान कैनाल से जो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बनायी थी उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय जिससे कि पश्चिमी राजस्थान का नागौर, जोधपुर, जैसलमेर का एरिया हरा भरा हो जाय। इससे वहां न केवल लोगों को पीने का पानी ही मिलेगा अपितु वहां का उत्पादन बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी और किसान को लाभ होगा । पश्चिमी राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जनता पार्टी की सरकार ने भी लिफ्ट इरिगेशन की योजना को क्रियान्वित करने के लिये अपनी आंखें मीच ली हैं या इस ओर उदासीनता बरत रही हैं । नागौर-जोधपुर की समतल भूमि है, लेवलिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं है । करोड़ों रुपया लगा कर जहां बड़े-बड़े टीबों को समतल किया जा रहा है वहां पर समतल जमीन है फिर भी कहते है कि लिफ्ट कैनाल में अधिक खर्चा होगा। करोड़ों रूपया खर्च करके टीबों को समतल बना कर जो पानी पहुंचाते हैं वह तो ठीक है, समतल करके पानी पहुंचाने का कार्य किया जावे । एक योजना बनी, पिछली सरकार ने लिफ्ट योजना के मसविदे को अन्तिम रूप दे दिया जिसके जरिये नागौर, जोधपुर, फलौदी को पानी मिलेगा चाहे वह पानी कितना ही मंहगा क्यों न हो । मगर वर्तमान सरकार इस योजना को इसलिये

(श्री रामनारायण डूंडी)

बन्द कर रही है कि योजना उस क्षेत्र को लाभान्वित करेगी जिसने जनता पार्टी की साख को सबसे ज्यादा धक्का मारा है। सभापति महोदय, राजनीतिक कारणों से उस योजना को खटाई में डाला जा रहा है जो घोर निन्दनीय है। उसको बन्द किया जा रहा है। इसलिये भी बन्द किया जा रहा है कि वह नागौर में लायी जा रही थी।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

लघु सिंचाई के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे–छोटे बांध बनें इनसे कुओं के पानी का लेवल ऊंचा उठा है।

राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि फेमिन के काफी अधूरे बांध पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाय। नालों के पानी को रोकने के लिये एनीकट बनाया जाय तो पानी रुकेगा, उससे नमी पैदा होगी, पानी का स्तर ऊंचा होगा और जमीन उपजाऊ होगी ज्यादा उपज देने वाले जो ये एरिया हैं इनमें इस प्रकार से एनीकट वगैरह से अधिक पानी पहुंचायेंगे तो अधिक उपज भी होगी, किसानों को भी अधिक लाभ होगा और कुओं में भी पानी बढ़ेगा। हमारे क्षेत्र मेडता में 15–20 बांध बने हैं पहले वहां चार-पांच कुए थे पर आज सैंकड़ों कुए हो गये हैं और किसान की माली हालत ठीक हो रही है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जोधपुर क्षेत्र के जितने बांध हैं उनमें से काफी पूर्ण हैं मगर काफी अधूरे पड़े हैं। उन बांधों को पूरा करने के लिये और धन दिया जाय।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। नहरी जमीन की अपेक्षा गहरे कुओं से सिंचाई के अन्दर काफी खर्चा आता है फिर भी सिंचाई की दरें समान नहीं हैं। मेरा निवेदन है की सिंचाई की दरों को समान किया जाय। उदाहरण के लिये कुओं से सिंचाई में सौ रुपये का खर्चा आता है तो नहरी सिंचाई में दस रुपये का ही खर्च आता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि सिंचाई की एक ही दरें लागू की जायं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण डूंडी : एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। नहरों को पक्का कर दिया जाय जिससे पानी सीपेज नहीं हो। जवाई बांध का पानी कच्ची नहरों द्वारा बरबाद किया जाता है, वह नहरें पक्की की जायं तो हजारों बीघा एक्स्ट्रा जमीन की पिलाई हो सकती है और अनाज पैदा किया जा सकता है। तख्तगढ़ नहर की हालत को देखें तो मैं तो कहूंगा कि हम पानी का समुचित लाभ नहीं ले रहे हैं उस नहर का लेवल नीचा चला गया है तथा खेतों का लेवल ऊंचा है। इससे पानी भरता है इसलिये यह नहर पक्की बनाई जावे। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री शंकरलाल जी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लाल शंकरजी !

श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे लघु सिंचाई और भू-संरक्षण की मांग पर कटौती प्रस्ताव

(श्री लाल शंकर डेंडोर)

हैं। हमारा जिला डूंगरपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भूतपूर्व सरकार ने अनुदान दिये लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ। मैंने कटौती प्रस्तावों के जरिये यह मांग की है कि आदिवासी क्षेत्र को पूरी सहायता मिलनी चाहिये। लघु सिंचाई के अतिरिक्त एनीकट आदि बना कर कुओं का निर्माण करके, राजकीय कुआ बना कर गरीब किसानों दिया जावे तथा ऋण आदि दिये जायें और किश्त बन्दी करके वापस रकम उनसे ले ली जाय। इन कामों को कराने से आदिवासियों का वास्तविक उत्थान हो सकता है और उनका जीवन स्तर बढ़ सकता है। 90 प्रतिशत किसान क्षेत्र में डूंगरपुर इलाके में आदिवासी किसान रहते हैं। उन किसानों को सुविधा दी जाय जो नहरें कच्ची हैं उनको पक्का बनाया जाय कच्ची नहरों के कारण खेतों में पानी भर जाता है और फसल नष्ट या सड़ जाती हैं। यह भी जरूरी है कि भूमि का कटाव न हो। बांध बने हुए हैं। पहले बजट सत्र में भी सरकार के सामने मांग रखी है लेकिन उसकी पालना नहीं हुई है। मादर बांध का पानी नहरों द्वारा कोदरिया, खारउमास, वरियाटी, पाडला, सोनवड़ली उण हीया से भैंस का तालाब में मिलाने से सैंकड़ों बीघा भूमि में सिंचाई हो सकती है। ये जितने छोटे मोटे 12 गांव हैं इनमें 25 हजार एकड़ में सिंचायी होने की संभावना है। लोग अकाल के संकट के समय अनाज के लिये मारे-मारे फिरते हैं। इस प्रकार की योजना से उनको लाभ ही मिलने वाला है। इसलिये मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस योजना को लागू कराया जाय। इसी प्रकार तालाब भैंस का नाका द्वारा नहरें, उदड़िया सच्छेराई, कटारापाडा गड़ावादर (मेरतिया) गरियाता, जसेला लेमडिया गडिया व कहारिया नई आबादी तक जाने से भी काफी फायदा हो सकता है और हजारों एकड़ में सिंचाई हो सकती है। नहरों का विस्तार कार्य तत्काल प्रारम्भ करने का अनुरोध है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

मैं सिंचाई मंत्रीजी से कडाना बांध के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा। कडाना बांध के बारे में जो गुजरात सरकार से मुआअदा किया उससे हजारों लोग बेघर-बार हो गये और लोगों की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को नुकसान हुआ। इससे राजस्थान को कोई लाभ नहीं हुआ और करोड़ों का नुकसान हुआ। आदिवासी और गरीब काश्तकारों के साथ अन्याय हुआ है। डूंगरपुर में प्रति बीघा 85 रूपये से 950 तक मुआवजा दिलाया गया है जबकि बांसवाड़ा में 1200 से 1500 तक मुआवजा दिलाया गया है। मेरा निवेदन है कि गरीब काश्तकारों को पूरा मुआवजा दिलाया जाय। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि माही कडाना पुनर्वास योजना में नई आबादी के कृषकों को भूमि डूंगरशरण, दांदकौचरी पांचकुंडी, सालेडा व अन्य में अनुदान देकर मेड बन्दी कराई जाय। इस क्षेत्र में छोटे किसान है। लम्बा चौड़ा-मैदान नहीं है। अरावली से घिरा हुआ है। उस भील क्षेत्र के अन्दर जो कठिनाइयां हैं, भूतपूर्व सरकार ने जो अनियमिततायें की हैं, बेईमानी की उसकी जांच करके गरीबों को भली प्रकार से नागरिक के रूप में बसने में सहायता दी जाय और गुजरात सरकार से उचित मुआवजा भी दिलाया जाय लोगों ने अनियमिततायें की हैं, भूतपूर्व मंत्री और मुख्य मंत्री

(श्री लालशंकर डेडोर)

ने बड़े-बड़े घोटाले किये हैं। इसमें राजशाही का दोष नहीं है, उन नेताओं का दोष है जिन्होंने अनियमिततायें की हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी कठिनाइयों की ओर ध्यान देकर माही योजना को शीघ्र ही पूरा कराया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री कारूभाई !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जीथिंग भाई !

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान जिला बांसवाड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में 80-85 प्रतिशत क्षेत्र आदिवासियों का है। उन आदिवासियों का मुख्य धंधा खेती है। वहां के आदिवासी कुदरत की बारिश पर जिन्दा हैं। कभी समय पर ठीक वर्षा हुई तो एक फसल उनको नसीब हो जाती है। कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि हुई तो समूचे जिले में फसल चौपट हो जाती हैं। राजस्थान के अन्य हिस्सों से यदि उस जिले की तुलना की जाय और सिंचाई के क्षेत्र का हिसाब निकाला जाय तो निश्चित रूप से आपको मालूम हो सकता है कि बांसवाड़ा जिले में 2 पर्सेन्ट भी सिंचाई का क्षेत्र नहीं है। 30 वर्षों से उपेक्षित क्षेत्र बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ और मन्डोर आदि क्षेत्रों में हमेशा अकाल की समस्या स्थाई बनी हुई है। वहां न तो सिंचाई के साधन हैं और न दो फसली जमीन हैं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार की कहानी बहुत लम्बी है, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से सिर्फ इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां के आदिवासियों को पिछली सरकार ने सिर्फ अकाल में ही रोजगार देकर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए साधन दिये। हम लोग जब उस तरफ बैठते थे तब भी सरकार को यह सुझाव देते आये कि उस इलाके में सिंचाई के साधन जुटाना बहुत जरूरी है। सिंचाई के साधन से ही अकाल की समस्या का स्थाई हल हो सकता है वरना हल का कोई रास्ता नहीं है। उस इलाके में न कल-कारखाने हैं और न सिंचाई के साधन हैं।

मैं कुशलगढ़ क्षेत्र के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुशलगढ़ क्षेत्र के अन्दर सन् 1956 में एक तालाब का सर्वे शुरू किया गया। मैं उस तरफ बैठ कर बार-बार इस सदन के अन्दर प्रश्नों के माध्यम से, सिंचाई विभाग की डिमाण्ड के ऊपर राज्य सरकार से यह मांग करता आया कि कालेजा का तालाब है, उसका सन् 1956 में सर्वे शुरू हुआ और सन् 1968-69 में उसका सर्वे फाइनल हो चुका तब से लेकर यह स्कीम सरकार के पास विचाराधीन है। जब मैंने यह प्रश्न किया तो सरकार ने यह जवाब दिया कि अर्थाभाव के कारण अभी इसको टेक-अप नहीं किया जायगा आज भी यही स्थिति अगर रहेगी तो मैं सोचता हूं कि आदिवासियों का भविष्य नहीं सुधरेगा। उन आदिवासियों का तो बस भगवान ही मालिक है। हर खेत में पानी देंगे और हर हाथ को काम देंगे, अगर हमें यह नारा साकार करना है तो जो योजनायें इनकम्पलीट पड़ी हुई है उनको हाथ में लेना बहुत जरूरी है और उस इलाके को सिंचाई का क्षेत्र बनाना जरूरी है।

साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान लघु सिंचाई योजनाओं की ओर

(श्री जीथिंग)

आकर्षित करूंगा। आज उस इलाके में पानी का काफी स्टाक है। दो तीन बड़ी-बड़ी नदियां मोर नदी और अनास नदी है जिसका पानी बहकर गुजरात और समुद्र में जाता है। उस इलाके में कहीं भी कोई योजना टेक-अप नहीं की गयी। राज्य सरकार और विभाग लिफ्ट इरिगेशन योजना अपने हाथ में लेकर और छोटे-छोटे बांध बना कर लिफ्ट के द्वारा सिंचाई योजना लागू करे तो मैं सोचता हूं कि कुशलगढ का 4 लाख बीघा का क्षेत्र हरा भरा हो सकता है

साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करूंगा। छोटे-छोटे एनीकट बनाने का काम अभी तक सिंचाई विभाग के पास में नहीं है। मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन इलाकों की जो योजना सरकार के पास विचाराधीन है वह तो आप सैंक्शन करें ही करें। मुझे आशा है कि यह जनता सरकार निश्चित रूप से ऐसे पैन्डिंग कामों को बहुत जल्दी निपटायेगी, साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जो छोटे-छोटे एनीकट्स का काम है वह विभाग अपने हाथ में लेकर लघु सिंचाई योजना का काम तुरन्त शुरू करे।

यही बात कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान !

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले तीस वर्षों में सिंचाई मंत्री जी या तो उदयपुर डिविजन के आये या फिर पूर्वी राजस्थान के आये हैं .....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूर्वी राजस्थान से कौन आया ?

श्री माधवसिंह दीवान : रामप्रसादजी लड्ढा, हीरालाल जी देवपुरा उदयपुर डिविजन के ही थे। यही कारण है कि पाली और जोधपुर जिला सिंचाई के हिसाब से बिलकुल ही उपेक्षित रहा है और बहुत ही कम पैसा इन जिलों में लगाया गया है। आज भी जितने बांध मौजूद हैं....

श्री ओंकारलाल चौहान: श्री नाथूराम जी रहे हैं जोधपुर के।

श्री माधवसिंह दीवान : बहुत थोड़े समय के लिये रहे हैं।

आज जितने भी बांध हमारे जिले में हैं उनमें से 90 पर्सेन्ट स्टेट टाइम के बने हुए हैं। आजादी के बाद बहुत ही कम नये बांध बन पाये और जो भी पैन्डिग हैं उनके अन्दर हमारे अधिकारियों ने ऐसा सिलसिला बना दिया है कि वह नहीं बन सके मैंने अधिकारियों से बात भी की। वह यही कहते हैं कि उस एरिया में बी. सी. रेश्यो बहुत ऊंचा पड़ता है कोस्ट ज्यादा आती है और बेनिफिट कम मिलता है इसलिए नये बांध बनाने में हम सक्षम नहीं हैं। यह फार्मूला सरकार द्वारा बनाया हुआ है इसलिए यह अधिकारियों के हाथ की बात नहीं है। मुझे आशा है कि नये सिंचाई मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो फेमिन एरिया है जहां फेमिन बार–बार पड़ता रहता है वहां के लिए बी.सी. रेश्यो सामान्य एरिया के मुकाबले ज्यादा रखें। हमारे एरिया में बन्धे की पाल चारों तरफ बनानी पड़ती है। इसलिए जहां अकाल पड़ता रहता है वहां बी. सी. रेश्यों और बढ़ाया जाये ताकि जो भी सर्वे

(श्री माधवसिंह दीवान)

हुआ है और रिपोर्ट बनी हुई है उनके ऊपर काम किया जा सके। अभी जो सिंचाई रिपोर्ट आई है उसको यदि देखें तो उसमें छोटी मध्यम सिंचाई योजना हैं या बड़ी योजनायें हैं या लघु सिंचाई योजना हैं उन पर, राजस्थान कैनाल छोड़ दो तो, 90 पर्सेंट पैसा दूसरी जगह लग रहा है। कोई भी छोटे या बड़े बांध जोधपुर डिविजन में नहीं दिये गये हैं। कारण सिर्फ यही बताया जाता है कि बी. सी. रेश्यो के हिसाब से इकानामिकल नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि आप इस बात पर विचार करेंगे और अपने जवाब में कुछ बतायेंगे।

मेरे एरिया में स्टेट टाइम का सरदार समन्द बांध बना हुआ है। पहले उसकी कैनाल से 20 हजार बीघा जमीन की सिंचाई की जाती थी और अब 50 हजार बीघा सिंचाई की जाती है इस कारण नहर के पास की जमीन में नुकसान हुआ है। जो पक्की नहर बनी हुई है उससे एक फुट पानी ऊंचा चलता है। इससे आसपास सीपेज के कारण 500 से हजार फीट तक पानी भरा रहता है। सारी की सारी जमीन खराब हो गई है इसलिये उस नहर, जो पक्की बनी हुई है, की हाइट एक फुट और ऊपर की जाये ताकि जो सीपेज है वह बन्द हो।

कुछ सर्वे आज से 20 साल पहले किया गया था खोड़िया, गजनाई, कंटालिया नदियों पर बांध बनाने का सर्वे हो गया है लेकिन बी. सी. रेश्यो के कारण बन्द पड़ा है। यह नदियां खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। सरकार आज तक डिसीजन नहीं ले पाई कि इनको पूरा किया जाये ताकि बेकवर्ड एरिया के अन्दर काश्तकार को फायदा मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

डी. पी. ए. पी. के मद में जो बान्ध लिये गये और जो बजट रखा गया है वह बहुत ही कम है। तहसील सोजत में कामांवास बांध की नींव आज से 3 साल पहले रखी थी आज 3 साल बाद भी जो बांध बना है वह फाउन्डेशन स्टोन से दो मील पहुंच पाया है। आज भी कम से कम दो मील दूर है, मुझे लगता है बांध वहां कभी नहीं पहुंच पायेगा।

सिंचाई की दर के बारे में आज तक कोई भी सरकार पक्का डिसीजन नहीं ले सकी। कुएं में बिजली की मोटर लगी हुई है, उसकी सिंचाई में नहरी सिंचाई से पच्चास गुना पैसा ज्यादा लगता है। जहां दो सौ फीट गहरा पानी निकलता है वहां 50 गुना खर्चा आता है। मुझे आशा है कि यह जो फर्क है इसको दूर किया जायेगा। मारवाडी में कहावत है कुएं की छाया कुए में रह जाती है। इसका मतलब यह है कि कुए वाला काश्तकार ऊंचा नहीं आ सकता है। गेहूं चाहे कुए वाला पैदा करे, चाहे नहरी क्षेत्र वाला पैदा करे, कीमत बराबर मिलेगी। या तो सरकार बिजली की रेट कम करे, अगर बिजली की रेट कम नहीं कर सकती तो अनाज की रेट ऊँची की जाये ताकि जो किसान पैदा कर रहा है उनको इकानामिकल पडे। मेरे एरिया के अन्दर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छोटी-छोटी नदिया हैं जो बरसात में ही चलती हैं। एनीकट्स बनाने के लिये रिपोर्ट दो-तीन साल पहले ही बन गई। उस रिपोर्ट में संशोधन करके जगह-जगह एनीकट्स बनाये जायें, तो कुएं में पानी का लवल ऊंचा होगा और काश्तकार को फायदा मिल सकेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेश कुमार जी।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : जनाबे सदर, भरतपुर जिले मे सिचाई की व्यवस्था के जो तौर तरीके हैं उनमें व्यवस्था कम और अव्यवस्था ज्यादा है। श्रीमान मेरे इलाके के अन्दर सिचाई के साधन कम हैं। यहां जो कुछ भी सिस्टम है वह इनन्डेशन का सिस्टम है। बाढ़ का पानी आता है, वह झट से निकल जाता है। श्रीमान्, जहाँ नहरों से सिंचाई होती है वह छोटा सा इलाका है। श्रीमान् जब यह सिस्टम बना था उस वक्त वर्षा का एवरेज 21 इंच था लेकिन 1956 के बाद वर्षा का एवरेज निरन्तर बढ़ा है, 35 इंच वर्षा का एवरेज है। जो सिस्टम मौजूद था वह सिस्टम सिल्ट आ जाने के कारण अनुपयोगी हो गया है। लेकिन, श्रीमान, किसी ने अभी तक इस पुराने सिस्टम की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया और न कोई काम ऐसा हुआ जिसके जरिये क्षमता को बढ़ाया जाता। श्रीमान जो पानी तालाबों में रोका जाता है उसको सितम्बर में खोला जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि एक तरफ तो खरीफ की फसल बरबाद हो जाती है और दूसरी तरफ अधिकतर जमीन पानी के नीचे दबी रह जाती है। तो, श्रीमान, इसकी तरफ अगर गौर नहीं किया गया तो किसान तो बरबाद होता ही रहेगा, साथ ही साथ राजकीय उत्पादन में गिरावट आयेगी। इसमें भी कमाल यह है, श्रीमान इस अनियंत्रित पानी, जिससे बरबादी होती है, के ऊपर भी सरकार सिंचाई की रेट वसूल करती है। सन 1952 के बाद जो नया काम हुआ है जैसे खानवा का बांध बना हुआ है, अजान कैनाल बनी है, भरतपुर फीडर बनी है, श्रीमान् सिंचाई केवल उस वक्त चार्ज की जाय जब खेती की बुवाई के बाद पानी की आवश्यकता हो और पानी दिया जाये लेकिन यह पानी तो फसल को बरबाद करता है. जमीन को दबाता है उसके ऊपर भी पूरी सिंचाई की दर वसूल करते हैं। श्रीमान, हिन्दुस्तान में एक दिक्कत यह है कि अधिकतर आदमी दो जुबान से बात करते हैं। दो जुबान वाला जन्तु खतरनाक होता है। मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपनी एक जुबान रखें और उस जुबान का आदर करें। जब मुख्य मंत्री विरोधी दल के नेता थे ..

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री की दो जुबान हैं क्या ?

श्री सभापति : Please donot disturb.

श्री सुरेश कुमार : मुख्य मंत्री एक जुबान रखें और उसका आदर करें। जब वे विरोधी दल के नेता थे तब 26 मई, 67 को उन्होंने एक भाषण दिया था इन्डेशन सिस्टम से खेती के बारे में। इस सिस्टम के अन्तर्गत भरतपुर के तालाब आते हैं। जो उन्होंने भाषण दिया, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री उस बात के ऊपर डटे रहें और इस बात का प्रयास करें कि किसानों से जो ज्यादा रेट सिंचाई की ली जा रही है उसको बन्द करें। श्रीमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की सरकार किसान-हितैषी सरकार है, मैं इसको मानता हूं लेकिन अगर किसानों के दुःख-दर्द को दूर नहीं किया गया तो, श्रीमान् यह किसान-हितैषी होने का ढोंग अधिक दिन तक नहीं चल सकेगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री जी से निवेदन

(श्री सुरेशकुमार)

करूंगा कि कानूनी तौर पर किसानों को जो राहत दी जा सकती है वह दें और ऐसे लोगों के गाल पर करारा तमाचा दें जो प्रोपेगण्डा करते फिरते हैं कि राजस्थान सरकार किसानों की हितैषी नहीं है....

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

श्रीमान थोड़ी सी बात भरतपुर के बारे में···

श्री सभापति : मुख्तसर कीजिये।

श्री सुरेशकुमार : तो, श्रीमान्, भरतपुर में सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण के लिये काफी रुपया दिया लेकिन मैं यह चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी सजग रहें। मुझे ऐसा लगता है कि उनका सचिवालय उनके सर पर असफलता का सेहरा बांधना चाहता है। या तो सिंचाई मंत्री को खुद को असफलता का सेहरा बांधने का शौक है और अगर नहीं है तो वे यह देखें कि उनका सचिवालय किस तरह से काम कर रहा है। मन्जूरी देरी से देते हैं, स्टाफ देर से नियुक्त करते हैं। श्रीमान् 10–15 दिन पहले भरतपुर के अन्दर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर का अपाइन्टमेंट किया गया है जब कि बहुत पहले कर देना चाहिए था।

साथ ही साथ यह भी देखें कि जिन योजनाओं के लिये पैसा सरकार ने दिया है वे योजनाएं पूरी हो रही हैं या नहीं या थोड़ी बहुत मिट्टी फैलाकर काम किया जा रहा है। मुद्दा महत्त्वपूर्ण है, श्रीमान् आपको बता देना चाहता हूं। ललता मुढ़िया के पास जहां से बांध टूटा था और 20 हजार क्यूसेक पानी बाढ़ के रूप में आया था, क्या उस पर काम चालू हुआ ?

दूसरी योजना अजान बांध की योजना क्षमता को बढ़ाने के लिए सैंक्शन हुई, क्या उस पर काम चालू हुआ ? श्रीमान्, यह वह कैनाल है जिसके बारे में आज सुबह ही मंत्री महोदय ने बताया था कि, गुलाबी के नगले के अन्दर दो हजार एकड़ जमीन अभी भी पानी के अन्दर पड़ी हुई है। यह अजान कैनाल आज भी अधूरी पड़ी हुई है उसकी पाल से पानी सिटी फ्लड कन्ट्रोल डैम में डाला जाय और सिंचाई का प्रबंन्ध किया जावे तो इसको बचाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

तीसरा, चिकसाना बांध की क्षमता को बढ़ाने का काम शुरू नहीं हुआ है।

भरतपुर शहर को बचाने के लिए गिर्राज कैनाल को मजबूत करना निहायत जरूरी है लेकिन अभी तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।

हरियाणा की तरफ से जो पानी आकर कामां को बरबाद करता है, श्रीमान्, उसको भी बचाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। श्रीमान्, केवल साधारण तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं....

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेश कुमार : दो सुझाव देकर अपनी बात खतम कर दूंगा।

श्रीमान्, यह बहुत आवश्यक है भरतपुर को बचाने के लिए कि मथुरा रोड से बाई पास मोतीझील के ऊपर होकर कुम्हेर हैड में मिला दी जाय तो भरतपुर का बड़ा कल्याण होगा और बार-बार आपको रुपया खर्च नहीं

(श्री सुरेशकुमार)

करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेवर से एम्यूनेशन डिपो जाने वाली सड़क को चार फीट ऊंचा उठा कर मजबूत कर दिया जावे तो आप इत्मिनान रखिये कि भरतपुर में पानी नहीं आएगा। दूसरी चीज मैंने आपसे निवेदन की है उन पर भी ध्यान दें।

अब मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि हिन्दुस्तान में टैंडर की जो पद्धति है वह बड़ी दोषपूर्ण है। यह या तो जानबूझ कर होता है या नासमझी के कारण कि ठेकेदार रेट नीची ले जाते हैं और फिर अपना नुकसान बचाने के लिए राज्य का नुकसान करते हैं और व्यर्थ में अफसरों पर दोष मंढ़ते हैं कि अफसर भ्रष्टाचारी हैं, अफसर काम नहीं करते हैं। श्रीमान्, जापान में जो सिस्टम है....

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। मैं आपको बता दूं कि डबल टाइम आप ले चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार : टैंडर की बात को कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : आप आधा मिनट में खतम कर दें।

श्री सुरेशकुमार : श्रीमान्, जापान में जो सिस्टम है वह यह है कि जितने भी टेण्डर आते हैं उनमें सबसे ऊंचा और सबसे नीचा जो टेण्डर होता है उसको तो हटा देते हैं और बाकी बीच के जितने टेण्डर रह जाते हैं उनका एवरेज रेट निकाल कर जो भी टैंण्डर सबसे करीब का होता है, उसको ठेका दे दिया जाता है। इससे सही रेट आती है और सही काम होता है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह का प्रगतिशील कदम उठायें और जो दकियानूसी तौर तरीका है, अभी जो शोचनीय टेण्डर पद्धति है उसमें आप फेर बदल करें। आपमें कुछ करने की कुव्वत है तो आप इस पर सोचें और विचारें ताकि आपको श्रेय मिले। इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजी राम बुरडक!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रणजीतसिंह राठौड़!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नाथूलालजी!

श्री नाथूलाल (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव सिंचाई सम्बन्धी है। हमारा देश, हमारा राजस्थान वर्षा पर निर्भर है। कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि होती है इस कारण हमारा राजस्थान अकाल का शिकार होता है और सरकार भी अकाल की शिकार होती है। इस अकाल से मुक्ति लेने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आकाश को बांधो। मेरा मतलब है कि बड़े बड़े बांध या छोटे छोटे नाले बांधो। पाताल खोलने का मतलब है, कुए खोद कर जमीन से पानी निकाला जाय। जब काश्तकार को हर खेत में पूरा पानी मिलेगा तभी हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ सकता है और हमारा देश ऊंचा उठा सकता है। मेरा आपसे यही

(श्री नाथूलाल)

निवेदन है कि जहां पर छोटे-छोटे नाले हों उन नालों को छोटे-छोटे बांधों के रूप में बांध दिया जावे। जहां पर एनीकट की स्थिति है, वहां एनीकट बना दिया जावे। हमारी सरकार सिंचाई की योजना लागू कर दे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में अवश्य ही दुष्काल से हमें मुक्ति मिल सकती है।

अब मैं जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल की ओर माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में पीपलखूंट पंचायत समिति का इलाका वर्षों से पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं। उनका मुख्य धन्धा खेती का है, वहां पर कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जावे। वहां पर जो एक नदी जाती है जिसको एराब नदी के नाम से पुकारते हैं उस पर एनीकट बना दिया जावे तो काश्तकारों की जो असिंचित भूमि है वह सिंचित हो सकती है और काश्तकारों को लाभ हो सकता है।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि घाटोल तहसील में पंचायत समिति के द्वारा कुछ तालाब बनाने के कार्य किए गए हैं और कुछ काम सिंचाई विभाग की स्कीमों के द्वारा किए गए हैं। उनमें से जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको आप अवश्य ध्यान देकर पूर्ण करने की कृपा करें।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि खेरवा खेड़ीपाड़ा के एक नये तालाब के लिए भूतपूर्व सरकार को बार-बार निवेदन किया था लेकिन पिछली सरकार ने उस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया सो नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार उस तालाब को खेरवा खेड़ीपाड़ा नाम के तालाब से नया बांध बांध दे तो वहां की हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है और लोगों को लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय ने घण्टी बजा दी है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। समय के अभाव को देखते हुए माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान घाटोल की ओर आकर्षित करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

धन्यवाद !

श्री सभापति : माननीय श्री अयूब खां

श्री अयूब खां (तिजारा) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंचाई में हमारे राजस्थान में एक तो बहुत बड़ी चीज बरसात है। राजस्थान पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ों पर जब अधिक वर्षा होती है तो पहाड़ के आसपास की जमीन कट जाती है। पहाड़ों से पानी चलता है उससे जमीन कट फट कर नाले निकलते हैं और इन नालों से सड़कें हैं वे तबाह हो जाती हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे नाले जो पहाड़ों से निकलते हों, उन के ऊपर छोटे-छोटे बांध बांधे जायें। मिसाल के तौर पर मेरे क्षेत्र तिजारा, जो कि पहाड़ी एरिया है, में बहुत सारे नाले निकलते हैं। कुछ नालों पर बांध है। पिछले साल अधिक वर्षा होने के कारण वे सारे बांध टूट गये

(श्री अयूब खां)

और उनका पानी साबी नदी में जाकर गिरा। साबी नदी में बाढ़ आई। श्रीमान् मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यदि आप बाढ़ को रोकना चाहते है, सड़कों पर पुल बनाना चाहते हैं और पानी का वाटर लेवल ऊंचा लाना चाहते हैं, जमीन के कटाव को रोकना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों पर, ऐसे नालों पर आप बांध कम से कम बंधवाइये और सिंचाई को विशेष महत्व दीजिए।

मेरे क्षेत्र में नींबाहेड़ी, खिदरपुर-गुवालदा, ये स्थान ऐसे हैं जिन पर बांध का होना जरूरी है। इन स्थानों के आप पास जो बांध पड़ते हैं पिछले साल ये बांध इसलिए टूट गये थे कि उनमें पानी अधिक आया था।

अन्त में एक बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयरोली का बांध बंध रहा है लेकिन वह इसलिए रुक गया है कि सरकार से उसकी मन्जूरी नहीं थी। मेरा निवेदन है कि सरकार उसकी मन्जूरी दे ताकि वह बांध बंध जाए। इसका विशेष महत्व यह है कि इस बांध का पानी हरियाणा से आता है और वह कामां क्षेत्र में फ्लड का कारण बनता है। इस बांध के बंधने से कामां में इतना फ्लड नहीं आएगा।

जयहिन्द !

श्री सभापति : श्री बहादुरसिंह !

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का बांसवाड़ा जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिला राजस्थान का दक्षिणी भाग है। यह पूरा आदिवासी एरिया है और यहां पर आदिवासी किसान रहते हैं। 80–85 प्रतिशत किसान हैं। इस ओर आप सब का ध्यान गया होगा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री बांसवाड़ा के थे इसलिए बांसवाड़ा में कुछ काम हुआ होगा, भला हुआ होगा। परन्तु आज आप स्वयं वहां पर पधार कर देखेंगे तो उस क्षेत्र में जैसी स्थिति बीस साल पहले थी, आज भी वैसी की वैसी है। सिंचाई के साधनों की दृष्टि से दानपुर शहर कितना पिछड़ा हुआ है यह उसको देखने से ही पता लग सकता है। पिछली सरकार ने नौ तालाबों पर काम खोले थे वह लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खोले गये थे। मैंने वर्तमान सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री जी को इन तालाबों के सम्बन्ध में दरख्वास्त पेश की थी। उन्होंने बहुत मेहरबानी कर के एक तालाब को मन्जूर किया। बाकी सब तालाब अधूरे हैं एक-एक तालाब पर तीन लाख, ढाई लाख रुपया खर्च किया गया। तो इन तालाबों की दुरुस्ती से इस क्षेत्र का भला हो सकता है। महेशपुरा, नलदा, घरवानामछार, बारीगामा, घोडी तेजपुर, फेफर, देवगढ, कमलिपाड़ा, रजिया दानपुर, ये नौ तालाब अधूरे पड़े हुए हैं। मैं समय के अभाव में आपको पूरे बांसवाड़ा जिले की स्थिति नहीं बता सकता। मेरे क्षेत्र, दानपुर क्षेत्र में माही बजाजसागर बांध बन रहा है। इस दानपुर क्षेत्र को डुबो कर, वहां के किसानों को डुबो करके गुजरात को पानी मिलेगा या बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील और घाटोल तहसील के आधे भाग को पानी मिलेगा। दानपुर क्षेत्र डूब रहा है वहां के लोगों को बसाने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। वहां के किसान गरीब हैं। उनको अभी तक खेती के लिए जमीन नहीं दी गई है, मकान बनाने के लिए कोई भूमि नहीं

(श्री बहादुरसिंह)

नहीं दी गई है। ऐसी सूरत में मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के डूबने वाले लोगों के लिए सरकार जल्दी से जल्दी रहने की व्यवस्था करे, उनके लिए खेती की व्यवस्था की जाए ताकि उन को सहारा मिल सके। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माही डेम काफी बड़ा प्रोजेक्ट है परन्तु जनता सरकार ने आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। 18 साल के लगभग होने जा रहे हैं। 26 करोड़ रुपये की लागत से यह बनने वाला था, आज 96 करोड़ के लगभग इसकी लागत पहुंच गई है। ऐसा लगता है खेत की रखवाली भैंस को दे दी गई है। भैंस खेत की रखवाली क्या करेगी उल्टी भैंस खेत को ही खा जाएगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री महोदय हमारे क्षेत्र दानपुर को ध्यान में रखते हुए जो तालाब मैंने बताये हैं, उनको जल्दी से जल्दी मन्जूरी देकर उस क्षेत्र का भला करें।

श्री सभापति : मेजर श्री फतहसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल बरवड़ !

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र नागौर जिले में परबतसर तहसील की ओर मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, नागौर जिले में परवतसर एक ऐसी तहसील है जहां पर काफी तादाद में पहाड़ हैं क्योंकि अजमेर के पास जो पुष्कर है, उससे जुड़ी हुई यह तहसील है। इस तहसील के अन्दर पिछली सरकार ने लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे बांध बांधे थे। उनसे हमारे यहां के किसानों की हालत सुधरी थी। जब छोटे-छोटे बांध नहीं थे उस वक्त यहां के कुओं में पानी गहरा था। बांध बन्ध जाने से कुओं का पानी का स्तर ऊंचा आया है और किसानों ने बिजली लगाकर काफी सिंचाई के साधन जुटाए हैं।

अब मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां दो साल पहले जो अकाल पड़ा था उस अकाल के समय काफी बांध फेमिन में बांधे गये थे। वे बांध आज भी अधूरे पड़े हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो अधूरे बांध हैं जिन पर लाखों रुपया सरकार का लग चुका है, उन बांधों को आप पूरा करावें। इससे जहां मजदूरों को एम्पलायमेंट मिलेगा, वहां हमारे यहां पर सिंचाई होगी और कुओं में जो पानी गहरा है, वह भी ऊंचा होगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इन कामों को, बांधों के कामों को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।

दूसरा निवेदन भू-संरक्षण के सम्बन्ध में है। हमारे इलाके के अन्दर रघुनाथपुरा गांव है। इस गांव में गन्ने की खेती होती है। नागौर जिले में एक यही ऐसी जगह है जहां पर गन्ने की खेती होती है ओर सब्जियां होती हैं। वहां पर जो पहाड़ हैं, वह पुष्कर के पास हैं। पहाड़ से मिट्टी बहकर इस ग्राम के खेतों में आती है और वह जमीन को खराब कर देती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर भू-संरक्षण का काम किया जाये। इसके अलावा एक जगह और है। परबतसर तहसील में ही

(श्री जेठमल वरवड़)

रोहना गांव है जहां पर भी गेहूं की खेती होती है। वहां भी पहाड़ से जमीन कट कर मिट्टी आती है और किसानों की जमीन पर 5-5 फीट मिट्टी चढ़ जाती है। वहां पर भी भूमि के कटाव को रोकना जरूरी हो गया है। इसलिये वहां पर बांध बनाया जाए। सभापति महोदय, मेरा आपके जरिए मंत्री महोदय को निवेदन है कि वे इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें। इसके अलावा हमारे इलाके के अन्दर और भी कई जगहों का सर्वे हो चुका है। इस सर्वे के आधार पर सरकार जो बांध बांध सकती है, उन बांधों को सरकार को पूरा करना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय मन्त्री जी, आपका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नागौर जिले में पिछली सरकार ने राजस्थान नहर का पानी लिफ्ट द्वारा नागौर के ग्रामों में देने की जो योजना स्वीकार की थी, उसको सरकार अब नहीं करना चाहती है। यह उचित नहीं है। हमें जानकारी मिली है कि सरकार यह कहकर इस योजना को काट रही है कि यह योजना महंगी है। यह योजना महंगी हो सकती है परन्तु नागौर जिले की जमीन ज्यादा उपजाऊ व समतल है इसलिए योजना पूरी की जाय, वहां पर अकाल हमेशा रहता है इसलिए उस भूमि को उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है। आशा है आप हमारा सुझाव स्वीकार करेंगे तथा नागौर जिले में राजस्थान नहर का पानी नागौर और जायस तहसील के ग्रामों को दिया जायगा।

श्री सभापति : श्री इन्द्रसिंह शेखावत !

श्री इन्द्रसिंह शेखावत (गुढ़ा): सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर उनकी ओर सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तहसील उदयपुर वाटी में खेतड़ी प्रोजेक्ट की पानी की योजना के लिए कुए बना दिये गये हैं। इसके कारण वहां के कुओं का पानी काफी गहरा हो गया है और काश्तकारों के कुए दिनों दिन बरबाद होते जा रहे हैं। उनको बरबाद होने से रोकने के लिए सरकार कोई बांध बना सकती है। एक छोटा बांध है जिसका पहले सर्वे हो चुका है उसे पिछली सरकार ने हाथ में नहीं लिया था और इस सरकार ने भी नहीं लिया है। उससे जमीन का बहुत बड़ा एरिया बरबाद हो गया है। यह जिले का ऐसा भाग है जहां पर आए साल अकाल पड़ता है। जिले का काफी हिस्सा अकाल से पीड़ित है। ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की तरफ से रोक लगा दी गई है कि वहां कोई काश्तकार कुए नहीं बना सकता है। कुएं बनाए पर वहां पर जो छोटे छोटे बांधों की स्कीम है, वह पूरी कराई जाये तभी वह इलाका हरा भरा हो सकता है नहीं तो वह इलाका रेगिस्तान में परिवर्तित हो जायगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा अकाल राहत में अधूरी पड़ी सड़कों और बांधों को पूरा कराया जाये तभी उस इलाके का भविष्य उज्जवल होगा वरना बरबाद हो जायगा। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि इसको पूरा ध्यान देकर पूरा करावें।

श्री सभापति : श्री जगतारसिंह !

श्री जगतारसिंह (करनपुर): माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। श्रीमान्, सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान गंगानगर जिले की

(श्री जगतार सिंह)

गंग नहर की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि आज से 30-40 साल पहले बनी है। उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। जो पानी देना चाहिए था, वह भी नहीं दे रही है। जब सफाई के लिये बन्द की जाती है तो नहर की क्षमता कितनी हो सकती है। जगह जगह टूटी-फूटी होने से अपनी केपिसिटी के मुताबिक पानी नहीं ले सकती है। शुरू के समय नहर टूट गई थी जिससे बहुत नुकसान हुआ था। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह नहर महत्व की है। अगर बदकिस्मती से नहर टूट जाती है तो गंगानगर के किसान की खेती का नुकसान तो होगा ही, लोग पीने के पानी के लिये तरसेंगे। यह नहर पंजाब के एरिया से आती है। पैसा राजस्थान का होता है। और नहर की रिपेयर पंजाब के द्वारा होती है जो कि सही नहीं हो पाती है। अतः राजस्थान का पैसा राजस्थान के इंजीनियरों के द्वारा ही लगना चाहिए। नहर योजना के लिए सरकार ने अपने बजट में प्रावधान रखा है अगर नहर बन्द हो जाये तो क्या इस इलाके को पानी दे सकेंगे? इसलिए मेरा, मान्यवर, यह सुझाव है कि इसके पेरेलल दूसरी नहर बनाई जाये जिससे इस इलाके को बरबाद होने से बचाया जा सके। मान्यवर, इसी के साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने और जो अभी के वर्तमान मन्त्री महोदय केदारनाथ जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी० बी० माइनर को राजस्थान कैनाल से लिंक कर दिया जायेगा। पता नहीं सरकार या इरिगेशन वाले गंग कैनाल को राजस्थान कैनाल से जोड़ने में अभी तक क्यों इंट्रेस्टेड नहीं है। मान्यवर, अगर इसको जोड़ दिया जायगा तो पानी की इन्टेंसिटी बढ़ेगी और उससे काफी एरिया सिंचित हो जाएगा।

इसके साथ साथ गंग कैनाल एरिया में ट्यूब वेल लगे हुए हैं उनके द्वारा सिंचाई की जाती है। वहां पर इरिगेशन वाले नहरी रेट से चार्ज करते हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

जो नहीं करनी चाहिए बल्कि आबियाना ही नहीं लगाना चाहिए।

इसके साथ-साथ यह जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, यह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसका चारों तरफ फैलाव बढ़ रहा है और इसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रीमान् जी, इन कर्मचारियों को उनकी सीनियोरिटी के मुताबिक प्रमोशन नहीं दिया जाता है। कई साल तक एडहॉक बेसिस पर ही रखा जाता है जब कि उनके अगेंस्ट में परमानेन्ट पोस्ट खाली पड़ी रहती है। तीन-चार साल तक उनको एडहॉक बेसिस पर ही रखा जाता है।

(समय-समाप्ति–सूचक घन्टी)

मान्यवर, एक मिनट।

मान्यवर, उन लोगों को तीन, चार, और पांच-पांच साल तक एडहॉक बेसिस पर रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं किया जाये। हमारे जो इन्जीनियर साहब हैं, उनको परमानेन्ट पोस्ट के अगेन्स्ट में एडहॉक बेसिस पर रखने से उनमें जो काम करने की अफीसियेन्सी है, उसमें कमी आती है। मैं सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित

(श्री जगतारसिंह)

करता हूं गंग कैनाल के बारे में मैं पुनः निवेदन करूंगा, गंग कैनाल के पेरेलल नहर बनायें।

श्री सभापति : माननीय श्री माणकचन्द सुराणा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मूलचन्द डागा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अजीतसिंहजी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरचन्दसिंहजी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री खेतसिंहजी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गंगारामजी चौधरी !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री परसरामजी मदेरणा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, उदयपुर खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भण्डार है, उसकी सारी प्रगति और उसका भविष्य जल की पूर्ति के ऊपर निर्भर रहने वाला है। श्रीमन्, जब हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर वहां पर प्रारम्भ किया गया था तो उसके पीछे यही कारण था कि वहां पर पानी उपलब्ध होगा। जयसमन्द से झामर कोटड़ा के लिए, चाहे जिंक स्मेल्टर के लिए पानी लाने की योजना सोची जा रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयसमन्द से पानी लाने के लिए परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदयपुर में देवास द्वितीय योजना प्रथम चरण तक तैयार है। जो पानी साबरमती में जाकर समुद्र में मिलने वाला है उसको रोक कर उदयपुर की तरफ डाइवर्ट करने की योजना पहले बन चुकी है। उसका एक चरण पूरा हो चुका है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यदि उसका दूसरा चरण पूरा हो जाय तो सारा पानी उदयपुर की तरफ डाइवर्ट हो जायगा जिससे उदयपुर को पानी की परिपूर्ति हो जायगी और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना उदयपुर की जान है और उदयपुर का भविष्य इस पर आधारित है, फिर भी वह पूरी नहीं की गई है।

उदयपुर में पानी की कमी भयंकर रूप से चल रही है। उदयपुर आने वाले 10 सालों में तबाह हो जायेगा। वहां पर जो तालाब हैं उनकी गहराई 13 फीट रह गई है जब कि वे 25 फीट गहरे थे आने वाले 10 वर्षों में उनकी गहराई 8 10 फीट ही रह जायगी। इसलिए इस योजना को हाथ में लिया जाय।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बान्ध है उसको हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर ने बनाने के लिए सिंचाई विभाग को निवेदन किया था।

Page No. 210

(210)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सिंचाई विभाग ने उसको लिया, लेकिन उसका पानी नहीं मिलने के कारण हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर ने सिंचाई विभाग से वापस ले लिया। सन् 1969 में हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर ने यह काम सिंचाई विभाग को सौंपा था। विभाग को इसे प्रारम्भ करने से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी की सैंक्शन लेनी चाहिए थी लेकिन वह सैंक्शन नहीं ली। इतना ही नहीं, मिट्टी, पत्थर, रेत और सीमेंट का साइट अकाउन्ट नहीं रखा गया है। रिकार्ड के अनुपात से वह माल वहां पर नहीं लगा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी वह बांध वहां पर बना हुआ है। उस बांध की जांच करायें। जो कुछ भी मिट्टी, पत्थर, रेत और सीमेंट पर पैसा उठाया गया है उसका आधा माल भी उसमें नहीं लगा है। श्रीमन्, मेरा यह चार्ज है कि आधा पैसा मिट्टी वगैरह का फोकट में उस समय जो इन्जीनियर थे उन्होंने उठाया है। उसके बाद उसकी जांच के लिए हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर ने सिंचाई विभाग को कहा, लेकिन उनके बड़े भाई चीफ इन्जीनियर होने के कारण सारे केस को रफा-दफा कर दिया गया। उसकी टालमटोल करके सारा झूठा रिकार्ड बनाया गया। वह बान्ध उसी जगह खड़ा हुआ है और जितना उसके संबंध में पेमेन्ट किया गया है वह भी आपके सामने है। दोनों को आप देखेंगे तो आपको निश्चित् रूप से पता लग जायगा कि कितना घोटाला हुआ है।

श्रीमन्, जाखम बांध आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। जाखम बान्ध में भारी अनियमितताएं हुई हैं लेकिन समय के अभाव के कारण उन सब का वर्णन करना संभव नहीं होगा। आप देखिये वहां पर किस ढंग से टेण्डर लिये जाते हैं? श्रीमन्, 1973 में श्री के० एल० हाण्डा ने अपना एक टेन्डर दिया था। वह उन्होंने 39 पर्सेन्ट अबव पर दिया था, लेकिन उनका यह टेण्डर यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि यह टेन्डर अबव रेट है। इसके पश्चात् 1972-1974 में बी०एस०आर० रिवाइज किये गये। रिवाइज्ड बी० एस० आर० के कारण रेट्स बढ़ गई। इसके पश्चात् पुनः टेन्डर काल किये। श्रीमन्, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि 120 प्रतिशत अबोव का टेन्डर स्वीकार किया गया। इसका मतलब यह निश्चित् रूप से है कि केवल 39 पर्सेन्ट अबव का टेन्डर दिया गया तो उसको यह काम नहीं दिया गया। वह जानते थे कि जितनी उनकी ख्वाहिशें है वह उससे पूरी नहीं होंगी। उसमें डिले की गई और उसको कैन्सिल किया गया।

श्रीमन्, एक वहां पर वन के ठेकेदार हैं श्री नूरमोहम्मद। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसने कभी भी इरिगेशन की ठेकेदारी का काम नहीं किया, जिसको इरिगेशन की ठेकेदारी का एक्सपीरियन्स नहीं है, उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा ठेका जाखम बान्ध का दिया गया। उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, श्रीमन् गुलाबसिंहजी शक्तावत उस समय के गृह राज्य मंत्री के कारण एक लकड़ी काटने वाले ठेकेदार को लाखों रुपयों का ठेका दिया। यह सारा इस कारण से हुआ कि इसमें सारे आफिसर और उस समय के मंत्री महोदय की मिली भगत होने के कारण इस प्रकार का टेन्डर दिया गया। श्रीमन्, उससे डेम की साइट सड़क बनवाई गई तो उसका 161 प्रतिशत अबव पर टेन्डर लिया। उसके पहले जो बी० एस० आर० की रेट है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उस पर गवर्नमेंट ने स्वयं ने बनाया लेकिन नूर मोहम्मद को 120 प्रतिशत अबव पर यह ठेका दिया गया।

श्रीमन्, इतना ही नहीं, बान्ध के दायीं तरफ और बायीं तरफ जो ओवरहैड टैंक्स बनाये गये हैं तो उनमें से राइट साइड का टैंक विभाग ने 1974 की बी० एस० आर० की दरों से बनाया और जो राइट साइड का टैंक बना है वह बी० एस० आर की रेट में 95 प्रतिशत अबव पर बनाया गया है इसी ठेकेदार द्वारा। तो यह सारी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि टेन्डर कैसे दिये गये? टेन्डर देने से पहले साजिश होती है कि इसको टेन्डर देना है तो किस तरह से देना है। एक ही आदमी तीन-तीन ठेकेदारों के लैटर पेड ले जाता है और उसी आधार पर तय कर लेते हैं। पता नहीं किस ढंग से एडजस्टमेंट होता है?

श्रीमन्, यही नहीं एक बहुत बड़ा घोटाला और किया गया है। लेफ्ट साइड पर रूट बना जिसकी कटिंग का ठेका दिया गया। वहां पर राइट साइड से जो मिट्टी व पत्थर नीचे गिरते जा रहे थे उनको ही वापस उठाकर इकट्ठा करने का ठेका 195 प्रतिशत अबव पर दिया गया। एक ओर तो लेफ्ट सड़क काटी जा रही हैं और सड़क पर से जो चट्टाने कट रही हैं और गिरकर नीचे आ रही है उन को कलेक्ट करके फिर से उसमें लगाना है तो इसको 195 प्रतिशत अबव पर ठेका दिया गया है। यह सारी बातें सिद्ध करती हैं कि सारे लोगों की मिलीभगत है और लाखों, करोड़ों रुपयों के गबन और घोटाले किये जा रहे हैं। खास तौर से मेरा चार्ज है इन सब बातों की जांच करायें कि टेन्डर किन-किन लोगों को किस-किस समय दिये गये। जिन्होंने लोअर रेट के टेन्डर दिये उनके टेन्डर अस्वीकार किये गये और बढ़ी हुई रेट्स के टेन्डर के लिए 4-4 बार टेन्डर काल किये गये। जिन लोगों को टेन्डर दिये जाते हैं उनसे टेन्डर उसी समय ले लिया जाता है और काम प्रारम्भ कर दिया जाता है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में इतनी बड़ी सम्पत्ति इस देश की, इस राज्य की और जनता की वहां पर लग रही है लेकिन कुछ लोगों के कारण उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो जिन्होंने यहां पर काम किया है आचार्य जी हों, चाहे माथुर साहब हों उनकी संपत्ति का रिकार्ड मंगा लीजिये, जब्त कर लीजिये और जांच कर लीजिये उनके यहां एक-एक सोफा सेट ढाई-ढाई, तीन-तीन हजार का है। वह सारा सामान इतनी सी तनख्वाह पाने वाला कहां से ला सकता है। इससे सारा आपको सिद्ध हो जायगा। चुनावों के दिनों में सतारूढ़ पार्टी को 20-20 लाख का चन्दा दिया गया है और जाखम से लाखों रुपयों का चन्दा दिया जाता रहा है। तो एक तरह से अधिक रेट पर टेन्डर लेकर ठेकेदारों से मिलकर उनसे पैसा लेकर यह सारी साठ-गांठ चल रही है।

हमारे आचार्यजी के वहां से चले जाने के बाद जो टेन्डर हुए वह लो रेट पर हुए हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई घपला था। 1978 में जो टेन्डर मांगे गये वह 60 पर्सेन्ट अबव में आये जब कि उसके पहले

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

16। 120 और 150 प्रतिशत अबव रेट पर हुए हैं जब कि महँगाई बढ़ रही है। श्रीमन्, मेरा चार्ज है कि इन्जीनियरों के जाने के बाद जो ठेके हुए हैं वह 60 से 90 प्रतिशत अबव तक हुए हैं। यह इस बात को सिद्ध करता है कि टेन्डर देने में भयंकर अनियमितताएं की गई हैं इनकी जांच की जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याणसिंह सांखला !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ओंकारलाल चौहान !

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय सभापति, मैं संक्षेप में ही अपनी बात को कहना चाहूंगा। मेरे एक तारांकित प्रश्न का जो जवाब आया है, गोरगढ़ बांध, जो परवन नदी पर है कोटा जिले में, के सम्बन्ध में जो जवाब प्राप्त हुआ है उससे पता लगता है कि उसकी पक्की दीवार ठीक नहीं होने से यह जाहिर होता है कि कोई तकनीकी कमी है जिसकी वजह से सन् 65 से अब तक एक लाख रुपया खर्चा हो चुका है लेकिन वह अभी तक ठीक नहीं हो सकी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके नीचे 26 गांव आते हैं। सबसे बड़ी बात देखने में यह आई है कि जो 26 गांव टेल पर आते हैं उनके अन्दर पानी नहीं पहुंच पाता है। यह अन्दाजा इससे लग जाता है कि जितनी भूमि में उससे सिंचाई होनी चाहिये, जितना अधिक उत्पादन होना चाहिये वह नहीं हो पाता है और सही स्थिति मालूम नहीं होती है। इसीलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी दीवार ठीक होनी चाहिए। आखिर ऐसी कौनसी खामी है जिसकी वजह से वह ठीक नहीं होती है। मन्त्री महोदय इसकी जांच करवाने की कृपा करें। चीफ इन्जीनियर और तकनीकी अधिकारियों को साथ ले जाय और यह मालूम करें कि इसका क्या कारण है।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई का एक ऐसा महकमा है जिसके ऊपर हमारे प्रदेश का विकास आधारित है। सड़कों और सिंचाई के जरिये ही हमारे प्रदेश का विकास संभव है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके के अन्दर पांच छोटी-छोटी सारन है, इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट के जरिये सर्वे कराया जाना चाहिये। इरिगेशन डिपार्टमेंट इनको अपने अण्डर में लेकर इनकी गहराई को सफाई कराये तो ये सिंचाई के काम में आ सकती हैं।

इसी के साथ-साथ माननीय सभापतिजी, इस प्रगति रिपोर्ट के अन्दर पढ़ने को जो मिला वह काफी आशाप्रद है। 77-78 के साल में प्रगति हुई भी है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जब हमारी निगाह आदिवासी क्षेत्रों की योजनाओं के ऊपर जाती है। तो उसके अन्दर 42 कार्य रखे गये हैं इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने कार्य अभी पूरे हो गये हैं और कितनी प्रगति हुई है। कितनी भूमि में सिंचाई हो सकेगी, यह इसमें नहीं लिखा गया है। तीन साल में कितनी योजना पूरी हुई और उनके माध्यम से कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी ?

(श्री औंकारलाल चौहान)

इसी के साथ-साथ करप्शन की बात भी कही गई। समझ में नहीं आता कि करप्शन है भी या नहीं, है तो किस प्रकार का है? जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो दो नुकसान सामने आ जाते हैं, पहला तो यह नुकसान है कि ऑफिसरों का मोरल डाउन होता है, जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं उनका मोरल डाउन होता है और जो लगन से काम करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय इसको देखें और वास्तव में भ्रष्टाचार है तो ऐसे केसेज को पकड़कर उनकी इन्क्वायरी करायें तथा दोषी अधिकारियों को दण्ड दें। ऐसा नहीं हो कि कोई छोटा सा रेफरेन्स आ जाय और उसी पर कार्यवाही शुरू हो जाय। उससे कोई लाभ नहीं होगा। इस ओर कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार की जड को पकड़ना है तो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको सजा देनी है।

इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात को भी देखें कि खामियां हमारी कहां हैं योजनायें बनती हैं, उनमें दोष कहां पर है, इसको देखना चाहिए और उस दोष को मिटाना चाहिए। योजनायें बनती है, लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होती तो योजनाएं आगे बढ़ती हैं उन पर हर साल काफी पैसा लगता है, समय लगता है फिर भी ढिलाई रह जाती है। राजस्थान नहर में पैसा लग रहा है, लेकिन वह अभी पूरी नहीं हुई है। इसको सेन्टर क्यों नहीं अपने हाथ में ले जिससे युद्धस्तर पर काम हो और अधिक से अधिक उपलब्धि हो सके इन चन्द सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री नवरंगसिह!

श्री नवरंगसिह (नवलगढ): सभापति महोदय, इस बजट में 69.08 करोड़ रुपया रखा गया है जिसमें से केवल 14.43 करोड़ रुपया छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये रखा गया है जो सारे पैसे का केवल साढ़े सतरह प्रतिशत के करीब बैठता है। मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक लम्बा-चौड़ा प्रदेश है राजस्थान का अधिकतर इलाका रेगिस्तानी इलाका है। उसमें छोटी सिंचाई के साधन ही अधिक लाभदायक हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि योजनाएं छोटी हों और जितनी भी सिंचाई योजनाएं हैं उन पर बड़ी योजनाओं के बजाय ज्यादा पैसा रखा जाय तो किसानों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है और सिंचाई की इस प्रदेश में जो कमी है उसको छोटे कुओं और तालाबों के जरिए पूरा किया जा सकता है।

दूसरा, सभापति महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं, नवलगढ और खेतड़ी का इलाका पहाड़ी इलाका है। इस इलाके से काफी नदियां निकलती हैं, उदयपुरवाटी से एक नदी निकलती है, वह परसरामपुरा होती हुई नवलगढ़ होती हुई मुकन्दगढ़ और दूसरे गांवों को बरबाद करती है। मैंने पहले भी इस सदन में मांग की थी और आज भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस नदी के पानी को परसरामपुरा में बांध के जरिये रोका जाय तो आस पास के इलाके में काफी सिंचाई हो सकती है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है,, यह कहनी है कि खास कर झुंझुनूं, चुरू, सीकर और

(श्री नवरंगसिंह)

अन्य रेगिस्तानी जिले हैं उनमें सिंचाई के कोई उपयुक्त साधन नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा से तेजानाला होती हुई जवाहरलाल नेहरू नहर को झुंझनूं, सीकर और चुरू जिलों में लाया जा सकता है कुछ योजना पूर्व सरकार की थी, अब मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करके वह नहर झुंझनूं, सीकर और चुरू तक पहुंचाई जाय।

एक मुझे यह सुझाव देना है कि कृषि उपज मण्डियों का 12 करोड़ रुपया आता है, जो एक पर्सेन्ट वसूली की जाती है, वह सड़कों पर खर्च किया जाता है। मैं आपके जरिये, सभापति महोदय, यह राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पैसे को कुओं और तालाबों पर खर्च किया जाय तो छोटी-मोटी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डियों का एक प्रतिशत बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया जाय तो उन पर बहुत बड़ा भार भी नहीं होगा और राज्य सरकार को 12 करोड़ की अतिरिक्त आय भी होगी। सिंचाई योजना पर वह पैसा लगा कर सिंचाई साधनों को काफी बढाया जा सकता है।

इसी तरह से मुझे निवेदन करना है कि हैड वर्क्स पर पंजाब का नियंत्रण है। यह समस्या पहले भी सदन में आई है कि हैड वर्क्स पर सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। बिना किसी झिझक के भारत सरकार से बातचीत करके पंजाब सरकार को इस बात के लिए तैयार करें कि जिन राज्यों को पानी मिलता हैं उन सब का सामूहिक नियंत्रण हैड वर्क्स पर होना चाहिए।

लिफ्ट सिंचाई योजना को हमारी सरकार अव्यावहारिक मान रही है। इससे खास तौर से बडे इलाके, बीकानेर व दूसरे जो इलाके हैं, उनको बडी हानि होने वाली है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस कार्य को हाथ में लिया जाय। इससे काफी इलाके की सिंचाई हो सकती है।

राजस्थान नहर के बारे में मुझे निवेदन करना है कि यह बड़ी योजना है, काफी लम्बे समय से यह योजना चल रही है। पहली सरकार ने भी इसमें देरी की और ऐसा दिखाई देता है कि हमारी सरकार भी सक्रिय नहीं है। मेरा निवेदन है कि येन-केन-प्रकारेण यथासंभव इस योजना को जितना जल्दी पूरा किया जा सके उतना ज्यादा अच्छा होगा।

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनके यहां भू-जल विभाग की ओर से एक संस्था को 1974 में 1.30 लाख रुपया दिया गया, वह फर्जी संस्था है। आज तक यह संस्था न कांग्रेस सरकार और न जनता सरकार को हिसाब दे सकी है, न इसकी कोई जांच करवाई है। वह बिल्कुल फर्जी संस्था है। उस संस्था ने सरकार के पैसे से और पैसा कमाने की योजना बनाई है। जिस काम के लिए पैसा दिया गया उसमें कतई वह पैसा नहीं लगाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री काशी नाथ गुप्त !

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर): सभापति महोदय, भरतपुर जिले की भौगोलिक

(श्री काशीनाथ गुप्त)

स्थिति ऐसी है कि जिले में अगर बरसात भी न हों और जयपुर, सवाई माधोपुर, टौंक व अलवर कहीं भी वर्षा हो जाए तो भरतपुर में बाढ़ आ जाती है। भरतपुर में दो तरफ से बाढ़ आती है। एक ओर राजस्थान में वर्षा के कारण बाणगंगा व गंभीर नदी से दूसरी ओर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वर्षा के कारण गोवर्धन ड्रेन से भरतपुर में जो बाढ़ आती है उससे वहां विनाश होता है। दोनों ही बाढ़ का पानी कुम्हेर क्षेत्र को तबाह करके उत्तर प्रदेश को निकल जाता है। इस प्रकार मेरा क्षेत्र हमेशा बाढ़ से बरबाद होता है। भरतपुर जिले में 218 बांध हैं। भूतपूर्व रियासत के समय में बरसाती नदियों की स्थिति का अध्ययन करके बांधों व नहरों की ऐसी प्रणाली बनाई थी कि बरसाती नदियों का पानी सिंचाई उपयोग में आ सके और बांध को भरता हुआ नहरों के जरिए से खारी नदी में होता हुआ यमुना में निकल जाए। लेकिन आज ये सब बांध व नहर मिट्टी से भर गए हैं, सिल्ट आ गई है जिसकी वजह से पानी फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है। सब से बडी 18 मील लंबी नहर होम कैनाल है जिसकी 10-20 वर्ष से सफाई नहीं हुई है। इस नहर के भर जाने से डीग, कुम्हेर व भरतपुर में बाढ़ से भारी तबाही होती है। इस नहर को साफ करने के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष 17 लाख रुपये दिए हैं। मुझे आशंका है कि इस वर्ष भी यह हर साफ नहीं हो सकेगी मैं बार-बार सिंचाई मंत्री महोदय से कह चुका हूं कि यदि इन तीनों क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना है तो किसी भी प्रकार होम कैनाल को साफ कराया जाए। जू।तक यदि यह नहर साफ नहीं हुई तो साफ भी नहीं होने वाली है। आशा है, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी।

1975 में और 1977 में दोनों बार बाण गंगा नदी से बाढ आई। सन 1975 में मालोनी के पुल पर पानी का गेज 12 फीट था और 41 हजार क्यूसेक्स पानी आया था। सन 1977 में पानी का गेज 8 फीट 4 इंच था, पानी की आमद 21 हजार क्यूसेक्स थी। इस प्रकार पहले से आधा पानी आया लेकिन बाढ़ कई गुना बढ़ गई और कई गुणा तबाही आई, यह सब कारगुजारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की है। भरतपुर में बाढ़ का मूल कारण सिंचाई विभाग है।

अब मैं सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र की कुछ लघु सिंचाई योजनाओं की ओर आकर्षित करता हूं। भरतपुर फीडर का निर्माण सन 1960 में हुआ था उस समय राजस्थान सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो पानी अधिक होगा वह राजस्थान को दे दिया जाएगा। परन्तु गत 8 वर्ष से उत्तर प्रदेश से कोई पानी नहीं आ रहा है। उसका मूल कारण है कि उत्तर प्रदेश की नहरें करीब 100 वर्ष पूर्व बनी थीं जब फसल के लिए एक या दो बार पानी दिया जाता था। आज फसल में तीन चार बार पानी दिया जाता है और नहरों की वही क्षमता है। इसलिए हमको पानी नहीं मिल पाता है।

गोवर्धन ड्रेन का पानी भरतपुर में भारी तबाही पैदा करता है राजस्थान की सीमा से एक मील आगे उत्तर प्रदेश में गोवर्धन ड्रेन के ऊपर....

(10.09 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

(श्री काशीनाथ गुप्त)

भरतपुर फीडर नहर जा रही है वहां से पानी लिफ्ट करके भरतपुर फीडर में डाल दिया जाए, उसमें 14 लाख रुपया खर्च होगा। इससे 20 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, एक लाख मन गल्ला अधिक पैदा होगा और 8 हजार परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। राज्य सरकार को 4।। लाख रूपया प्रति वर्ष आबियाने का मिलेगा। इतनी अच्छी लाभ-दायक योजना, मैं चाहता हूं, सरकार तुरंत ही स्वीकृत करे।

इसी प्रकार दूसरी योजना है डीग स्केप वह भी गोवर्धन ड्रेन के ऊपर होकर निकलती है। यदि इस स्थान पर पंपिंग सैट्स लगाकर ड्रेन के पानी को डीग स्केप में डाल दिया जाए तो करीब 7 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

मेरे क्षेत्र की एक योजना है, ग्राम ताखा के पास गोवर्धन ड्रेन सिंचाई के लिए नहर निकाल दी जाए, तो इस क्षेत्र के आठ दस गांवों में सिंचाई हो सकेगी जिससे 15 हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी। मेरा निवेदन है कि गोवर्धन ड्रेन से पानी पम्पों द्वारा नहर में डाला जायगा। आशा है राज्य सरकार इन लघु योजनाओं पर शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता!

(अनुपस्थित)

श्री नवलराय बच्चाणी!

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष जी, 18-7-75 को अजमेर में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई उस बाढ़ से अजमेर की जनता को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ व कई लोगों की जानें गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसका सब से बड़ा कारण यह था कि अजमेर में आनासागर में काफी वर्षो से सफाई का काम नहीं हुआ। वैसे तो यह कहा जाता है कि आनासागर सोलह फीट गहरा है लेकिन सात आठ फीट उसके अन्दर मिट्टी और बजरी पड़ी हुई है। इस कारण आनासागर में सफाई कराना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बाढ़ आयी उस वक्त जो उधर वैशाली नगर बना हुआ है उसके कई बंगले पानी में डूब गये और हाउसिंग बोर्ड के कई मकान ढह गये। सन् 75 में बाढ़ आने के कारण वैशाली नगर के करीब 100 बंगले आज भी खाली पड़े हुए हैं। बाढ़ के खतरे के कारण वैशाली नगर में लोग मकान नहीं लेते हैं। सन् 75 में यह सारा इलाका पानी में डूब गया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर में एक तारागढ़ जगह है उसके पास में एक हैप्पी वैली बना हुआ है। एक बहुत ही मनोरम स्थान है। वहां पर बहुत से लोग पिकनिक करने जाते हैं। वहां भी पानी आ जाने से काफी बस्तियां, जो कच्ची बस्तियां हैं, डूब जाती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचाई मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें कि जो पानी बह कर आता है उसको रोकने के लिये बांध बना दिया जाये एक तो वहां पर बांध बन जाने से वह अतिउत्तम पर्यटन स्थान हो जायेगा दूसरे वहां

(श्री नवलराय बच्वाणी)

खेती हो सकेगी, उत्पादन बढ़ेगा और कच्ची बस्तियां जो हैं उनमें पानी भर जाने से जो नुकसान होता है वह बन्द हो जायेगा।

इसके अलावा आप वहां पर पार्क बना सकते हैं तथा आनासागर के किनारे पर कमल के बीज डाल कर कमल की खेती कर सकते हैं। इससे एक तो पर्यटन का स्थान हो जायेगा, इसके साथ-साथ कमल की डन्डी की सब्जी भी वेची जा सकती है और जो कच्ची बस्तियों को आगे जाकर खतरा होता है वह बन्द हो जायेगा।

इसी प्रकार वहां पर आगे चल कर एक तालाब है जहां पर कि शहर का मैला पानी बह कर आता है। वहां पर अभी गोभी की खेती होती है, वहां पर भी आप एक छोटा तालाब और पार्क बना कर अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं इससे एक तो कच्ची बस्तियां बरबाद होने से बचेंगी, दूसरे लोगों में जो भय है वह भी मिट जायेगा।

इसके अलावा अजमेर में एक फाई-सागर का तालाब है उसमें भी आना सागर की तरह काफी मिट्टी बजरी इकट्ठी हो गई है। उसकी भी सफाई की आवश्यकता है। वहां भी पर्यटन स्थान बन सकता है और वहां पर बांध बना कर सिंचाई की जा सकती है। अगर आप इन योजनाओं को पूरा कर देते हैं तो बार-बार अजमेर के लोगों में जो भय है बस्तियों के नष्ट होने का वह समाप्त हो जायगा और उत्पादन भी बढ़ेगा।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर श्री गंगासहाय !

(अनुपस्थित)

श्री शिवराज सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री बत्ती लाल मीणा !

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय किसान के लिये पानी सिंचाई की दृष्टि से जादू का काम करता है और उसी से हमारा भारतीय किसान खेती कर सकता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। अगर आप किसानों की समृद्धि चाहते हैं तो आप हमारे इलाके के किसानों को सिंचाई की पूर्ण सुविधायें दें। अगर आप उन्हें सिंचाई की पूर्ण सुविधायें उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है जहां की भूमि अच्छी है और लोग धनवान हैं। अगर वहां पर आप सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दें तो वहां काफी विकास हो सकेगा और वहां का उत्पादन भी बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम ही है कि भरतपुर जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण सम्पूर्ण इलाका बरबाद हो जाता है। भरतपुर में जो बाढ़ आती है उससे हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है साथ में वहां के लोगों की जानमाल का भी खतरा होता है। इसलिये बाढ़ को रोके जाने के लिये राज्य सरकार का ध्यान सदन के सभी सदस्यों ने बार-बार आकर्षित किया है वहां बाढ़ आने के प्रमुख कारण दो हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो वहां पर बाण गंगा की बाढ़ आती है और दूसरी गम्भीरी नदी

(श्री वत्तीलाल मीणा)

हैं उसमें बाढ़ आती है इससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। अगर राज्य सरकार गम्भीरी नदी पर पांचना बान्ध बना दे और बाण गंगा पर हरसोली बान्ध बना दे तो हर साल जो बाढ़ आती है उसका हमेशा के लिये खात्मा हो सकता है और हर साल जो करोड़ों रुपये का नुकसान होता है वह समाप्त हो सकता है तथा साथ में उत्पादन भी बढ़ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीरी नदी पर पाचना बान्ध के लिय सारी फोर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थीं, पहले यह योजना 1.27 लाख की बनी थी वह बढ़ते-बढ़ने इतने वर्षों में 3.57 लाख रुपये की हो गई है। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, पाचना बान्ध और हरसोली बान्ध को पूरा कर दिया जाय तो भरतपुर जिले की 20 लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है और आज जो बाढ़ के कारण इलाका बरबाद हो जाता है वह इलाका कुछ ही समय में हरा भरा और वैभवशाली हो सकता है। इसलिये मेरा सिंचाई मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई योजनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करायी जावें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पहले सिंचाई मंत्री जी वहां पर गये भी हैं उन्हें पूरी स्थिति का ज्ञान भी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह इन पाचना और हरसोली बान्ध को निश्चित रूप से पूरा करा कर भरतपुर में आने वाली बाढ़ की विभीषिका को रोकेंगे और वे बान्ध जल्दी ही तैयार हो जायेंगे।

श्री सभापति: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यप्रकाश !

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका राजस्थान में एक ऐसा इलाका है जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोम नदी पर कागदर ग्राम के समीप बान्ध बनाने के बारे में कटौती प्रस्ताव भी दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो सिंचाई विभाग की प्रगति विवरण पुस्तिका है उसके पेज नम्बर 21 में दिया है कि सोम कागदर परियोजना के अन्तर्गत सोम नदी पर कागदर ग्राम के समीप बान्ध निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। योजना आयोग ने सन् 1975 में 348.36 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। इस योजना के पूर्ण होने पर डूंगरपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील के पिछड़े हुए लोगों का विकास हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजाना जो बनायी गयी है यह ट्राइबल एरिया का विकास करने के लिये बनायी गई है। पिछली सरकार ने जो योजना बनायी थी वह ऐसी बनायी थी कि ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी। उस योजना के बीच-बीच में कई जगह लोगों के मकान बने हुए हैं और कई जगह पर पेड़े आये हुए हैं। पुरानी योजना से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हमारे वहां जो योजना शुरू की जा रही है उसका हैड क्वार्टर, सुना है, उदयपुर ले जाया जा रहा है। वह हैड क्वार्टर खेरवाड़ा तहसील हैड क्वार्टर पर होना चाहिये पर वहां नहीं रखा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक्स. ई. एन. का दफ्तर उदयपुर क्यों ले जाया जा रहा है? उदयपुर में वैसे भी मकान मिलने की तकलीफ है। अगर आप एक्स. ई. एन. का आफिस खेरवाड़ा में रखते हैं तो वहां पर यह दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जन संख्या कम होती है और शहरों में जनसंख्या अधिक होने के कारण मकान नहीं मिलते हैं। जब यह कहा जाता है कि हम शहरों के बरा-

(श्री सूर्यप्रकाश)

वर गांवों का विकास करना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं तो फिर आप शहरी क्षेत्रों का विकास क्यों कर रहे हैं? पहले आप ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों की तरह विकसित होने दें। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो फिर आप यह एक्स. ई. एन. का आफिस उदयपुर क्यों ले जा रहे हैं ? इसका मतलब यह है कि आप अपने आफिसरों को खुश रखना चाहते हैं और उनको खुश करने के लिये आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास रोक रहे हैं। आप अधिकारियों की सुख-सुविधा के लिये उदयपुर में एक्स. ई. एन. आफिस खोलना चाहते हैं। यदि ग्रामीण जनता की सुख-सुविधा का ध्यान आप रखना चाहते हैं, ग्रामीण लोगों की भलाई चाहते हैं तो आप वह आफिस उदयपुर में नहीं खोल कर खेरवाड़ा में ही खोलें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की कुछ योजनाओं सम्बन्धी कुछ विचार आपके समक्ष रखे थे। एप्लीकेशन भी दी थी जो आपने विभाग को भेज दी लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सोम परियोजना के सम्बन्ध में भी निवेदन किया था। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। वर्तमान सरकार ने अन्त्योदय योजना हाथ में ली है और हर एक किसान को भूमि आवंटित की है। यदि उनको सिंचायी के साधन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने निवेदन किया था सोम डेम के लिये उस पर विशेष ध्यान देकर उसको जल्दी ही क्रियान्वित कराने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हजारी मल ?

श्री बाल चन्द्र आर्य !

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीर सिंह कौशल !

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, लिफ्ट सिंचायी परियोजना हमारे सदन में विवाद का विषय बन गयी है। राजस्थान कैनाल में उसकी क्या स्थिति है मुझे उसकी विशेष जानकारी नहीं है, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लिफ्ट सिंचायी परियोजना के बारे में पूरी-पूरी जानकारी की जाय। सामान्य रूप से 25 से 30 फीट पर यह लिफ्ट सिंचायी होती है तो सस्ती पड़ती है। इसको साधारण रूप से आप स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके आंकड़े निकाले जायं तो आपको यह ज्ञात होगा कि लिफ्ट सिंचायी परियोजना अधिक सुविधाजनक और लाभदायक होती है। फ्लो इर्रिगेशन की 8 साल में योजना बन कर तैयार होती है। 8 साल के अन्दर खर्च हुए रुपये का ब्याज और सीपेज और वाटर लोगिंग में जो जमीन जाती है उसकी कीमत जोड़े तो कुल व्यय 8 हजार रुपया प्रति एकड़ आता है। केवल निर्माण व्यय ही चार हजार प्रति एकड आता है। इसपर 9 पर्सेन्ट 360 रुपया पर एकड़ आता है। लिफ्ट इर्रिगेशन जो 25 से 30 फीट की होती है उस पर सामान्य रूप से 1500 रु. प्रति एकड़ का खर्चा आता है और 9 पर्सेन्ट का ब्याज व मेन्टीनेन्स पर 150 रुपया आता है। कहां 4 हजार रुपया प्रति एकड़ और कहां 1500 रुपया प्रति एकड़ और एक पर व्यय आता है। 370 रुपया और दूसरी पर आता है 150 रुपया। लिफ्ट सिंचायी का रेकरिंग व्यय अतिरिक्त

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

होता है। इस पर कहते हैं कि इसको नो प्रोफिट नो लोस पर चलायेंगे। यह क्या बनिये की दुकान है? एक-एक बूंद पानी के सदुपयोग के लिये लिफ्ट सिंचायी को नो लॉस नो प्रोफिट पर नहीं चला सकते। जब 20 साल के बाद एक सौ बीस करोड़ की पापूलेशन हो जावेगी तब के लिये क्या होगा, कुछ सोचा भी है? गत सत्र में इस सुझाव पर सिंचायी मंत्री जी ने दो बार धन्यवाद दिया था। नये सिंचायी मंत्री जी आये हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह बनिये की दुकान बन्द कीजिए। तुलनात्मक आंकड़े निकालिये। चम्बल की नहरों से पानी बह रहा है उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया। 50 पर्सेन्ट पानी राजस्थान का है और 50 पर्सेन्ट मध्य प्रदेश का। किन्तु केवल 30 पर्सेन्ट का उपयोग हो रहा है। कितने शर्म और कलंक की बात है। राजस्थान का 20 पर्सेन्ट पानी वेस्ट जा रहा है। मध्य प्रदेश में बह कर जा रहा है। बांध बन गया फिर भी पानी बह रहा है। लिफ्ट योजना में 1500 रु. एकड़ का खर्च आता है। पिछली सरकार ने एक ही बुद्धिमानी का काम यह किया कि लिफ्ट योजना को नो लॉस नो प्रोफिट से निकाल दिया। हमारी सरकार ने उसके सारे गलत कामों के साथ सही काम को भी बदल दिया। उसको ड्राप करने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा यह निवेदन था कि पिछली सरकार का यह प्रपोजल क्यों बदल दिया गया? मध्य प्रदेश की सरकार इसको करने जा रही है, हरियाणा की सरकार ने नो प्रोफिट 'नो लॉस के' सिद्धान्त को हटा दिया। सिंचायी मंत्री जी भी इससे कन्विन्स्ड हैं। इरिगेशन कमिश्नर कन्विन्स्ड हैं। चीफ-इन्जीनियर कन्विन्स्ड हैं। तो कौन आड़े आ रहा है? चम्बल की नहरों पर लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम बनायी जाय तो 800 रु. एकड़ से अधिक व्यय नहीं आता है यह मेरा दावा है और एक वर्ष में डेढ़ लाख एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। लक्ष्य निर्धारित कीजिये इन्जीनियर्स के। बड़े-बड़े खर्चे किये जाते हैं इन पर पिछले इतिहास का पता लगाइये। पिछले चुनाव में 26 लाख रुपया दिया। भ्रष्टाचार की जड़ मंत्री स्तर तक है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे मंत्रिमंडल में ईमानदार व्यक्ति हैं। जो बेईमान हैं वे पकड़े जावेंगे। कापरेन में 5 इन्जीनियर सस्पेन्ड किये गये। उनमें चार जूनियर इन्जीनियर हैं और एक इन्जीनियर। हजारों के मस्टर रोल में घोटाले हैं। किन्तु असली मुल्जिम एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को छोड़ दिया। उसकी देख रेख में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह से छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जो चक्कर में आता है उसको सबक सिखाना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में केसरपुरा की 13 लाख की लिफ्ट बना दी गयी। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने कहा कि यह फीजेबल नहीं है फिर लिफ्ट योजना बना दी गयी। वह आज तक किसान की छाती पर खडी है और एक इंच जमीन सिंचित नहीं हुई। 13 लाख की बरबादी हुई। कौन जिम्मेदार है इसके लिये? आप लायबिलिटी फिक्स कीजियेगा और जो दोषी हैं उसको सजा दीजियेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है और जो आप सुधार चाहते हैं वह नहीं होने वाला है। समय नहीं है, घंटी बजने वाली है अन्यथा मैं आपको अनेक घोटाले बताता। सारे कागजात आपको दूंगा, तथ्य दूंगा। आप पूरी फाइलें मंगाइये। एक-एक फाइल मंगा कर जांच कीजियेगा, आपको लाखों

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

के घोटाले मिलेंगे । जाखम व घरियावद की योजना में कितना घोटाला है ? जांच कीजियेगा । यदि इसमें सुधार नहीं किया तो जो इरिगेशन की आज हालत चल रही है वह चलती रहेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि लिफ्ट परियोजना को आपको हाथ में लेना चाहिये जिनका सर्वे हो गया है उन कामों को आप तुरन्त प्रारम्भ कर दें । झालावाड़ का मनोहर-थाना , छापी, गागरोन, विलासी, हिंगलेज आदि छोटी-छोटी परियोजनाओं पर काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है । इसलिये प्रोपर चैकिंग हो और समय पर रुपया मिले जिससे समय पर पूरा कराया जा सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और ।

यदि हमको अपनी प्लान प्रायोरिटी को रिसफल भी करना पड़े तो तुरन्त करना चाहियें । इन्जीनियर्स का लक्ष्य निर्धारित करके कार्य किया गया तो पांच वर्ष की सिंचायी एक वर्ष में हो सकती है । मैंने मौके पर जाकर इन्जीनियर्स को बताया । नहर का पानी व्यर्थ बह रहा है उसका उपयोग कीजिये । दस हजार बीघा जमीन इसी रबी में सिंचायी हो सकती है । कोटा में लक्ष्य निर्धारित किया जाय तो 25 हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है । लेकुना कहां है यह देखने की जरूरत है ।

कई बार ऐसा होता है कि समय पर पैसा नहीं मिलता । दो महीने पहले पैसा मिलता है और कहते हैं कि जून में काम खतम करो । सिंचाई के महत्व को समझते हुए यदि हमने सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दिया तो राजस्थान के जिन जिलों में पानी उपलब्ध है वहां सिंचाई की जा सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धांत रूप में लिफ्ट सिंचाई की ओर ध्यान दें, नो प्राफिट नो लोस की दुकानदारी को बन्द किया गया तो राजस्थान में जिस हिस्से में पानी है उसमें अधिक सिंचाई की कार्यवाही की जा सकती है । इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ताराचन्द !

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरा नाम रह गया था । मेरा कटमोशन 117 पर था ।

श्री उपाध्यक्ष : 117 पर तो नाम सूर्यप्रकाश का है । आपका नाम आसपास नजर नहीं आ रहा है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कटौती प्रस्ताव 117 नम्बर पर है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी पता लगा लूंगा ।

श्री ताराचन्द !

श्री ताराचन्द (रूपवास) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपने कटौती प्रस्तावों के द्वारा कुछ अपने क्षेत्र के बारे में मांग रखूंगा । मेरा क्षेत्र रूपवास ऐसा क्षेत्र है कि जहां दो तीन नदियां बह कर निकल जाती हैं और बाढ़ का भय बना रहता है । साथ ही साथ यहां बाढ़ आती है । वह पथरीला और पहाड़ी इलाका है । पथरीला

(श्री ताराचन्द)

और पहाड़ी इलाका होने के कारण वह ऐसा एरिया है कि जहां पानी नजदीक में नहीं मिलता। मेरी पांच छः पंचायतों में 20 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या बहुत ही बड़ी बनी हुई है। वहां पर सरकार कहीं से पानी नहीं ला सकती है तो ट्यूब वैल खुदवाये। मैं निवेदन करूंगा कि खानसूरनापुर, इब्राहीमपुर, मालोनी रूंध व रूपवास पंचायत के अन्तर्गत जो गांव हैं वहां पथरीली जमीन है। वहां पर सिर्फ एक फुट या दो फीट मिट्टी की तह होती है उसमें एक फसल बरसात की हो सकती है। खरीफ की फसल हो सकती है लेकिन रबी की फसल किसी प्रकार से भी नहीं हो सकती है। सन् 1955 तक यह रूंध का इलाका कहलाता था। यह हरिजनों में, जाटवों में और अनुसूचित जाति को बांट दिया गया जिसमें दस बारह गांव आबाद हैं। वह आज तक मुसीबत पा रहे हैं। उन्होंने लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा किया लेकिन आज तो लकड़ियां भी नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि उस जमीन में सरकार को ट्यूब वैल लगाना चाहिए। वहां पर चार सौ और पांच सौ फीट नीचे पानी उपलब्ध है इसलिए ट्यूब वैल लगाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाय।

साथ ही मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि रूपवास के पास एक खानवा बांध है वहां पानी का लगान अधिक लगा दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार मंत्री महोदय को कहा गया, श्रीमान मुख्य मंत्रीजी को भी कहा गया और अब की बार प्रस्ताव भी दिया गया था लेकिन यही जवाब मिला कि राज्य सरकार के विचाराधीन है। आप देखिये कि मेरे क्षेत्र के गांव घाटा, चक खुडासा मूरिका, सहदपुरा, बांकोली, खुडासा, कांघोली, खानुसा, चन्दनपुरा, वरधा, जिन्दपुरा, चान्दोली महल में पिछली बकाया रकम 81,572.96 रुपये पड़ी हुई है और चालू वर्ष की रकम 69,950 रुपये है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि यदि यह रेट सही कर दी जाय जो कि सिंचाई अधीक्षक महोदय मनोहरलाल जी हैं उनके यहां से 31-8-77 को राज्य सरकार के पास से कागज आये हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री महोदय के पास कागज आये होते तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना कर लेता। वह कहते हैं कि हमने राज्य सरकार को भेज दिये है और मंत्री महोदय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विचाराधीन है और वह राज्य सरकार के पास है। आठ दस महीने हो गए उस पर क्या विचार किया जा रहा है? उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि यह गलत रेट लगाई गयी है और इसको सही किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा सा और कहना है।

साथ ही मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे यहां बंध बारेठा है जो कि पुराना बांध है, जिससे नहर निकाली गयी है और सिंचाई हो रही है। उस नहर की जो छोटी-छोटी चैनल है वह कच्ची हैं उनको पक्का कर दिया जाये। उनके जरिये से सीपेज होता रहता है। यह भी होता है कि उसको लोग जगह-जगह से काट लेते हैं और बांध लेते हैं। इस कारण पानी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जैसी कि यू.पी. सरकार ने या हरियाणा सरकार ने की है। समय के अनुसार किसानों को पानी मिले।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री ताराचन्द)

मैं थोड़ा और अर्ज करूंगा।

मैं निवेदन करूंगा कि नहरों की व्यवस्था ठीक कराई जाये। साथ ही एक निवेदन और है कि इस बंध बरेठा से भरतपुर शहर के लिये पानी लाया गया है। सारा खर्चा पानी का बंध बरेठा से होगा तो जो इरिगेशन है उसके लिए पानी कब मिलेगा? हो सकता हो तो इस बंध बरेठा का पानी और बढ़ा दिया जाय। इसका पानी और बढ़ जाये जिससे सिंचाई के लिए भी पानी मिल सके।

यह कहकर मैं फिर यह कहूंगा कि जो पंचायतों में छोटो–छोटे बंध हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। इस संबंध में कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री ताराचन्द : मैं सिंचाई विभाग के लिए ही कह रहा हूं। और छोटे-छोटे बांधों की ऐसी स्थिति है तो उनको पंचायतों से सिंचाई विभाग को वापस दे दें ताकि उनकी मरम्मत हो जाये वरना वह बेकार पड़े हुए हैं। उनकी मरम्मत नहीं होती है और किसान परेशान रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि छोटे–छोटे बांध सब पंचायतों से सिंचाई विभाग को दिये जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कहना तो बहुत था लेकिन इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन!

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : मेरा भी 124 का रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया आप अनुपस्थित थे।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसकी जांच कर लेता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन । (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति की दृष्टि से चितौड़गढ़ जिला अत्यन्त ही धनी है और पानी की दृष्टि से भी धनी है। मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ साधारण सी विसंगतियों के कारण राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। जहां एक ओर गोसुन्दा बांध जैसी योजना प्रायोरिटी में नहीं ली जाती वहां दूसरी तरफ बागल डेम के साथ में एक फीडर योजना बनाई जा रही है वह अभी शुरू नहीं हो पाई है। उसमें 2 करोड़ रूपये से भी अधिक का खर्चा होना बताया जाता है। वह योजना इस प्रकार की है कि उसके अन्दर 60 फीट से लेकर 70 फीट तक कटिंग आती है जिसका सर्वे भी नहीं हो पाया है, राशि बराबर खर्च होने वाली है। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस योजना को अनुपयोगी समझा जा सकता है। महज एक योजना थी उसको बन्द करना आवश्यक है। यह जो राशि है इस राशि को तहसील बड़ी सादड़ी में लगाया जाय जहां बांध बन रहा है उससे 10 हजार एकड़ भूमि सिंचित की जा सकेगी। इस रकम के खर्च से पानी का सदुपयोग किया जा सकता है। म निवेदन कर रहा था कि अनुपयोगी योजना को बन्द कीजिये। उस योजना में कटिंग की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जानी है इसलिये तत्काल उसे रोका जाकर धन के अपव्यय को रोकिये । बांध केवल सिंचाई की दृष्टि से बनाया जाना चाहिये उसकी रकम को इस योजना में लिया जाये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य अभियन्ता को इन योजनाओं को देखने का समय नहीं निकल पाता । एक बार देख लें तो यह जो असंगतियां और विसंगतियां स्पष्ट दिखती हैं सिंचाई विभाग में वे दूर हो जायें । इसी प्रकार 65 से लेकर 77 तक के कार्यों की ओर निगाह की जाये । मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देकर समस्याओं का समाधान करें ।

श्री उपाध्यक्ष : नरेन्द्र पाल जी, आप का नाम 55 नं. पर था । आप अनुपस्थित थे । फिर भी जब सभी माननीय सदस्य बोल लेंगे तो आपको अवसर दूंगा ।

श्री मथुरा दास माथुर !

(अनुपस्थित)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री नूरा !

श्री नूरा (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांग पर जब आज बहस हो रही है तो सिंचाई की समस्याओं को देखें तो हर जिले की अलग-अलग समस्यायें हैं । अजमेर जिले को देखा जाये तो हर फर्लांग पर हर काश्तकार का व्यक्तिगत कुआ है । वह रुपया लेकर कुए पर लगाता है किन्तु पानी का स्तर क्योंकि नीचे है इसलिये जितना पानी खेती में देना चाहता है, वह दे नहीं पाता । वैसे पानी के ऊपर भी बड़े पैसे वालों का कब्जा है । बोरूंदा की स्कीम है, वहां के एक व्यक्ति विशेष द्वारा लोगों को पानी देने के एवज में उनकी खेती पैदावार का आधा हिस्सा लिया जाता है । हमारे देश के अन्दर जमीन से सोना निकलता है, ताम्बा निकलता है और पानी की धारा भी जमीन में है । हम चाहते हैं कि अकाल के टाइम पर पानी मिलता रहे तो जमीन की गहराई से पानी को ऊपर लाकर देने के लिये सरकारी स्तर पर कुए खुदवाये जायें । जमीन की गहराई से पानी ऊपर लाकर गरीब काश्तकारों को दें । उसके लिये एक्सपेरीमेंट किया जाये तो मैं समझता हूं पानी से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है । काफी इलाका ऊंचा है जहां पानी बहुत गहरा है । जैसे अजमेर में पीने के पानी की बनास से व्यवस्था की जाती है । अगर यह पानी ऊंचे इलाकों में ले जाकर खेती के लिये काश्तकारों को दिया जाये और सिंचाई की दर जो तालाबों से ली जाती है उसकी भी व्यवस्था कर दें तो गरीब काश्तकारों को लाभ मिल सकता है । छोटी-छोटी स्कीमों को हाथ में लेने के बजाय बड़ी स्कीमों के साथ लें तो अच्छा होगा । अंग्रेजों के टाइम में तालाब बने और पानी को रोका । आज तो हालत यह है कि 50 एकड़ के तालाब पंचायत समितियों के पास हैं । पंचायत समिति के पास बजट नहीं होने की वजह से सालों से वे तालाब टूटे पड़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है । अगर पंचायत समिति के पास फण्ड न हो तो वह तालाब सिंचाई विभाग अपने पास ले लें और समय पर मरम्मत करायें तो जो पानी बह कर चला जाता है उसका सदुपयोग हो सकेगा । पानी की समस्या को हल करना आसान बात नहीं है । यह समस्या बड़ी योजनाओं से हल की जा सकती है । पानी जहां हो, वहां

(श्री नूरा)

सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं वह मैंने पानी के वितरण के सम्बन्ध में दिये हैं लेकिन यह जो समस्या है उसके सीधे हल के लिये एक सुझाव है। जहां बड़े-बड़े बांध हैं या जहां बड़े-बड़े बांध बनना शुरू हुआ है वहां बड़े-बड़े लोगों के फार्म हैं। इस कारण बड़ी स्कीमों का लाभ भी बड़े लोग ले जाते हैं और गरीब किसान को बड़ी स्कीम से न पानी मिलता है न उनको लाभ मिल सकता है। इसलिये छोटे किसान को लाभ पहुंचाने के लिये जमीन के गर्भ में जो पानी है वह राजकीय स्तर पर कुएं बना कर उनको दिलाया जाये। बड़ी योजनायें बनाकर ऊंचे इलाके को लिफ्ट सिंचाई के तरीके से पानी पहुंचाया जा सके तो अकाल का हल होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री सैयद मन्जूर अली!

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर): जनाबे सदर मोहतरम, सम्बन्धित कट मोशन्स के जरिये यह चित्र सामने आया है कि अगर राजस्थान का पूरा बजट भी इसके लिये रख दें तो पूरा नहीं हो सकता। फिर भी यह मामला जरूर गौर तलब है कि पांच सालों में करीब 40–50 करोड़ रुपया फेमिन रिलीफ पर हम खर्च करते हैं फेमिन रिलीफ विभाग में हर साल करोड़ों रुपया इसके लिये खर्च करें उसके बजाय अगर ऐसे काम किये जायें जिनसे फेमिन का परमानेंट हल हो सके तो मैं समझता हूं अच्छा होगा। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अर्ज करूं कि आप एक ऐसी टीम इंजीनियर्स की मुकर्रर करें जो इस बात का सर्वे करे कि राजस्थान में छोटी-छोटी नदियों को रोक कर रुपया खर्च करके प्रोजेक्ट बनाये जायें जिससे फैमिन का सवाल पैदा न हो सके। मेरे इलाके में एक छोटी सी प्राब्लम है। चीफ इंजीनियर साहब गौर कर लें तो वह प्राब्लम हल हो सकती है। बन्ध भगवतगढ़ की नहर गलत खोदी गई या बन्ध गलत बनाया गया। उसका पानी निकालने के लिए 30–40 फीट की गहराई हो गई है। पानी बांध से निकल नहीं पाता है। उससे एक किलोमीटर की दूरी पर एक ओर जहां तक नहर बनी हुई है वहां तक पानी नहीं पहुंचता। उससे एक किलोमीटर की दूरी पर सूरवाल नहर निकलती है, उस नहर को नहर भगवतगढ़ से मिलावें। आधा किलोमीटर नहर बनाने से बन्ध भगवतगढ़ की जो कमी है वह सूरवाल नहर के पानी से पूरी हो जावेगी और बन्ध भगवतगढ़ का पूरा कमाण्ड एरिया सेराब हो जावेगा।

इसी तरीके से एक सरवाला बन्ध की नहर के बारे में पहले भी निवेदन किया था। पहले सैशन में भी इस बात को रखा था कि चानेड़किया के बांध का पानी नहर भगवतगढ़ में डाल दिया जावे तो दीता वाडात्यास उलयाना का इलाका भी आबाद हो सकता है। इसका जवाब यह आया कि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। इसका खर्चा इसलिए ज्यादा आंका गया कि नहरों का खर्चा भी उसमें शुमार कर लिया गया। अगर आप पानी लिफ्ट करके पाइप के जरिये बिल्कुल नजदीक में नहर में डाल दें तो पानी की कमी पूरी हो सकती है।

इसी तरीके से बन्ध गोपालपुर की नहर से लिफ्ट सिंचाई के जरिये ग्राम पीपल-

(श्री सैयद मंजूर अली)

वाडा में हरसाता, हरसाती, हिन्दूपुरा और जो आस-पास के गांव हैं, जहां पर बन्ध हैं। वहां पर भी लिफ्ट करके पानी का इन्तजाम किया जा सकता है और ये इलाके सेराब हो सकते हैं।

बन्ध सूरवाता को ऊँचा करने के लिए सुझाव दिया था। इस बन्ध से आगे के गांवों के डूबने का खतरा बताया जाता है। मैं बहुत एहजाम से अर्ज करूँगा कि बंध सरवाता को ऊँचा करने से आगे के गांवों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। वहां जो पानी की डूब में आने का जो खतरा है तो बांध पर एक पट्टी की दीवार को ऊंचा कर दिया जाय तो किसी मजीद गांवों के डूबने का इम्कान नहीं है और वहां का जो आठ दस माइल का इलाका है वह कोई डूब में आने वाला नहीं है। मुख्तसर में मेरी ये ही डिमाण्ड हैं जिन पर गौर कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुलाराम !

(अनुपस्थित)

श्री गणेश लाल !

श्री मणीराम !

श्री गणेशलाल (हिण्डौली): बोल रहा हूं, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा बजट सत्र में मैंने मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। दूसरी बार कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक के समय भी मैंने निवेदन किया था। आज तीसरी दफा इन्हीं बातों को बहुत ही संक्षेप में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे हिण्डौली क्षेत्र में कुछ बांध छोटे-छोटे गांवों में हैं। जिन पर काम अकाल राहत में चलाया गया था या किसी न किसी रूप में सरकार ने जिनको स्वीकार कर लिया है जैसे रूण का खाल है जो नेगढ़ पंचायत में है। इसी तरह से गुरजनयां खाल है जो ओवण पंचायत में है, मसाणिया बांध है जो बासनी ग्राम में है, एक देवा का खेडा है और एक अभयपुरा बांध है जो नीमका खेड़ा पंचायत में है। इसके अलावा देवा का खेड़ा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनीकट है, से कई काश्तकारों को लाभ मिलने वाला है। विशेष तौर से इस एनीकट से उणियारा क्षेत्र के काश्तकारों को लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भी इसमें सहयोग करें। इसके अलावा सिलौर पंचायत में करजूना पुलिया टूटी हुई है, एक धोवड़ा बांध है जो धोपडा पंचायत में है और कोढ़ी बांध है जो जजावर पंचायत में हैं। ये इस तरह के छोटे-छोटे काम हैं जिनको पूरा करने का कष्ट करें। इसके अलावा नया गांव के पास चन्द्र भागा नदी है उससे भी काश्तकार लाभान्वित हो सकते हैं। करजूना के पास जो पुलिया टूटी हुई है उसको पूरा कराने की कृपा करें।

इसके अलावा, मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक औजा डेम है उस डेम से दो प्रकार की क्षति काश्तकारों को होती है। एक तो सीपेज की समस्या सबसे भयंकर है। इससे हजारों एकड़ जमीन काश्तकारों की खराब होती जा रही है दूसरे टेल की समस्या है, उनमें गजरा, बडगांव आदि कुछ ऐसे गाँव हैं जहां पर पानी न मिलने की वजह से काश्तकारों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। माननीय मंत्री महोदय, इस क्षेत्र में यह सब से बड़ी समस्या है। काश्तकारों के लिये

(श्री गणेशलाल)

पहले तिथियां निश्चित की गई थीं कि इन तिथियों को पानी छोड़ा जाएगा लेकिन उन तिथियों पर भी पानी नहीं छोड़ने से और विभाग की लापरवाही के कारण काश्तकारों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिलने की वजह से काश्तकारों की फसलें नष्ट होती हैं। इसलिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें।

इसके अलावा एक और निवेदन करना है, वह यह है कि हमारे क्षेत्र में अक्टूबर में गन्ना लगाया जाता है। अक्टूबर में गन्ना लगाने के बाद में नवम्बर और दिसम्बर में करीब दो तीन बार सिंचाई होती है उसके बावजूद भी पूरे साल की पिलाई काश्तकारों से ली जाती है। यह काश्तकारों के साथ अन्याय है। इसलिए इस पिलाई में भी रियायत देने की कृपा करें।

इसके अलावा एक और डेम अभयपुरा है। इस बारे में, मान्यवर, कई बार राज्य सरकार से निवेदन कर चुका हूं, तत्कालीन मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था और मुख्य अभियन्ता महोदय से मिलने के बाद, सितम्बर में मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि अक्टूबर में काम आरम्भ कर दिया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि दिसम्बर में काम प्रारम्भ कर दिया जाएगा लेकिन आज तक वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले दो महीने पहले लगभग छः लाख रुपयों के टेंडर लिए जा चुके हैं लेकिन अभी तक एक पैसे का भी काम नहीं हुआ है, इसलिए सिंचाई मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देकर इस काम को पूरा करावें।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यदि ये बांध शीघ्रातिशीघ्र पूरे नहीं हो सके तो ऐसे गांव भी हैं जहां पानी की सुविधा कभी नहीं मिली है, उन गांवों में है सीलोर, मंगाल, नीमका खेड़ा, दवलाना, खीण्या, आधेन्धा, उमर थूना, ये गुढ़ा पंचायत में हैं, इन गांवों को नहरों की सुविधा नहीं दी जा सके तो, सिंचाई मंत्री जी, आप विद्युत मंत्री भी हैं, इन गांवों को कम से कम विद्युत से जोड़ने की कृपा करें।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मणीराम !

(अनुपस्थित)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता!

(अनुपस्थित)

श्री शिव करण !

श्री शिवकरण लुहाड़िया (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान जयपुर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। जयपुर जिला तीस वर्षों से राजनैतिक दृष्टिकोण से उपेक्षित रहा है। इस जिले में स्टेट टाइम में जितने बांध बने थे वे ही बांध बने हुए हैं। पिछली सरकार ने तीस वर्षों में कोई प्रोग्रेस नहीं की, कोई योजना नही बनाई। इसका कारण यही है कि यहां से जो भी सदस्य जीतता था वह विपक्ष का होता था और कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं आता था। इस दृष्टिकोण से इस जिले को उपेक्षा की दृष्टि से

(श्री शिव करण लुहाड़िया)

देखा जाता रहा है। मैं फागी तहसील की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां पर कालिका बांध स्टेट टाइम का बंधा हुआ है। इस बांध से लगभग आठ हजार बीघा जमीन की सिंचाई उस टाइम में होती थी। अब सिंचाई विभाग के अधिकारी केवल 18 हजार एकड़ की सिंचाई बताते हैं लेकिन आज उसी बांध से 45 हजार के लगभग सिंचाई होती है। इससे सिंचाई मंत्री जी स्वयं वाकिफ हैं। फागी तहसील पर उनकी कुछ विशेष कृपा हुई, उन्होंने मेहरवानी करके उस बांध पर चलना स्वीकार कर लिया। वे वहां पर चले भी गए और बांध पर चले भी जाने से पानी की चोरी क्यों और कैसे होती है, इस बात पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। इसी कारण से आज उस बांध से जहां पहले के वातावरण में 18 हजार एकड़ में सिंचाई बतलाते थे वहां अब 45 हजार एकड़ में पिलाई होती है।

अब मैं जो छोटी-छोटी योजनायें हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। जैसे काला बांध है उस पर सात-आठ लाख रुपया लग चुका है। एक लाख रुपया और खर्च हो जाय तो कम से कम पन्द्रह सौ बीघा में और पिलाई हो सकती है। इसी प्रकार से हिरनिया बांध है उस पर भी एकाध लाख, लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च कर दिया जाय तो उससे भी पूरी पिलाई हो सकती है। इसी प्रकार से खेजड़ी का बांध है और भी कई बांध छोटे-छोटे हैं उनको पूरा करा दिया जाय तो पूरी सिंचाई हो सकती है।

मैं एक निवेदन और करूंगा, इस प्रगति रिपोर्ट में एक कलख सागर की योजना बताई है जो ढाई करोड़ रुपये की स्कीम है जो हाथ में ली है। यह एक आशा की किरण फागी और दूदू तहसील के लिए राज्य सरकार ने बताई है। इस आशा की किरण को अगर साकार कर दें तो फागी तहसील और दूदू तहसीलें वास्तव में पंजाब हो सकती हैं। आज तक उस कमाण्ड एरिया में लगभग तीन लाख मण अनाज पैदा हो रहा है लेकिन सिंचाई विभाग की यह योजना लागू होने से इससे सिंचाई होगी तो 18 लाख मण तक अनाज पैदा हो सकेगा। केवल नहरी क्षेत्र से सिंचाई से 18 लाख टन अनाज पैदा होता है उतना इस योजना से हो सकता है। तो यह जो आशा की किरण दिखाई है वह मृग-मरीचिका बन कर नहीं रह जाय, इस पर तत्काल विचार करें। इस वक्त में अगर कम से कम तीन फीट और बढ़ा दिया जावे तो इस पर सारा खर्चा पचीस हजार का बैठेगा। तीन फीट बढ़ाने से 25 हजार का खर्चा होगा। 15 मजदूर और 2 कारीगर मिल कर इसको बढ़ा देंगे। मजदूरों पर सिर्फ ग्यारह सौ रुपया खर्च होगा और बाकी मैटीरियल का पैसा खर्च होगा जिससे तीन फीट बांध और बढ़ जायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई मंत्री जी, फागी तहसील की तरफ विशेष ध्यान देकर इस योजना को पूरा करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व जितने भी वक्ता बोले उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेण्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यह बात सही है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार को एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूं। जिस प्रकार गुड़ भगवान के पास गया और उसने भगवान से कहा, मेरे को सब खाते हैं। भगवान ने को कहा, भाग जा मेरे सामने से, नहीं तो मैं भी तेरे

(श्री शिव करण लुहाड़िया)

को खा जाऊंगा । इसी प्रकार यह सिंचाई विभाग भी गुड़ का एक डल्ला है और आपने फाइनेन्स विभाग के अधिकार भी इस विभाग को दे रखें है । मेरा निवेदन है कि फाइनेन्स का अधिकार, पेमेन्ट करने का अधिकार आप इस विभाग से अलग कर दें, वित्त विभाग को दे दें तो यह भ्रष्टाचार समाप्त हो सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र पाल सिंह !

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक निवेदन न कर के मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । मेरे मावली क्षेत्र में पांच छः तालाब हैं लेकिन पानी एक में भी नहीं है । मालूमात की तो मालूम हुआ कि एक मांडक बांध बन जाए तो ये तमाम बांध भर सकते हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि वे कृपा कर मांडक बांध की योजना को देख लें कि कैसे ये 6-7-तालाब भरे जा सकते हैं, और इससे लिफ्ट सिंचाई भी हो सकती है । बागोलिया टैंक मावली में है उससे सिंचाई हो सकती है । दूसरा खरताना का तालाब है उस पर काफी खर्चा हुआ है । इसी प्रकार वहां पर नहर डाली जाए तो सिंचाई का अच्छा साधन हो सकता है । इसी प्रकार पलाना, घासा और खेमली के तालाब हैं ये सब तालाब मांडक बांध से भरे जा सकते हैं । मैं मंत्री महोदय को विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट देने के पहले वे कृपा कर मांडक बांध की योजना को देख लें और मेहरबानी करके इस योजना में रुपया लगा दें तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयसागर का तालाब उदयपुर में है परन्तु उससे सिंचाई मावली क्षेत्र में होती है । उसकी नहरें ठीक न होने के कारण सिंचाई का काम कम होता है । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उससे सिंचाई का पूरा प्रबन्ध करा दें । दूसरा उदयसागर का बांध है । अगर यहां से दो- एक जगह से लिफ्ट सिंचाई की जाए तो उसके पानी का भी अच्छा उपयोग हो सकता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ भी ध्यान दें ।

वल्लभनगर में एक बड़गांव बांध है परन्तु वह खाली रहता है । मांडक बांध की एक नहर डाल कर आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का काम उससे हो सकता है । मंत्री महोदय, ये जो तालाब मैंने आपको बताए हैं, जो मेरे मावली क्षेत्र में हैं उनका बराबर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक तरफ लाखों मन पैदावार होगी और दूसरी तरफ पानी की समस्या हल होगी । इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को आप हाथ में लें और इस काम को पूरा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम कृष्ण दास गुप्ता !

एक निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया लेजरली वक्त न लें समय पर उपस्थित रहा करें । आप संक्षेप में निवेदन कर दें ।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी है कि आपने समय दिया । मैं कम समय में ही अपनी बात समाप्त करूंगा ।

सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान की

(श्री राम कृष्णदास गुप्ता)

आशा राजस्थान कैनाल है। पिछली कांग्रेसी सरकार इस बारे में निष्क्रिय रही, उसने लापरवाही बरती, इस कारण जो योजना 200 करोड़ की थी वह 400 करोड़ के ऊपर की हो गई। यह सरकार भी शासन में आने के बाद 9 महीनों तक कांग्रेसी सरकार के पद चिन्हों पर ही चलती रही है। इस शासन में भी वही निष्क्रियता, लापरवाही है और इसका भी इस क्षेत्र के प्रति भेदभाव रहा है। तीस करोड़ रुपये इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष में दिये गये थे। दो-तीन महीनों तक कुछ हो हल्ला होने के बाद हमारी सरकार चेती और मंत्रिमण्डल की एक मीटिंग होने के बाद हमारे मुख्य मंत्री ने बयान दिया कि अब हमें मालूम पडा कि राजस्थान कैनाल क्या है? मुख्य मंत्री को सात महीने शासन करने के बाद यह महसूस हुआ कि राजस्थान कैनाल क्या है? तो यह सरकार जनता की आकांक्षाओं के प्रति कितनी जागरूक है, यह इससे प्रकट हो जाता है अब सरकार ने जो पैसा दिया हैं, वह रुपया रेपिडली खर्च होना चाहिए परन्तु यह सारा रुपया नहरों की डिगिंग पर खर्च न होकर सामान पर खर्च किया जा रहा है और पेमेन्ट हो गया है क्योंकि आप इस साल यह दिखाना चाहते हैं कि यह रुपया खर्च हो गया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कागजों की हेराफेरी है यह जो वित्तीय बीमारी है, इसे आप इस ढंग से दूर नहीं कर सकते हैं मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस साल भी इस नहर के निर्माण में कोई सुधार नहीं हुआ है साथ ही जनता सरकार ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लिफ्ट कैनाल के बारे में निर्णय बदला है। कांग्रेसी शासन में कितनी ही गलतियाँ हुई हों परन्तु उसने इस क्षेत्र की ओर, इस नहर की ओर ध्यान दिया है। योजना आयोग तथा कृषि आयोग की रिपोर्ट पर मंत्रिमण्डल ने यह फैसला लिया कि कोलायत, पोकरण, फलौदी में नोहर-मादरा में लिफ्ट इरिगेशन कैनाल बनाई जाए चाहे लिफ्ट इरिगेशन की दरें कितनी ही ऊंची पड़ती हो। परन्तु इसका बेनीफिट, बाय प्रोडक्ट जो होगा वह इतना बेनीफिसियल होगा जो स्टेट की इकोनोमी को ऊंचा उठाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहते हैं कि अकाल की विभीषिका से जूझने के लिए 1200 करोड़ रुपया पिछले 15 सालों में राजस्थान सरकार ने गंवाया है। जहां 1200 करोड़ रुपया अकाल से जूझने के लिए खर्च किया वहां पर 48 करोड़ रुपया लिफ्ट इरिगेशन पर और खर्च कर दिया जाए। ये योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो इस सारे क्षेत्र के अन्दर 2.6 लाख हैक्टेयर भूमि, नान-इरिगेटेड लैण्ड में खेती से पैदावार होगी, लोगों को इससे एम्पलायमेन्ट मिलेगा। इसलिए लिफ्ट कैनाल के लिए फण्डस् का एलोकेशन किया जाए। मैं समझता हूं कि इस कैनाल से जो फायदे हैं, उनको देखते हुए हमारी सरकार हिचकिचाएगी नहीं। इजराइल ने 300 फीट पानी लिफ्ट से लिया है। यह उदाहरण आपके सामने है। बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट योजना है। उसका उदाहरण, श्रीमन, आपके सामने है। इस योजना का पूरा फायदा वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है। इसके दो कारण हैं- एक तो लो फ्लो है, है, दूसरे लिफ्ट इरिगेशन की रेट ज्यादा है। जसे केन्द्रीय सरकार चीनी की एक्साइज पर सब्सिडी देकर उसको एक्सपोर्ट करती है, उसी तरह यह बोर्डर पर है, वहां पर भी फ्लो इरिगेशन की रेट कम हो और जो डिफरेन्स हो, वह सरकार पे करे। इससे जो फायदा होने वाला है, उसको अगर

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

कम्पेरिटिवली देखें तो पानी जो उनको सब्सीडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा उससे निश्चित तौर पर पैदावार होगी और लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। दूसरा निवेदन यह है कि जो कैनाल बनी है उसमें आप देखें कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच करायें तो करप्शन सामने आयेगा। करोड़ों रुपयों का खालों का निर्माण किया गया है। वह टूट इसलिए हुई हैं क्योंकि उसमे करप्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के खालों का कन्वर्शन नहीं हो सकता है। इस तरीके का फर्जी पेमेन्ट करके लाखों रुपये इधर से खाये, लाखों रुपये उधर से खाये।

एक माननीय सदस्य : नाम तो बतायें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता: आप वहां जायें तो देखेंगे कि आलीशान भवन बने हुए हैं। उनके परिवार भी हैं। आज की महँगाई में जब कि उनको 900-900 रु० मिलते हैं किस शान से उनके परिवार रहते हैं। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। करोड़ों रुपये के घोटाले हैं। पिछले 9 महीनों में हमारी सरकार के पास इतना टाइम नहीं था कि इस राष्ट्रीय योजना पर ध्यान दिया जाता। इसमें भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है। एक तरफ करोडों रुपयों का खर्चा लगातार किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी तरफ इस राष्ट्रीय योजना में भ्रष्टाचार हैं। इसका मतलब यह है कि 9 महीनों के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया है। 2-3 साल ढंग से काम करें तो इस राष्ट्रीय योजना का काम हो सकता है। अब इस योजना के लिये 200 करोड़ की मांग की गई है। जनता सरकार का 9 महीने का समय काफी कलंकित हो चुका है। अगर उसे कुछ काम करना है तो अगले वर्षों में ढंग से काम करें। प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार अपने स्तर पर कैसे इसके लिये साधन इकट्ठे कर सकती है? मैं एक प्रेक्टिकल उदाहरण देता हूं। जो इरिगेटेड लैण्ड है, उसका 25 प्रतिशत लैण्ड खुले आम आक्शन किया जाये और 75 प्रतिशत है वह भूमिहीनों को दिया जाये। इन साधनों से उस खर्च को पूरा किया जाये। ईरान को एक भूखण्ड गिरवी रख रहे हैं। ईरान ने पैदावार के पर्सेन्टेज की मांग की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो मिनट मांगे थे। अब एक मिनट में पूरा कर लें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: मैं एक और बात कहना चाहूंगा। 40 हजार परिवारों ने सदियों से अकाल की मार खाई है। पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी में मिले हैं। नहर आने के बाद सदियों से बैठे उन सभी लोगों की जमीन छीन ली गई। सैक्शन 15 टिनेंसी एक्ट के अन्तर्गत उनको अधिकार दिये जाने चाहिए। वह सैक्शन 15 'ए' लगाकर छीन लिये गये हैं। वह बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। उनकी मांग पर आज विभाग आपत्ति लगाता है कि क्या भूमि अलॉट हुई है? हमारे इस विभाग के जो मन्त्री हैं, वह काफी जागरूक हैं। परन्तु जाने क्यों मन्त्रिमण्डल से वह बात मनवा नहीं सके हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No. 232

(232)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

अगर सैक्शन 15 'ए' खतम करके खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के हजारों किसान जेलों को भरने को तैयार हैं। जनता सरकार के अन्दर जनता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सरकार उनकी आकांक्षाओं का हनन नहीं कर सकेगी। मैं चाहूंगा कि आप इसकी घोषणा करें। इसके साथ-साथ जो राजस्थान कैनाल की लिफ्ट योजना है, उसको गति दें!

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री, माननीय श्री विज्ञान मोदी।

श्री विज्ञान मोदी (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 38, लघु सिचाई एवं भू-संरक्षण के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान जो महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वह स्वागत के योग्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल हिन्दुस्तान गांवों में बसने वाला मुल्क है। 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। आजादी के बाद भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने पीने के लिए शुद्ध पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई बुनियादी प्रयास नहीं किया है। वर्तमान जनता सरकार की रुचि गांवों की ओर है, जो गांवों के लोगों की समस्याओं को समझती है, गांवों के लोगों के दर्द को समझती है, उनकी दिक्कतों को समझते हुए उसने यह निश्चय किया है कि गांवों में पानी पीने और सिंचाई के लिए पानी को प्राथमिकता दी जाये। इन तमाम योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये। राजस्थान की अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है। एक ओर का हिस्सा रेगिस्तान है। रेत के टीबों से दबा हुआ है। दूसरी तरफ पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी पठारों से घिरा हुआ है। ऐसी भौगोलिक स्थिति में जहां पानी नहीं हो, तो निश्चित तौर से सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि लोगों की पानी की समस्या का निराकरण करे और उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही करे। इस सारे परिप्रेक्ष्य में भू- जल विभाग की अपनी अहम भूमिका है। पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर पानी की उपलब्धता और सुलभता की जानकारी करके सर्वेक्षण के पश्चात् नल कूप का निर्माण करना, इसके साथ ही किसानों की मांग के आधार पर लघु सिंचाई हेतु कुओं को खोदना, उनको गहरा करना पम्प सैट लगाना, पानी की जो उपलब्धता होती है उसका रासायनिक विश्लेषण करके उसकी उपयोगिता को सामने रखना, यह सारा काम इस विभाग की देखरेख में सम्पन्न किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-जल विभाग के पास लगभग 154 रिग्ज कार्यशील हैं। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 220 नलकूप लगाये गये, 216 हैण्ड पम्प लगाये गये और 100 कुओं में बोरिंग तथा 4509 कुओं मे ब्लास्टिंग किया गया है। इस विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित कार्य हैं, जलदाय विभाग हेतु 326 नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है, डी. पी. ए. पी. के लिए 354 नलकूपों व कुओं में बोरिंग, 95 नलकूपों में एक्सप्लोरेशन, विविध योजना और कार्यों के अन्तर्गत निर्माण कार्य में 46 नलकूप व कुओं में बोरिंग तथा हैंण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत 500 नलकूप और आदिवासी योजना के अन्तर्गत 40 नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

(श्री विज्ञान मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का गर्व है कि राजस्थान का भू-जल विभाग हिन्दुस्तान में अग्रणी स्थान रखता है। विभाग के लोग दूसरे सूबों में जाकर बोरिंग का काम करते हैं, ड्रिलिंग का काम करते हैं। इसके बावजूद यह भी सही है कि जितना कार्य इन योजनाओं के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, कई कठिनाइयों की वजह से पूरा नहीं हो सका है। लेकिन पिछले वर्ष डिपार्टमेन्ट ने जो प्रगति की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इन तमाम उपकरणों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई मामलों में विचार कर रही है। अक्सर यह शिकायत होती है कि स्पोट के ऊपर मशीनें खराब हो जाती हैं जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम व अन्य काम सफर करते हैं। रोज यह शिकायत आती है कि जो कार्यक्षमता निर्धारित होती है उसमें कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। इसी दृष्टि से राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि वर्कशाप, जिसमें मशीनों की मरम्मत होती है, का अधिक विस्तार किया जाय। यह भी विचाराधीन है कि सम्भव हो सके तो मोबाइल यूनिट्स, जो कि वर्कशाप के अन्तर्गत काम करें, स्पोट पर ही मशीनों को ठीक कर सकें ताकि मशीनों की कार्यक्षमता और उपयोगिता बढाई जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिग्ज इस विभाग की आत्मा है। सरकार उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए और जो उपलब्धता मौजूद है उसको प्राप्त करने के लिए नये सिरे से विचार कर रही है।

इसके साथ ही विभाग की आय बढ़े घाटा कम हो, इस विभाग द्वारा जो दर ली जाती है उस पर विचार करने की, उसको रिवाइज करने की कार्यवाही भी विचाराधीन है। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में लागू योजनाओं के अन्दर सर्वेक्षण के अन्तर्गत एक प्रमुख कार्य सर्वेक्षण का भी है। इस समय राजस्थान की तमाम 232 पंचायत समितियों में अर्ध विस्तृत भू-सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा चूरू, पाली, जालौर, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में डिटेल्ड सर्वे का काम भी हाथ में लिया जा चुका है। इसके साथ ही राजस्थान की तीन प्रमुख नदियों लूणी, साबी और बनास के बेसिन में जहां पानी की उपलब्धता पायी जा सकती है वहां भी डिटेल्ड सर्वे का काम प्रारम्भ किया जा रहा है। हाल ही में जैसलमेर जिले में जहां पर पानी सहजता से उपलब्ध नहीं होता है वहां भी पानी की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए विस्तार से सर्वे का काम प्रारम्भ किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित किया है। डेगाणा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामरघुनाथ ने भू-जल विभाग, जो डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत भूमि का परीक्षण करता और नलकूपों के निर्माण का कार्य करता है, उनके बारे में ध्यान आकर्षित किया है। मैं बताना चाहूंगा कि भूजल विभाग डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत भूमि के परीक्षण और सर्वेक्षण का काम करता है और उसके पश्चात नलकूपों का निर्माण करता है। जिन नलकूपों का पानी उपयुक्त नहीं होता उनको किसानों को देने का प्रश्न ही नहीं है।

इसके साथ ही बाड़मेर के माननीय

(श्री विशान मोदी)

विधायक महोदय श्री वृद्धिचन्द जैन ने एक मामला सदन के सामने रखा कि डी. पी. ए. पी. द्वारा बनाये गये नलकूप लम्बी अवधि तक चलते हैं और भू-जल विभाग द्वारा बनाये गये नलकूप लम्बी अवधि तक नहीं चलते, उनमें त्रुटियां रह जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, दरअसल उन क्षेत्रों में जो पानी उपलब्ध होता है उसमें खराबी होने की वजह से जो पाइप के ऊपर जाली होती है वह गल जाती है। विभाग द्वारा 10 इंच व्यास का एक पाइप लगाने की योजना विचाराधीन है, इससे इस समस्या का समाधान होने की संभावना है।

धौलपुर के विधायक महोदय ने बाड़ी और बसेड़ी की समस्या को सामने रखा। वहां पर सख्त पत्थर होने के कारण नलकूप बनाना संभव नहीं है। वहां पर पानी मिलने की संभावना भी नहीं है। यदि किसानों की मांग हो तो निश्चित रूप से विभाग द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा मौजूदा कुओं को गहरा करके पानी की आमद को बढ़ाया जा सकता है।

मकराना के विधायक महोदय श्री अब्दुल अजीज ने कहा कि मकराना में संगमरमर की खानों के अन्दर जो पानी भरा है उसके द्वारा लघु सिंचाई योजना बनाई जाकर खेती की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मकराना में संगमरमर की खानों में जो पानी भरा हुआ है उसके द्वारा लघु सिंचाई की योजना के प्रश्न पर तकनीकी जांच करवाई गई तो यह बात सामने आयी कि पानी का जो स्रोत है वह स्थायी नहीं है इसलिए लघु सिंचाई योजना संभव नहीं है।

किशनगढ़ के माननीय सदस्य करतार सिंह और नवलगढ़ के माननीय सदस्य श्री नवरंगसिंह ने विभाग द्वारा सोशल वर्क और रिसर्च सेन्टर तिलोनिया को 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि देने की बात कही और धनराशि के दुरुपयोग की बात सदन के सामने रखी। जहां तक मेरी जानकारी है इस कार्यक्रम, जो कि डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, के लिये यह राशि 1974 के अन्दर दी गई थी जवाजा पंचायत समिति अजमेर का सर्वे कार्य इस संस्था द्वारा पूरा किया जा चुका है और इसकी रपट प्राप्त हो गई है। सिलोरा पंचायत समिति के बोरिंग कार्य का असेसमेन्ट किया जाना बाकी है। इसके बावजूद दोनों माननीय सदस्य कोई जानकारी या तथ्यात्मक स्रोत को सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से इस मामले की जांच कराई जायेगी।

इसके साथ ही विभाग में भ्रष्टाचार की बात अनेक माननीय सदस्यों ने कही। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यदि कोई तथ्यात्मक जानकारी राज्य सरकार के सामने लायी जायेगी तो निश्चित रूप से उन तमाम मामलों की जांच कराई जायगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। अतः अन्त में पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि चूंकि जनता सरकार का रुझान गांवों की ओर है इसका उदाहरण अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान सामने है, इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार देहात के लोगों के लिए लघु सिंचाई और पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी

(श्री विज्ञान मोदी)

इसी के साथ मैं सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मांग नम्बर 38 को मन्जूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विभिन्न कटौती प्रस्तावों के माध्यम से सिंचाई विभाग का मार्गदर्शन किया है। मैं आशा करता हूं कि मार्गदर्शन के सहारे राजस्थान की बहबूदी के लिए सिंचाई विभाग निश्चित रूप से प्रयत्न करता रहेगा। न केवल देश में किन्तु प्रदेश में खाद्य की विकट समस्या लगातार रही है। जिस तरह से पापूलेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है, उस दृष्टि से आवश्यक है कि आगे आने वाले वर्षों में खाद्य समस्या को हल करने की दृष्टि से हम कटिबद्ध रहें। खाद्य का सिंचाई से सीधा संबंध है। जहां तक देश का सवाल है, उसके साथ-साथ अपने प्रदेश की स्थिति है वह तो और भी विशेष प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु, एक बड़े क्षेत्र में मरुस्थल, दूसरी ओर वनवासी क्षेत्र, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र इस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न कर देता है जिनके ऊपर सिंचाई की दृष्टि से गंभीरता से विचार करना होगा। आज हम विचार करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। क्षेत्रफल 846 लाख एकड़ हमारा है जिसमें से केवल 660 लाख एकड़ कृषि योग्य है और केवल 395 लाख एकड़ भूमि पर कृषि होती है।

आज तक जितने प्रयास राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से हमनें किए हैं, उनसे केवल 17 प्रतिशत सिंचाई ही हम राजस्थान में कर पाए हैं जब कि भारतवर्ष का औसत 26.8 प्रतिशत है। अपने यहां कुल सतह पर बहने वाले पानी की मात्रा 6,90,000 मिलियन घनफीट आंकी गई है जिसमें से 4,12,000 मिलियन घनफीट जल क्षमता का उपयोग सिंचाई के साधनों की दृष्टि से हम कर सकते हैं। आज इस प्रकार की स्थिति प्रदेश की है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद केवल 1,68,000 मिलियन घनफीट जल क्षमता का उपयोग हम सिंचाई के लिए कर पाएं है। यह सही है कि इसके अलावा कुओं व नलकूपों से 33लाख एकड़ भूमि और सिंचित की गई। प्रश्न खड़ा होता है कि आज भी 2,44,000 मिलियन घनफीट जल क्षमता ऐसी है जिसका हमको सिंचाई के लिये उपयोग करना है। आज वह स्थिति-पैदा हो जाए तो 14,42,600 एकड़ भूमि को इस जल क्षमता से हम सिंचित कर सकते हैं। जिस गति से हम चल रहे हैं उससे 4,12,000 मिलियन घनफीट जो जल क्षमता हमारी है उसका भी पूरा उपयोग कर ले तो भी राष्ट्रीय स्तर का जो प्रतिशत है 26.8, उस पर हम नहीं पहुंच सकेंगे।

इन आंकड़ों को सामने रखते हुए हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से विचार करें। यहां की बरसात, उसका पर्सेन्टेज और जल स्रोतों की दृष्टि से जितनी बहाव की क्षमता है उसका उपयोग करने के बाद जो प्रतिशत सारे भारतवर्ष का है उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है इसके लिए भारी प्रयत्न किया गया कि और राज्यों से आने वाली जो नदियां हैं, उनके प्रवाह का, उनके जल का उपयोग राजस्थान में निश्चित रूप से किया जाए। इस दृष्टि से सतलज

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के पानी से 9.20 लाख एकड़ में हमारे यहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। रावी और व्यास से गंग नहर के अलावा 80 लाख एकड़ में पानी राजस्थान को मिल चुका है। हमने यह भी कोशिश की है, माननीय सदस्यों ने जिक्र किया था, यमुना व गंगा के पानी के सम्बन्ध में हमने अपना पक्ष केंद्रीय सरकार के सामने रखा है। हमने मांग की है कि 25 मिलियन एकड़ हम और चाहते हैं। केंद्रीय सरकार से हमने कहा है, उनसे निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इस दृष्टि से पक्का समझौता हो जाय ताकि ताजेवाला हैडवर्क्स से जमुना नहर से चूरू और झुंझुनूं जिलों में और ओखला नहर से भरतपुर जिले में 7.8 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सके। मामला केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, नर्मदा जल की दृष्टि से 5 लाख एकड़ फीट पानी का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग जालौर व बाड़मेर जिलों में सिंचाई के लिए किया जाएगा। नर्मदा अधिकरण के सामने हमारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। हमने प्रस्ताव उनके सामने रखा है कि वे नहर को इस प्रकार से बनायें ताकि ग्रेविटी के आधार पर दोनों जिलों में सिंचाई का उपयोग कर सकें। जैसा मैंने निवेदन किया, 412 मिलियन घनफीट में से 168 मिलियन घनफीट पानी का उपयोग हम कर सके और उस कारण आज तक हमारा सिंचित क्षेत्र केवल 21.82 लाख एकड़ है। यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कुछ परियोजनाओं को हमने पूरा किया, उसके कारण से हमारी क्षमता इस स्थिति तक पहुंची है किन्तु एक बात और है, खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्राथमिकताओं का विचार हमने योजनाओं में नहीं किया, विशेषकर पंचवर्षीय योजनाओं में तो यह बात बिल्कुल ध्यान में नहीं रखी गई, इतना कम प्रावधान रखा गया कि चौथी योजना में जिन कामों को हमने प्रारंभ किया था वे कर पायेंगे या नहीं, यह खयाल नहीं रखा गया। काम तो शुरू हो गए, चौथी योजना में कामों की मात्रा बहुत ज्यादा प्रारंभ की गई परंतु उसका हस्र क्या होगा, क्या उनके द्वारा सिंचाई सुविधा राज्य के लोगों तक पहुंचा कर उनको राहत दी जा सकेगी, उसका प्रयत्न नहीं हुआ इस कारण इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि आगे जो योजनायें बनाई जायें वे इस प्रकार की हों कि केवल कार्य को प्रारंम्भ करना ही पर्याप्त नहीं समझें बल्कि कार्य की समाप्ति, उससे होने वाली उपलब्धियां दोनों बातें आवश्यक हैं। जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात् इस बात का ध्यान रखा गया है 1977-78 में जो काम हमने पूरे किए और 1978-79 में जो योजनायें रखी हैं, उनमें इस बात का मापदंड रखा है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छे क्षेत्र को हम सिंचाई के अंतर्गत ला सकें। इस दृष्टि से मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 1978-79 के लिए हमने 73.83 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। यह प्रावधान पिछले साल से इस साल 10.6 प्रतिशत अधिक है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रयास रखा है कि जो कांग्रेस सरकार ने काम अधूरे छोड़े थे उन्हें हम पहले पूरा करें। इस वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में हमने सेई डाइवर्शन योजना को पूरा किया है, उसमें 100 फीट ऊंची मिट्टी डाल कर बाद में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

साढ़े चार मील लम्बी सड़क भी उस पर बनायी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामकृष्णदास गुप्ता, आप बीच में व्यवधान नहीं करें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम तो व्यवधान नहीं चिन्तन और मन्थन में लगे हुए हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसी प्रकार हमने जवाई बान्ध में आगे एक हजार फीट का वान्ध बनाया है जो कि गोपालपुरा बान्ध होगा, वह इस साल के जून तक तैयार हो जायगा । उससे 7 हजार 500 एकड़ भूमि सिंचित होगी । पहले जो भूमि सिंचित होती थी उससे 7500 एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी । सेई योजना को जो पूरा किया है उससे इस वर्ष 14 हजार एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई होगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह आंकड़े इसलिये दे रहा हूं कि जनता पार्टी सरकार काम को पूरा करने में विश्वास करती है न कि काम खोल कर बैठ जाने में । इसी प्रकार जैतपुरा योजना को पूरा किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने काम को कम्पलीट नहीं कराने के बारे में काफी अपने विचार व्यक्त किये । इसलिये मैंने यह निवेदन किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब थोडा माही बजाजसागर योजना के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने माही बजाज सागर योजना के बारे में कहा और कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने अपने विचार व्यक्त किये, इनके बारे में जिक्र किया । कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि मेवाड़ की योजनाओं पर राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया है । मैं यहां माही सागर, बजाज सागर डेम के बारे में और जाखम परियोजना के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । हमने यह, उपाध्यक्ष महोदय, चिन्तन किया कि आखिर क्या बात थी कि यह योजना माही सागर, बजाज सागर की पूरी नहीं हुई । उपाध्यक्ष महोदय, यह माही सागर योजना सन् 1960 से शुरू हुई थी। इस पर काफी स्टेगरिंग हुआ यह योजना सन् 60 से घिसटती हुई चली आ रही है । जब हमने चिन्तन किया तो पता लगा कि पुरानी कांग्रेस सरकार ने इस योजना को पूरा करने का पूरी तरह से विचार ही नहीं किया । इसके लिय कभी कम धनराशि स्वीकृत की तो कभी कुछ कमी रख दी । यह माही सागर डेम योजना सन् 1960 से प्रारम्भ की गयी थी और ऐसा अनुमान है कि माही सागर डेम पूरा हो जाने से राजस्थान की करीब 1 लाख 75 एकड़ भूमि इससे सिंचित होगी । साथ ही इस माही सागर डेम परियोजना से 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी होगा । इसके अलावा 33 मेगावाट विजली और पैदा होगी । हमारे यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय आर. ए. पी. पी. पीक लोड कई बार स्टेगेरिंग होता है इसलिये हमने 140 मेगावाट बिजली माही सागर से पीकलोड सप्लाई करने की योजना बनायी है । यह प्रयास शुरू किया है कि यह माही सागर डेम 1980-81 तक पूरा हो जाय । और सन् 1980 से इससे 6 लाख एकड सिंचाई भी शुरू हो जावे । बांसवाड़ा से आने वाले

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय सदस्य इस बारे में चिन्तित थे क्योंकि यह योजना 1960 से घिसटती आ रही थी। जनता पार्टी सरकार ने आने के बाद यह तय किया कि पहले जो अधूरी योजनायें हैं उन्हें पूरा किया जाय। इसमें माही सागर योजना को सन् 1980–81 तक निश्चित रूप से पूरा कर दिया जायगा। इसी दृष्टि से इस ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं। माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि इस वर्ष हमने राजस्थान बजट में 10.85 लाख रुपये, 7 करोड़ और दूसरे गुजरात से यों करके 17.85 करोड़ रुपये का प्रावधान इस योजना को पूरा करने के लिये किया है। इसके अलावा राजस्थान विद्युत मन्डल बजट से 2.85 करोड रुपया और 2.15 करोड रुपया और जुटा कर कुल 22 करोड 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना को 80-81 तक पूरा कर दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बनवासी क्षेत्र के लोगों ने काफी व्याकुलता दिखाई कि उनके यहां पर जाखम परियोजना काफी वर्षों से घिसटती चली आ रही है उसको भी पूरा किया जाय। मैं बनवासी भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना कांग्रेस सरकार ने सन् 70 में प्रारम्भ की थी। फिर कांग्रेस सरकार की घिसटती नीति के कारण यह काम आगे आगे सरकता ही गया। बनवासी भाई यह सोच रहे थे, पता नहीं कब हमारे यहां जाखम योजना पूरी होगी, कब हमारे यहां पानी आयेगा और कब हमारा इलाका हरा भरा होगा। बनवासी भाई, जो कि गरीब हैं और जिनको दो वक्त भर पेट खाना भी नहीं मिलता का ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार का काम था योजना बनाना और उसे पूरा नहीं करके बीच में अधूरे में ही लटका देना। उसने इस योजना पर कोई विचार नहीं किया। हो सकता है इसमें कोई कठिनाई आयी हो, ज्योलोजीकल सर्वे की वजह से कठिनाई आयी हो। जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद इन सारी स्थितियों को देखा। हमने यह तय किया कि इस योजना को चार वर्ष में ही पूरा कर लिया जाय। इस जाखम योजना के बन जाने से हमारे यहां पर इस इलाके में 52 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा मध्यम सिंचाई योजनाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं की ओर भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि यह योजनायें भी पूरी नहीं हो सकीं। जनता पार्टी की सरकार ने आकर यह तय किया, इन योजनाओं की ओर ध्यान दिया जाय हमने यह तय किया कि अगले वित्तीय वर्ष तक ये योजनाएं पूरी कर ली जायं। यह लसाड़िया, भाडोल की योजनायें पूरी हो जाने से करीब दस हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

इसी तरह मेजा डेम की योजना भी काफी अर्से से स्टेगरिंग हो रही थी उसकी ओर भी जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया। इसको भी जल्दी ही पूरा कर दिया जायगा। 79-80 तक मेजा डेम से करीब 10 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने और भी चिन्तायें व्यक्त कीं झालावाड़ और सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सदस्यों ने इस बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की। मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार ने भीमसागर डेम और पाचना बान्ध को भी पूरा कराने की योजना बनायी है। भीम सागर डेम योजना के पूरी हो जाने से वहां पर 51850 एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी।।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1981-82 तक हरिशचन्द्र सागर बांध और सोम बंगला बांध भी। 1981-82 तक पूरा कर लिया जायगा। इससे 40 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकेगी।

मैंने यह सब इसलिए बताया; उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने इन बान्धों की योजनायें बना लीं और कई जगह काम भी शुरू करा दिये लेकिन उन्हें पूरा नहीं कराया। जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद इन कायक्रमों को पूरा करने का संकल्प किया और इन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि हमारे राजस्थान में कई एरिया में सिंचाई होना शुरू हो जाये।

गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पाचना बान्ध के बारे में शंकायें प्रकट की और काफी बातें कही। मैं उस वक्त सदन में बैठा हुआ था। उस वक्त मैंने बोलना उचित नहीं समझा क्योंकि पाचना बान्ध को देखने के लिये तो मैं खुद गया था। ऑन दी स्पाट मैंने जाकर जानकारी प्राप्त की थी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार यह योजना पूरी करने के बारे में विचार कर रही है माननीय सदस्यों को इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये।

इसी तरह से नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कभी भी इन लघु योजनाओं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने कभी भी सौ, दो सौ लाख रुपये से ज्यादा का प्रावधान उनके लिये नहीं किया। अब जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार यह तय किया है कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 475 लाख रुपये का प्रावधान रखें। इस 475 लाख में से 175 लाख रुपये से तो पुरानी जो लघु सिंचाई योजनायें अधूरी पडी थी कांग्रेस जमाने की शुरू की हुई उन्हें पूरा किया जायगा। पहले उनको प्रायोरिटी दी जायगी जो लघु सिंचाई योजनायें अधूरी पड़ी थीं उनको पूरा करने का संकल्प जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जनता पार्टी की सरकार उन्हें पहले पूरा करने को कटिबद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, सूखाग्रस्त क्षेत्र के अन्दर डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में जोधपुर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरी जगह, जहां पर कि यह डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, के माननीय सदस्यों ने काफी शंकायें प्रकट की। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इन योजनाओं के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये 179.24 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है। बांसवाड़ा और आदिवासी क्षेत्रों के लिये 102.24 लाख रुपये का प्रावधान किया है। डी. पी. ए. पी. के कार्य प्रारम्भ हो गये हैं और 18 कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों के लिये हैं। आने वाले वर्ष में 215.52 लाख रुपये डी. पी.

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

ए. पी. के सूखा ग्रस्त क्षेत्र के लिये खर्च किये जायेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में 100 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इससे सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में तो 19336 एकड़ भूमि सिंचित होगी और आदिवासी क्षेत्रों में 14542 एकड़ भूमि सिंचित होगी। माननीय उपाध्यक्ष, हमने आगे आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना पर पूरा विचार किया है। हम अपने प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, कौन सी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, इस प्रदेश के कितने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसका विचार हम लोगों ने करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि 244 लाख मिलियन घनफीट पानी का उपयोग करके 14,42,600 एकड़ भूमि पर सिंचाई करेंगे। इसको ध्यान में रख कर इस पूरी पंचवर्षीय योजना पर 571 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष किया है, और प्रस्ताव बना कर भेजे हैं। हमको लगता है कि वे मन्जूर हो जायेंगे।

उसी के साथ-साथ एक विचार, जो कि विचार के तौर पर उपेक्षा के लायक नहीं है, कई माननीय सदस्यों ने रखा है कि बान्धों की ऊंचाई कम है उसको और बढ़ाया जाये। सीपेज होता है, वाटर लॉगिंग होता है, यह कई समस्याएं थीं। कई बातें हैं जिनके लिए पुरानी सरकार ने विचार नहीं किया। किस प्रकार मोडर्नाइजेशन किया जाये, जिस प्रकार से टेक्नोलोजी अच्छी हो रही है इस प्रकार से कितने ही प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनको दूर करने का विचार किया जाय। इसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 77 करोड़ का प्रावधान मोड़र्नाइजेशन के लिए आगे आने वाली योजना में रखा है। इसके बाद ही इस योजना के द्वारा 3,64,316 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर हम सिंचाई उपलब्ध करा सकेंगे।

एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा, पहले जिसका विचार भी किया है, पिछली सरकार ने जो सर्वे डिविजन था उसको धीरे-धीरे करके कम कर दिया कारण बताया कि प्रदेश के पास धन नहीं हैं, लेकिन सिंचाई कि दृष्टि से कौन सी स्कीम मीडियम, कौन सी वृहत, और कौन सी लघु होगी और इन सारी योजनाओं में से कौन सी योजना पर विचार करें यह सब विभाग ही तय करता है। पिछली बार ऐसा ही हुआ है कि केन्द्र ने पैसा देना तय किया तो हमें होश ही नहीं था कि कौनसी योजना क्या है? राज्य सरकार का विचार है कि एक मास्टर प्लान इस तरह की योजनाओं के लिए बनायेंगे। इसलिए जो सर्वे का डिवीजन है उसके लिय दुगुने पैसे का प्रावधान किया है। उससे सर्वे के लोगों को बढ़ायेंगे और पूरे राजस्थान का सर्वे करायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं जिस क्षेत्र से आया हूं चम्बल नदी का जिक्र करना चाहता हूं .....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : You belong to Rajasthan not Chambal alone

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वहां से विधायक तो हूं।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी : आप अपने क्षेत्र को लेना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र की कमियों को पूरा करें। आपने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है लघु सिंचाई के लिए।

एक माननीय सदस्य : हमारे पाली जिले के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा कि बारां से अने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, यह बात सच है कि प्रारम्भ में ही चम्बल योजना बनी थी उस समय लिफ्ट इरिगेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था लिफ्ट इरिगेशन रैंजिंग फ्राम 10 फीट टू 20 फीट और 30 फीट करते तो 1 लाख के ऊपर एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। जैसा कि माननीय विधायक बता रहे थे, उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन का खर्चा तो बता दिया, लेकिन फ्लो इरिगेशन का खर्चा नहीं बताया। यह बात सत्य है कि लिफ्ट के साथ-साथ फ्लो इरिगेशन का जो खर्चा है उन दोनों को मिलायेंगे तो खर्चा ज्यादा पड़ता है। इसलिए उन्होंने जो आंकड़े दिये उन आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं। पर यह बात सच है ....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह खर्चा तो हो चुका है उसको वापस नहीं ले सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस पर ब्याज लगता है, मेन्टीनेन्स होता है। सब का बतायें।

श्रीमती उजला अरोडा : चम्बल को चर्मवती कहकर बोलिये तो ठीक रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक लाख से अधिक एकड़ और नहरों को आगे बढ़ाने से सिंचित हो सकता है। ऐसी सब कुछ समस्याएं हैं, उनमें बहुत अधिक सीपेज हो रहा है वह नहीं होगा और जो घाटा हो रहा है वह दूर होगा। किसानों को ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज्यादा है। वह रात में धोरों को खोलकर सो जाते हैं और सब जगह पानी ही पानी हो जाता है। इस कारण से इन समस्याओं से लड़ने के लिए और दूसरी ओर सिंचाई की क्षमता बान्धों की बढ़े इस नाते हमने विचार किया है, उसका तखमीना बनाया है, मुझे आशा है कि कोटा बैराज को 4 फीट उंचा बनाने का एक प्रावधान भी हमने किया है। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 4-10 करोड़ रुपया की राशि से यह जलोत्सारण को दूर कर,, लाइनिंग करने का प्रयत्न किया है। आशा है कि इसके कारण जलस्राव में कमी होगी, सीपेज में कमी होगी और जल की क्षमता का उपयोग सिंचाई की दृष्टि से अच्छा किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि मैंने चर्चा की है, हम इस प्रकार से मोडर्नाइजेशन पर पहुंच गये हैं, आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में 2 करोड का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि कहीं पर बन्धों को ऊंचा करें, नहरों को ठीक करें, सीपेज को दूर करें, नहरों में लाइनिंग करायें तो इनका मोडर्नाइजेशन आगे आने वाले वर्ष में होगा।

अब मैं आपके सामने घग्घर नदी पर बान्धों की दृष्टि से कुछ कहना चाहूंगा। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने इसकी चर्चा की है। यह बात सच है कि इसके डिप्रेशन से जगह जगह पानी भर जाता है। पहले यह विचार था कि एवोपरेशन से और एब्जार्पशन से इसका सारा पानी सूख जायेगा। किन्तु एक तरफ तो लगातार पानी आता जाता है दूसरी और पानी नीचे भूमि में पूरा एब्जार्ब नहीं हो पाता है। इस कारण से डिप्रेशन का पानी सूख नहीं पाता है। राज्य सरकार ने इस प्रकार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की योजना बनाई है । राजस्थान फीडर से जो नहर आ रही है आर. डी. 629 तक और राजस्थान फीडर के आर. डी. 165 तक एस्केप के द्वारा इस डिप्रेशन पर और पानी आ जाता है और पानी ही पानी हो जाता है । इस कारण से यह विचार किया है । इस डिप्रेशन के पानी को लिंक चैनल बना कर राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा में डाला जाय । एक और योजना है कि गंग कैनाल की खामर कैनाल को राइट बूक फीडर में डाला जा सकता है । इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच कराई जा रही है। इस तरह से घग्घर का 4-5 लाख एकड़ फीट पानी का प्रति वर्ष सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है । साथ ही साथ सीपेज की समस्या के कारण जो कई गांवों के डूब की समस्या बन गई है वह भी दूर हो सकेगी। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, जो एस्केप बनाया जा रहा है उसके कारण से गांवों में खलबली मची हुई है । जब एस्केप बनाना होता है तो कुछ लोगों की जमीनें तो निश्चित रूप से उसमें आती हैं । तो उनकी चिन्ता स्वाभाविक है, किन्तु पानी निकल जाने के पश्चात सीपेज में सुधार होगा । इस कारण से यह तय किया है । काम प्रारम्भ भी हो गया है । शैडल बांध एस. एस. ए. के अन्दर 300 फीट की क्षमता का एस्केप बनाने का काम प्रारम्भ हो गया है । उसके पूरा होने से 15 फीट के डिप्रेशन से 580 के लेवल तक का खाली किया जा सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहर सिंचाई परियोजना और सिद्धमुख परियोजना पर विचार किया गया है । राजस्थान सरकार समझती है कि यह दोनों आवश्यक हैं । कुछ तकनीकी कठिनाई आ रही है । कुछ उन प्रदेशों से चर्चा चल रही है । इस कारण से इस पर विस्तार से विचार नहीं किया है । किन्तु इन दोनों योजनाओं के लिए हमारी कटिबद्धता है । इनके तखमीने बनाये हैं और केन्द्रीय सरकार को भी इस सम्बन्ध में कहा है । मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं की स्वीकृति होने के बाद ही हम चालू कर सकेंगे ।

थीस हैड वर्क्स के बारे में प्रस्ताव आये हैं । वैसे तो आज अभी सुबह माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास जी गुप्ता और माननीय सुरेशकुमार जी ने उसकी चर्चा की । उसके उत्तर में मैंने कहा था राजस्थान सरकार प्रयत्नशील है । इसके लिए हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । हम कटिबद्ध हैं कि राजस्थान के हकूक पर किसी प्रकार की आंच किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाय । इतनी गारन्टी मैं आपको देना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा से मिलने वाला जो पानी है उसमें हर साल कमी होती जा रही थी । मुझे पता नहीं की पिछली सरकार ने इतने वर्षों तक क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया । हमने प्रयत्न किया कि भाखरा बोर्ड के निर्णय के अनुसार जुलाई में हमें पूरा पानी मिल जाय। इन प्रयत्नों का ही फल है कि इस वर्ष पूरा पानी हमको मिल रहा है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, लिंक चैनल, जो कि राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर के बीच है, में पानी अभी चालू नहीं हुआ । पंजाब सरकार की हठधर्मी की वजह से पिछले दो रोज तक लिंक चैनल नहीं चली है, लेकिन आज खुश खबरी आपके माध्यम

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

से सदन को देना चाहता हूं कि हमारे प्रयास से वह लिंक चैनल भी चल गई है और दोनों और पानी का आना-जाना प्रारम्भ हो गया है।

बाढ़ की समस्याओं के बारे में बहुत चर्चाएं यहां पर की गई हैं विशेष रूप से भरतपुर के संदर्भ में ......

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बुलावा दिया है भरतपुर के कई माननीय सदस्यों ने, निश्चित रूप से उन स्थानों पर जाया जाय और वहां की समस्याओं को समझा जाय मैं इसका वायदा करता हूं, विस्तार में सारी चर्चा नहीं करता कि कितना क्या किया है लेकिन जितना बन सकेगा, समय कम रह गया है फिर भी जोरों से काम चलायेंगे और बाढ़ के पूरे क्षेत्र पर निश्चित रूप से काबू पायेंगे।

श्री सुरेश कुमार : आप मांग पास करा लेवें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पहले उठाया !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग की स्थिरता पर चर्चा की गयी। मैं जानता हूं कि पानी की समस्या ऐसी है कि किसान का खेत डूब जाता है। प्रयत्न किया है कि सिंचायी विभाग में इस प्रकार की कठिनाइयों का अविलम्ब हल हो। मैं आप सब का इस सम्बन्ध में सहयोग भी चाहूंगा। योजना की दृष्टि से चाहे समृद्ध न हो लेकिन इतना कह सकता हूं कि किसान की खेती को सूखने नहीं दिया जावेगा और निश्चित रूप से पानी पहुंचाया जावेगा।

शिकायतों की चर्चा की गयी। एक माननीय सदस्य ने चर्चा की थी। ग्रेड्स और प्रमोशन्स का सवाल उठाया था। मैंने विभाग को आदेश दे दिया है कि 15 और 25 दिन में इस प्रकार की आने वाली जो शिकायतें हैं, चाहे वे एस्टेब्लिशमेन्ट की शिकायतें हों या दूसरी शिकायतें हों उनको पूरा करें नहीं तो प्रार्थी को पत्र के द्वारा सूचित किया जाय कि उस मामले की क्या स्थिति है और कितने दिन में निपटारा हो जावेगा।

करप्शन की यहां पर चर्चा की गयी। बूंदी से आये माननीय सदस्य, केशोरायपाटन, झालरापाटन, झालावाड़ आदि से आये माननीय सदस्यों ने भी करप्शन की चर्चा की। जयपुर से आये माननीय सदस्य ने भी कहा। जैसी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे यह बात बिलकुल सही है लेकिन यदि तथ्यात्मक रूप से मेरे पास कोई भी शिकायत आवेगी तो प्रत्येक प्रकार से उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी और दोषी व्यक्ति को कठघरे में खड़ा किया जावेगा। पिछले दिनों कोटा के क्षेत्र में 7 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। उनमें से पांच को सस्पैन्ड कर दिया गया। छठे में रिश्वत लेते पकड़ा। सातवें में पता नहीं लगा।

मैं जाखम बांध पर भी गया। उसको देखने के बाद मैंने वहां का मैटीरियल लिया। जहां से मैंने चाहा वहां से उन्होंने मुझे मैटीरियल दिया मैंने उसकी यहां पर जांच करायी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जाखम बांध का मैटीरियल का रेश्यो जैसा होना चाहिये वैसा ही निश्चित रूप से निकला। उसके लिये अधिकारी वर्ग बधाई के पात्र हैं। कलंक है तो उसको दूर करना है और उसके लिये सारे अधिकारियों और माननीय सदस्यों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का सहयोग चाहूंगा । सारे अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं लेकिन जो अधिकारी ऐसे हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से वे अपने में सुधार करें । अब आगे यह चीज नहीं चल सकती । हमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है । खत्म नहीं हो तो कम करना है । इसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं । जिन तालाबों से 50 एकड़ से कम भूमि सिंचित होती है उनको पंचायतों को दे रखा है । कई माननीय सदस्यों नें कहा कि उनको सिंचायी विभाग को ले लेना चाहिये । यह एक बड़ी विडम्बना है । एक ओर यह मांग आ जाती है कि पंचायतों से प्राइमरी स्कूलों को वापस लेकर शिक्षा विभाग को ही दे देना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे लेवल पर पंचायतों को अपने अधिकार और कर्त्तव्य को पूरा करने का मौका दिया है । जिस पाये पर जनता सरकार खड़ी है, छोटी-छोटी इकाइयों को अपने अधिकार और कर्तव्यों को पूरा करने के लिये मौका देना चाहिये, तो दूसरी ओर यह समस्या खड़ी हो जाती है । मंत्रिमंडल के सामने इसको मैं रखूंगा । क्या नतीजा निकलता है उसको अभी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं । मैंने दोनों ही पक्षों को सामने रखने की कोशिश की है ।

राजाखेड़ा से आये माननीय सदस्य बड़ी चर्चा करके चले भी गये । मैंने उनसे कहा था कि वे मेरा जवाब सुनने तक हाउस में ठहरें लेकिन वे रुके नहीं । मैं समझता हूं कि उन तक मेरा यह जवाब पहुंच जायगा । उन्होंने यह कहा कि इरिगेशन की रेट्स सरकार बढ़ा रही है । मुझे समझ में नहीं आया कि वे इस प्रकार की बात कह कर कौनसी भावना खड़ी करना चाहते हैं किसी बात का निर्णय होगा तो निश्चित रूप से तथ्य और तर्क के आधार पर होगा । कोई अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहे कह सकते हैं लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं । फिलहाल सरकार के सामने इरिगेशन रेट्स बढ़ाने का सवाल ही नहीं है ।

दूसरी चर्चा की थी कि टेल पर पानी नहीं पहुंचता है । टेल से सिंचायी का कार्य प्रारम्भ हो और उसके बाद पानी ऊपर आये इसके लिये हमारा विभाग तैयार है । हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे ।

एक योजना और बनाई जा रही है कि सोशलिस्टिक पैर्टन पर सिंचायी योजना उपलब्ध कर सकें । रेगुलेटर वहां पर बने । उनको पूरा करने की दृष्टि से हम कुछ कर सकेंगे ।

और भी कई बातों की माननीय सदस्यों ने चर्चा की । मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि वे सब मार्गदर्शक हैं । मैं चाहूंगा बजट का बहुत बड़ा पर्सेन्टेज सिंचायी पर खर्च हो । सिंचायी की बहुत बड़ी आवश्यकता है । मेरे अकेले से काम नहीं होगा। हर चीज पर विचार होगा, निर्णय होगा और प्रदेश को लाभ पहुंचाने के लिये सिंचायी के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री रघुबीर सिंह कौशल : नो प्राफिट नो लॉस वाली बात को आप सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तालाबों की मोरियां पक्की बनाने के लिए मंत्री महोदय ने कोई विचार नहीं रखे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह मैंने कहा कि विचाराधीन है ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय वर्मा जी, बिराजिये ।

श्री मंजूर अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिप्लाई के बाद इस तरह से सप्लीमेन्ट्रीज करने का कोई प्रोवीजन नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जहां नहरें हैं वहां बीच में लोग पानी के लिए तरसे नहीं। ऐसी जालौर में हालत है, नागौर में यही हाल है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बिराजिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नो प्रोफिट नो लॉस वाली बात रखी थी उसका कोई उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया । पहले भी मैंने पूछा था और इस बार भी हम इससे महरूम रहे। मंत्री महोदय का कोई जवाब नहीं आया ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने मार्गदर्शन किया है मैं मंत्रिमण्डल में विचार करूंगा कि क्या करना है? अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ,बिराजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे तालाब और बड़े तालाब दोनों की एक ही रेट है यह चर्चा की थी। काश्तकारों को मुश्किल से पानी मिलता है फिर भी बड़े बांधों की रेट और छोटे बांधों की रेट एक है। इस संबंध में कोई मंत्री महोदय ने घोषणा नहीं की ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अन्तर क्या हुआ ? क्या बड़े बांध से पानी ज्यादा और छोटे से कम मिलता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बड़े बांध से गेहूं की फसल को पानी देने की रेट पौने ग्यारह रुपये है और छोटे तालाबों से एक पानी देने के 11 रुपये लिये जाते हैं। तीस वर्ष हो गये अब भी छोटे और बड़े बांधों की वही रेट ली जाती है मंत्री महोदय इस बारे में कृपया अपनी नीति स्पष्ट करें ।

श्री केदार नाथ : मान्यवर , अभी माननीय सदस्यों ने ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कटमोशन्स का जवाब भेज दूंगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कटमोशन के जवाब भेज देने की बात नहीं है, यह नीति का सवाल है। छोटे और बड़े तालाबों के पानी की एक ही रेट ली जाती है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मांडल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है। उस पर मैं विचार करूंगा । नीति की घोषणा यही हो जाय इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मांग को पारित किया जाये ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामप्रसाद जी, कृपया बिराज जाइये। मंत्री महोदय आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कोई भी गैर कानूनी बात के बारे में आप तथ्य देंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने राजस्थान सरकार की इरिगेशन पालिसी के बारे में यहां काफी प्रकाश डाला। मैं नहीं चाहता कि वह बातें रिपीट करूं। इस डिमाण्ड पर आज बहस हो रही है और माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत सरकार की नेशनल इरिगेशन पालिसी क्या होगी इसके बारे में काफी अच्छी तरह से गहराई से विचार कर रही है। आइन्दा फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में भारत सरकार की निश्चित पालिसी जो डाइरेक्शन्स हमें मिले हैं, मैं दो शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

सरफेस वाटर का ज्यादा से ज्यादा यूटीलाजेशन हो, मोडर्नाइजेशन की तरफ हम ज्यादा जायें. टाइम बाउन्ड प्रोग्राम हो, जो भी प्रोजेक्ट्स हम हाथ में लें उनको कम्पलीट करने के लिए टाइम बाउन्ड प्रोग्राम हो और इन्टेंसिव कल्टीवेशन की ओर भी ध्यान भारत सरकार का है। यह भी मान कर चलना चाहिए कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जितना एरिया इरिगेशन्स में था उससे 100 पर्सेन्ट एरिया ज्यादा स्पिल्ट-अप हो। यह भारत सरकार की पालिसी है।

इस इरिगेशन पालिसी के तहत राजस्थान कैनाल के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की। साथ ही साथ लिफ्ट इरिगेशन के बारे में भी चर्चा की। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि कई बार क्वेश्चन और काल अटेन्शन के जरिये राजस्थान कैनाल और लिफ्ट इरिगेशन के बारे में जानकारी मिलती रही। राजस्थान कैनाल के लिए 30 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया इस वर्ष वह पूरा का पूरा यूटीलाइज किया जायेगा और कोई भी पैसा सेव नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर रेगुलरली फण्ड्स मिलते रहे तो 1983-84 में राजस्थान कैनाल प्राजेक्ट, जो कि नैशनल इम्पार्टेन्स का है, कम्पलीट कर दिया जायेगा। अब इतना पैसा हमको ऋण से मिलेगा। माननीय सदस्यों ने शक पैदा किया, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार बात करेगी तो नेशनल इन्ट्रेस्ट को सेफ गार्ड किया जायेगा और स्टेट के इन्ट्रेस्ट को भी सेफगार्ड किया जायेगा। यह पहला फोरेन कोलोबोरेशन इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार बहुत बड़ा सेफगार्ड, बहुत बड़ा काशश लेगी जब भी नेगोसियेशन फाइनल किया जायेगा। मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में हम पैसा खर्च करते आये हैं, राजस्थान कैनाल पूरी होने के बाद सारे स्टेट की इकानामी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा और नेशनल इकानामी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, लिफ्ट इरिगेशन की बातें काफी यहां पर कही गयीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को बन्द नहीं किया है। जिस इलाके में यह लिफ्ट इरिगेशन जानी थी उस क्षेत्र के विधायकों को विश्वास में लेकर 5 लिफ्ट

(श्री केदारनाथ)

इरिगेशन स्कीम को और हम कम्पलीट करें तो टोटल खर्च 68 करोड़ का आयेगा और हर साल उस पर ½ करोड़ रुपया रेकरिंग मेन्टीनेन्स का खर्च होगा। इसलिए जिस एरिया में सर्व करना चाहते हैं फ्लो इरिगेशन से भी वह एरिया सर्व हो सकते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने इतना तो एश्योर कर दिया जिस एरिया में लिफ्ट इरिगेशन को अडाप्ट नहीं किया जायेगा उस एरिया को हम 500 क्यूसेक्स ड्रिंकिंग वाटर देंगे। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं है। उन्होंने कहा था कि बाड़मेर को ड्रिंकिंग वाटर मुहय्या किया जाये। इस ओर हम कोशिश करेंगे। हम यह बराबर कोशिश कर रहे हैं कि हम पीने का पानी इस योजना के मार्फत दे पायें। लिफ्ट इरिगेशन के प्रास एण्ड कान्स के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जब भी राज्य सरकार निर्णय लेगी तो माननीय सदस्यों को विश्वास में लेगी।

कोलोनाइजेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें तो नहीं कही लेकिन मैं इतना निवेदन कर देता हूं कि कोलोनाइजेशन की स्कीम की फर्स्ट स्टेज कम्पलीट हो गयी थी और काफी सफलता हमने पाई है। 68 हजार लोगों को जमीन अलाट हुई है। आज 6 हजार आदमी ऐसे हैं जिनको हम जमीन नहीं दे पाये। पौंग डेम में लोग हैं, चूरू, नागौर और जोधपुर से लोग वहां जाकर बसे हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 15 (ए) टिनेन्सी एक्ट की धारा के मार्फत जब इस स्कीम को इन्ट्रोड्यूज किया गया, अगर यहां 15 (ए) नहीं होता तो आज उनके परमानेन्ट राइट्स एक्रू होना चाहिए। जिनको खातेदारी राइट्स कहते हैं अब उनको कर दिया गया। माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि सितम्बर, 1977 में इलाके में माननीय सदस्य एम. एल. ए. एम. पी. और आफिशियल्स ने बैठकर आपस में इसके ऊपर बहुत डिस्कसशन किया। कान्शेन वही थी कि इनको सेफगार्ड कैसे किया जाय? आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है उनके राइट्स को रेस्टोर कर दें, ऐसा अमेंडमेंट हम पेश कर रहे हैं।

राजस्थान कैनाल के एरिया में ग्रीन बैल्ट लाना चाहते हैं, फारेस्ट की बैल्ट हो। जो पास्चर है वहां पर फारेस्ट बैल्ट कायम हो जाय, कुछ हमारी डिफेन्स लाइन का भी काम करें। कुछ कमजोरियां रहीं उनको दूर करते हुए साइंटिफिक बेसिस पर निर्माण करना चाहते हैं। जब वक्त आयेगा, हम माननीय सदस्यों से राय लेंगे।

मांग संख्या 38 व 46 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि सरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,75,56,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग सर्वसम्मति से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,31,54, 10,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही आज प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 12.23 बजे बुधवार दिनांक 29 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 540 की सूची)

राजस्थान में महाविद्यालयों की सूची

स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय

क्रम सं०	महाविद्यालय का नाम
1	2
1.	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।
2.	आर० आर० महाविद्यालय, अलवर।
3.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
4.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर।
5.	एस० डी० राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।
6.	एम० एस० जे० महाविद्यालय, भरतपुर।
7.	एम० एल० वी० राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
8.	डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
9.	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी।
10.	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़।
11.	लोहिया महाविद्यालय, चूरू।
12.	राजकीय महाविद्यालय, दौसा।
13.	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर।
14.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़।
15.	राजकीय महाविद्यालय, करौली।
16.	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़।
17.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा।
18.	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली।
19.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर।
20.	बागड़ महाविद्यालय, पाली।
21.	एस० के० महाविद्यालय, सीकर।
22.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही।
23.	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
24.	राजकीय महाविद्यालय, टौंक
25.	मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।

(250)

1	2

स्नातक स्तरीय महाविद्यालय

26. राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड़ ।
27. राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई ।
28. राजकीय महाविद्यालय, बारां ।
29. राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ ।
30. राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल ।
31. राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा) ।
32. राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना ।
33. राजकीय महाविद्यालय, डीग ।
34. राजकीय महाविद्यालय, देवली ।
35. राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर ।
36. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी ।
37. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी ।
38. राजकीय महाविद्यालय, जालोर ।
39. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर ।
40. राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा ।
41. राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी ।
42. राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं ।
43. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) ।
44. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद ।
45. राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना ।
46. राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा ।
47. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ ।
48. राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ ।
49. राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ ।
50. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर ।
51. राजकीय महाविद्यालय, सांभर लेक ।
62. राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा ।
53. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ ।
54. राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर ।
55. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ ।

महिला महाविद्यालय (स्नातक)

56. गौरी देवी महिला महाविद्यालय, अलवर।
57. महारानी सुदर्शना महिला महाविद्यालय, बीकानेर।
58. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर।
59. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
60. जा० दे० बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा।
61. चो० वा० गो० राजकीय महिला महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

सूची—1 भाग—2

राजस्थान में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची

स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय, (पुरुष)

1	2
1.	दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर।
2.	श्री जैन पी. जी. महाविद्यालय, बीकानेर।
3.	जी. बी. पोद्दार महाविद्यालय, नवलगढ़।
4.	खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
5.	सेठ जी. एल. बिहारी महाविद्यालय, श्री गंगानगर।
6.	उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उदयपुर।
7.	विद्या भवन रूरल इन्सटीट्यूट, उदयपुर।

स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालय (महिला)

8. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली।
9. सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर।

स्नातक स्तरीय महाविद्यालय (पुरुष)

10. बो. जे. एस. आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर।
11. चिड़ावा महाविद्यालय, चिड़ावा।
12. एस. पी. यू. महाविद्यालय, फालना।
13. चमड़िया महाविद्यालय, फतेहपुर।
14. लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर।

1	2
15.	अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर।
16.	एस. एस. जी. पारीक महाविद्यालय, जयपुर।
17.	एस. एस. जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर।
18.	सेठ एम. एल. महाविद्यालय, विज्ञान, झुंझुनूं।
19.	बी. डी. टोडी महाविद्यालय, लक्ष्मनगढ़।
20.	एस. एस. महाविद्यालय, मुकन्दगढ़।
21.	बी. एन. महाविद्यालय, उदयपुर।
22.	एम. एल. बी. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर।
23.	लाछु मेमोरियल महाविद्यालय, जोधपुर।
24.	नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़।
25.	नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर।
26.	पी. एस. पी. श्रमजीवी महाविद्यालय, अजमेर।
27.	एम. डी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
28.	श्रोंकारमल सोमानी महाविद्यालय, जोधपुर।
29.	जवाहर विद्यापीठ, कानोड़ (उदयपुर)।
30.	जी. बी. महाविद्यालय, सांगरिया।

स्नातक महाविद्यालय (महिला)

31. कनोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर।
32. इन्द्रा गांधी बालिका निकेतन, अडावता।
33. छोनादेवी सेतिया महिला महाविद्यालय, सुजानगढ़।
34. सोफिया महिला महाविद्यालय, अजमेर।
35. आदर्श डिग्री महाविद्यालय, अजमेर।
36. सत्य साई महाविद्यालय, जयपुर।

सूची–1 भाग–3

राजस्थान में अराजकीय महाविद्यालयों की सूची

1. एस. जी. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
2. एम. के. साबू महाविद्यालय, पिलानी।
3. हितकारी श्रमजीवी महाविद्यालय, कोटा।
4. ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्रीकरनपुर।
5. जी. डी. महाविद्यालय, बडागांव।
6. प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर (अजमेर)।

1	2
7.	मोहता महाविद्यालय, सादुलपुर।
8.	बिरला महाविद्यालय, भवानी मण्डी (झालावाड़)।
9.	श्री जैन तेरापंथी महाविद्यालय, रानावास।

स्नातक स्तरीय (महिला)

1. राजस्थान महिला महाविद्यालय, उदयपुर।
2. श्रीकृष्ण सत्यसिंह बालिका महाविद्यालय, सीकर।
3. वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर।

विश्वविद्यालय कान्स्टीट्यूट कालेज

1. महाराजा महाविद्यालय, जयपुर।
2. महारानी महाविद्यालय, जयपुर।
3. राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर।
4. वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर।
5. लॉ महाविद्यालय, उदयपुर।
6. होम साइन्स महाविद्यालय, उदयपुर।
7. स्कूल आफ बेसिक साइन्स एण्ड ह्यूमेनिटीज, उदयपुर।

सूची—2

अस्थाई एफिलियेशन महाविद्यालयों की सूची

(अ) कला, सोशल साइन्स, साइन्स तथा वाणिज्य संकाय

1	2
1.	राजकीय महाविद्यालय, आबू रोड।
2.	राजस्थान विद्यापीठ विजयसिंह पथिक श्रमजीवी सांध्य महाविद्यालय, अजमेर।
3.	आदर्श डिग्री महाविद्यालय, अजमेर।
4.	गौरीदेवी कन्या महाविद्यालय, अलवर।
5.	इन्द्रा गांधी बालिका निकेतन, अडावता।
6.	राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई।
7.	राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल।

254

1	2
8.	श्रीमती गोमती देवी महाविद्यालय, बडागांव ।
9.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड ।
10.	श्री नेहरू शारदा पीठ, बीकानेर ।
11.	श्री प्रताप महाविद्यालय, विजयनगर ।
12.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।
13.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर ।
14.	बिरला महाविद्यालय, भवानीमण्डी ।
15.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर ।
16.	राजकीय महाविद्यालय, बारां ।
17.	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा ।
18.	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ ।
19.	राजकीय महाविद्यालय, डीग ।
20.	नेहरू महाविद्यालय, देवली ।
21.	सेठ जी० आर० चमड़िया महाविद्यालय, फतेहपुर ।
22.	राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी ।
23	राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी ।
24.	नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ ।
25.	अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर ।
26.	एस० एस० जैन सुबोध महाविद्यालय जयपुर ।
27.	लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर ।
28.	कनोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर ।
29.	श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय, जयपुर ।
30.	वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर ।
31.	राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ ।
32.	श्री एस० बी० राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर ।
33.	राजकीय महाविद्यालय, जालौर ।
34.	मोतीलाल वेगानी राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं ।
35.	जे० डी० बी० कन्या महाविद्यालय, कोटा ।
36.	हितकारी कोआपरेटिव श्रमजीवी सांध्य महाविद्यालय, कोटा ।
37.	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ ।
38.	राजकीय महाविद्यालय, करौली ।
39.	जवाहर विद्यापीठ, कानोड़ ।
40.	राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी ।
41.	भगवानदास तोदी महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ ।

1	2
42.	राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा।
43.	जैन तेरापंथी महाविद्यालय, रानावास।
44.	सेठ एम० बी० राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा।
45.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर।
46.	राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।
47.	एम० के० साबू वाणिज्य महाविद्यालय, पिलानी।
48.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
49.	राजकीय महाविद्यालय, सिरोही।
50.	श्री के० एस० कन्या महाविद्यालय, सीकर।
51.	राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़।
52.	महात्मा गांधी सांध्य महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।
53.	एस० बी० डी० महाविद्यालय, सरदारशहर।
54.	सोना देवी सेतिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़।
55.	जी० एच० एस० राजकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सुजानगढ़।
56.	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर।
57.	मोहता महाविद्यालय, सादुलपुर।

सूची संख्या—3

राजकीय महाविद्यालयों की सूची जिन में राजकीय छात्रावास नहीं हैं:—

1. राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड।
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
3. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़।
4. राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई।
5. राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना।
6. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी।
7. राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं।
8. राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर।
9. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़।
10. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा।
11. राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल।
12. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद।

1	2
13.	राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी ।
14.	राजकीय महाविद्यालय, डीग ।
15.	राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन ।
16.	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ ।
17.	राजकीय महाविद्यालय, देवली ।
18.	राजकीय महाविद्यालय, नागौर ।
19.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ ।
20.	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर ।
21.	राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर ।
22.	राजकीय महिला महाविद्यालय, भरतपुर ।

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

544. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध के तहत कितनी काश्त काबिल जमीन डूब में आई थी तथा डूब की जमीन के एवज में कुल कितना मुआवजा काश्तकारों को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस डूब में आई हुई जमीन पर काश्तकार खेती कर रहे हैं ? अगर हां, तो किन-किन गांवों में कितनी-कितनी भूमि पर खेती हो रही है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या जिलाधीश चित्तौड़ तथा एस. डी. ओ. बेगूं ने राज्य सरकार को इस डूब में आई भूमि को उन्हीं काश्तकारों को जो आज की तारीख में इस जमीन पर काबिज हैं, मुआवजा पुनः सरकार में जमा कराने पर खातेदारी अधिकार पुनः देने की सिफारिश की है ? अगर हां, तो कब और राज्य सरकार अब आगे इस मामले में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राणा प्रताप सागर बांध की डूब में 24007 बीघा काबिल काश्त भूमि अवाप्त की गई थी। उसके मुआवजे के रूप में रुपया 21,37,315/– की राशि सम्बन्धित काश्तकारों को दी जा चुकी है। जवाहर सागर बांध की डूब में 722 बीघा 12 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी और उसके मुआवजे के रूप में 56,063/– की राशि सम्बन्धित काश्तकारों को दी जा चुकी है।

(2) जी हां। बांध के पूर्ण भराव स्तर एवं अधिकतम भराव स्तर के बीच की भूमि में काश्त की जा रही है, निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	नाम ग्राम	रकबा
1	2	3
	राणा प्रताप सागर	
1.	चितौडीया	46-1 1)
2.	गोविन्दपुरा	67-1)

(सिचाई मन्त्री)

1	2	3
3.	दरिबा	91-ıı)
4.	बावडी खेड़ा	13-ııı) 1
5.	खेराट	92-ııı)
6.	मालगढ़	12-ıı)
7.	धीकरा	217) 2
8.	लंगारपुरा	9-ııı)
9.	आनन्दपुरा	18-ı)
10.	खपपुरा	2)
11.	मुवाघा	166-ı) 4
12.	नीम का खेड़ा	6-ı)
13.	कवरपुरा	119-ı) 4
14.	देवपुरा	103-ı) 4
15.	गोपालपुरा	447-ıı)
	जवार सागर बांध	
1.	हाजीपुरा	36-ıı)3
2.	भैंसरोड़गढ़	75) 3
3.	जगपुरा	113-ııı)

(3) जिलाधीश, चितौड़गढ़ के पत्र क्रमांक राजस्व/20 सूत्री/195 दिनांक 22-2-77 के अनुसार ऐसी सिफारिश की गई है। विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कार्यालय जिलाधीश, चित्तौड़गढ़

क्रमांक राजस्व/194 दिनांक 10 मार्च, 78

निमित्त :—

अधीक्षण अभियन्ता,
राणा प्रताप सागर एवं
जवाहर सागर बांध, वृत्त कोटा

विषय: —तारांकित प्रश्न अल्पकाल सूचना प्रश्न संख्या 1 /सि० मं०

प्रसंग :—अधिशाषी अभियन्ता रा० प्र० सा० रावतभाटा के पृष्ठांकन तक/ एफ/4 (1) 78/341/एच दिनांक 3-2-78.

महोदय,

तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में आइटम संख्या 2 व 3 का उत्तर इस कार्यालय तालुक बताते हुए जवाब सीधे आपको भेजने की सूचना अधिशाषी अभियन्ता, राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा से प्राप्त होने पर निवेदन है कि आर० नं० 2 की सूचना सीधे तौर पर तहसीलदार बेगूं या नायब तहसीलदार रावतभाटा से प्राप्त करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता को सूचना दी गई है। जहां तक आइटम नं० 3 का सम्बन्ध है उसके लिये निम्न प्रकार उत्तर है:—

आइटम नं० (3)

हां, यह सही है कि जिलाधीश कार्यालय चित्तौड़गढ़ से राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध के डूब में आने वाली जमीन में से जो भूमि डूब में नहीं आती है उनको कृषकों से मुआवजा वापस वसूल कर उनके खाते दर्ज करने व जो भूमि डूब से बाहर निकलती है और जो खातेदार कृषक स्वयं ही काश्त करते हैं उनको भी मुआवजा वापस जमा कराने पर खातेदारी में दर्ज करने के लिए राज्य सरकार को राजस्व (उप-निवेशन) विभाग, जयपुर को प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/ 20 सूत्री/195 दिनांक 2?-2-78 को भेजा गया था इसके बाद फिर दिनांक 20-4-77 को राजस्व सचिव महोदय के कक्ष में इस मामले में विस्तृत नोट प्रस्तुत किया गया था। यह नोट जरिये पत्रांक राजस्व/48/77/569 दिनांक 19-4-77 को प्रस्तुत किया था इसी सिलसिले में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के रावतभाटा आगमन पर 28-8-77 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/ 48/77/1471 दिनांक 24-9-77 को रिपोर्ट प्रेषित की थी। इसके बाद फिर जरिये क्रमांक राजस्व/48/77/1544 दिनांक 17-10-77 को रिपोर्ट राजस्व

260

(ग्रुप 3) विभाग को भेजी गई थी। इस मामले में राज्य सरकार का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

ह०
जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज०)

क्रमांक राजस्व/194 दिनांक 10 मार्च, 1978

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, राणा प्रताप सागर, रावतभाटा के पास उनके पत्रांक तक/एफ (1)/78/341/एच दिनांक 2-3-78 के क्रम में भेजी जावे।

ह०

जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज०)

झुन्झुनूं जिले में चोरियों एवं डकैतियों के मामले

545. श्री मालाराम (खेतणी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झुन्झुनूं जिले में जनवरी, 1975 से जनवरी, 1978 तक कुल कितनी चोरियां एवं डकैतियां हुई? उनमें से कितनी बरामद हुई और कितनी पैंडिंग हैं? पैंडिंग हैं तो क्यों? कृपया थानेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

झुन्झुनूं जिले में जनवरी, 1975 से जनवरी 1978 तक 846 चोरियां एवं 17 डकैतियां हुई, उनमें से 282 चोरियां व 8 डकैतियां बरामद हुई तथा इस समय 83 चोरियां व 1 डकैती का मुकदमा पैंडिंग है। जेर तफतीश मुकदमों की थानेदार तालिका संलग्न है।

जिला झुन्झुनूं में जेर तफतीश मुकदमात वर्ष 1978 की थानावार तालिका

क्र. सं.	मुकदमा नं.	तारीख	धारा	पेंडिंग रहने के कारण
1	2	3	4	5
थाना झुन्झुनूं				
1.	70	13-7-77	411 ता० हि०	अनुसंधान राज्य अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

1	2	3	4	5
25.	3	16-1-78	454/376 ता० हि०	चालानी आदेश लेना है।
थाना मंडावा				
26.	34	2-9-77	379 ता० हि०	पतारसी जारी है।
27.	50	20-12-77	392 ता० हि०	"
28.	2	14-1-78	380 ता० हि०	"
29.	3	16-1-78	494/425/ 437/498/347 ता० हि०	तकमील तफतीश बाकी है।
30.	4	19-1-78	457/380 ता० हि०	पतारसी जारी है।
31.	5	21-1-78	457/380 ता० हि०	"
32.	7	24-1-78	379 ता० हि०	"
थाना पिलानी				
33.	66	3-11-77	457/380 ता० हि०	तलाश माल मुल्जिमान।
34.	76	27-11-77	457/380 ता० हि०	"
35.	2	7-1-78	380 ता० हि०	पतारसी जारी है।
36.	5	27-1-78	379 ता० हि०	"
37.	6	2-2-78	384 ता० हि०	तकमील तफतीश जारी है।
38.	9	7-2-78	457/380 ता० हि०	तलाश माल मुल्जिमान जारी है।
39.	12	17-2-78	457/380 ता० हि०	"
40.	15	28-2-78	457/380 ता० हि०	"
41.	84	31-12-77	457/380 ता० हि०	"

1	2	3	4	5
2.	136	8-11-77	379 ता० हि०	पतारसी का प्रयास जारी है।
3.	150	5-12-77	379 ता० हि०	"
4.	151	8-12-77	379 ता० हि०	"
5.	154	11-12-77	457/380 ता० हि०	"
6.	155	13-12-77	379 ता० हि०	"
7	157	14-12-77	382/327 ता० हि०	तकमील तफतीश बाकी है।
8.	161	23-12-77	379 ता० हि०	पतारसी जारी है।
9.	163	16-12-77	379 ता० हि०	"
10.	1	1-1-78	379 ता० हि०	"
11.	8	5-1-78	380 ता० हि०	तकमील तफतीश बाकी है।
12.	10	7-1-78	380 ता० हि०	पतारसी जारी है।
13.	13	16-1-78	457/380 ता० हि०	"
14.	14	18-1-78	457/380 ता० हि०	"
15.	15	20-1-78	392 ता० हि०	"
16.	17	21-1-78	457/380 ता० हि०	"
थाना मलसीसर				
17.	18	1-6-76	379 ता० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
18.	18	19-8-77	457/380 ता० हि०	"
19.	20	18-9-77	457/380 ता० हि०	"
20.	28	9-11-77	379 ता० हि०	"
21.	29	14-11-77	"	"
22.	35	24-12-77	"	"
23.	1	1-2-78	456 ता० हि०	तकमील तफतीश जारी है;
24.	2	10-1-78	457/380 ta० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।

1	2	3	4	5
थाना सूरजगढ़				
42.	1	1-1-78	379 ता० हि०	तलाश माल मुल्जिमान जारी है।
43.	2	4-1-78	457/380 ता० हि०	"
44.	5	9-1-78	457/380 ता० हि०	"
45.	8	31-1-78	458 ता० हि०	"
थाना चिड़ावा				
46.	85	5-12-77	457/380 ता० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
47.	86	8-12-77	457/380 ता० हि०	"
48.	89	24-12-77	457/380 ता० हि०	नतीजा देना शेष है।
49.	4	24-1-78	457/380 ता० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
50.	5	24-1-78	379 ता० हि०	"
51.	6	27-1 78	457/380 ता० हि०	"
थाना मुहाना				
	—	—	—	—
थाना गुढ़ा				
52.	79	1-11-77	379 ता० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
53.	3	13-1-78	457/380 ता० हि०	"
54.	4	18-1-78	457/380 ता० हि०	"

Page No. 264

(264)

1	2	3	4	5
55.	5	18-1-78	457/380 ता० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
56.	6	25-1-78	379 ता० हि०	तकमील तफतीश शेष है।
57.	9	12-2-78	,,	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
थाना उदयपुर				
58.	93	9-12-77	395/397 ता० हि०	राज्य अपराध शाखा में जेर तफतीश है।
59.	97	24-12-77	380 ता० हि०	तकमील तफतीश शेष है।
60.	5	21-1-78	379 ता० हि०	पतारसी जारी है।
थाना सिवाना				
61.	71	28-12-77	379 ता० हि०	कार्यवाही शनाख्तगी बाकी है।
62,	2	15-1-78	457/380 ता० हि०	पतारसी जारी है।
थाना खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट				
63.	4	16-1-78	457/380 ता० हि०	पतारसी जारी है।
64.	5	7-2-78	379 ता० हि०	,,
थाना खेतडी				
65.	74	5-8-77	457/380 ता० हि०	कार्यवाही शनाख्तगी माल शेष है।
66.	95	21-9-77	379 ता० हि०	पतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
67.	131	29-12-77	349 ता० हि०	,,
68.	1	3-1-78	380 ता० हि०	तलाश माल मुल्जिमान जारी है।
69,	3	11-1-78	457/380 ता० हि०	,,

1	2	3	4	5
70.	4	11-1-78	457 ता० हि०	तलाश माल मुल्जिमान जारी है
71.	6	25-1-78	379 ता० हि०	,,
72.	7	,,	379 ता० हि०	,,
73.	8	27-1-76	380 ता० हि०	तकमील तफतीश बाकी है।
74.	8	29-1-78	457/380 ता० हि०	फतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
थाना नवलगढ़				
75.	123	3-1-77	379/411 ता० हि०	फतारसी जारी है।
76.	126	12-11-77	457/380 ता० हि०	,,
77.	129	17-11-77	457/380 ता० हि०	कार्यवाही शनाख्तगी बाकी है।
78.	123	21-11-77	457/380 ता० हि०	नतीजा देना है।
79.	137	11-12-77	457/380 ता० हि०	तलाश माल मुल्जिमान जारी है।
80.	139	13-12-77	379 ता० हि०	तकमील तफतीश शेष है।
81.	147	31-12-77	457/380 ता० हि०	फतारसी माल मुल्जिमान जारी है।
82.	1	5-1-78	457/380 ता० हि०	,,
83.	2	,,	457/380 ता० हि०	,,
84.	5	17-1-78	457/380 ता० हि०	,,

राज्य की पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को सुविधाएं

546. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ी हुई जातियों की भी सूची समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित की हुई है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

266

(श्री शंकरलाल)

(2) इन पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं किन-किन विभागों द्वारा दिये जाने का प्रावधान है ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इन जातियों के लोगों को भी सरकारी नौकरी में कुछ आरक्षण और इनके कल्याण हेतु आयोग गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इन अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के सभी स्तर पर ट्यूशन फीस की पूरी तथा अन्य फीसों में आधी फीस की छूट है । इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है ।

(3) जी नहीं । इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है ।

(C) OTHER BACKWARD CLASSES

I. Throughout the State except Ajmer District: –

1. Banjare
2. Baori
3. Badera
4. Bagaria
5. Bhat
6. Bhoi (Sagarvanshi Mali)
7. Cheeta
8. Chamata
9. Dakot
10. Damami
11. Daroga
12. Dhandi
13. Dhankar
14. Dhobi
15. Dholi
16. Gaderia
17. Gadio Lohar
18. Ghanacha
19. Ghanchi
20. Hazuree
21. Hela
22. Jogi
23. Julaha
24. Kahar
25. Kalal
26. Kangi
27. Kanvi
28. Khant
29. Kharol
30. Kumhar
31. Labana
32. Lakhera
33. Lohar

34. Merat and Mer
35. Mehra
36. Maha Brahmin
37. Miras
38. Merasi
39. Mogia
40. Nagarchee
41. Nai
42. Naik
43. Nairia
44. Ood (Beldar)
45. Patwa (Phadal)
46. Pinjara
47. Rai
48. Raona Rajput
49. Rawat
50. Rebhari
51. Sad
52. Sonsi (Sehar)
53. Satia (Sindhis)
54. Sikligbar
55. Sirkiwala
56. Teli
57. Thatera

II. In Ajmer District: -

1. Aheer
2. Banjare
3. Cheeta
4. Daroga
5. Dhakad
6. Gadolia
7. Gujar
8. Jat
9. Kahar
10. Khati
11. Kumhar
12. Lodha
13. Lohar
14. Mali
15. Mena
16. Merat
17. Nai
18. Nayar
19. Rawat
20. Rebhari
21. Sadhu
22. Teli
23. Scheduled Castes who have embraced Christian religions.

राज्य में कार्यरत सी० ए० एस० डाक्टर

547. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने सी० ए० एस० डाक्टर्स राज्य सेवा में हैं और पांच वर्ष से ज्यादा समय से एक ही शहर या गांव में कितने सी० ए० एस० डाक्टर सेवा में कार्यरत हैं ?

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

(2) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से संबन्धित चिकित्सालय में क्लीनिक साइड में ऐसे कितने चिकित्सक अध्यापक हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा मे यहां कार्यरत हैं ?

(3) राजस्थान राज्य सेवा में ऐसे कितने पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स हैं जिन्हें प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में न लगाकर अन्य छोटी डिस्पेन्सरी में लगा रखा है ?

(4) ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टर्स की योग्यताओं का उपयोग प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स में क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टर्स अपने अन्य कालेज में स्थानान्तरण का विरोध करते हैं और ऐसे आदेशों की पालना न कर दवाव डाल कर स्थानान्तरण निरस्त करवा लेते हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान में 2136 सी. ए. एस. डाक्टर कार्यरत हैं तथा वर्तमान में 68 सी. ए. एस. डाक्टर पांच वर्ष से ज्यादा समय से एक ही शहर या ग्राम में कार्यरत हैं।

(2) इस महाविद्यालय से सम्बन्धित चिकित्सालयों में क्लीनिकल साइड में 16 चिकित्सक अध्यापक हैं जो गत 10 वर्षों से यहां सेवा में कार्यरत हैं।

(3) 41 पोस्ट ग्रेजुएट सी. ए. एस. विभिन्न डिस्पेन्सरीज में कार्यरत हैं।

(4) यथासम्भव पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टरों का वह पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाता है और विभाग का यह प्रयास रहता है कि ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टरों का उपयोग ऐसे अस्पतालों में ही किया जाय जहां वे जनता की अधिक सेवा कर सकें। अधिकांश पोस्ट ग्रेजुएट डाक्टरों का पदस्थापन जिला चिकित्सालयों में इस कारण किया जाता है कि वहां उपलब्ध उपकरणों/साधनों के माध्यम से जनता को लाभ मिल सके।

(5) यह समस्या स्थानान्तरित डाक्टर्स की अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने की योजना

548. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार ने क्या तरीके अपनाये हैं और क्या भ्रष्टाचार दिनांक 30-6-77 से घटा है और आयन्दा इसको समाप्त करने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का पुनर्गठन कर इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये हर तरह से समुचित वातावरण भी बनाया जा रहा है। जी हां, भ्रष्टाचार दिनांक 30-6-77 से काफी घटा है।

बिजली के न्यूनतम चार्ज

549. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किसानों को 24 घन्टे निरन्तर विद्युत देने का आश्वासन देकर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने न्यूनतम चार्ज तय किया है ?

(2) अगर हाँ, तो क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जब-जब विद्युत् की सप्लाई में कटौती करता है, किसानों के न्यूनतम चार्ज में उसी अनुपात में कटौती करता है ? यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का सोच रही है जिससे कि राज्य के किसान वर्ग में इस अनावश्यक अर्थभार से मुक्ति मिल सके ? यदि अभी तक कोई निर्णय न लिया गया हो तो क्या राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार करने का इरादा रखती है ताकि राज्य के किसानों को राहत मिल सके और उनसे वास्तविक खर्चे के बिल का भुगतान कराया जा सके ?

उत्तर

(1) विद्युत् मण्डल अपने उपभोक्ताओं को बिजली उनकी मांग के अनुसार देता है। विद्युत् मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने हेतु पूंजीगत खर्चा करना पड़ता है। अतः इन पूंजीगत खर्चों पर ब्याज तथा विद्युत सप्लाई के रख रखाव पर होने वाले खर्चे के लिये न्यूनतम चार्जेज लिये जाते हैं। मिनिमम चार्जेज का खर्च किसी भी उपभोक्ता के 24 घन्टे लगातार बिजली खर्च के बराबर नहीं है।

(2) किसानों को दी जाने वाली बिजली पर सामान्यतः कोई कटौती नहीं की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर लोड स्टेगरिंग किया जाता है। अब तक जब भी कटौती की गई है, कृषि उपभोक्ताओं को उससे मुक्त रखा गया है, अतः न्यूनतम चार्जेज में छूट देने का कोई प्रश्न नहीं है।

(3) कृषि कार्य हेतु बिजली की कोई कटौती नहीं की गई है। अतः न्यूनतम चार्जेज कटौती के अनुसार कम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सालासर में पेय जल की व्यवस्था

550. श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :—क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील में आर. आई. सी. सर्किल सालासर के लगभग पचास गांवों का पानी खारा एवं बिरासा है जिससे आये साल हजारों पशुओं की मौत हो जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि उन गांवों के निवासी पीने के पानी की समस्या से बड़े परेशान हैं ? यदि हां, तो पी. एच. ई. डी. ने अब तक इन गांवों को मीठा पानी सुलभ कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या राज्य सरकार सम्बन्धित गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए अविलम्ब विशेष योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर बनाने के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) आर. आई. सी. सर्किल सालासर तहसील सुजानगढ़ की सीमा की जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। लेकिन सह यही है कि मास्टर प्लान के अनुसार सालासर के आसपास के अधिकांश ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त हैं। पशुओं के मरने के बाबत सूचना इस विभाग के पास नहीं है।

(2) समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की कठिनाई से ग्रामीण परेशान रहते हैं, यह सामान्य बात है। आयोजना समिति के प्राथमिकताओं सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, धन की उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यवाही की जाना सम्भव है।

(3) इसका उत्तर खण्ड (2) में दे दिया गया है।

ग्रामीण पेय जल योजना

551. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की को कृपा करेंगे:–

(1) ग्रामीण पेय जल योजना में जिन गांवों की जनसंख्या सन् 1971 में ढाई हजार नहीं थी परन्तु वर्तमान में राशन कार्ड के आधार पर वहां आबादी यदि ढाई हजार हो गई है तो वहां के पेय जल की राज्य सरकार के पास क्या योजना है ?

(श्री गोविन्द सिंह शक्तावत)

(2) कुंभलगढ़ तहसील के कितने गांव पेय जल योजना में सम्मिलित किये गये हैं ?

(3) कुम्भलगढ़ तहसील आमेट (जिला उदयपुर) की जल योजना जो पूर्व में ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत थी किन्तु वहां अब नगरपालिका है वहां पेय जल संकट के निवारण के लिए राज्य सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें तैयार करने के लिए सन् 1971 की जनगणना पुस्तिका के अनुसार जनसंख्या को आधार माना जाता है। न की राशन कार्ड की। योजना का प्रारूप आगे के 30 वर्षों की सम्भावित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये तैयार किया जाता है।

(2) अभी तक कुम्भलगढ़ तहसील के चार ग्रामों को पी. एण्ड टी. पेय जल योजना में सम्मिलित किया जा चुका है, जिनमें से 3 गांवों में योजनाएं संधारण में है। एवं एक गांव की योजना पर कार्य चल रहा है।

(3) आमेट में अभी करीब 12 गेलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस गांव को नगरपालिका से घोषित किये जाने के पश्चात् इस गांव की संशोधित योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है लेकिन इसकी स्वीकृति के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हो सका है।

ग्राम लाम्बा में नहरों के विकास पर व्यय की गई राशि

552. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम लाम्बा, पंचायत समिति बिलाडा के आबयाना शुल्क के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि बनती है और पिछले तीस वर्षों में कितना-कितना रकबा सिंचित किया गया व इस गांव की नहरों के विकास पर पिछले तीस वर्षों में कितना-कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले 30 वर्षों में लाम्बा गांव की नहरों के विकास हेतु सिंचाई विभाग द्वारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या भविष्य में सिंचाई विभाग ने ग्राम लाम्बा, बाला, मालकोसनी आदि गांवों की नहरों को पक्का बनाने हेतु कोई योजना बनाई है ?

272

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) ग्राम लाम्बा पंचायत समिति बिलाड़ा के पिछले 30 वर्षों की सिंचाई व आबयाना शुल्क के आंकड़े संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं। इस ग्राम की नहरों के विकास पर पिछले 30 वर्षों में कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(2) जी हां। नहरों को पक्का बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम लाम्बा से सिंचित क्षेत्र व सिंचाई शुल्क के आंकड़े (1947-48 से 1976-77)

वर्ष	सिंचित क्षेत्र बीघा में	सिंचाई शुल्क
1947 से 1955	—	—
1955-56	2955	—
1956-57	3220	7214.26
1957-58	498	1090.22
1958-59	755	1149.80
1959-60	280	448.16
1960-61	—	—
1961-62	1916	5748.98
1962-63	1317	3748.86
1963-64	—	—
1964-65	321	513.36
1965-66	285	455.76
1966-67	—	—
1967-68	—	—
1968-69	2160	4210.02
1969-70	—	—
1970-71	—	—
1971-72	—	—
1972-73	—	—
1973-74	869	2514.86
1974-75	—	—
1975-76	2140	12840.90
1976-77	4074	24446.80

राज्य में अपराधों की वृद्धि

553. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि पुलिस महानिरीक्षक श्री गणेशसिंह ने दिसम्बर, 1977 के अन्त में एक संवाददाता सम्मेलन में यह सूचना दी कि राजस्थान में इस वर्ष ग्यारह महीनों में पिछले वर्ष के मुकाबले दस हजार एक सौ सात अपराध अधिक दर्ज किये गये हैं और सभी प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है ? यदि हां, तो क्यों तथा इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस कार्यों में भी शिथिलता आई है? यदि हाँ, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े संलग्न हैं। अपराधों की वृद्धि को रोकने हेतु पुलिस गश्त/नाकाबन्दी जरायम पेशाओं के विरुद्ध विरोधात्मक कार्यवाही तथा राजस्थान की सीमाओं से लगते प्रान्तों के सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। डकैतियों को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं पर से लगती राजस्थान की सीमाओं पर विशेष चौकियां स्थापित कर उन्हें वायरलेस से जोड़ दिया गया है एवं जिला भरतपुर व सवाई माधोपुर में एक-एक अपर अधीक्षक पुलिस का नया पद सृजित कर दिया गया है।

(2) जी नहीं।

कम्परेटिव फिगर तीन साला जनवरी से माह नवम्बर तक वर्ष 1975, 1976 व 1977

शीर्षक	जनवरी से नवम्बर, 75	जनवरी से नवम्बर, 76	जनवरी से नवम्बर, 77	अन्तर 1975	अन्तर 1976
1	2	3	4	5	6
1. डकैती	126	95	127	+ 1	+ 32
2. लूट	1153	1191	1513	+ 360	+ 322
3. हत्या	665	613	638	— 27	+ 25
4. बलवा	5599	5430	7549	+ 1950	+ 2119

(गृह मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7
5.	नकबजनी	8093	7538	7562	—531	+ 24
6.	पशु चोरी	1785	1843	2134	+ 349	+ 291
7.	अन्य चोरी	10166	8744	11521	+1355	+ 2777
8.	अन्य अपराध	19769	21763	26285	+ 6516	+ 4517
	टोटल	47356	47222	57329	+ 9973	+ 10107

वर्ष	जनवरी से माह नवम्बर तक चोरी गई सम्पति	बरामद हुई सम्पत्ति	प्रतिशत
1. 1977	2,58,30,383.00	1,35,96,149.00	52.64
2. 1976	2,24,57,620.00	1,40,23,937.52	62.45
3. 1975	2,64,74,087.29	1,48,37,411.00	56.04

राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन

554. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वाहनों की संख्या कितनी है ? क्या उक्त वाहन जनोपयोगी हैं ? यदि नहीं, तो वाहनों को यात्रा के लिये उपयोगी बनाने के लिये राज्य सरकार क्या इरादा रखती है ?

(2) क्या राज्य सरकार सवारियों को सुविधा देने के लिये कोई योजना क्रियान्वित करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?

(3) राजस्थान में राष्ट्रीय कृत मार्गों की किलोमीटर में कितनी दूरी है ? राज्य सरकार के पास अन्य किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का मामला विचाराधीन चल रहा है ? यदि हां, तो कौन से मार्ग का ?

(4) यात्री बसों से निगम को सन् 1977-78 में कितना घाटा अथवा लाभ हुआ ? निगम की आय वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार क्या इरादा रखती है ?

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

(5) निगम में वर्तमान में प्राइवेट मालिकों की कितनी यात्री बसें अनुबन्ध पर हैं ? क्या राज्य सरकार प्राइवेट वाहन लेने का इस वर्ष कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या होगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम के पास 1783 वाहन हैं। इनमें से 1538 वाहन आन रोड हैं। ये सभी वाहन उपयोगी हैं।

(2) वर्ष 1978–79 की अवधि में यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु 50 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है। यह राशि निर्माणाधीन बस स्टेशन्स को पूर्ण करने, नये बस स्टेशन्स का निर्माण तथा वर्तमान बस स्टेण्डों के विकास पर खर्च की जायेगी। निगम द्वारा यात्री सुविधाओं पर 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) राजस्थान में अब तक 11,967 कि० मी० मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।

जिन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनायें अन्तिम रूप से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर प्रकाशित की जा चुकी हैं व जिन पर निगम द्वारा अभी वाहन संचालन अपेक्षित है, सूची सदन के पटल पर रख दी गई है तथा उन मार्गों की सूची जिनके राष्ट्रीयकरण हेतु मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68 (सी) के अन्तर्गत प्रारूप योजना प्रकाशित कर अनुमोदन की कार्यवाही चालू है सदन के पटल पर रख दी गई है। निगम को वर्ष 1977–78 में माह जनवरी, 78 तक अनुमानित 117.35 लाख का घाटा हो चुका है। आय में वृद्धि करने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :--

1. खर्चे में कमी के सुझाव देने के लिये दिनांक 14–2–78 को एक समिति का गठन किया गया है।

2. डीजल खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से गति नियन्त्रक लगाये जा रहे हैं।

3. डीजल आय तथा टायर प्रोत्साहन योजनायें लागू की जा रही हैं।

(4) चैकिंग को अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है।

(5) यात्री किराया बढ़ाया जाने का प्रस्ताव है।

निगम के पास इस समय 61 निजी वाहन अनुबन्ध पर हैं तथा लगभग 200 वाहन अनुबन्ध पर और लेने की योजना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(276)

नगर परिषद् जोधपुर द्वारा कचरा पात्र की खरीद

555. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर परिषद् द्वारा कचरा पात्र टेण्डर द्वारा दरें मांग कर, कितने और कब निर्मित कराये गये ?

(2) उक्त कचरा पात्र की दर क्या थी और इस पर कुल राशि कितनी व्यय की गई तथा कचरा पात्र अब कितने बचे हुये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कचरा पात्र कम सीमेन्ट मिश्रण के होने से मिट्टी के घड़ों की तरह टूट गये और जनता की नजर से बचाने के लिये इनको दूर कहीं रातों-रात फिकवाया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार कचरा पात्र घोटालों की हो रही जांच तुरन्त पूर्ण करवायेगी ? जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और कौन जांच कर रहा है ?

उत्तर

(1) माह अक्टूबर, 1976 में 360 कचरा पात्र निर्मित कराये गये।

(2) दर 207/– प्रति नग थी। कुल राशि 74100/– व्यय हुई। 273 कचरा पात्र बचे हुये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग व जिलाधीश, जोधपुर इस मामले में जांच कर रहे हैं।

निदेशक एवं आयुर्वेद अधिकारियों के रिक्त पद

556. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 8 माह से आयुर्वेद निदेशक का स्थान रिक्त है ? यदि हां, तो अब तक निदेशक की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारियों के स्थान काफी दिनों से रिक्त हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 59 से जिला सवाई माधोपुर में 65 औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं ?

(श्री गोविन्द सहाय)

(4) क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा कई वर्ष पहले हो चुकी है ? यदि हां, तो आज तक कर्मचारियों की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

(5) इस वर्ष सवाई माधोपुर जिले में औषधालय भवन संवारण के लिए कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों में संशोधन का अब मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) वर्तमान में दो पद जिला आयुर्वेद अधिकारियों के रिक्त हैं। पद भरने के लिए प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) औषधालय भवन सुधारने के लिये 3000.00 रुपया स्वीकृत किया गया है।

नगर परिषद्, ब्यावर में सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

557. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर परिषद् में वाटर वर्क्स एवं सड़क मकानों का काम देखने को सहायक अभियन्ताओं की जगह खाली है ? अगर हां, तो कब से खाली है और अभी तक वो जगह क्यों खाली है ?

(2) ब्यावर नगर परिषद् में श्री लाजपतराय मलहोत्रा किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं ? इनकी योग्यता क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री मलहोत्रा मामूली इलेक्ट्रिक डिप्लोमा पास हैं और इनको ए० ई० एन० वाटर वर्क्स की पोस्ट पर अनियमित पदोन्नति कर दी गई ? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति किस आफिसर ने की ? उस आफिसर के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता जलदाय का स्थान रिक्त नहीं है। सहायक अभियन्ता, मकान एवं सड़क का पद दिनांक 18-4-77 से रिक्त है। मगर यह कार्य भी सहायक अभियन्ता (जलदाय) ही देख रहे हैं क्योंकि परिषद् इस पद को अभी भरने की आवश्यकता नहीं समझती है।

(2) श्री लाजपतराय मलहोत्रा नगर परिषद्, ब्यावर द्वारा संचालित वाटर वर्क्स के सहायक अभियन्ता के पद पर नियोजित हैं। श्री मलहोत्रा की योग्यता निम्न प्रकार है :—

1. कंपीटेन्सी इन्जीनियर की परीक्षा, 1947 में लाहौर से पास की।
2. इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर की कंपीटेन्सी परीक्षा राजस्थान, जयपुर से पास की।

(3) जी नहीं, पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमानुसार की गई है।

पंचायत विभाग के अन्दर चलने वाली शालाओं का शिक्षा विभाग के अधीन स्थानान्तरण

558. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

( ) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग के अन्तर्गत शिक्षा व्यवस्था और राजकीय स्तर पर चालित शिक्षा में फर्क है ?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय व्यवस्था के अनुसार अध्यापक की नियुक्ति होती है, जब कि इसमें छात्र संख्या पर नियुक्ति होती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कारण पढ़ाई का स्तर नहीं बनता ? यदि हां, तो पंचायत विभाग के अन्तर्गत आने वाली शालाओं को राज्य सरकार कब शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करने का सोच रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

नियोजन कार्यालय झुन्झुनू में दर्ज बेरोजगार व्यक्ति

559. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) झुन्झुनू जिले के नियोजन कार्यालय में वर्तमान में कितने बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज हैं ? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) पिछले एक वर्ष में झुन्झुनू जिले में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) इन बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार के लिये राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले के नियोजन कार्यालय में दिनांक 31-12-77 को रोजगार प्राप्त करने हेतु 15,733 पंजीकृत थे। इन आशार्थियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) दिनांक 1-3-77 से 28-2-78 तक की अवधि में नियोजन कार्यालय झुन्झुनू के माध्यम से 837 आशार्थियों को रोजगार दिलाया गया है। इनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) झुन्झुनू जिले के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने हेतु कोई अलग से योजना नहीं है।

विवरण संख्या–1

दिनांक 31–12–77 को झुन्झुनू जिले के नियोजन कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत आशार्थियों का विवरण :—

योग्यता	आशार्थियों की संख्या
मैट्रिक से कम	8,681
मैट्रिक	3,578
हायर सैकण्डरी	2,275
स्नातक	1,199
योग	15,733

विवरण संख्या-2

पिछले वर्ष दिनांक 1-3-77 से 28-2-78 तक नियोजित व्यक्तियों का विवरण :—

	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
1. केन्द्रीय सरकार	7
2. राज्य सरकार	313
3. अर्द्ध सरकारी संस्थान	481
4. निजी क्षेत्र	36
योग	837

होट पोइन्ट ब्लोवर की खरीद

560. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 27-1-77 को अजन्ता इलैक्ट्रिकल्स, जयपुर से 2 होट पोइन्ट ब्लोवर बिल नं० 5254 के अनुसार खरीदे गये ?

(2) क्या यह सही है कि 24-1-77 को उनमें से ही एक तत्कालीन विद्युत मन्त्री के घर पहुंच चुका था ?

(3) क्या यह सही है कि 25-1-77 को दूसरा होट पोइन्ट ब्लोवर भी तत्कालीन मन्त्री के घर पहुँच गया ?

(4) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा खरीद की तिथि के पूर्व ही यह सामान मन्त्री महोदय के यहां कैसे पहुंच गया ?

(5) उक्त दोनों होट पोइन्ट ब्लोवर वापस जमा हुए अथवा नहीं ?

(6) उपरोक्त अनियमितता पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

उत्तर

(1) जी नहीं, यह घटना 20-4-1965 को घटित हुई थी।

(2) यह सही है कि वन विद्यालय, अलवर के लिये एक नया चैसिस खरीदे लगभग एक वर्ष हो गया है। इसकी बॉडी बनवाने के प्रयास किये गये और अब विभागीय वुड वर्किंग सेन्टर पर यह बॉडी बन रही है। इस ट्रक के टायर ट्यूब खराब नहीं हुए हैं।

(3) यह सही है कि 1959 मॉडल की बस प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण के लिये उपयोग में ली जाती है परन्तु यह बस चालू हालत में है?

(4) यह सही नहीं है, बस चालू हालत में है अतः इस कारण दुर्घटना की सम्भावना नहीं है।

होटल निगम के कर्मचारी

564. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट होटल निगम समाप्त कर दिया है? यदि हां, तो कब और किन कारणों से?

(2) उक्त होटल निगम में जो कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों की सेवायें कहां स्थानान्तरित कर दी गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निगम की समाप्ति के साथ-साथ कई कर्मचारियों की सेवायें भी समाप्त कर दी गई? यदि हां, तो कौन-कौन से सेवा वर्ग की और किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट होटल निगम को भंग करने का निर्णय लिया है। भंग करने का निर्णय दिनांक 6–1–78 को निगम की कार्य व्यवस्था ठीक न होने के कारण लिया गया है।

(2) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल सभी कर्मचारी यथावत कार्य कर रहे हैं।

(3) अभी तक किसी भी कर्मचारी की सेवायें समाप्त नहीं की गयी हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-78)

श्री संजय गांधी के जयपुर आगमन पर अजमेर से भीड़ को इकट्ठा करने के लिए वाहनों का प्रयोग

232. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री संजय गांधी के माह जनवरी, 1977 में जयपुर आगमन पर उनके स्वागत में अजमेर से भीड़ को इकट्ठा करने के लिये क्या सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के वाहनों का प्रयोग किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस संस्था के कितने-कितने वाहनों का प्रयोग हुआ ?

(2) उक्त वाहन किन-किन अधिकारियों के आदेशों से जयपुर लाये गये तथा उन वाहनों का तेल आदि का व्यय किसने वहन किया ?

(3) क्या उनमें से किसी संस्था का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ ? यदि हां, तो वह वाहन किस संस्था का था; उसमें कितने व्यक्ति चोटग्रस्त हुए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन का सुधार व्यय किसने वहन किया ?

उत्तर

(1) विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उक्त अवसर पर किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया गया जहां तक गैर सरकारी संस्थानों के वाहन के प्रयोग का प्रश्न है उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह पाया गया है कि अजमेर की सेन्ट एन्सलम्स स्कूल की बस नम्बर आर. जे. जेड. 2400 का इस हेतु प्रयोग हुआ है।

(2) खण्ड (1) के उत्तर से स्पष्ट है कि इस हेतु किसी भी सरकारी अधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिये।

जहां तक तेल आदि पर व्यय को वहन करने का प्रश्न है, यह पता चला है कि बस नं० आर. जे. जेड. 2400 के तेल आदि का खर्च बस में गयी सवारियों द्वारा वहन किया गया।

(3) इस अवसर पर सेन्ट एन्सलम्स, अजमेर की उक्त बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसमें 15 व्यक्ति चोटग्रस्त हुए। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सुधार का व्यय सेन्ट एन्सलम्स हायर सैकण्डरी स्कूल, अजमेर ने वहन किया।

(विद्युत मंत्री)

(4) चूंकि तत्कालीन विद्युत मन्त्री ने होट पोइन्ट की तुरन्त आवश्यकता ज्ञात करवायी इसलिये उक्त दोनों होट पोइन्ट को उनके वहां पर दिनांक 24-1-77 को व दूसरा दिनांक 25-1-77 को दूरभाष से कह कर के मंगवाये गये और उन्हें उनके यहां भिजवा दिये गये।

(5) दोनों होट पोइन्ट वापस विद्युत मण्डल के स्टोर में जमा हो गये हैं।

(6) हाट पोइन्ट मन्त्री महोदय के आदेशानुसार दिये गये थे।

भीलवाड़ा जिले का नन्दराय बीड़

561. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीगोद के पास नन्दराय के बीड के नाम से पुकारा जाने वाला एक घास का बीड़ है जो भीलवाड़ा जिले में सबसे बड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटड़ी तहसील में होने से नन्दराय के बीड़ के नाम से पुकारा जाता है पर वास्तविकता यह है कि नन्दराय कोठारी नदी के दूसरे किनारे पर है जब की बीगोद इस बीड़ से पूर्णरूप से मिला हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि यदि इस बीड़ को नीलाम किया जाये तो कम से कम पच्चीस-तीस हजार रुपये नीलामी में मिल सकते हैं, लेकिन केवल जनता की सुविधा के ही लिए नाम मात्र की रकम जो चार हजार से भी कम है में नन्दराय पंचायत को हर साल दे दिया जाता है और बीगोद के किसान बहुत तकलीफ पाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह नहीं नहीं है, नन्दराय बीड़ कोटड़ी तहसील में स्थित हो कर कोठारी नदी के दूसरे किनारे पर नन्दराय पंचायत क्षेत्र में ही पड़ता है।

(3) जी हां। नीलाम करने पर त्रिवार्षिक औसत से अधिक रकम प्राप्त होने की संभावना है। परन्तु राज्य सरकार की नीति अनुसार बीड़ नन्दराय पंचायत को त्रिवार्षिक औसत पर दिया जाता है। राज्य सरकार इस प्रकार के बीड़ों को नीलाम कर मुनाफा कमाने का कोई इरादा नहीं रखती है।

किशनगढ़ में डिपो खोलने की योजना

562. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर संभाग में एक उपनगरीय डिपो शीघ्र खोले जाने का विचार है ? यदि हां, तो क्या उस उपनगरीय डिपो को किशनगढ़ में इसलिए खोला जाना उपयुक्त है कि किशनगढ़ नगर औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर स्थित है ?

(2) यदि हां, तो यह डिपो कब तक खोला जाना संभव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

वन विद्यालय, अलवर की बस

563. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1964 में वन विद्यालय, अलवर की बस की एक भयंकर दुर्घटना हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि वन विद्यालय, अलवर में एक नया चेसिस प्राप्त हुए एक वर्ष हो चुका है और बस की बाडी तक नहीं बनवाई गई है ? यदि हां, तो क्या बेकार खड़ी रहने के कारण इसके हजारों रुपये की कीमत के टायर खराब नहीं हो रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में एक 20–25 वर्ष पुरानी जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाली बस ही प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण के लिये काम में ली जाती है जो भ्रमण के बीच में ही कई बार खराब हो चुकी है और जिससे प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसी टूटी–फूटी हालत की बस को प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण के काम में लाये जाने से 1964 जैसी दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो जो चेसिस खरीदा हुआ है उस पर बॉडी बनवा कर उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता ?

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, जयपुर (खण्ड-द्वितीय) जयपुर

पंचायत समिति, कोटपूतली के राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पदयापकों की सूची

क्रमांक	नाम विद्यालय	द्वितीय वेतन शृंखला के पद			तृतीय वेतन शृंखला के पद		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	राज० उच्चमाध्यमिक बनेठी	5	5	–	5	5	–
2.	,, पावटा	5	5	–	5	5	–
3.	राज० मा० वि० नारहेड़ा	6	6	–	8	8	–
4.	,, दांतिल	4	4	–	6	6	–
5.	,, रामतोता	6	6	–	6	6	–
6.	,, गोनेड़ा	8	8	–	5	5	–
7.	,, प्रागपुरा	3	3	–	1	1	–
8.	,, कुहरपगाढाढा	6	6	–	6	6	–
9.	,, कोटपूतली	11	11	–	22	20	2

नोट:-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली में दो पद क्रमशः 24-12-77 व 22-2-78 दो अध्यापकों के तृतीय वेतन शृंखला से द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नति हो जाने के कारण रिक्त हुए हैं। इन पर नियुक्तियां इस कार्यालय के पत्रांक जि. शि. अ. जय. दि. संख्या फॉ. 10/884/77-78 दिनांक 3-3-78 के द्वारा नियुक्ति कर दी गई थी परन्तु कार्यारम्भ नहीं किया, अब पुनः इन पदों पर इस कार्यालय के पत्रांक जि. शि. अ. जय/द्वि संख्या 1/फा. 10/996/77/78 दिनांक 18-3-78 के द्वारा इन दोनों रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा विभाग, जयपुर (खण्ड-द्वितीय), जयपुर

286

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, जयपुर
(खण्ड— द्वितीय) जयपुर

पंचायत समिति, कोटपूतली के राजकीय उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	वर्ग संख्या	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या		वि. विवरण
				द्वितीय वेतन शृंखला	तृतीय वेतन शृंखला	
1	2	3	4	5	6	7
	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय					
1.	बंगार	8	182	1	6	
2.	भैंसलाना	8	245	1	8	
3.	सारवड़ा	8	239	1	7	
4.	मौनावास	8	264	1	9	
5.	रेवता	8	215	1	7	
6.	गोपालपुरा	8	162	1	7	
7.	कालूबेड़ा	8	169	1	7	
8.	कंवरपुरा	8	273	1	9	
9.	कारोली	8	156	1	7	
10.	करवास	8	136	1	6	
11.	बड़ावास	11	304	1	12	
12.	मोजूकोट	8	163	1	9	
13.	मवाना	8	270	1	7	
14.	रघुनाथपुरा	9	209	1	7	
15.	रामकरणपुरा	8	199	1	7	
16.	कांसखेड़ा	9	300	1	10	
17.	हुमलावास	8	197	1	7	
18.	टाकोड़ा	8	263	1	11	
19	गोरधनपुरा 76-77	7	135	1	5	
20.	नांगल पंडितपुरा 77-78	6	123	1	—	

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सूची

1. श्री ताराचन्द पुत्र किशन
2. ,, सुरेश पुत्र तेजमल सिंधी
3. ,, तेजुमल पुत्र विरूमल सिंधी
4. ,, मुरलीधर पुत्र चौथमल
5. ,, वेद प्रकाश पुत्र रामानन्द
6. ,, हरीश राजवानी पुत्र हीरालाल सिंधी
7. ,, बाबूलाल पुत्र ताराचन्द
8. ,, ईश्वर पुत्र दयाचन्द सिंधी
9. ,, किशनचन्द पुत्र जोतुमल सिंधी
10. ,, जसवन्त पुत्र जेठामल सिंधी
11. ,, दिनेशकुमार पुत्र रामबाबू
12. ,, लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द सिंधी
13. ,, गोरधन पुत्र नारूमल सिंधी
14. ,, भानुप्रकाश पुत्र रामलाल महाजन
15. ,, गोपालसिंह पुत्र रूपसिंह

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 583)

आल इण्डिया अप्रेन्टिस एकता

प्रचार कार्यालय
एस० 7, दुर्गा मार्ग बनीपार्क,
जयपुर ।

दिनांक 197

माननीय शिक्षा आयुक्त,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषय:— राजस्थान सरकार को राज्य के अप्रेन्टिस श्रमिकों की समस्याओं को निराकरण हेतु ज्ञापन ।

महोदय,

कांग्रेस के लम्बे अर्से के शासनकाल में हम अप्रेन्टिस, श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिये लम्बे चौड़े वायदों के बावजूद भी कुछ नहीं किया गया है। हम आशा करते हैं कि जनता पार्टी की सरकार हमें राहत पहुंचायेगी । इसी आशा के साथ हम यह ज्ञापन आपको दे रहे हैं। राजस्थान में स्थित विभिन्न उद्योगों में कार्यरत अप्रेन्टिसेज के दिनांक 24-2-78 को सम्पन्न हुए प्रथम एकता सम्मेलन में पारित प्रस्ताव संख्या (एक) यह सम्मेलन अप्रेन्टिसेज की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करता है कि :—

1. राजस्थान के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत सभी प्रकार के अप्रेन्टिसों के लिये स्थायी कार्य की स्थायी व्यवस्था की जावे एवं सभी अप्रेन्टिसेज को नियमित श्रमिकों की भांति सभी सुविधा प्रदान की जावें ।
2. जिन अप्रेन्टिसेज से श्रमिकों के रिक्त स्थानों के विरुद्ध कार्य लिया जा रहा है, उन्हें तुरन्त नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे एवं जितने अर्से तक रिक्त स्थानों के विरुद्ध काम लिया गया है उतने अर्से का पूरा श्रमिक के समान वेतन प्रदान किया जावे ।
3. संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान न्यूनतम (स्टाइपन्ड) वृत्तिका 100 रु० सभी विद्यार्थियों को दिया जावे एवं निर्धारित परीक्षा पास कर लेने से रोजगार के लिये अनुबन्धित करने तक की अवधि में न्यूनतम 150 रु० बेरोजगारी के रूप में दिये जावें ।

महासचिव,
ह० विष्णुदत्त शर्मा
(विष्णुदत्त शर्मा)

ह० खेमराज मलहोत्रा
अध्यक्ष,
(खेमराज मलहोत्रा)

1	2	3	4	5	6	7
	राजकीय प्राथमिक विद्यालय					
1.	गूगाखेड़ा		357	—	10	
2.	वाड़ी		214	—	5	
3.	देहली बस स्टेण्ड		188	—	4	
4.	हरिजन बस्ती		81	—	2	

जिला शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा विभाग, जयपुर (खण्ड– द्वितीय) जयपुर

कार्यालय जिला उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाएं), जयपुर।

क्र.सं.	शाला का नाम	कार्यरत स्टाफ का विवरण
1.	रा० मा० उ० प्रा० वि०, मांतेला	3 (तीन)
2.	रा० मा० उ० प्रा० वि०, प्रागपुरा	6 मय प्र० अ०
3.	रा० मा० उ० प्रा० वि०, बनेठी	4 मय प्र० अ०
4.	रा० मा० उ० प्रा० वि०, पावटा	8 मय प्र० अ०
6.	रा० प्रा० वि० (बालिका), कोटपूतली	6 मय प्र० अ०

मा० रा० ब्रजवासी,

जिला उप शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाएं),
जयपुर।

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 266 की सूची)

बोर्ड की सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1978 में परीक्षकों व सह-परीक्षकों का विषयवार विवरण सूची

क्र.सं.	विषय का नाम	प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रमुख परीक्षकों की संख्या	सह परीक्षकों की संख्या
1	2	3	4
1.	हिन्दी	102	1008
2.	अंग्रेजी	76	730
3.	सामान्य विज्ञान	33	328
4.	सामाजिक ज्ञान	8	75
5.	गणित	38	371
6.	कला एवं उद्योग के समस्त विषय	27	158
7.	संस्कृत	38	371
8.	उर्दू	3	5
9.	गुजराती	3	—
10.	सिंधी	3	3
11.	पंजाबी	3	2
12.	मलियालम	1	—
13.	तामिल	1	—
14.	प्रारम्भक अर्थ शास्त्र	16	156
15.	नागरिक अर्थ शास्त्र	32	310
16.	इतिहास	20	186
17.	भूगोल	8	72
18.	राजस्थानी साहित्य	2	—
19.	सगीत	5	3
20.	चित्रकला	7	42
21.	गृहविज्ञान	11	48

1	2	3	4
22.	भौतिक विज्ञान	14	114
23.	रसायन विज्ञान	14	114
24.	जीव विज्ञान	6	46
25.	कृषि	2	6
26.	बही खाता	20	198
27.	व्यापार पद्धति ज्ञान	20	198
28.	प्रारम्भिक अर्थ शास्त्र (वाणिज्य)	2	6
29.	वाणिज्यिक भूगोल	6	60
30.	प्रारम्भिक मुद्रा अधिकोषण तथा विनिमय	10	10
31.	हिन्दी तथा अंग्रेजी (टंकणलिपि व शीघ्रलिपि)	6	29
	योग....	537	4649

————